राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] चतुर्थ विधान सभा के छठे सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या 9

बृहस्पतिवार,

दिनांक 29 जनवरी, 1970

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, सामान्य प्रशासन, कृषि, सहकारिता, पशुपालन, गृह, पर्यटन, जन स्वास्थ्य, पुनर्वास, स्वायत्त शासन, उपनिवेशन विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 200

श्री नथमल चौहला।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 201

श्री हरिवल्लभ शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 202

श्री देवीलाल बुरासिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 203

श्री फूलचन्द बापना।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती मदन कौर।

विदेशी भेड़ों का फार्म खोलने के लिये अनुदान

204. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार विदेशी भेड़ों का एक फार्म राजस्थान में खोलने हेतु अनुदान दे रही है?

(2) क्या जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और जालोर जिलों (जोधपुर डिवीजन) की भेड़ संख्या देखते हुए इस डिवीजन में ऐसे फार्म की स्थापना के लिये राज्य सरकार विचार रखती है ?

उप-मंत्री पशुपालन (श्री हरिसिंह): (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती मदन कौर: दो में जवाब दिया है "प्रश्न ही नहीं उठता" क्यों नहीं उठता? क्या कोई संभावना है ही नहीं?

श्री हरिसिंह: आपने पूछा कि क्या भारत सरकार विदेशी भेड़ों का एक फार्म राजस्थान में खोलने हेतु अनुदान दे रही है? मैंने जवाब दे दिया कि अभी विचार नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट विचार कर रही है, यह इस प्रकार का काम है कि इसके लिये उपयुक्त स्थान का सलेक्शन किया जायगा।

श्रीमती मदन कौर: तो फिर आपने कैसे कहा कि "प्रश्न ही नहीं उठता"?

श्री हरिसिंह: आपके मूल प्रश्न के संदर्भ में मैंने जवाब दिया कि भारत सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न संख्या 205

श्री सावरमल बासोतिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 206

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 207

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बृज वल्लभ बोहरा।

ग्राम कैथून में पानी के मीटरों की व्यवस्था

208. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या कैथून ग्राम में नल लगे हुए हैं? यदि हां, तो इस ग्राम में कितने कनेक्शन ऐसे हैं जिनमें मीटर हैं और बाकी में नहीं?

(2) क्या यह सत्य है कि जिन मकानों में कनेक्शन हैं परन्तु मांगने पर भी मीटर नहीं लगाये जाते?

(3) यदि हां, तो उन्हें मीटर अब कब तक दे दिये जायेंगे?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई): (1) जी हां, कुल 280 हैं। जिनमें से 38 मीटर कनेक्शन हैं और 242 फ्लेट रेट कनेक्शन हैं।

(2) जी हां।

(3) उपभोक्ता द्वारा खुद का मीटर लाने पर मीटर लगा दिया जावेगा।

श्री बृज वल्लभ बोहरा: उपाध्यक्ष महोदय, वहां लोगों ने कई जगह से मीटर खरीद रखे हैं, अपने पास रखे हैं पर अधिकारी उन्हें मीटर नहीं देते हैं। क्या यह सही है कि एक ही मकान में दो किरायेदार रहते हैं, कनेक्शन एक होते हुए भी उनसे दुगुना पैसा वसूल किया जाता है?

श्री भीखाभाई: जहां फ्लेट रेट है वहां एक कनेक्शन पर 6 रुपया और एक से अधिक पर प्रति कनेक्शन 3 रुपया अधिक

(श्री भीखाभाई)

लिया जाता है। अगर मीटर नहीं लगाने देते हैं तो मैं आदेश जारी कर दूंगा। अगर इस प्रकार की स्थिति उनके सामने आई हो तो मुझे सूचना दे दें मैं जांच करवा लूंगा।

श्री बृज वल्लभ बोहरा : क्या यह सही है कि एक ही मकान में दो किरायेदार रहते हैं तो एक कनेक्शन के होते हुए भी दोनों किरायेदारों से अलग अलग दुगना वसूल किया जाता है?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि जहां फ्लेट रेट है वहां एक कनेक्शन पर 6 रुपया वसूल किया जाता है और एक से अधिक हैं तो प्रति एक पर 3 रुपया अधिक वसूल किया जाता है।

श्री बृज वल्लभ बोहरा : नहीं मेरा प्रश्न यह है कि एक मकान में एक केनक्शन लिया हुआ है, दो किरायेदार रहते हैं तो उनसे दुगुना वसूल किया जाता है।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य जैसा बता रहे हैं, अगर वे स्पेसिफिक इन्सटान्स दे दें तो मैं देख लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 209।

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 210

श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 211

श्री केशरीसिंह हाडा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 212

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 213

श्री ओमदत्त भाटी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

ग्राम बरबड़ा में जिन्दा जलाने की घटना

214. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर से 7 मील दूर ग्राम बरड़ा में नवम्बर, 68 में दीपावली के दिन श्री लालसिंहजी को जिन्दा जलाने की कोई घटना घटी?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार की घटना की सूचना क्षेत्रीय थाना नाई में दर्ज कराई गई? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही नहीं किये जाने की सूरत में उक्त व्यक्ति की मां ने कुए में कूद कर आत्महत्या करली?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) ता० 21-10-68 को उदयपुर से

(हीरालाल देवपुरा)

7 मील दूर ग्राम बरड़ा में लालसिंहजी को जलाने का प्रयास किया गया था।

(2) जी हां। यह सही है। इस घटना की सूचना आरक्षी केन्द्र, हाथीपोल, उदयपुर पर हुई जहां से थाना नाई को भेजी गई जो ता० 24-10-68 को थाना पर पहुंची जिस पर अभियोग संख्या 54 धारा 147। 149। 307—323 भा० द० सं० के अन्तर्गत दर्ज किया गया व अनुसंधान प्रारम्भ कर अपराधियों का दिनांक 19-11-68 को चालान कर दिया गया जो अदालत में विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। गलत है। इस वाकया के 7 दिन पश्चात् श्री लालसिंह की मां दिनांक 27-10-68 को सायं 7 बजे कुएं पर पानी लेने गई वहां अकस्मात पानी में गिर कर डूब कर मर गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ भी समझ में नहीं आया।

श्री हीरालाल देवपुरा : दुबारा पढ़ देता हूं। (1) ता०21-10-68 को उदयपुर से 7 मील दूर ग्राम बरड़ा में लालसिंहजी को जलानेका प्रयास किया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जिंदा जलाने की?

श्री हीरालाल देवपुरा : आप बाद में पूछिये।

(2) जी हां। यह सही है। इस घटना की सूचना आरक्षी केन्द्र हाथीपोल, उदयपुर पर हुई जहां से थाना नाई को भेजी गई जो ता० 24-10-68 को थाना पर पहुंची जिस पर अभियोग संख्या 54 धारा 147।149।307।323 भा० द० सं० के अन्तर्गत दर्ज किया गया व अनुसंधान प्रारम्भ कर अपराधियों का दिनांक 19-11-68 को चालान कर दिया गया जो अदालत में विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। गलत है। इस वाकया के 7 दिन पश्चात श्री लालसिंह की मां दिनांक 27-10-68 को सायं 7 बजे कुएं पर पानी लेने गई वहां अकस्मात पानी में गिर कर डूब कर मर गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह रिपोर्ट जो थाने में दर्ज हुई उसके कितने दिन बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया?

श्री हीरालाल देवपुरा : तारीख तो मेरे पास नहीं है पर सात आठ दिन बाद गिरफ्तार किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बारे में जो अभियोग दर्ज किया गया था क्या यह सही है कि श्री लालसिंह को जिंदा जलाने के सिलेसिले में किया गया था?

श्री हीरालाल देवपुरा : यही तो मैंने निवेदन किया। श्री लालसिंह को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, उसके साफे और कमीज पर आग लगाई गई थी, शरीर पर जलने के निशान थे, इसलिये ही 307 का अभियोग दर्ज किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अभियोग दर्ज कर लिया तो क्या तुरन्त गिरफ्तार करना जरूरी नहीं था?

श्री हीरालाल देवपुरा : ज्यों ज्यों मुल्जिमान का पता चला, उनको गिरफ्तार किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस तारीख को सभी मुल्जिमान का पता लग गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तारीख तो मेरे पास नहीं है, पर सात आठ दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसमें मुल्जिमान के नाम दर्ज कराये गये थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : रिपोर्ट मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न तो यही है, श्री लालसिंह को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो पहले रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया, कई दिन तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया, और श्री लालसिंह की मां इस सबसे मानसिक दृष्टि से इतनी परेशान हुई कि कुए में गिर कर उसने आत्महत्या कर ली।

श्री हीरालाल देवपुरा : 85 वर्ष की वृद्धा थी, पानी लेने गई और अकस्मात गिर गई। गांव की सारी सहादतें मौजूद हैं कि अकस्मात डूब कर मरी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसकी मां आत्महत्या करके मर गई, इसके सम्बन्ध में क्या कोई मुकदमा दर्ज कर के तफ़तीश की गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मुकदमा दर्ज करने की तो कोई बात नहीं। 174 की कार्यवाही की गई और अकस्मात कुए में गिर जाने से मृत्यु होना पाया गया इसलिये कागजात खत्म किये गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस मामले की 174 के तहत जांच करवाई गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां, जांच करवाई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किससे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पुलिस स्टेशन नाई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एस० एच० ओ० ने ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इन्चार्ज ऑफिसर ने की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : निश्चित नहीं कह सकते ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरे पास कागजात नहीं, लेकिन जांच हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही तो सवाल है। आप किस आधार पर कहते हैं ? अगर जांच रिपोर्ट नहीं है तो 174 के तहत जो इम्प्रुवमेंन्ट रिपोर्ट बनी है, वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रख सकते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मंगवाकर रख सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री दौलतराम राम सारण।

चूरू, बीकानेर तथा गंगानगर के बारानी क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था

215. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हीं स्थानों पर जल-प्रदाय योजनायें बनाई गई हैं। जहां पहले से ही पीने योग्य मीठा पानी उपलब्ध था ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य भर में कहीं भी खारे पानी वाले, अपर्याप्त पानी वाले, बिना पानी वाले, बिराइया पानी वाले किसी भी स्थान को जलप्रदाय योजना बना कर पानी नहीं दिया गया है ?

(3) चूरू, बीकानेर और गंगानगर के बारानी क्षेत्र में कुल कितने गांवों में खारा, बिराइया, अपर्याप्त अथवा बिल्कुल पीने योग्य पानी नहीं था ? उपरोक्त जिलों में कहां कहां पर किस प्रकार अब तक व्यवस्था की गई है तथा उस पर कुल कितना खर्च किया गया है ?

(4) क्या इन जिलों में ऐसे पीने योग्य पानी के अभाव वाले किसी गांव में गहरा बोरिंग किया गया जिससे मीठा पानी मिल गया हो ? क्या पाइप लाइन डालकर किसी गांव या ग्राम समूह की पानी की समस्या हल की गई है ?

(5) क्या ऐसे अभावग्रस्त किसी गांव या ग्राम समूह को पानी देने की किसी योजना की सर्वे की गई ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा): (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) चूरू जिले में 697 गांवों में, बीकानेर जिले में 517 ग्रामों में, गंगानगर जिले में 1255 गांवों में। इन जिलों में विभाग द्वारा पेय जल की व्यवस्था की गई जिन पर कुल खर्चा जिलेवार निम्न प्रकार है :

बीकानेर जिला .. 83.77 लाख रु०

चूरू जिला – 71.15 लाख रु०

गंगानगर जिला .. 65.68 लाख रु०

जहां जहां व्यवस्था की गई उसके लिए सूची 'अ' संलग्न है।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री दौलतराम सारण : क्या आपने जो गांव बताए 697 जो चूरू में हैं और 517 बीकानेर में हैं, ये वही गांव हैं जिनमें पहले ही पीने का पानी मीठा था और उन्हीं गांवों में कुंड या कुए की मरम्मत या नए कुए बनाने के लिए पैसा दिया गया ?

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : ऐसा नहीं है, तो कितने गांव ऐसे हैं जिनमें पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है ?

श्रीमती सुमित्रा : ऐसे तो काफी गांव हैं जहां नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : इन तीन जिलों की संख्या कितनी है ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने पूछा था लेकिन इसमें नहीं आया, उसका क्या हुआ ? आप बतादें कि चूरू, गंगानगर व बीकानेर जिलों में कुल कितने गांव अब तक बाकी ह राज्य सरकार की सूचना के अनुसार जिनमें पीने योग्य पानी की व्यवस्था नहीं है ?

श्रीमती सुमित्रा : मैं ऐसे गांव तो बता सकती हूं जहां व्यवस्था करदी है लेकिन जहां व्यवस्था नहीं की गई है....

श्री दौलतराम सारण : यह उन गांवों की सूची है जहां पहले से ही पीने का पानी था, वहां कुए बनाए गए हैं। ऐसे गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं की गई है जिन गांवों में पीने योग्य पानी नहीं है। गत अधिवेशन में मेरे प्रश्न के उत्तर में सूचना दी गई थी राज्य सरकार की ओर से कि 300 और कुछ गांव चूरू जिले में पीने योग्य पानी से वंचित हैं।

श्रीमती सुमित्रा : जितनी आपकी ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें बनीं हैं, उन स्थानों पर करीब करीब खारा पानी था। इसी तरह से रीजनल स्कीम्स बनाई गई हैं जहां खारा, अपर्याप्त या अन्हाइजनिक व्यवस्था होती है।

श्री दौलतराम सारण : आपने जो सूची दी है वहां पहले से ही मीठा पानी है। चूरू जिले में मुमासर में पहले से ही बिजली लगाई हुई थी, पम्प लगा हुआ था, आपने केवल टंकी लगा कर पाइप डाल दिया, मीठा पानी था। इसी तरह से नापासर में मीठा पानी था, सुजानदेसर, करनीसर, घरसीसर, पड़ियाला, सब जगह मीठा पानी था, पर्याप्त था, पीने योग्य था, अच्छा था और वहां केवल आपने पम्प डाल दिया। पहले ही जिनको सुविधा उपलब्ध थी एक गांव भी ऐसा नहीं है डिवीजन भर में जिसमें पीने योग्य पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसमें की गई हो।

श्रीमती सुमित्रा : आप राज्य सरकार में बैठे थे। आप बता देते कि कहां कहां खारा पानी है ? आपने बताया नहीं।

श्री दौलतराम सारण : अगर मेरे बताने से काम होता तो मैं कांग्रेस और राज्य सरकार छोड़कर नहीं आता। अगर राज्य सरकार नियम, नीति और जन भावनाओं से चली होती तो मैं उधर से छोड़कर यहां नहीं आता।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रावतराम (छापर-सु०): प्रश्न के भाग (4) में पूछा गया है कि कोई ऐसी योजना बतायें, एक गांव में भी आपने योजना प्रारम्भ की हो और वहां के आसपास के गांवों में पानी सप्लाई किया हो ?

श्रीमती सुमित्रा : हां, जिला चूरू में चांदकोट से राजगढ़ रीजनल स्कीम बनी है, शीघ्र ही क्रियान्वित की जायगी।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी योजना बतायें जिसमें पाइप द्वारा खारा पानी या पानी का अभाव वाले गांव में पानी पहुंचा हो, कहीं पर भी डिवीजन भर में या राजस्थान भर में।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : लाडनू से सुजानगढ़ में मीठा पानी था ?

श्री दौलतराम सारण : सुजानगढ़ शहर में किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बीकानेर जिले में कई कुएं खोदे गए हैं। खोदने के बाद पानी दिया गया है....

श्री दौलतराम सारण : मेरा प्रश्न तो स्पष्ट है कि क्या इन जिलों में किन्हीं खारे पानी वाले या पानी के अभाव वाले गांवों में गहरा बोरिंग किया गया जिससे मीठा पानी मिल गया हो या पाइप लाइन डालकर किसी ग्राम समूह की पानी की समस्या हल की गई हो। एक भी बता दें।

श्रीमती सुमित्रा : लूणकरणसर में खारा पानी था, वहां से आने वाले माननीय सदस्य बैठे होंगे और वहां से जब बोरिंग किया गया तो मीठा पानी निकला।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी कुछ योजनायें हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माजन में ट्यूबवेल लगाया तो मीठा पानी आया।

श्री दौलतराम सारण : पाइप लगा हुआ है, मीठा पानी है, पानी सप्लाई हो रहा है, आपको पता नहीं।

श्रीमती सुमित्रा : मैं आपको उन गांवों के नाम बता दूंगी जहां जहां पर खारा पानी था, डीप बोरिंग करने के बाद मीठा निकला। नवरंगदेसर.....

श्री दौलतराम सारण : पहले से ही मीठा है। एक भी गांव बता दें, मैं एक एक गांव में पैदल घूमा हूं, आपकी तरह ऊपर से छलांग मारकर राजनीति में नहीं आया हूं।

उप-मंत्री: (श्री प्रद्युम्नसिंह) : आसमान से उतर आए हैं।

श्री दौलतराम सारण : जनता से आया हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम भी जनता से आए हैं।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष, यह बकवास बंद कराई जाय, बीच में बोलते हैं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : व्यवस्था का प्रश्न है। जब मुख्य मंत्री बैठे हैं और एक डिप्टी मिनिस्टर इस तरह से बीच में डिस्टर्ब करें, प्रश्न पूछें, सदन के लिए और सदस्यों के लिए और उनके लिए अशोभनीय है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जूता दिखाया, वह तरीका नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : आप कहें तो गंगानगर के बताऊं, चूरू के बताऊं।

श्री रावतराम : चूरू जिले में करीब 900 गांव हैं। उन 900 गांवों में बहुत सारे गांवों में पानी खारा है। कोई योजना बताएं खारे पानी के गांव की जहां आपने डीप करवा कर, बोरिंग करवा कर कोई योजना बनाई हो और वहां आसपास के गांवों में पानी सप्लाई किया हो ?

श्रीमती सुमित्रा : पहले तो माननीय सदस्य डूंगरगढ वाले का जवाब देती हूं। नवरंगदेसर, गडियाला, करीमासर, भीखमपुरा—1. भीखमपुरा, 2. बरजानसर, सामलासर

Page No. 9

(श्रीमती सुमित्रा)

कुसड़ू । आगे सुन लीजिए । बजरंगगढ, धानकोठी, चांद कोठी ।

श्री दौलतराम सारण : सब में मीठा है।

श्रीमती सुमित्रा : आप खारे को मीठा कहें तो उसका तो इलाज नहीं।

श्री दौलतराम सारण : मंत्री महोदया, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं । आप-जांच करवाइयेजितने नाम बताये, बरजानसर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, गांव वालों ने खुद कुआं खोदकर मीठा पानी निकाला । चांदकोठी में पहले से ही मीठा है बीदासर में इसलिए बोरिंग कराया गया कि योजना बनाने के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अब और बोरिंग कराओ।

श्री दौलतराम सारण : एक गांव को लेकर जानबूझ कर गलतफहमियों में सदन को डाल रहे दो। एक योजना भी नहीं जिसमें खारे पानी वाले गांव में पाइप द्वारा मीठा पानी पहुंचाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदया ने कई गांवों के नाम बताए

श्री दौलतराम सारण : मैंने चैलेंज किया कि गलत है, फिर कर रहा हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी सुना है कि बीकानेर, या अमूमन के रेगिस्थान क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना सफलतापूर्वक नहीं बनाई है कि जहां पर खारे पानी की जगह मीठा पानी सरकार के प्रयास द्वारा लाया गया हो । अगर माननीय प्रश्नकर्ता की यह आपत्ति है कि एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पीने का मीठा पानी लाया गया हो तो निष्पक्ष रूप से सरकार को इस बात को मानना चाहिए, उसकी जांच की जाय कि वास्तविक रूप से कितने ऐसे स्थान हैं जहां पर सरकार के प्रयास द्वारा खारे पानी की जगह मीठा पानी लाया गया हो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करदूं कि यह भ्रम हो रहा है इन योजनाओं के बारे में। दोनों तरह की योजनायें हाथ में ली जाती हैं । जहां पानी ठीक हो हाइजनिक वाटर सप्लाई मिले उस तरह से उस योजना को हाथ में लिया जाता है जो आवश्यक है । दूसरा यह कहा गया कि कहीं भी नहीं लिया गया । मैं उस विवाद में न पड़कर यह निवेदन करूंगा कि बाड़मेर के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं वे जानते हैं और मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि बायतू में पीने का पानी नहीं था, वहां ट्यूबवेल खोद कर रीजनल स्कीम के जरिये पानी पहुंचाया। बालोतरा में खारा पानी था तो पास में ट्यूबवेल खोदकर बालोतरा को पानी पहुंचाया ।

श्री रामचन्द्र आर्य : सवाल तो बीकानेर डिविजन का है। कहां के कहां पहुंच गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास ऑफ हैन्ड इसकी पूरी जानकारी नहीं है लेकिन जो भी जानकारी है उसके अनुसार नोहर को भी मीठा पानी मिले उसकी योजना है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : कब तक कर दोगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नोहर में भी योजना हाथ में ली गई है। उस पर काम किया जा रहा है, यह माननीय सदस्य की जानकारी में है।

श्री रामचन्द्र आर्य : काम तो किया जा रहा है लेकिन इतना सीमित तरीके से चल रहा है कि दो साल में भी वह पूरा नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नोहर का पानी खारा है यह आप क्यों कहते हैं? यह तो सब ही जानते हैं।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी सदन को भ्रम में डाल रहे हैं। मैंने निश्चित तौर से यह पूछा है "चूरू, बीकानेर और गंगानगर के बारानी क्षेत्र में कुल कितने गांवों में खारा, बिराइया, अपर्याप्त अथवा बिलकुल पीने योग्य पानी नहीं था? उपरोक्त जिलों में कहां कहां पर किस प्रकार अब तक व्यवस्था की गई है तथा उस पर कुल कितना खर्च किया गया है?" इसके संबंध में जो उत्तर दिया गया है वह बिलकुल गलत है और जो भी है तो केवल आपके कागजों में है। नहरी क्षेत्र के अलावा गंगानगर, बीकानेर और चूरू जिलों में एक भी गांव ऐसा नहीं जहां पानी बोरिंग द्वारा मीठा निकला हो और पाइप द्वारा पहुंचाया हो या वाटर वर्क्स की योजना बनी हो। एक भी गांव नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजस्थान के और जगह कहीं खर्च किया जाए लेकिन सबसे ज्यादा पीने के पानी की दृष्टि से, सुविधा करने के लिहाज से जो लूणकरणसर स्कीम लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम है दस करोड़ की बनायी गई है पीने के पानी के लिये वह हाथ में ली गई है। यह इम्प्रेशन क्रियेट करने की कोशिश न की जाय कि इस प्रकार की योजना हाथ में नहीं ली गई है। इरिगेशन स्कीम नहीं है मेनली ड्रिंकिंग स्कीम है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि भाखरा कैनाल और नोहर तहसील में काफी गांव ऐसे हैं जहां पानी नहर से मिल सकता है सिंचाई विभाग पानी नहीं देता है और बार बार मांग करने पर भी नहीं देता है?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : पीने के पानी से संबंधित सवाल है। कुओं से पानी निकालना तो दूर रहा सरकार नहर से पानी भी देने के लिए तैयार नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : उस क्षेत्र में जहां खारा, बिराइया, अपर्याप्त अथवा बिलकुल पीने योग्य पानी नहीं है वहां सरकार कोई स्कीम बना कर पीने का पानी देने के लिये तैयार है? और यदि है, तो कब तक?

श्री रामचन्द्र आर्य : खाली लूणकरणसर की बात बता दी। नोहर के लिये क्या किया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हो रहा है और लेटेस्ट विचार चलते हैं उसके अनुसार ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हर गांव में जितनी जल्दी हो प्रोवाइड की जाय, उसके लिये अभी भी यह प्रयत्न किया गया है कि योजना में धनराशि हो। उसके अलावा अतिरिक्त धनराशि फाइनेन्स कमीशन और प्लानिंग कमीशन बम्बई रिजोल्यूशन की लाइट में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

प्रोवाइड करने का प्रयत्न करें ताकि मीठा पानी उपलब्ध हो सके। रीजनल स्कीम के जरिये पूर्ति की जाय। यह कितने समय में हो जावेगा यह तो फन्ड्स पर निर्भर करता है कि कितने फन्ड्स अवेलेबल होते हैं। राजस्थान की समस्या है वह काफी बड़ी समस्या है जिसमें काफी प्रश्न पूरा करने के सामने आते हैं। जिसके लिये न सिर्फ हम बल्कि अखिल भारतीय लेवल पर भी चिन्तित हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : फोर्थ प्लान कब तक पूरा करेंगे ? न नो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता था कि सदन के माननीय सदस्य हैं, चौथी योजना कबसे लागू होगी यह आपको मालूम होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपका यह खाली कहना है। चौथी योजना आप लागू नहीं कर सकेंगे। उसके लिये आपके पास कोई फन्ड्स नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसको लागू करने के लिये हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : कोटा डिवीजन में छीपा बड़ौद आदि जगहों पर क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : चौथी योजना में धन का प्रावधान है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री शिवनाथसिंह।

ट्रैक्टर्स के इम्पलीमेन्ट्स

216. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन के माध्यम से जो आयातित ट्रैक्टर्स बेचे जाते हैं उनके साथ कुछ इम्पलीमेन्ट्स आवश्यक रूप से खरीददार को खरीदने पड़ते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन इम्पलीमेन्ट्स की कीमत बहुत अधिक वसूल की जाती है तथा खुले बाजार में व अन्य कम्पनियों के इसी प्रकार के इम्पलीमेन्ट्स इससे आधी अथवा तीसरे हिस्से की कीमत पर मिलते हैं ?

(3) जिन लोगों के पास पहले से ट्रैक्टर के साथ, कृषि के काम में आने वाले इम्पलीमेन्ट्स मौजूद हैं उनको ट्रैक्टर बेचते समय आवश्यक रूप से इम्पलीमेन्ट्स खरीदने में छूट देना क्या सरकार उचित नहीं समझती ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। कीमत सब बातों का ध्यान रख कर सरकार द्वारा तय की गई है।

(3) निगम से दूसरा ट्रैक्टर खरीदने पर साथ में उपकरण लेना आवश्यक नहीं है।

श्री शिवनाथसिंह : जो उपकरण देते हैं उनकी कम्पेरेटिव कीमत क्या है जो बाजार में मिलते हैं और आप देते हैं ?

श्री हरिसिंह : लीडिंग प्राइवेट कम्पनीज हैं, जैसे, फर्गुशन है, मेसर्स हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स है, एस्कोर्ट है उनसे कम है। दूसरा लोकल में तो फेमस कम्पनीज नहीं हैं उनकी तो मैं कह नहीं सकता। कीमत की सूची मांगी नहीं आपने।

श्री शिवनाथसिंह : बाजार में दूसरे मिलते हैं। दूसरों को भप्लाई करते हैं उनमें और आपकी कीमत में तिगुना फर्क है जहां बाजार में दो सौ में मिलता है तो आपके यहां कीमत 800) रुपया है।

श्री हरिसिंह : बाजार में तो उससे कम कीमत हो तो कम्पीटीशन हो सकता है। जनरल कीमत का सरकार को ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। जो कीमत बतायी है वह कम्पीटोटिव रेट से कम है। फॉरेन इम्पली-मेन्ट्स हैं, असेम्बल यहां होते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): कोस्ट प्राइस कितनी है? दूसरे, कम्पलसरी क्यों कर रखा है?

श्री हरिसिंह : यहां की मांग को देखते हुए कि मांग रहती है यदि कन्डीशन्स नहीं लगायेंगे तो ब्लेक कर सकते हैं। कृषि को कितना बढ़ावा दे सकते हैं मशीनरी के द्वारा। साथ में यह कन्डीशन्स इसलिये रखी हैं कि ब्लेक न हो।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : किसी के पास पहले के इम्पलीमेन्ट्स पड़े हों तो मजबूर क्यों करते हैं?

श्री हरिसिंह : फार्म आपने देखा नहीं है। तीन सालों से पहले ट्रेक्टर हैं तो नहीं और इम्पलीमेन्ट्स हैं तो नहीं देंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : पहले वाले ट्रेक्टर को बेच दिया हो और इम्पली-मेन्ट्स पड़े हों?

श्री हरिसिंह : वैसे तो आप किसी तरह प्राप्त कर ही नहीं सकते। जर्मन ट्रेक्टर हैं, डी० जी० 14।

श्री शिवनाथसिंह : मेरा प्रश्न डिफरेन्ट था। मैंने पूछा है कि बाहर से जो मेक्स मंगाते हैं उनके लिये जरूरी क्यों है कि वे इम्पलीमेन्ट्स भी भेजें? आप अपने यहां वर्कशाप में इम्पलीमेन्ट्स बनाते हैं तो फिर बाहर से क्यों लेते हैं? बाहर से जो इम्पोर्ट करते हैं उन पर आप लोकल जो बनते हैं उनके मूल्य से तिगुना मूल्य लिया जाता है-यह क्यों?

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : मैंने निवेदन किया, बाहर से सामान आता है और यहां असेम्बल करते हैं। जैसे कल्टीवेटर्स फरोज पलाउज आदि हैं इनके पार्ट्स बाहर से मंगाते हैं उनको असेम्बल करके दिया जाता है। हिन्दुस्तान की जो कम्पनीज हैं फर्गुसन, एस्कोर्ट, हिन्दुस्तान ट्रेक्टर आदि उनके मूल्य से हमारे मूल्य कम हैं, हमारे इम्पलीमेन्ट्स सस्ते हैं।

श्री शिवनाथसिंह : लेवलर जो बाजार में 200 रुपये में मिलता है उसके आप 800 रुपये वसूल करते हैं। इसी तरह की चीज मार्केट में 200 रु० में मिल सकती है?

श्री शोभाराम : इस प्रकार से ज्यादा वेल्यूएशन किसी का है तो दुबारा जांच करा लेंगे। अगर इतना ज्यादा फर्क है तो रेट्स भी रिवाइज कर सकते हैं

श्री शिवनार्थसिंह : आप जांच करने के लिए तैयार हैं तो मैं बता सकता हूं कि लोकल वर्कशाप से इम्पलीमेन्ट्स बनवाकर आपका कृषि वर्कशाप लेता है। इसके अलावा जो इम्पलीमेन्ट्स बाजार में 200 रुपये में मिल सकते हैं उनका आप 800 रुपया वसूल करते हैं। एक ट्रैक्टर के पीछे आप पांच हजार रुपये के इम्पलीमेन्ट्स देते हैं। वैसे ही ट्रैक्टर बहुत महंगे हैं इतने पैसों में तो ब्लैक से ट्रैक्टर मिल सकता है। ऐसी हालत में जिन लोगों के पास पहले से ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने उनके खराब हो जाने से उनको बेच दिया है और उनके स्पेयर पार्ट्स उनके पास मौजूद हैं तो दुबारा उनको कम्पलसरी क्यों दिये जाते हैं? यह तो नाजायज है।

श्री शोभाराम : तीन प्रकार के जो इम्पलीमेन्ट्स हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि ये हम इम्पोर्ट करते हैं और यहां असेम्बल करते हैं इनके बारे में कुछ विशेष कहना नहीं है। लोकल वर्कशाप में जो मेन्युफेक्चर होते हैं, लोकल प्राइजेज हैं उनके मुकाबले में यहां ज्यादा कीमत है तो मेरा यह कहना है कि लोकल से उनका मुकाबला न किया जाय। तीसरा जो पार्ट्स के बारे में मूल्यों में वेरीएशन्स हैं उसको मैं देखूंगा। यदि ज्यादा वेरीएशन्स होंगे तो उनको कम करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

श्री शिवनार्थसिंह : जो पार्ट्स बाहर से आते हैं वे यदि पहले से मौजूद हैं तो उनको खरीदने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है?

श्री शोभाराम : इसका एक तो यह उपाय हो सकता है कि जो इम्पोर्टेड ट्रक्टर्स हैं उनके साथ जो नैसेसरी इम्पलीमेन्ट्स हैं वे या तो न भेजें फिर यदि किसी को उन पार्ट्स की जरूरत हो जाय तो उनके लिये सप्लाई कर पाना मुश्किल हो जायगा। भविष्य में उन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी यहां मुश्किल हो जायगी इसलिये भविष्य के बारे में पहले से एन्टीसिपेट करना मुश्किल है।

दूसरा जो लोकल मेन्युफेक्चर होते हैं प्राइज के वेरीएशन्स क्या हैं, कितना है इस प्रश्न को मैं देखना चाहूंगा। लेकिन जो ट्रैक्टर्स इम्पोर्ट हो करके आते हैं उनके साथ हम इम्पलीमेन्ट्स की डिमाण्ड न करें, जब डिमाण्ड कहीं से आ जाय और उसको मीट आउट नहीं कर सकें तो भी मुश्किल हो जायगी।

श्री शिवनार्थसिंह : मेरा यह निवेदन है कि इम्पलीमेन्ट्स को मंगाना जरूरी नहीं है। आप केवल टैक्टर्स मंगावें और इम्पलीमेन्ट्स कम मंगावें ताकि जिसको जरूरत हो वे ले लें। अननैसेसरी आप इम्पलीमेन्ट्स इम्पोर्ट करें यह कहां तक ठीक है?

श्री शोभाराम : लाजिमी न हो तो हम भी नहीं मंगाते। फिर भी मैं इस प्रश्न पर विचार कर लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ऐसा भी है, आपके वर्कशाप में लोकल वर्कशाप से माल खरीदा जाता है, प्राइवेट कारखानों में माल तैयार करवाकर आपके निगम द्वारा उस माल को खरीद लिया जाता है और फिर उसको ज्यादा मूल्य पर बेचा जाता है तो फिर पब्लिक सेक्टर से क्या फायदा?

श्री शोभाराम : इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। फिर भी इस प्रश्न पर जो जो भी बातें आयी हैं उनको

(श्री शोभाराम)

एग्जामिन करेंगे। हम किसी भी तरह से यह नहीं चाहते लोकल मेन्युफेक्चर्ड जो माल होता है वह तो सस्ता मिले और हमारे यहां से वही माल मंहगा मिले। खरीददार को सुविधा और सस्ता माल मिले यह हम देखेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कोर्पोरेशन का प्रॉफिट पर्सेन्टेज कितना है ?

श्री शोभाराम : यह अलग से प्रश्न है। इस प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : प्रश्न यह है कि हमें स्टॉक तो इम्लीमेण्ट्स का रखना जरूरी है न मालूम कभी कस्टमर डिमाण्ड करलें। जितनी डिमाण्ड है उसके मुताबिक ही इम्पलीमेण्ट्स मंगाने चाहियें। दरअसल हकीकत यह है कि ट्रैक्टर्स के साथ जो इम्पलीमेण्ट्स देते हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा लेते हैं। इसलिये हमारा निवेदन यह है कि कि इम्पलीमेण्टस के लिये परस्यु न किया जाय जो डिमाण्ड करें उनको ही दिये जायें।

श्री शोभाराम : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। लोकल जो मेन्युफेक्चर होते हैं उनका इम्पोर्ट हम नहीं करेंगे यह देखकर कि उससे हमारी मांग पूरी होती है तो। अगर लोकली वे सब इम्पलीमेण्ट्स मेन्यूफेक्चर होकर मांग पुरी हो जाती है तो हम इसको देखेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): मैं समझता हूं कि स्टेट मोनोपोली की जो चेष्टा है वह अपने आपमें डिफेक्टिव है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उचित भाव में इम्पलीमेण्ट्स तैयार करवा कर वेचे। यह सरकार का पूर्ण अधिकार है। पंजाब के अन्दर आप देखेंगे पर्याप्त रूप में ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स बनते हैं। उसके सामने राजस्थान की व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है और डिफेक्टिव है। आपको इस प्रकार की योजना बनानी चाहिये जिससे ट्रैक्टर और उसके स्पेअर पार्ट्स प्रचुर मात्रा में होने चाहियें। स्टेट मोनोपोली का जो आपका सिस्टम है वह डिफेक्टिव है, आपका प्लानिंग भी डिफेक्टिव है। इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : इसका उत्तर तो आना चाहिये। आप क्या अनुभव करते हैं ? क्या इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके इस बारे मे व्यवस्था की जायगी ?

श्री शोभाराम :– इम्पलीमेन्ट्स के बारे में लोकल मेन्युफेक्चर से कोई कम्पीटीशन न रखा जाय, यह मोनोपोली नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : आप इस बारे में जल्दी ही कार्यवाही करें इसमें शिष्टाचार टैक्स की बहुत गुंजाइश है।

सहकारी समितियों के लाभ वितरण के प्रस्ताव

217. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान में कितनी सहकारी समितियों के लाभ वितरण के प्रस्ताव सहकारी विभाग के किन किन अधिकारियों के पास कब कब से स्वीकृति हेतु पड़े हैं ? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि सहकारिता अधिनियम, 1965 के अनुसार सहकारी

(श्री नाथूसिंह)

विभाग के अधिकारियों द्वारा लाभ वितरण के ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है परन्तु फिर भी सहकारी विभाग के द्वारा समितियों को अपने लाभ वितरण के प्रस्ताव स्वीकार कराने को बाध्य होना पड़ता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

(3) राजस्थान में प्राथमिक, केन्द्रीय एवं शीर्ष स्तर की ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं जिनका लाभ वितरण पिछले 3 साल से नहीं हो पाया है ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेवसिंह): सूचना एकत्रित की जा रही है, इसलिये इसे आगे के लिये स्थगित कर दिया जाय, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): यही तो अभिप्राय था, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 218

अगला प्रश्न। राजवी श्री रूपसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 219

श्री बालसिंह सोढा :

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्योंकि यह सीमा से कनसर्ड है इसलिये इसका उत्तर दिलवा दिया जाय।

जैसलमेर जिले की सीमा को बसाने की योजना

219. **श्री आईदानसिंह** (भीनमाल) : [श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) की अनुपस्थिति में] : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार व भारत सरकार जैसलमेर जिले की 300 मील सीमा को बसाने के लिये कोई योजना बना रही है, ? अगर हां, तो वह योजना क्या है ? अगर नहीं, तो क्या सरकार सीमा सुरक्षा की दृष्टि से इसको बसाना महत्वपूर्ण नहीं समझती ?

राज्य मंत्री, पुनर्वास (श्री जयकृष्ण शर्मा) : जी नहीं। राज्य सरकार तथा भारत सरकार के पुनर्वास विभाग ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र को बसाने का सम्बन्ध पुनर्वास विभाग से नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री देवीदत्त गाडिया।

कोटा–शिवपुरी सड़क पर मरम्मत का कार्य

220. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा का प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग कोटा–शिवपुरी स्थान स्थान पर कोटा के पास पलायता के पास आदि स्थानों पर टूटा हुआ व खड्डों से परिपूर्ण खराब हालत में है ? यदि हां,

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

तो सरकार इस सड़क को ठीक करवाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला कोटा में बारां क्षेत्र की अन्ता–सीसवाली, अन्ता-मांगरोल, बारां-मांगरोल एवं कोयला सड़कों की हालत खराब है और आज तक इन सड़कों पर डामर नहीं हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों और अब इन सड़कों पर कब तक डामर हो जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि अन्ता सीसवाली रोड अभी तक पूरी नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक पूरी हो जायेगी ?

उत्तर

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (माधोसिंह): (1) जी हां, वर्ष 1969-70 में 4,25,000 रुपया मरम्मत हेतु स्वीकृत किया गया है।

(2) अन्ता-शीशवाली के बीच सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है । अन्ता-मांगरोल सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है। बारां-मांगरोल सड़क डामर की बनी हुई है। कोयला सड़क मेटल रोड है जिसकी हालत साधारण है। अर्थाभाव के कारण यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि इन सड़कों पर कब डामर कराया जायगा ।

(3) जी हां, सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि यह कोटा-शिवपुरी रोड़ कोटा से पाससा और कलायत और शिबला के पास बुरी तरह से टूटी हुई है ? क्या मरम्मत कराने का इरादा है ?

श्री माधोसिंह : नहर के पानी की वजह से जगह जगह से टूट गई है । उसकी मरम्मत के लिये पैसा रख लिया गया है। और इसका मरम्मत का काम एक महीने भर में चालू करा दिया जावेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि पलायता के पास कोलिया की सड़क पर फ्लड आने से और पानी का बहाव कहीं भी नहीं होने से पानी भरा हुआ है सड़क पर और यातायात अवरुद्ध हो गया है ?

श्री माधोसिंह : सड़क पर मेन रोड पर नहीं है। आगे नाले में है। उसकी व्यवस्था की जा रही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सड़क पर ही ही पानी है। उपाध्यक्षजी, मन्त्रीजी गलत उत्तर दे रहे हैं। मुख्य सड़क पर आज भी पानी भरा हुआ है और उसका बहाव अवरुद्ध होने के कारण पानी निकल नहीं रहा है।

श्री माधोसिंह : सबसे बड़ी पुलिया के पास मुख्य सड़क पर एक जगह पानी है। उसके लिये तुरन्त कार्यवाही करके व्यवस्था करेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वहां पर किस प्रकार से कार्यवाही करेंगे ? कैसे निकालेंगे उस पानी को ?

श्री माधोसिंह : पुलिया को ऊंचा उठाना पड़ेगा क्योंकि सीपेज के पानी से वह भरा हुआ है। कुछ सड़क भी नीच

Page No. 17

(श्री माधोसिंह)
दब गई है। तो पुलिया ऊंचा उठाने का आदेश अधिशासी अभियन्ता को दे दिया जावेगा।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या यह सही है कि कोटा जिला को रोड माइलेज के अनुपात में रिपेयर और मेन्टीनेन्स ग्रान्ट नहीं मिल रही है।

श्री माधोसिंह: यह अलग से प्रश्न है।

श्री जुझारसिंह: इसीसे सम्बन्धित है, उपाध्यक्ष महोदय, जो पैसा मिलता है वह बिल्डिंग की रिपेयर में ही समाप्त हो जाता है।

श्री माधोसिंह: अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सीपेज के कारण भर गई तो क्या पी० डब्लू० डी० ने चम्बल विभाग से इस सड़कों के लिये पैसे की मांग की है? विभाग की लापरवांही के कारण ये सड़कें खराब हुई हैं और पानी भर गया है।

श्री माधोसिंह: अलग से मांग नहीं की है। कितनी मांग करनी चाहिये, यह सोच रहे है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या पुलियाओं को ऊंचा उठाने का आदेश दे दिया गया है?

श्री माधोसिंह: जी हां। दे दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री देवीदत्त गाड़िया: आपने फरमाया कि अन्ताशीशवाली के बीच सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो कितनी सड़क का काम शुरु हो गया? अन्ता शीशवाली 16 मील की सड़क है।

श्री माधोसिंह : चौथे प्लान में पूरी कर दी जावेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह मांगरोल-अन्ता-शीशवाली रोड जिसका काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है और अन्ता-मांगरोल रोड कब तक पूरी हो जावेगी? फिर से सुनिये। आपने यह कहा कि यह शीशवाली-अन्ता रोड चौथी योजना में पूरी हो जावेगी और मैं पूछना चाहता हूं कि यह शीशवाली-मांगरोल रोड और अन्ता-मांगरोल रोड और इसी प्रकार से कोयला रोड का तो कन्सट्रक्शन का काम चालू नहीं हुआ। ये तीनों रोड महत्वपूर्ण हैं, किसानों को इस क्षेत्र में माल लाने-लेजाने में बाधा हो रही है। कब तक ये रोड बन जावेगीं?

श्री माधोसिंह : अन्ता से शीशवाली होते हुए मांगरोल के लिये रोड चौथी योजना में पूरी हो जावेगी। कोयला वाली रोड बनी हुई है और अगर हालत उसकी खराब है तो ठीक कर दी जावेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : शीशवाली-मांगरोल रोड का क्या होगा?

श्री माधोसिंह: यह रोड प्लान में नहीं है। चौथे प्लान में विचार किया जावेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया: आप यह बताइये कि आपने यह अन्ता-शीशवाली रोड के लिये कहा है कि चौथी योजना में ले ली जावेगी। तो कौनसे चरण में ले ली जावेगी? प्रथम चरण में ले ली जावेगी या किस चरण में ले ली जावेगी और कब खतम कर दी जावेगी, किस चरण में?

श्री माधोसिंह: योजना चालू होने पर साल डेढ़ साल में पूरी हो जावेगी।

Page No. 18

श्री देवीदत्त गाड़िया : चौथी योजना कब से लागू की जावेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न इसी से सम्बन्धित है। यदि ये इसका उत्तर नहीं दे सकते, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहूंगा।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : यह नेक्स्ट ईयर चालू हो रही है, 71 में फोर्थ प्लान में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा-शिवपुरी रोड महत्वपूर्ण है उस पर जितनी पुलिया हैं बरसात में उन पर इतना पानी भर जाता है कि रास्ता रुक जाता है और एक एक महीने तक रास्ता रुका रहता है। अब वह राष्ट्रीय मार्ग होने जा रहा है। क्या सरकार इसको ठीक करने की सोच रही है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह सरकार के कतई ध्यान में है और इस पर काम चालू हो रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कतई का मतलब ?

श्री एक माननीय सदस्य : यह कतई का इस्तेमाल गलत है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कतई के माने पूरा ध्यान। इसका ध्यान है और प्रोविजन इस साल भी रखा है। अभी हो रहा है और आइन्दा साल भी इसके लिये प्रोविजन काफी रखा गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह प्रोविजन सड़कों के लिये है या पुलियाओं को ऊंचा करने के लिये भी है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सड़कों के लिये है। सड़कों में पुलिया भी आ जायेंगी जिनका ताल्लुक सीपेज से है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सामान्य प्रशासनिक प्रश्न है। सिम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव मेटर है। क्या आपके पास ऐसा कोई न कोई डिवीजन या डिस्ट्रिक्टवाइज फण्ड नहीं है ? कहीं फ्लडिंग है, कैनाल के द्वारा पुलिया का काम है और ऐसा ही कोई और काम है तो ऑटोमेटिकली आप उनकी रिपेयरिंग नहीं करा सकते। यहां पर प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर दिया जाता है चौथे प्लान में कर दिया जावेगा, आदेश लिये जावेंगे तो यह कोई उत्तर है। यह तो ओटोमेटिकली काम होता रहना चाहिये। इसका तो कन्टीन्यूअस प्रोसेस होना चाहिये। नहीं तो, आपका बजटिंग ही बिलकुल डिफेक्टिव है। रोड्स की सिम्पल रिपेयर के वास्ते क्या कोई न कोई फण्ड नहीं है मंत्री महोदय ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह जवाब तो पूरा दे दिया गया है। पूरा प्रोविजन है जहां पर जरूरत पुलिया की होगी, पुलिया बनायी जावेगी। सारी प्लान इसी हालत से रखी गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा जिले की अधिकतर सड़कें खराब हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कृपा करके समझने की चेष्टा करें। आपके पास कोई न कोई फण्ड्स होने चाहिये, बजट में रकम होनी चाहिये जिससे सामान्य रिपेयर के सम्बन्ध में आप ओटोमेटिकली काम कर सकें। अगर यह नहीं कर सकते हैं तो आपकी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह):
व्यवस्था बड़ी डिफेक्टिव है। माननीय सदस्य ने कहा पुलियाओं के डिफेक्टिव होने के कारण यह सब है तो आप सबको तो बाद में ठीक करियेगा, पर जहां फ्लडिंग है ओटोमेटिकली वहां रिपेयर एग्जीक्यूट करना चाहिये। अगर यह नहीं है तो मेरे ख्याल में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं है कुछ और है।

श्री माधोसिंह: प्रोविजन है, बताया ना।

एक माननीय सदस्य: यह क्लियर हैडेड डिपार्टमेंट है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): दो घर बिगड़ते एक ही घर बिगड़ा।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न कर्ता। ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): कुटिया बना रहे हैं उसमें खपा रहे हैं अपना सारा प्रॉविजन।

श्री देवीदत्त गाड़िया: मुझे बता दें अन्ता से शीशवाली नहर के सीपेज के कारण पानी ऊंचा आ गया है उससे किसान की बैलगाड़ी नहीं चलती, बसें नहीं चलती। बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न पूछ लिया गया है और उत्तर दे दिया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं मांगरोल-शीशवाली रोड का कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायगा। आप अन्ता-शीशवाली के प्रश्न को टाल रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष: उत्तर दिया जा चुका है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: अभी कोई उत्तर नहीं दिया गया, उपाध्यक्ष महोदय। इसलिये मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं मांगरोल-शीशवाली रोड का कार्य प्रारम्भ हो जायगा....

श्री उपाध्यक्ष: इसका उत्तर आ चुका है, उत्तर नहीं दिया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): कोटा की सड़कों को जो मेन्टिनेन्स का पैसा एलॉट होता है वह सरकारी-बिल्डिंगों पर खर्च हो जाता है। सड़कों के लिये पैसा नहीं बचता है।

श्री माधोसिंह: यह अलग बात है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: पैसा सड़कों की मरम्मत के काम बिलकुल नहीं आता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: मैंने प्रश्न पूछा है फ्लड आने के कारण और पुलिया न होने के कारण एक एक महीने यातायात बन्द हो जाता है। क्या सरकार ने इस पुलिया को ऊंचा करने के लिये कोई प्लान बनाया है?

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज, लिखित में उत्तर दे दिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: यदि दे दिया है तो दुबारा दिला दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय मेरे...

श्री उपाध्यक्ष: बता दिया अन्ता-मांगरोल सड़क योजना में नहीं है। बारां-मांगरोल सड़क मांगरोल सड़क डामर की बनी हुई है। कोयला सड़क मेटल रोड है

(उपाध्यक्ष)

जिसकी हालत साधारण है। अर्थाभाव के के कारण यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि इन सड़कों पर कब डामर कराया जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या ये सड़कें ऐसी ही पड़ी रहेंगी ? मैं यह पूछना चाहता एक, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोद यह कहते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से भेदभाव नहीं रखते हैं दूसरी तरफ अटरू में सड़कों की मरम्मत कराई है। सड़क टूटी हुई हैं। आप कहते हैं भेदभाव नहीं करते। यदि यह भेदभाव नहीं रखते हैं तो मैं मुख्य मंत्रीजी को बता देना चाहता हूं गंगानगर में जो 11 तारीख को हुआ वह कोटा जिले में भी होने वाला है। कोटा जिले के लोग विशाल प्रदर्शन करेंगे और गिरफ्तार होंगे। यदि आपकी आखिरी गोलियां भी चलीं तो वह भी खायेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

(शोरगुल अश्रव्य)

अगला प्रश्न। श्री विट्ठल प्रसाद।

रिमूवल ऑफ पब्लिक ग्रिवान्सेज कमेटी।

221. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंजाब-हरियाणा एवं अन्य कुछ राज्यों में जिला स्तर एवं उप-खण्ड स्तर पर सामान्य शिकायतों के निराकरण हेतु जन-प्रतिनिधियों की पब्लिक ग्रिवान्सेज ऑफ रिमूवल कमेटी बनी हुई है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसी प्रकार की समितियां गठित करने का सुझाव दिया है ?

(3) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : इस प्रश्न के सम्बन्ध में अन्य राज्यों से सूचना एकत्रित करनी है इसलिये इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : डिप्टी मिनिस्टरों को यह आदेश दे दें कि वे सूचना एकत्रित करते रहे।

मुख्य मंत्री (मोहनलाल सुखाड़िया): मैं इतना निवेदन कर दूं कि ग्रिवान्सेज कमीशन और दूसरे तरह की व्यवस्था का सरकार अभी विचार नहीं रखती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या राज्य सरकार यह बतायेगी कि पब्लिक गिवान्सेज कमेटी बनी हुई है और उसमें एक अधिकारी की नियुक्ति थी वह क्यों हटा दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपको मालूम होगा पिछले वर्ष या उससे पहले बजट में बताया गया था इकॉनोमी मेजर में कई डिसिजन लिये गये थे उनमें इसके अबोलिश करने का भी फैसला लिया गया था। अगर यहां करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और खर्चे बढ़ जाते हैं और जो अनुभव इस सम्बन्ध में यहां के जो कुछ हुए ठीक है और विस्तार किया जाय उसके सम्बन्ध में अभी नहीं पड़ने का विचार किया है। जब वित्तीय स्थिति ठीक होगी और दूसरी जगह से अनुभव होंगे तब विचार किया जायेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री महोदय कहते हैं आर्थिक दृष्टि से बजट में कमी करने के लिये किया गया है तो आपने यह भी निर्णय लिया था कि मंत्रियों को और उप-मंत्रियों व राज्य मंत्रियों को इतनी राशि से अधिक टी० ए०, डी० ए० नहीं दिया जायगा इसलिये कम दौरे करें। उसको स्थगित क्यों कर दिया? यदि आपको बचत करनी थी तो इन मंत्रियों और उप-मंत्रियों पर आपको थोड़ा अंकुश रखना चाहिये था। क्या आपको डर लगा इन दल बदलुओं से कि कहीं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप बचत कहां कर रहे है?

श्री रामचन्द्र आर्य।

रावतसर थाने में दर्ज गबन का मामला

222. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1964 में पुलिस थाना रावतसर (तहसील नोहर) में गबन का एक केस ग्राम पंचायत चाइया का दर्ज किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चाइया से थानेदार रावतसर ने काफी कागजात मुकदमें की जांच हेतु प्राप्त किये थे?

(3) उक्त केस का निर्णय कब हुआ?

(4) उक्त पंचायत के कागजात कहां हैं और अब तक पंचायत को वापिस नहीं दिये जाने में किसका दोष है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उप-मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) जी हां।

(2) जी हां। जब्त किये गये कागजात की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) निर्णय दिनांक 21-2-66 को हुआ।

(4) सूची (ब) में अंकित कागजात अदालत में हैं। बाकी मालखाने में ही हैं। फैसले में अदालत ने इस रेकार्ड को लौटाने के बाबत कोई आदेश नहीं दिया, न पंचायत ने ही प्रार्थना की। अब सम्बन्धित पी० एस० आई० को अदलात से रेकार्ड प्राप्त करने हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य : ये कागजात कितने दिन में पंचायत को दिला दिये जायेंगे?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कहा आदेश दे दिये गये है, जल्दी से जल्दी दिला दिये जायेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : जल्दी की क्या अवधि, 1 महीना 2 महीना, 5 महीना?

श्री हीरालाल देवपुरा : ज्यों ही अदालत का आदेश मिल जायगा त्योंही..

श्री रामचन्द्र आर्य : कितनी अवधि?

श्री हीरालाल देवपुरा : 15 दिन के अन्दर।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप इसमें फोर्थ प्लान का कह दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : बताया न, 15 दिन के अन्दर अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भगवान दास शास्त्री ।

अजमेर में पानी की बढ़ी हुई रेट्स से वसूली

223. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर नागरिकों से पानी की बढ़ी हुई रेट्स से बिल चार्ज करती है? यदि हां, तो क्या बढ़ी हुई रेट्स से पैसा लेने के बाद भी दुकान व होटल वालों से दुगना चार्ज किया है? यदि हां, तो कब से और क्यों? क्या यह सरकार की आज्ञा से रेट्स बढ़ाई गई थीं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि दुगनी वाटर चार्जेज बिना सरकार की आज्ञा के आयुक्त नगर परिषद ने स्वयं का आदेश प्रचलित कर किया है? यदि हां, तो क्या आयुक्त के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (1) नगर परिषद, अजमेर ने राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक टैक्स एफ 15 (28) डीएलबी। 63 दिनांक 6-11-66 व 3-1-67 के अनुसार रु० 1.75 पैसे प्रति हजार गैलन की दर से अजमेर के नागरिकों से पानी की कीमत चार्ज करती है। बिल का भुगतान 7 तारीख के पहले हो जाने पर रु० 0.25 पैसे प्रति हजार गैलन की रिबेट दी जाती है। यह दर डोमेस्टिक कार्य हेतु लिये जाने वाले पानी के लिये है नॉन-डोमेस्टिक कार्य के लिये अर्थात व्यापार, व्यवसाय या निर्माण कार्य के लिये ही दिये जाने वाले पानी की रेट डोमेस्टिक कार्य की रेट्स से दुगनी ली जाती है। यह दुगनी दर, नगर परिषद, अजमेर के प्रस्ताव संख्या 27 दिनांक 30-6-58 के अनुसार चार्ज की जाती है।

(2) जैसा कि ऊपर बताया गया है नॉन-डोमेस्टिक कार्य के लिये, लिये जाने वाले पानी के दुगनी रेट्स कौन्सिल के निर्णय के अनुसार ही ली जाती हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिलकुल क्लियर है मैंने नॉन-डोमेस्टिक की बात नहीं लिखी है। मैंने यह पूछा है नगर परिषद् द्वारा कुछ मास पूर्व से जो पानी के बिल आते हैं उसमें विशेषकर डबल चार्जेज के बिल आने शुरू हो गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है?

श्री भगवानदास शास्त्री : नॉन-डोमेस्टिक की बात मैंने नहीं की, अजमेर के नागरिकों से....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : देखलो, देखलो।

(विराम)

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : पढ़कर नहीं आये।

श्री रामकिशन (वैर) : पत्र पढ़ रहे हो या सुखाड़िया साहब की चिट्ठी पढ़ रहे हो। एक चिट्ठी सिफारिश वाली थी। उसे मत पढ़ो।

(12 मध्याह्न)

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार ने उत्तर दिया है उससे तो मुझे लगता है जैसे प्रश्न को टाला जा रहा है। इन्होंने इसमें शब्द लगा दिया नान-डोमेस्टिक। मैंने तो खाली पानी के लिए लिखा है और मैंने तो डोमेस्टिक शब्द कहा है। तो क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् द्वारा जनता से कुछ माह पूर्व से लगातार दुगना पैसा बिल के चार्ज किया जाता है और जनता में इसके लिए रोष है ?

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न का उत्तर बराबर दे दिया है। प्रश्न का क्या आशय है मैं समझ नहीं पाया मैंने स्पष्ट कहा है कि जो पानी की रेट है वह 1.75 रु० प्रति हजार गैलन है और कोई कोई आदमी व्यापार के लिए कनेक्शन लेगा तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए डोमेस्टिक कनेक्शन लेने वाले से दुगनी रेट ली जायेगी। यह मेरा आशय है।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरा प्रश्न यह है कि जो वाटर कनेक्शन दुकानदार लेते हैं वह या तो होटल वाला होगा या कोई दूसरा दुकानदार पानी पीने के लिए कनेक्शन लेगा। होटल वाले के सिवाय कोई फैंसी गुड्स वाला कनेक्शन थोड़े ही लेगा। तो शुरू से जो लोकल चार्जेज थे वह देते थे तो उसको दुगना क्यों किया ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि 20 जनवरी को प्रशासक महोदय द्वारा आयुक्त महोदय को और वाटर वर्क्स इन्जीनियर को बुलाकर यह कहा गया कि आपने डबल रेट्स से बिल क्यों बनाये ?

श्री उपाध्यक्ष : यह आपने पूछा नहीं है।

श्री भीखाभाई : जो प्रश्न पूछा मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कहा, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट या प्राईवेट पार्टीज जो इन्डीविजुअलस हैं जिनके ड्रिंकिंग वाटर का कनेक्शन लगा हुआ है उनकी रेट मैंने बता दी हैं। जो माननीय सदस्य आरोप लगाते हैं उसकी बात माननीय सदस्य मेरी निगाह में लायेंगे तो मैं दुरूस्ती कराने के लिए नगरपरिषद से बात करूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह यह सही है कि प्रशासक महोदय ने वाटर वर्क्स इन्जीनियर को कहा और आयुक्त महोदय को लिखकर दिया उसको लाइये तो उसको छुपा दिया और कर्मचारियों ने जो आयुक्त का आर्डर था वह प्रशासक महोदय को दिया और उनके आर्डर्स से वह चार्जेज वसूल हुए ?

श्री भीखाभाई : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात है। मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के प्रति आप पूरे सचेत नहीं हैं। जनता में आप भ्रम पैदा करना चाहते हैं, जनता काफ़ी चक्कर में है और आप उसको बरबाद करना चाहते हैं। जनता के विचारों को आप सुनना नहीं चाहते हैं और आपने कर्मचारियों को इतनी छूट दे रखी है कि जो बरबादी का कारण है। वहां पर दुगने चार्जेज हैं और मुश्किल से आधा घन्टे या पन्द्रह मिनट पानी आता है और उसमें इतने चार्जेज लिए जाते हैं कि जनता में शक्ति नहीं है प्रदान करने की। यह राज्य सरकार

(श्री भगवानदास शास्त्री)

के लिए एक शोभनीय बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने नगर परिषद के उद्धार के लिए कभी भ्रमण किया है ? सिर्फ सर्किट हाउस में हवा खाने के लिए आते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय इसका आश्वासन देंगे कि जिन डोमेस्टिक कन्ज्यूमर्स से डबल पेमेन्ट लिया है यह कार्यवाही किस प्रकार से आरम्भ हुई ? और इसके लिए कौन दोषी है और क्या सरकार इसकी जांच भी करायेगी ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य जो अजमेर से आने वाले हैं वह मुझे बतायें कि किन ड्रिंकिंग वाटर के कनेक्शन, जो डोमेस्टिक यूज के लिए हैं. से डबल पेमेन्ट लिया है ? तो उसकी जांच करायेंगे।

श्री रामकिशन : इसमें बताने की क्या आवश्यकता है।

श्री भैरोंसिंह : राज्य विधान सभा के सदस्य आरोप लगाते हैं कि डबल चार्जेज लिए गए हैं तो क्या यह पर्याप्त नहीं है कि सरकार इसकी जांच कराये ?

श्री भीखाभाई : एक जनरल वेग बात करने से थोड़े ही होगा।

श्री भैरोंसिंह : कोई वेग नहीं है।

श्री भीखाभाई : वेग बात है । I cannot get it enquired,

आप उदाहरण देंगे कि डबल चार्जेज लिये हैं तो मैं जांच कराऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : इसमें कौनसी बात वेग है ?

श्री भीखाभाई : नाम तो बतायें। अगर डबल चार्जेज हुए हैं तो बराबर हम इन्क्वायरी करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप पानी की दरें बढ़ा रहे हैं और यह अजमेर में ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान में यही हो रहा है। एक तरफ तो आप रेट बढ़ाते हैं दूसरी तरफ आप पानी बराबर सुचारू ढंग से नहीं दे सकते । यह एक जनहित की व्यवस्था है । जिसके संबंध में आप व्यवस्था करना चाहते हैं वह क्या सुचारू व्यवस्था है ? माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये वह गम्भीर हैं और सरकार को जांच करनी चाहिए । आप पानी नहीं देते हैं और रेट बढ़ाते जा रहे हैं। यह कोई व्यवस्था है ? ढंग है ? प्रशासन है ? एक बहुत गम्भीर प्रश्न पर आपको सोचकर इसका जवाब देना चाहिए । नम्रतापूर्वक जवाब देना चाहिए और उचित मांग है उसको स्वीकार करना चाहिए । यदि आप नहीं करते हैं तो मेरा ख्याल है यह एक बड़ी भद्दी बात है।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, वहां प्रदर्शन होते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या प्रश्नोत्तर काल में जांच की मांग की जा सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह इस पर निर्भर करता है कि कौन सा प्रश्न सामने आता है। जांच की मांग इस समय नहीं की जा सकती तो और कब की जा सकती है ? प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रावतराम (छापर-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न !

श्री उपाध्यक्ष : समय हो गया है। ऑर्डर प्लीज।

श्री रावतराम : मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया जाये। मैं सप्लीमेन्ट्री नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 224 ! कृषि मंत्रीजी !

चूरू जिले में नलकूप

224. **श्री रावतराम** (छापर-सु०) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1968-69 व 69-70 में चूरू जिले में कहां कहां नलकूप लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आगामी साल में चूरू जिले के किन किन गांवों में नलकूप लगाने की योजना है ?

(3) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि जिले के जिन जिन गांवों में बिजली पहुंच गई है वहां नलकूप लगाये जायें ताकि पीने के पानी व सिंचाई की भी व्यवस्था हो सके ?

उप-मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) सन् 1968-69 व 69-70 में चूरू जिले में इस विभाग द्वारा 2 नलकूप क्रमशः डूंगरगढ़ एवं बजरानसर (घनेरू) में बनाए गए।

(2) इस समय इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(3) चूरू जिले के राजगढ़ ब्लौक का भू-जल सर्वेक्षण किया जा चुका है, तथा इस ब्लौक का दक्षिणी क्षेत्र नलकूप के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। किन्तु अभी वहां पर नलकूप लगाने की योजना नहीं बनी है।

सरकारी नलकूप बनवाने का कार्यक्रम सीमित वित्तीय प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया जाता है। नलकूपों के निर्माण में व्यय बहुत अधिक होता है, विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में मुख्यतया नलकूप अकालग्रसित क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने हेतु राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत ही बनाये गये हैं।

राजस्थान भू-जल मण्डल इच्छुक व्यक्तियों एवं संस्थाओं के आवेदन पर निर्धारित दरों पर 'न लाभ न हानि' के आधार पर नलकूप खोदा करता है।

श्री रावतराम : आपने यह बताया कि कि नलकूप खास तौर से डेजर्ट एरिया में और जहां आये साल अकाल रहता है वहां खोदे जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि चूरू जिले में अकाल नहीं रहता और वह रेगिस्तानी एरिया नहीं है ? तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन अकालग्रस्त एरियाज में चालू साल में और गयी साल में बराबर अकाल रहा है और वहां पर पीने के पानी के लिए सिंचाई की बात तो अलग रही लेकिन पीने के पानी के लिये क्या सरकार ने कहीं नलकूप के द्वारा व्यवस्था की है ?

श्री खेतसिंह : यों तो चूरू जिले के अन्दर 14 नलकूप पहले खोदे जा चुके हैं, और जहां अकाल होता है तो वहां के एम० एल० एज० का फर्ज है, इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है और वित्त मंत्री महोदय उसके अध्यक्ष हैं, कि आप अपनी तरफ के जिन जिन गांवों में इस प्रकार से फेमीन है

(श्री खेतसिंह)

वहां पर नलकूप खुदवाना चाहते हैं। जहां पर पानी की समस्या है, उसकी जो कमेटी बनी हुई है, उसमें वह मन्जूर होता है। उसके द्वारा ही नलकूप का कार्यक्रम हाथ में लिया जाता है।

श्री रावतराम : आपने बताया है कि 15 नलकूप खोदे जा चुके हैं तो मैं निवेदन कर चुका हूं कि गये साल भी फेमीन कमेटी में इसके बारे में कहा गया है और इस साल भी कहा है। जो नलकूप 14 खोदे जा चुके हैं उन 14 में से कितने सफल रहे और जो सफल रहे हैं वे क्या काम कर रहे हैं? उनके जरिये कहां पर पानी की व्यवस्था की है?

श्री खेतसिंह : मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर सादुलपुर में 4, चूरू में 2, सरदारशहर में 2, लोहा में 1, चान्दगढ़ में 2, तारानगर में 1, बजरंगसर में 1—इस तरह से 14 नलकूप खोदे गये हैं।

श्री रावतराम : कार्य कितने कर रहे हैं?

श्री खेतसिंह : 14 के 14 ही कार्य कर रहे हैं।

श्री रावतराम : 14 ही रेत में दबे हुए पड़े हुए हैं, एक भी काम नहीं कर रहा है। हम यह चाहते हैं कि 14 का आपने जो एक्सपेरीमेन्ट किया है उनका कोई उपयोग तो होना चाहिए। चूरू जिले में जहां पीने के पानी का इतना अभाव है और आपने वहां पर नलकूपों का एक्सपेरीमेन्ट किया है और 14 नलकूप बनाये हैं और उन पर पैसा खर्च किया है तो जहां पर पानी का अभाव है वहां पर आप उनको क्यों नहीं चालू करते हैं? सवाल तो यह है कि आपने इतना सारा पैसा खर्च किया कि जनता को नलकूप के जरिये पानी मिलेगा तो उस पानी का उपयोग तो होना चाहिए।

श्री खेतसिंह : आप नाम बताइये कि कहां चाहते हैं और कहां उपयोग नहीं हो रहा है?

श्री रावतराम : आपने जो नाम बताये हैं उन्हीं का मैं कह रहा हूं, दूधवाखारा, चूरू, सरदारशहर.....

श्री उपाध्यक्ष : सभी कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह : मैं जांच करा लूंगा अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण है?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। यह जो 14 ट्यूब वैल्स हैं यह कौन से विभाग के अन्तर्गत हैं?

श्री खेतसिंह : खोदने का काम अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड का है....

श्री भैरोंसिंह : चालू करने का?

श्री खेतसिंह : अभी मैं इस परिस्थिति में नहीं हूं कि यह बता दूं।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि जो 14 ट्यूब वैल्स हैं उनको चालू करवाने के लिए, उनके जरिए सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए सरकार कोई विचार रखती है कि बन्द न रहें और चालू हो जायें और उनके जरिये सिंचाई की व्यवस्था हो क्योंकि डेजर्ट एरिया में भी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए? वहां पर नहर नहीं है इसलिए नलकूप खोदने पड़े। उनकी व्यवस्था होनी चाहिए तो सिंचाई की व्यवस्था के लिए कोई प्रोग्राम है आपके पास?

Page No. 27

श्री खेतसिंह : 20 हजार गैलन से ऊपर जहां पानी निकलता है वहां नलकूप सिंचाई के लिए काम में आता है। इनमें कितना कितना डिस्चार्ज है यह मैं अभी नहीं कह सकता हूं। उपयोगिता का जहां तक सवाल है ये बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर खोदे गये हैं तो उनका वाटर वर्क्स से ताल्लुक होगा। नहीं चलाये गये तो यह उनका काम है। हमारा काम खोदने का था सो हमने खोद दिया।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांश असफल हो गये हैं ?

श्री रामकिशन (वैर) : कोई जानकारी नहीं है।

श्री खेतसिंह : मेरा जवाब यह है कि 14 नलकूप खोदे हुए हैं। शुरू नहीं हुए तो यह काम वाटर वर्क्स का है। खोदने का जो काम है वह अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड का है। इस बात से आप समझ लें कि एक ही महकमे की जिम्मेवारी नहीं है कि वही महकमा खोदे और वही चालू करे और पानी देता रहे। यह अलग अलग विभागों का काम है।

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय और इसलिए स्थगित किया जाय कि मंत्री महोदय को यह जानकारी नहीं है कि प्रत्येक नलकूप की कैपेसिटी क्या है, वाटर की क्षमता क्या है ? उसकी जानकारी करके उसके बाद इस प्रश्न का जवाब दिलाया जाना चाहिए कि आया उन ट्यूब वैल्स से सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है या नहीं हो सकती है और पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है या नहीं ?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। यह आपका फर्ज था कि आप सीधा सा सवाल पूछते कि जो ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं इनका डिस्चार्ज क्या है तो मैं अलग अलग बता देता।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह बता सकती है किये 14 ट्यूब वैल्स किस विभाग के अन्तर्गत हैं ?

श्री खेतसिंह : मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं, मैं ही जवाब देता हूं। आपका जवाब तो मैं ही हूं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है कि किस विभाग के अन्तर्गत है। क्या राजस्थान मंत्रिमण्डल का कोई भी सदस्य जो यहां पर विराजे हुए हैं वे यह बता सकते हैं कि ये 14 ट्यूब वैल्स किस विभाग के अन्तर्गत हैं ?

श्री खेतसिंह : पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इनमें कुछ ट्यूब वैल्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत भी हैं ?

श्री खेतसिंह : जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इन ट्यूब वैल्स को चलाने के संबंध में, उपाध्यक्ष महोदय, खर्च का बहुत गम्भीर प्रश्न पैदा होता है....

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है। आपने प्रश्न पढ़ा ही नहीं शायद। प्रश्नकर्ता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपके विभाग ने ट्यूब वैल्स तैयार करके वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट को हैण्ड ओवर कर दिये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री रावतराम : यह जो नलकूप खोदे गये हैं ये अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने खोदे थे क्या ?

श्री खेतसिंह : खोदने का काम कुछ जी० एस० आई० करती है या अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड करता है। यह खोदने का जो काम है वह अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड के मार्फत ही होता है। उसके बाद में....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न 225 नहीं पूछा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य। समय समाप्त हो गया।

श्री श्रवणलाल : इसमें काफी सदस्यों के नाज और पैसों की गड़बड़ी हुई है। इसलिए इसका उत्तर दिला दिया जाय। सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। समय काफी हो गया है नहीं तो आपको भी उत्तर दिला देते। दूसरे माननीय सदस्य को दिया है।

श्री देवीदत्त बाड़िया (बारां) : शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों के लिए तो आपको समय देना चाहिए।

श्री श्रवणलाल : इसके अन्दर काफी लोगों का....

श्री उपाध्यक्ष : समय का ख्याल रखें, माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : खाली उत्तर दिला दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल। उत्तर दिया जाय केवल।

पाली मार्केटिंग सोसाइटी में किसानों की अमानतें

225. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली मार्केटिंग सोसाइटी में कई किसानों की अमानतें व अनाज था, जो आज तक नहीं मिला है और सोसाइटी लिक्वीडेशन में चल रही है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिक्वीडेशन का कौन जिम्मेदार है ?

(2) क्या यह सही है कि पाली मार्केटिंग कोआपरेटिव का विभाग के सहायक रजिस्ट्रार व उप-रजिस्ट्रार ने निरीक्षण नहीं किया और फंक्शनल निरीक्षक ने सुपरवीजन नहीं रखा जिसके परिणामस्वरूप लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है ? उस वक्त उप-रजिस्ट्रार व सहायक रजिस्ट्रार व फंक्शनल निरीक्षक कौन थे ? उनके विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि मार्केटिंग सोसाइटी के संचालक मण्डल में राजकीय नोमिनी भी होते हैं ? यदि हां, तो उस वक्त

(श्री श्रवणलाल)
कौन कौन थे, उनकी क्या जिम्मेदारी थी, उनके विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? अब कब तक लिया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि रानी मार्केटिंग सोसाइटी भी डूब रही है और वहां पर प्रशासक, विभाग ने नियुक्त करा रखा है? यदि हां, तो प्रशासक को कितना समय हो गया है? अब तक चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे हैं और अब कब तक चुनाव करा दिये जावेंगे ?

(5) क्या यह सही है कि एक प्रशासक रानी मार्केटिंग सोसाइटी में गबन करने के अपराध में मोअत्तिल किया हुआ है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(6) क्या यह भी सही है कि मोअत्तिल प्रशासक श्री आईदान चौधरी उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जोधपुर का साला है, इसलिए इसके विरुद्ध सख्त ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उत्तर ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सालासर-मुकन्दगढ़ रोड वाया लक्ष्मणगढ़ का कार्य

200 श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सीकर जिले की सालासर-मुकन्दगढ रोड वाया लक्ष्मणगढ़ का कार्य कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ से मुकन्दगढ की सड़क का ठेका दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कार्य अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया और अब कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

(3) क्या इस सड़क का कार्य अकाल सहायता कार्य के रूप में बहुतसा पूरा हो चुका और अब भी सामान बहुत पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो कार्य चालू करने में देरी क्यों की जा रही है ?

उत्तर

(1) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता कि सालासर-लक्ष्मणगढ़ का कार्य जो कि फेमीन से कराया जा रहा था कब पूरा होगा । लक्ष्मणगढ़-मुकन्दगढ़ रोड का कार्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जायेगा ।

(2) जी हां । लक्ष्मणगढ़ की ओर से मील 3 से 5/4 का ठेका दिया गया था जो ठेकेदार द्वारा सुस्ती से कार्य करने के कारण रद्द कर दिया गया है । टेण्डर पुन: मांगे गये हैं जो विचाराधीन हैं ।

(3) जी हां । टेण्डर की स्वीकृति होते ही कार्य शुरू कर दिया जायगा ।

ग्राम पंचायत भूका के भूतपूर्व सरपंच द्वारा एकत्रित किया गया चन्दा

201. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बोंली की ग्राम पंचायत, भूका के तत्कालीन सरपंच श्री अम्बालाल ने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में सुरक्षा कार्य का चन्दा एकत्रित किया था ? यदि हां, तो सन् 64-65 में इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल कितना चन्दा ग्राम पंचायत की मार्फत एकत्रित हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि सुरक्षा कोष के इस पंचायत क्षेत्र की धनराशि में से करीब 700) रु० उक्त सरपंच ने तत्कालीन विकास अधिकारी को जमा कराने हेतु दिये थे जिसकी कच्ची रसीद विकास अधिकारी ने जमा कराते समय उक्त सरपंच को दी थी ?

(3) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी ने यह राशि राज्य कोष में जमा नहीं कराई ? जिसकी शिकायत सरकार को क्षेत्र निवासियों द्वारा की गई ? यदि हां, तो उस पर अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त राशि अब तक जमा हुई अथवा नहीं ? यदि हुई है, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां । उप-जिला विकास अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा की गई प्राथमिक जांच के आधार पर श्री अम्बालाल सरपंच, ग्राम पंचायत, भूका पंचायत समिति, बोंली द्वारा सन् 64-65 में ग्राम पंचायत के माध्यम से 750) रु० का चन्दा सुरक्षा कोष के निमित्त एकत्रित किया गया था ।

(2) जी हां । प्राथमिक जांच के आधार पर सुरक्षा कोष के निमित्त एकत्रित की गई धनराशि 750) रु० की कच्ची रसीद तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बोंली (श्री प्रभातीलाल मीना) ने पंचायत भूका को दी थी किन्तु इस रसीद की प्रमाणिकता में सचिव, ग्राम पंचायत ने सन्देह प्रकट किया है ।

(3) जी हां । यह धनराशि सुरक्षा कोष में जमा नहीं कराई गई है । वास्तविक दोषी का पता लगाने हेतु मामले की छानबीन पुलिस अधीक्षक, मण्डल सवाई माधोपुर द्वारा की जा रही है ।

कृषि उपज मंडी केकड़ी

202. श्री देवीलाल सुरासिया (केकड़ी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे ।

(1) केकड़ी कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष पद पर श्री बृजकिशोर शर्मा किस तारीख से किस तारीख तक रहे और इस अरसे में उन्होंने कितना यात्रा व्यय व दैनिक भत्ता (टी०ए० व डी०ए०) उठाया ? दिनांकवार पूर्ण विवरण सहित (मय रकम के) सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त यात्रायें अध्यक्ष ने कृषि-उपज मंडी समिति केकड़ी के किस किस कार्य हेतु की ? प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) केकड़ी कृषि उपज मण्डी समिति के अध्यक्ष पद पर श्री बृज किशोर शर्मा ने दिनांक 8-5-67 से 20-6-67 तक कार्य किया । इस बीच उन्होंने जो यात्रा तथा दैनिक भत्ता उठाया उसका विवरण संलग्न है

Page No. 31

(श्री परसराम मदेरणा):

(2) उक्त यात्राओं में से एक यात्रा 16 से 19 मई, 1967 तक की जयपुर की थी जिसमें उन्होंने मण्डी समिति के संबंध में संचालक, सहायक संचालक तथा मंत्री महोदय से आवश्यक बातचीत की व कुछ स्पष्टीकरण चाहा। शेष भत्ता केकड़ी में ही बैठकों में भाग लेने हेतु 5) रु० प्रति दिन की दर से वसूल किया गया।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

पाली जिला सहकारी क्षेत्र

203. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले को सहकारी क्षेत्र के आधार पर जोधपुर डिविजन से हटाकर उदयपुर डिविजन में रखा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि सदा से पाली जिला सहकारी क्षेत्र के आधार पर जोधपुर डिविजन में ही रहता आया है ? यदि हां, तो फिर अब अचानक पाली जिले को जोधपुर डिविजन में बदल क्यों दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि लोगों ने व पाली जिले की सहकारी समितियों ने पाली जिले को उदयपुर डिविजन में बदलने के प्रति विरोध-पत्र सरकार को भेजे हैं यदि हां, तो कितने ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रशासनिक दृष्टि से यह व्यवस्था की गई है।

(3) जी हां। कुल 17 विरोध-पत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं।

झुन्झुनू जिले के लिये एलॉट की गई राशि

205. **श्री सांवरमल वासोतिया** (नवलगढ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1968-69 एवं 1969-70 के लिये सड़कों के मेन्टीनेन्स एवं रिपेयरिंग के लिये अधिशासी अभियन्ता झुन्झुनूं को कुल कितनी रकम एलॉट की गई और उसमें से प्रति वर्ष कितनी कितनी रकम खर्च की गई ?

(2) उपर्युक्त एलॉट की गई रकमों में से प्रति वर्ष सीकर एवं झुन्झुनूं जिलों में अलग-अलग कितनी-कितनी रकमें और किस किस प्रकार की गई ? कृपया इन खर्चों की तालिकायें भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1968-69 में 8 लाख रुपयों का प्रावधान था व 9,42,000 रुपये खर्च हुए।

वर्ष 1969-70 में 13 लाख रुपये का प्रावधान है एवं दिसम्बर, 69 तक 11,17,180 रुपये की धनराशि व्यय हुई है।

(2) वर्ष 1968-69 में सीकर व झुन्झुनू जिले में क्रमशः 4,61,432 व 4,81,558 रुपया व्यय हुआ है। विशेष मरम्मत पर व्यय हुई धनराशि की सूची सड़कवार संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

वित्तीय वर्ष 1969-70 चालू है और इस वित्तीय वर्ष में जिलेवार मरम्मत पर खर्च हुई धनराशि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर दी जा सकती है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

बीकानेर के भूतपूर्व एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट द्वारा एकत्रित किया गया चन्दा

206. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या बीकानेर के भूतपूर्व एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट श्री पी० सी० सिंघवी ने कोई चन्दा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष अथवा चीफ मिनिस्टर्स डिफेन्स सरविसेज वेलफेयर फण्ड के लिये दिया ? यदि हां, तो कितना और किन व्यक्तियों से वसूल करके ? सम्पूर्ण सूची मय रसीदान नम्बर के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस चन्दे को एकत्रित करने के लिये श्री सिंघवी ने राजस्थान हाईकोर्ट से कोई इजाजत ली थी ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो यह अनुमति कब और कितने अर्से के लिये प्राप्त की गई ?

(3) क्या बीकानेर में एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट रहते हुये श्री पी० सी० सिंघवी ने कई संस्थाओं या व्यक्तियों के लिये चन्दा इकट्ठा किया यदि हां, तो वे संस्थायें कौनसी थीं, और व्यक्ति कौन थे, और उनके लिये कितना कितना चन्दा किस किस व्यक्ति से लिया गया ? क्या श्री सिंघवी ने इन चन्दों को इकट्ठा करने की कोई अनुमति प्राप्त की ?

उत्तर

(1) श्री पी० सी० सिंघवी भूतपूर्व मजिस्ट्रेट बीकानेर ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष अथवा चीफ मिनिस्टर्स डिफेन्स सर्विसेज वैलफेयर फण्ड के लिये कोई चन्दा एकत्रित नहीं किया, और न जिलाधीश कार्यालय बीकानेर में उक्त चन्दे की कोई राशि जमा कराई।

(2) चन्दा एकत्रित नहीं किया अतः अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) श्री पी० सी० सिंघवी ने बीकानेर में एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट रहते हुए किसी भी अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों के लिये कोई भी चन्दा एकत्रित नहीं किया है। और न कोई ऐसी अनुमति राजस्थान हाईकोर्ट से अथवा जिलाधीश कार्यालय, बीकानेर से प्राप्त की।

विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ताओं पर हमला

207. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा, तहसील अटरू के ग्राम पीपलोद में 26 जनवरी, 69 को ईसाइयों ने विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकताओं पर घातक हमला किया था ? अगर हां, तो कितने व कौन कौन व्यक्ति घायल हुए ?

(2) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। तारीख 26-1-69 को यह घटना घटित नहीं हुई। तारीख 26-12-69 को ग्राम पीपलोद के विश्व

(गृह मंत्री)

हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ताओं पर 40-50 ईसाइयों ने हमला कर उनके साथ मारपीट की थी। परिषद् के 3 व्यक्ति सर्वश्री द्वारकालाल पुत्र राधेश्याम, रामकरण पुत्र प्रभुलाल व कन्हैयालाल पुत्र माधोपाल इस हमले में घायल हुये थे।

(2) पुलिस को सूचना मिलने पर अभियोग नं० 68 दिनांक 26-12-69 जेर दफा 148। 149। 295। 427। 436 पुलिस थाना अटरू में पंजीबद्ध किया गया तथा 26-12-69 से 20-1-70 तक ग्राम पीपलोद में स्पेशल पुलिस पार्टी भी तैनात की गई थी। अब स्थिति सामान्य है। मुकद्दमा जेर तफ्तीश है।

कृषि उपज निष्पणी समिति

209. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कृषि उपज निष्पणी समिति कितनी जगह काम कर रही है ?

(2) कुल कितनी जगह लागू की गई है ? वहां सुचारु रूप से न चलने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार द्वारा उपरोक्त समितियों से अधिनियम की आवश्यकता और क्षमता के सम्बन्ध में कोई प्रचार कार्य किया गया है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियां इस समय राज्य की 76 मण्डियों में कार्य कर रही हैं।

(2) राज्य में कुल 89 मण्डी समितियां घोषित हुई हैं जिनमें से 86 जगहों पर स्थापित की जा चुकी हैं। इनमें से 76 स्थानों कार्य जारी है। शेष में कार्य न चलने के निम्नांकित कारण हैं:—

(क) व्यापारियों द्वारा न्यायालयों से स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) प्राप्त किए हुए होना।

(ख) मण्डी कानून में उल्लंघन के मामलों में सजा का कोई प्रावधान न होने तथा केवल जुर्माने का ही प्रावधान होने के कारण व्यापारियों द्वारा कानून की अवहेलना करते रहना।

(ग) उल्लंघन के मामलों में अदालतों में प्रस्तुत चालानों के निर्णय में काफी समय लगना।

(3) जी हां। अधिनियम की आवश्यकता तथा क्षमता के संबंध में सरकार तथा मण्डी समितियों द्वारा यथासम्भव प्रचार कार्य किया गया है।

कर्मचारी द्वारा उठाया गया वेतन

210. श्री जयनारायण खाक्षोलिया (निवाई): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग का एक कर्मचारी श्री प्रकाश नारायण गुप्ता, जो करीब आठ माह से कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहा है उसका वेतन उठाया जा रहा है ?

(2) क्या उक्त कर्मचारी को कहीं पर भी कार्य करने के सम्बन्ध में किसी अधिकारी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

द्वारा कोई लिखित आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था ? उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कुछ रेकार्ड लेना चाहा था ? यदि हां, तो क्या वांछित रिकार्ड तुरन्त दे दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों और कितने दिन बाद दिया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं । करीब डेढ़ वर्ष पूर्व अवश्य इनको सचिवालय में कार्य की अधिकता के कारण भेजा गया था, जहां से ये 1 अप्रेल, 1969 को वापिस आ गये थे ।

(2) तत्कालीन विशिष्ट सचिव, सहकारी विभाग, जो उस समय रजिस्ट्रार का कार्य भी कर रहे थे, के जुबानी आदेशानुसार भेजा गया था ।

(3) जी हां । इस बारे में दिनांक 24-2-1969 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के एक अधिकारी रिकार्ड लेने आये थे, और उसी दिन उप-महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को रजिस्ट्रार द्वारा अर्ध सरकारी पत्र लिख कर स्थिति स्पष्ट की गई थी, तथा दिनांक 3-3-69 को उनका उत्तर आने पर चाहा गया रिकार्ड उसी दिन दे दिया गया था ।

महाराणा प्रताप का स्मारक व वाचनालय के निर्माण के लिये राशि

211. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) हल्दीघाटी को देखने डा० राजेन्द्र प्रसादजी अपने राष्ट्रपति पद के दौरान कब आये थे ?

(2) उस अवसर पर उन्होंने वहां पर महाराणा प्रताप का स्मारक व वाचनालय बनाने के लिये केन्द्र से कितनी धनराशि देने की घोषणा की थी ?

(3) इस घोषणा के फलस्वरूप राजस्थान सरकार को कितनी रकम मिल चुकी है और उसकी किस प्रकार से सरकार ने खर्च किया है ?

उत्तर

(1) हल्दीघाटी को देखने डा० राजेन्द्र प्रसाद 9 अक्टूबर, सन् 1956 में उदयपुर आये थे ।

(2) ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

ठेकदारों के पास इंजीनियरों की नियुक्ति

212. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इन्जीनियरों की बेकारी की बढ़ोतरी को रोकने के लिये सरकार ने निर्माण कार्यों में ठेकेदारों को इंजीनियर नियुक्त करने के लिये कोई आज्ञा निकाली थी ? यदि हां, तो उक्त आज्ञा का पालन कितने ठेकेदारों ने किया तथा कितने इंजीनियरों को रोजी मिली ?

(2) क्या यह सही है कि जो कॉन्ट्रेक्ट दिये जा चुके हैं उनमें किसी ठेकेदार ने इंजीनीयर नहीं रखा ?

Page No. 35

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(3) इस आज्ञा के निकलने के बाद कितने नये कोन्ट्रेक्ट दिये गये और इनमें इंजीनियरों को रखने के लिये क्या इकरार कराया या नहीं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

यात्रियों को हवाई अड्डे ले जाने वाली बस

213. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि 11 दिसम्बर, 1969 को हवाई जहाज के यात्रियों की जोधपुर हवाई अड्डे तक ले जाने वाली बस को (यात्रियों सहित) एस० डी० एम० श्री शर्मा ने 2 घंटे तक बिना किसी कारण के रोके रखा ?

(2) क्या यह सत्य है कि 9 दिसम्बर को जोधपुर जिलाधीश श्री पी० बी० माथुर को जयपुर जाने के लिये वायुयान में जगह नहीं मिली थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि जोधपुर के अनेक प्रमुख वकीलों ने जोधपुर के जिलाधीश व एस० डी० एम० पर जांच करने की मांग की है ?

(4) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ? यदि हां, तो क्या नतीजा निकला ? यदि नहीं तो क्या सरकार का जांच कराने का इरादा है ?

(5) अगर आरोप सत्य है तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं । उक्त बस बिना परमिट चलती पाई जाने पर जब्त की गई और अदालत में चालान पेश किया जा चुका है ।

(2) जिलाधीश की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 9 दिसम्बर को जयपुर जाने के लिये वायुयान में कोई जगह नहीं चाही थी ।

(3) जी हां ।

(4) मामला विचाराधीन है ।

(5) चूंकि मामला विचाराधीन है यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

ऊन का क्रय

218. श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या पशुपालन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप निदेशक भेड़ व ऊन विभाग राजस्थान द्वारा सितम्बर-अक्टूबर सन् 1968 में ऊन का क्रय किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस खरीद के सम्बन्ध में श्री बजाज द्वारा काफी अनियमितताये की गई जिसके कारण राज्य सरकार को लगभग एक लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी है ?

(3) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा श्री बजाज को कोई आरोप-पत्र दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो यह आरोप-पत्र कब दिया गया ? जांच किस अधिकारी द्वारा कब से प्रारम्भ की गई व उसका क्या परिणाम

(श्री रूप सिंह)

निकला ? कृपया उस आरोप-पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि आरोप इतने गम्भीर हैं कि श्री बजाज को तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिये था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रिमूवल ऑफ पब्लिक ग्रिवान्सेज कमेटी

221. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंजाब-हरियाणा एवं अन्य कुछ राज्यों में जिला स्तर एवं उप-खण्ड स्तर पर सामान्य शिकायतों के निराकरण हेतु जन-प्रतिनिधियों की पब्लिक ग्रिवान्सेज ऑफ रिमूअल कमेटी बनी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसी प्रकार की समितियां गठित करने का सुझाव दिया है ?

(3) इस संबंध में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मंत्रियों के दौरे

226. श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

दिनांक 4 अप्रेल, 1969 से 5 अगस्त सन् 1969 तक कौन कौन से मंत्री कितने कितने दिन जयपुर से बाहरी दौरे पर रहे और कितने रुपये टी० ए० व डी० ए० के वसूल किए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी है ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

कस्बा सुजानगढ़ में सिनेमा गृह का निर्माण

227. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू में सिनेमा गृह के निर्माण के लिए जिलाधीश चूरू ने इजाजत दी थी और उक्त इजाजत के खिलाफ राज्य सरकार के पास किसी ने अपील की थी ? यदि हां, तो अपील में क्या एतराज किसके द्वारा उठाये गये थे और राज्य सरकार ने उस अपील पर क्या निर्णय लिया ? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । सुजानगढ़ निवासी श्री सूरजमल कनोई तथा सोनदेवी सेठिया बालिका महाविद्यालय, सुजानगढ़ के अध्यक्ष ने जिलाधीश द्वारा सिनेमा भवन निर्माण हेतु दिये गये "आपत्ति नहीं प्रमाण-पत्र (एन० ओ० सी०)" के विरुद्ध सरकार की अपील

(गृह मंत्री)

प्रस्तुत की थी। अपील में निम्नलिखित एतराज किये गये थे :-

(1) सिनेमा भवन की प्रस्तावित इमारत से एक फर्लांग की दूरी में सोना देवी सेठिया गर्ल्स कौलेज का छात्रावास है।

(2) सुजानगढ़ हाई स्कूल का छात्रावास उक्त प्रस्तावित इमारत से 400 फीट की दूरी पर है।

(3) प्रस्तावित सिनेमा भवन की भूमि घनी आबादी वाले रिहायशी मकानात के समीप है।

(4) प्रस्तावित सिनेमा भवन से एक फर्लांग की दूरी में कई एक मंदिर व धार्मिक संस्थायें है।

राज्य सरकार द्वारा अपील पर दिये गये निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।

भ्रष्टाचार निरोध विभाग में विचाराधीन मामले

228. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भ्रष्टाचार निरोध विभाग के पास ऐसे कौन कौन से मामले कब कबसे विचाराधीन है जिनके चालान अब तक अदालतों में नहीं हुए हैं? ये मामले विभाग में कब कब दर्ज हुए थे?

(2) ज्यादा समय तक मामले बिना चालान रहने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार यह महसूस नहीं कर रही है कि समय पर मामलों का चालान नहीं होने से मामले की महत्ता तथा सबूत दोनों पर ही बुरा असर पड़ता है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में इस समय 284 दर्जशुदा प्रकरण विचाराधीन हैं। सालवार पेन्डिग केसेज की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कई पेचीदा केसेज में ऑडिट रिपोर्ट, एक्सपर्ट की राय, विभागीय जांच के नतीजे—विजीलेन्स कमीशन की सहमति व विभागीय स्वीकृति आदि प्राप्त होने में समय लग जाता है।

(3) राज्य सरकार को इस बात का अहसास है कि देरी से चालान होने से मामले की महत्ता व शहादत पर असर पड़ता है, किन्तु देरी के कारण जो ऊपर बताये गये हैं—उन्हें कानूनी आवश्यकताओं आदि को देखते हुए नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता। फिर भी सरकार इन पुराने मामलों को शीघ्र निपटाने की ओर प्रयत्नशील है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

खाद के वैज्ञानिक खड्डे

229. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) "अधिक अन्न उपजाऊ" अभियान में भीलवाड़ा जिले में खाद के वैज्ञानिक खड्डे कितने बनाये गये?

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

(2) इसमें कितना रुपया लगा?

(3) क्या यह सही है कि एक खड्डे के पीछे एक रुपया दिया गया?

(4) आज कितने खड्डे मौजूद हैं?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

कृषि उपज मण्डी समितियां

230. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य में राज्य सरकार द्वारा कहां कहां कृषि उपज मन्डी समितियां स्थापित की जा चुकी हैं? और किस किस तारीख से? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जबसे यह समितियां स्थापित की गई हैं उनकी अब तक कुल मिलाकर कितनी आय हुई है और इनका अब तक रेकरिंग एवं नॉन-रेकरिंग कितना व्यय हुआ है? समिति एंव सन्वार सूची सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य की अधिकतर कृषि उपज समितियां हानि में जा रही हैं? यदि हां, इसके क्या प्रमुख कारण हैं?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

नलकूपों पर व्यय

231. श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में आज तक कितने नलकूप बन कर तैयार हो गये हैं व पानी दे रहे हैं और कितने नल कूप बेकार रहे हैं? इन तमाम नलकूपों पर सरकार को कितने रुपये खर्च करने पड़े?

उत्तर

250 नलकूप योजना के अन्तर्गत 281 स्थानों पर ई० टी० ओ० द्वारा नलकूप खोदे गये। इनमें से 140 नलकूप सफल सिद्ध हुए, तथा राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिए। इन 140 नलकूपों में से 39 नलकूप राजस्थान भू-जल मण्डल को कृषि के उपयोग में लाने के लिए सुपुर्द कर दिये, तथा शेष 101 नलकूप विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं हेतु जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपयोग में लाये जा रहे हैं। इन नलकूपों पर मार्च, 1969 तक 208.77 लाख रुपये खर्च किये गये।

इसके अतिरिक्त, नवम्बर, 1969 तक राजस्थान भू-जल मण्डल द्वारा 440 नलकूपों का निर्माण किया गया, व 101 नलकूप बेकार रहे। इन नलकूपों में से विभिन्न सरकारी विभागों के लिए 367 नलकूप बनाए गए। इनमें से केवल 73 नलकूप भू-जल मण्डल द्वारा संचालन हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बनाए गए, जिन पर रु० 1,51,46,924 व्यय हुए। इसमें 1969-70 में जो 16 नलकूप अकाल राहत कार्य के लिए बनाए गए उनका खर्चा शामिल नहीं है।

(कृषि मंत्री)

अन्य सरकारी नलकूप, जो कि वन विभाग, जलदाय विभाग, पशुपालन विभाग, राजस्थान नहर विभाग, सघन पशु विकास योजना, विद्युत् विभाग, पी० डब्लू० डी०, बोर्डर रोड, आदि, आदि विभागों के लिए बनाये गये थे, वे उन्हीं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, खर्चा भी उन्हीं विभागों द्वारा किया गया है। जो नलकूप सरकारी विभागों व निजी संस्थाओं के लिए बने, वे उन्हीं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जहां तक मालूम है, सब चालू हालत में हैं।

ई० टी० ओ० के द्वारा निर्मित नलकूपों में से कुल 52 नलकूप राजस्थान भू-जल मण्डल को सौंपे गये थे। इस प्रकार भू-जल मण्डल के अन्तर्गत केवल 125 नलकूप हैं, जिनमें से 100 नलकूप चल रहे हैं तथा 25 नलकूप नहीं चल रहे हैं। नहीं चलने वाले नलकूपों में से कुछ अभी 1969-70 में बने हैं व कुछ पहले के हैं जिन पर पम्प आदि लगाये जा रहे हैं, तथा जिनके पम्प नहीं हैं उनके आर्डर्स दिये जा चुके हैं।

पायतन जोहड़ भूमि का एलॉटमेन्ट

232. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र के ग्रामों में पायतन जोहड़ की भूमि का एलॉटमेन्ट किया गया है? यदि हां, तो पायतन जोहड़ की भूमि किसको कितने कितने किला अलाट की गई है? तालिका सदन की मेज पर रखी जाये।

(2) क्या यह सही है कि पायतन जोहड़ की भूमि नियमानुसार एलॉट नहीं की जाती ?

(3) राजस्थान नहर क्षेत्र में पायतन जोहड़ की कितनी भूमि थी और उसमें से कितनी एलॉट करदी गई व कितने एकड़ आज भी मौके पर बन्जड़ है? ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के ग्रामों में पायतन जोहड़ की भूमि का आवंटन केवल दो तहसीलों यानि, नौरंगदेसर, मु० हनुमानगढ़ एवं हनुमानगढ में ही किया गया है। इन हर दो तहसीलों में जिन 2 को पायतन जोहड़ का रकबा आवंटित किया गया है उसकी सूची संलग्न है।

(2) नियमों में ऐसी भूमि आवंटन न करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(3) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में पायतन जोहड की कुल भूमि 45208)4 बीघा थी और इसमें से केवल 501 ।।।)4 बीघा भूमि अब तक आवंटित की जा चुकी है। शेष 44706।) बीघा भूमि अब तक किसी को आवंटित नहीं की गई है। ग्रामवाइज सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

राजस्थान नहर क्षेत्र की भूमि

233. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में कुल

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कितनी एकड़ भूमि है उसमें से खातेदारी कितनी है, आराजी राज कितनी है ? तहसील-वाइज तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) सन् 1955 के कब्जे की कितनी एकड़ भूमि है ? सन् 1955 से बाद में भूमिहीनों को स्थायी एलॉट की गई थी वह कितने एकड़ है व सरकारी भूमि आज तक किसी को एलॉट नहीं करने से बन्जड़ भूमि कितने एकड़ है ? सालाना एक साला नीलामी पर दी जाने वाली भूमि कितने एकड़ है ? तहसील व ग्रामवाइज तादाद एकड़ की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) नाजायज कब्जे कितने एकड़ भूमि पर हैं ? ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह सही है कि काफी तादाद में भूमि बेकार की हुई है जिनके इन्तकाल बाकी हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी रजिस्ट्रियां ऐसी हैं जिनके इन्तकाल बाकी हैं ? ग्रामवाइज, नाम व तादाद भूमि सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

तहसील सूरतगढ़ में भूमिहीन काश्तकारों को भूमि का एलॉटमेन्ट

234. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सूरतगढ़ में भाखरा उपनिवेशन विभाग द्वारा काफी तादाद में भूमिहीन काश्तकारों को भूमि एलॉट की गई थी ? यदि हां, तो तो कुल कितने भूमिहीनों को भूमि एलॉट की गई ? चक व ग्रामवाईज, नाम, पिता का नाम निवास स्थान, कुल कितनी भूमि प्रति परिवार एलॉट की गई इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां, भाखरा उपनिवेशन विभाग द्वारा तहसील सूरतगढ़ में 2435 भूमिहीनों को 15) बीघा सिंचित व 45) बीघा असिंचित के हिसाब से कुल 4771।।।) बीघा भूमि आवंटित की गई है । चक ग्राम तथा नाम वल्दियत सहित प्रति परिवार के हिसाब से सूची जिलाधीश गंगानगर से मंगाई गई है ।

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि के तबादले के मामले

235. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान केनाल क्षेत्र में भूमि का तबादला सन् 1960 से 1968 तक कितने व्यक्तियों को दिये गये, कहां से कहां तबादले किये गये, नाम काश्तकार, तादाद भूमि, पूरा पता तथा किस कारण से भूमि का तबादला दिया गया, बताने की कृपा करें । तहसील व ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में जो तबादले सन् 1960 से 68 तक दिये गये

(उपनिवेशन मंत्री)

है व जिन व्यक्तियों को दिये गये हैं उनके नाम, कहां से कहां तबादला दिया गया उसकी सूचना, नाम काश्तकार, तादाद भूमि इत्यादि का गोश्वारा व कारण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है। कुछ मामलों में कारण नहीं दिये जा सके है क्योंकि उनकी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

राजस्थान नहर क्षेत्र के ग्रामों में खारिज की गई रजिस्ट्रियां

236. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान केनाल क्षेत्र के ग्रामों में कुल कितनी रजिस्ट्रियां खारिज की गई हैं ? ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उनमें से सन् 1955 से पहले की कितनी रजिस्ट्रियां हैं और बाद की कुल कितनी हैं ? उनकी अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान रजिस्ट्रेशन अधिनियम में रजिस्टर्ड बेनामा खारिज करने का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही राजस्थान नहर योजना संबंधी किसी अन्य नियम में रजिस्ट्री खारिज करने का प्रावधान है। अतः ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(2) प्रश्न संख्या 1 के सामने अंकित उत्तर के अनुसार यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

अलवर में विधायकों को आवंटित प्लॉट

237. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर नगर में नगर विकास न्यास ने कितने विधायकों (वर्तमान व भूतपूर्व) को कितने प्लॉट आवास हेतु आवंटित किये हैं ? कितने प्लॉट विधायकों के रिश्तेदारों के नाम एलॉट किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या आवंटित प्लॉट सभी आवंटितियों के पास हैं अथवा उन्होंने प्लॉट किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बेच दिये हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा एक भू-खण्ड आवास हेतु विधायक श्री गोकुलचन्द जाटव को आवंटित किया गया है। विधायक के रिश्तेदार श्री छुट्टनसिंह को भी एक प्लॉट एलॉट किया गया है।

(2) जी नहीं। आवंटित दोनों प्लॉट संख्या 122 व 86 मकानों के तामीर करने के पश्चात् अन्य व्यक्तियों को बेच दिये गये हैं।

अलवर में हाउसिंग कॉलोनी

238. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर में कितनी हाउसिंग

(श्री गंगासहाय)

कॉलोनी बनाई गई हैं और प्रत्येक में कितने कितने प्लॉट एलॉट किये गये हैं ? प्रत्येक कॉलोनी में अनुसूचित जाति के कितने लोगों को प्लॉट दिये गये हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें क्या किसी कॉलोनी में अभी तक भी बिना निर्माण के कुछ प्लॉट पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या किन्हीं एलॉटीज ने अपने प्लॉट अन्य लोगों को बेच दिये हैं ? यदि हां, तो कितने लोगों ने बेचे हैं ? नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें। क्या इस प्रकार प्लॉट बेचने के नियम हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, अलवर में 3 आवासीय कॉलोनी बनाई गई हैं जिनमें स्कीम नं० 1 में 352, स्कीम नं० 2 में 543 व मोतीडूंगरी स्कीम में 43 भू-खण्ड अलॉट किये गये हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित किये गये भू-खण्डों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। स्कीम नं० 1 व 2 में बिना तामीर के 18 व 68 भू-खण्ड क्रमशः पड़े हुए हैं।

(2) जी नहीं। भू-खण्ड मकान तामीर करने के पश्चात् अन्य लोगों को बेचे गये हैं जिसकी नियमों में कोई पाबन्दी नहीं है। बेचने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

केकड़ी में घन्टाघर के निर्माण पर व्यय

239. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या केकड़ी नगरपालिका द्वारा पोपसिंह के कुए पर घण्टाघर (क्लॉक टावर) का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण में शुरू से लेकर दिनांक 20-6-69 तक कुल कितना खर्चा हुआ ?

उत्तर

जी हां। इसके निर्माण में शुरू से दिनांक 20-6-69 तक कुल 9428.50 पैसे का खर्चा हुआ है।

नगरपालिका लाडनूं का ट्रैक्टर

240. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका लाडनूं, जिला नागौर में कोई ट्रैक्टर खरीदा था ? यदि हां, तो कब कौनसा ट्रैक्टर कहां से किस अधिकारी ने कितने मूल्य में खरीदा ?

(2) उक्त ट्रैक्टर पर खरीदने के बाद बेचने तक कितने रुपये व्यय हो चुके थे ?

(3) उक्त ट्रैक्टर को खरीदने के कितने समय बाद कितने मूल्य में किस प्रकार से बेचा गया था तथा बेचने के क्या कारण थे ?

(4) क्या इस ट्रैक्टर को बेचने की स्वीकृति सरकार से लेनी चाहिये थी ? यदि हां, तो स्वीकृति कब ली गई ?

Page No. 43

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(5) क्या इस ट्रैक्टर को बेचने के संबंध में कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो कब कब, क्या क्या शिकायतें और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या इस ट्रैक्टर की खरीद के लिए कोई ऋण लिया गया था ? यदि हां, तो किससे और क्या वह वापिस चुका दिया गया ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका लाडनूं में नियुक्तियां

241. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका लाडनूं, जिला नागौर में कुछ ऐसे व्यक्ति भी सेवा में हैं जिनका चयन नियमानुसार सेवा आयोग ने नहीं किया है ? यदि हां, तो कौन कौन, कब कब से ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जिलाधीश, नागौर ने निरीक्षण के समय उक्त कर्मचारी नियमानुसार नियुक्त नहीं होने की वजह से उनको सेवाओं से हटाने के आदेश भी दिये थे ? यदि हां, तो कब और उक्त आदेश की तामील कब हुई ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उन्हीं कर्मचारियों को वापिस सेवा में लगा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) इस प्रकार की अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका नीम-का-थाना द्वारा जीप की खरीद

242. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगरपालिका नीम-का-थाना का क्षेत्र दो मील में है ?

(2) क्या नगरपालिका नीम-का-थाना ने आम चुनाव सन् 1967 के नजदीक कोई जीप खरीद की ? अगर की, तो कितने रुपयों में ?

(3) जीप का माईलोमीटर कितने किलोमीटर चला हुआ आया था और अब कितने किलोमीटर चला हुआ है ?

(4) माइलोमीटर अब चालू है या नहीं ? अगर चालू नहीं है तो कब से खराब है ? यदि खराब है, तो दुरुस्त करवाने की क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या इस जीप की लॉग बुक रखी जाती है ? अगर नहीं रखी जाती तो क्यों ? अगर है तो सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) जीप दिसम्बर, सन् 1966 से लेकर सितम्बर, 1967 तक कहां रही ? अगर यह नीम-का-थाना क्षेत्र से बाहर रही तो क्या कोई किराया वसूल किया गया ? अगर किया गया, तो कितना ?

(7) क्या इस जीप को खरीदने के लिए डायरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज या

(श्री जयनारायण सालोदिया)

राज्य सरकार से कोई स्वीकृति ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(8) क्या डायरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज ने नगरपालिका, नीम-का-थाना को जीप के अनधिकृत रुप से खरीदने के बारे में कोई पत्र दिया ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

अजमेर नगर परिषद् के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पुनः नौकरी में लेने के आदेश

243. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् द्वारा कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु में ही नौकरी से रिटायर कर दिया है ? यदि हां, तो कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ प्रभावित कर्मचारियों ने इसके विरुद्ध लेबर कोर्ट में अपील की थी और उस निर्णय के अनुसार उन्हें नौकरी से निकाला जाना गलत बताया गया तथा उन्हें वापस नौकरी पर लेने के आदेश दिए गए हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) नगरपरिषद्, अजमेर ने निम्न 12 कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के कर्मचारी मानते हुये रिटायर कर दिया :–

1. श्री रामा
2. श्री रामनारायण
3. श्री एफ० लारेन्स
4. श्री जगदीशसिंह
5. श्री फूलचन्द
6. श्री नारायणदास
7. श्री भूरा सुपुत्र गणेश
8. श्री देवाराम
9. श्री नन्द किशोर
10. श्री पीरु
11. श्री कालूराम
12. श्री नानकचन्द

(2) इन कर्मचारियों ने अपने आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानते हुये लेबर कोर्ट में अपना वाद प्रस्तुत किया। सहायक आयुक्त, श्रम विभाग (सेन्ट्रल) द्वारा नियुक्त आरबिट्रेटर ने नगर परिषद् को सुनवाई का पूरा मौका नहीं देते हुये निम्न दस कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी का मानते हुये उनके रिटायरमेन्ट को गलत बताया। सर्वश्री फूलचन्द व नानकचन्द ड्राइवरों को आरबिट्रेटर ने तृतीय श्रेणी का कर्मचारी मान लिया व उनके रिटायरमेंट को सही माना।

1. श्री रामनारायण
2. श्री नन्द किशोर
3. श्री नारायणदास
4. श्री एफ० लारेन्स
5. श्री जगदीशसिंह
6. श्री भूरा सुपुत्र गणेश
7. श्री देवाराम
8. श्री रामा
9. श्री पीरु
10. श्री कालूराम

नगर परिषद् ने उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 5 तक के कर्मचारियों के मामले पर

(स्वायत्तशासन मंत्री)

विचार विमर्श कर उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानकर नौकरी पर वापस ले लिया और क्रम संख्या 6 से 10 तक के कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी में माने जाने योग नहीं होने से उन्हें नौकरी पर वापस नहीं लिया। नगर-परिषद् ने आरबिट्रेटर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर कर दिया जो वह विचाराधीन है।

सरवाड़ नगर में पानी की योजना

244. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सच है कि अजमेर जलप्रदाय योजना से सरवाड़ नगर को जल वितरण करने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

(2) अगर हां, तो उक्त योजना का कार्य कब से चालू हो जायेगा? और उक्त योजना पर कितना रुपया खर्च किया जावेगा?

(3) उक्त योजना में नगरपालिका द्वारा कितना रुपया लगाया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) योजना की अनुमानित लागत 3,56,000 है। कार्य योजना की स्वीकृति के बाद प्रारम्भ किया जावेगा।

(3) योजना पर समस्त खर्चा नगरपालिका द्वारा ही किया जावेगा।

कैथून मोटर स्टेण्ड पर पक्की ड्रेनेज

245. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कैथून मोटर स्टेण्ड पर सड़क पर कीचड़ हो जाने के कारण वहां की जनता में मलेरिया आदि रोग फैल गया है?

(2) क्या यह सही है कि यह सड़क पानी के बहाव द्वारा खराब हो गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि यह सड़क नाली बनाकर पानी के बहाव को रोकने से ठीक हो सकती है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु पक्की ड्रेनेज बनाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

बोंली-जस्टाना सड़क पर डामर

246. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि गत बजट अधिवेशन में सरकार द्वारा बोंली से जस्टाना रोड (सवाई माधोपुर सब डिविजन) पर डामर कराये जाने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो इस सड़क पर कितने मील में डामर कराया गया और इसमें अब तक कितनी राशि व्यय की गई है?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

इस विभाग को ऐसे आश्वासन की जानकारी नहीं है। सड़क पर डामर कार्य नहीं कराया गया है।

पाली तहसील में सड़कों के निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

247. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) पाली तहसील में अकाल के समय में सड़क निर्माण में किस किस काश्तकार की कितनी कितनी भूमि आज तक ली गई है? उन काश्तकारों का नाम और उनकी जितनी जमीन खातेदारी की सड़क में ली गई और कब कब ली गई उनका तारीख व्योरा-वाईज सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या सरकार द्वारा सड़क निर्माण में जिन खातेदारों की जमीनें ली गई उनके बदले दूसरी जमीन देगी? यदि नहीं, तो उनके बदले मुआवाजा देगी? यदि मुआवाजा दिया जायेगा तो किस स्केल से और कब तक दे देगी?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

केन्द्रीय सर्वोदय सहकारी संघ, जयपुर

248. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सर्वोदय सहकारी संघ, जयपुर कब से काम कर रहा है? इसके सदस्यों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इसकी कार्यकारिणी के चुनाव कब कब हुए और उनमें कौन कौन पदाधिकारी चुने गये? नाम व पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस संस्था को कब कब और किन किन कामों के लिये कर्जा व अनुदान कितना मिला और क्या उनको उन्हीं कामों में खर्च किया गया था? अब कितना कर्जा कब से बकाया है और उसकी वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या इस संस्था का नियमानुसार समय समय पर ऑडिट कराया गया था? यदि हां, तो ऑडिट की रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त सहकारी संघ अब लिक्वीडेशन में आ गया है? यदि हां, तो कब से और क्यों? क्या श्री रामबल्लभ निरीक्षक को लिक्वीडेटर नियुक्त किया गया था?

(5) क्या यह भी सही है कि संघ के सदस्य श्री नारायण चतुर्वेदी में 13 सौ रुपये बकाया की डिक्री थी जिसके श्री रामबल्लभ लिक्वीडेटर ने सिर्फ 4 सौ रुपये में फैसला कर लिया? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सत्य है कि श्री रामबल्लभ का वेतन बढ़ाकर राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक में नौकर नियुक्त कर दिया है? यदि हां, तो इस बैंक के चेयरमैन कौन है?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सर्वोदय सहकारी संघ का रजिस्ट्रेशन 25-10-51 को हुआ था,

Page No. 47

(सहकारी मंत्री)

तथा वर्ष 53-54 से यह संघ कार्य कर रहा है। इसके सदस्यों की नामवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है। इस संघ की कार्यकारिणी के चुनाव कब हुए व कौन पदाधिकारी चुने गये, उसकी सूची प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है, क्योंकि संबंधित प्रोसिडिंग बुक जिसमें चुनावों का विवरण अंकित है, वह न्यायालय (ए० मु० मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जयपुर) को प्रस्तुत की हुई है जो कि अभी तक भी प्राप्त नहीं हुई है।

(2) इस संघ को वर्षवार जिस प्रकार कर्जा व अनुदान मिला है, उसकी सूची संलग्न परिशिष्ट "ख" व "ग" संलग्न है। संपूर्ण ऋण उन्हीं कार्यों पर समिति के रेकार्ड के अनुसार खर्च नहीं हुआ है, जिसके लिए वह स्वीकृत हुआ था।

समस्त अनुदान उन्हीं कार्यों पर खर्च किया गया, रेकार्ड के अनुसार प्रतीत होता है। अब इस संघ पर खादी ग्रामोद्योग कमीशन का ऋण 8,87,318) रुपये 78 पैसे दिनांक 30-6-69 को बकाया है। संघ का ऋण सदस्यों व अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों पर 4,07,481) रुपये 33 पैसे बकाया है। इस समस्त राशि की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही चल रही है, तथा विभिन्न न्यायालयों में 127 मुकद्दमें निर्णयाधीन है।

(3) इस संघ का नियमानुसार प्रति वर्ष ऑडिट होता रहा है, तथा पूर्तियां भी समय-समय पर प्रस्तुत होती रही हैं ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां फौजदारी केसेज के सिलसिले में न्यायालय में हैं।

(4) यह सत्य है कि केन्द्रीय सर्वोदय सहकारी संघ लि०, जयपुर दिनांक 7-8-65 से अवसायन में लाया गया है। संघ की आर्थिक दशा खराब हो चुकी थी तथा लगभग तीन लाख रुपये की भारी हानि के अलावा कार्यशील पूंजी भी समाप्त हो चुकी थी। खादी कमीशन ने भविष्य में ऋण सुविधा देने से इन्कार कर दिया तथा संघ के 11 सदस्यों में से 8 सदस्य डिफाल्टर हो चुके थे। जिससे चुनाव भी सम्भव नहीं था, संघ की प्रशासन समिति ने संघ को अवसायन में लाने का निर्णय लिया। यह सत्य है कि संघ का अवसायक श्री रामवल्लभ शर्मा निरीक्षक को नियुक्त किया गया था।

(5) श्री नारायण चतुर्वेदी इस संघ के रिकार्ड के अनुसार सदस्य नहीं हैं। पंच निर्णायक के एवार्ड के विरुद्ध हुई अपील में राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण, जयपुर द्वारा 534.18 पैसे की डिक्री दिनांक 22-8-68 को दी गइ व सदस्य श्री चतुर्वेदी ने 534.18 पैसे का डिक्री की राशि जमा करा दी।

(6) श्री रामबल्लभ शर्मा, निरीक्षक को इस संघ का अवसायन संबंधी कार्यक्रम हो जाने तथा आर्थिक दृष्टि से उनका वेतन संघ द्वारा वहन करने की स्थिति में न होने पर उन्हें इस संघ की प्रतिनियुक्ति से वापिस लिया जाकर राजस्थान भूमि विकास बैंक में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया। तथा श्री शर्मा का वेतन नहीं बढ़ाया गया। इस बैंक के अध्यक्ष, श्री नारायण चतुर्वेदी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

स्वर्णकार नमक उत्पादक सहकारी समिति लि०, छापर

249. श्री रावतराम, (छापर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) स्वर्णकार नमक उत्पादक सहकारी समिति लि० छापर, चूरू का निर्माण कब हुआ और उसके कौन कौन सदस्य थे तथा प्रबन्धकारिणी में कौन कौन थे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि श्री कन्हैयालाल पूनमचन्द सोनी ने समिति से त्याग-पत्र दे दिया और अपनी हिस्सा पूंजी के 300) रु० वापिस चाहे ? यदि हां, तो इनको कितनी रकम वापिस की ? त्याग-पत्र कब दिया और हिस्सा पूंजी की रकम कब लौटाई ?

(3) क्या यह सही है कि समिति के सदस्य गंगाधर, डा० किशनाराम, किशनलाल डा० तुलसीराम ने भी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया ? यदि हां, तो कब और इनकी हिस्सा पूंजी की रकम कब वापिस लौटाई, हिस्सा पूंजी कितनी थी और कितनी वापिस लौटाई ?

(4) फिलहाल समिति के कौन कौन सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि समिति के पांच सदस्य एक ही परिवार के हैं और दो दो सदस्य एक ही परिवार के हैं तथा तीन सदस्य गैरस्वर्णकार हैं ? यदि हां, तो ऐसा किन नियमों के तहत है ?

(6) श्री चम्पालाल सोनी उस समिति के व्यवस्थापक पद पर कार्य करते थे और दो सौ रुपया वेतन भी लेते थे ? क्या यह सही है कि श्री चंपालाल के पिता उक्त समिति के अध्यक्ष हैं ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त समिति के घोटाले की शिकायत कलेक्टर, चूरू को की गई और कलेक्टर चूरू ने ए०आर०कोआपरेटिव सोसायटी, चूरू से तत्संबंधी जांच करवाई ? यदि हां, तो कब, कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(8) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार ने इस अवैध समिति को भंग क्यों नहीं किया और अब इस संबंध में क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

उत्तर

(1) स्वर्णकार नमक उत्पादक सहकारी समिति लि० का गठन दिनांक 7-9-63 को संख्या 441 । आई० पर हुआ । समिति के प्रारम्भिक सदस्यों की सूची-तथा प्रबन्धकारिणी के सदस्यों की सूची परिशिष्ट (क) पर संलग्न है ।

(2) श्री कन्हैयालाल पूनम चन्द्र सोनी ने 10 जुलाई, 64 को समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र दिया था, जिसको 19-8-69 को समिति की साधारण सभा द्वारा स्वीकार करा लिया गया, श्री सोनी ने त्याग-पत्र के साथ ही उनके जमा हिस्से के रुपये 300) को वापस लौटाने के लिये निवेदन किया । दिनांक 28-1-69 को उनकी जमा हिस्सा राशि की रकम 300) रुपये में से 93) रुपये नुकसान के घटाकर 207) रुपयों का मनिआर्डर समिति द्वारा उनको भेजा गया, परन्तु श्री सोनी ने मनिआर्डर लेने से इन्कार कर दिया ।

(3) यह सही है कि श्री गंगाधर और श्री किशन लाल ने दिनांक 12-9-66 को अपना स्तीफा समिति को दिया, जिसे 21-9-66 को स्वीकार किया गया है ।

(सहकारी मंत्री)

श्री गंगाधर की हिस्सा पूंजी रुपये 1,000) और श्री किशनलाल की हिस्सा पूंजी रु० 350) थी। श्री गंगाधर को उनकी हिस्सा राशि के 1,000) रुपये तथा श्री किशनलाल को 350) रुपये दिनांक 15-10-66 को लौटा दिये गये।

(4) फिलहाल समिति में 17 सदस्य हैं। सूची परिशिष्ट (ख) संलग्न है।

(5) पांच सदस्य और दो दो सदस्य एक ही परिवार के है, तथा सात गैर स्वर्णकार सदस्य है। समिति के उप-नियमों में इस प्रवेश का निषेध नहीं है।

(6) जी हां। चंपालाल दिनांक 28-2-69 तक दिनांक 4-7-64 से समिति के व्यवस्थापक के पद पर कार्य करते थे और 200) रु० मासिक वेतन लेते थे। यह सही नहीं है कि चंपालाल के पिता समिति के अध्यक्ष हैं।

(7) जांच रिपोर्ट संलग्न हैं परिशिष्ट (ग) पर। उक्त समिति की शिकायत जिलाधीश, चूरू को की गई, जिसके अनुसार सहायक रजिस्ट्रार, चूरू ने जांच की।

(8) जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी, को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने को लिखा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

अवकाश प्राप्त सैनिक सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि०

250. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गंगानगर जिले में अवकाश प्राप्त सैनिक सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि० चक 14 एस० पी० एम०, नामक एक सहकारी संस्था का ऑडिट नियमित रूप से हो रहा है? यदि ऑडिट नहीं हो रहा है, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग द्वारा इस समिति के निरीक्षण समय पर नहीं किये गये जिनके अभाव में समिति द्वारा भारी अवैधानिक कार्यवाही की जा रही है, अगर इस संस्था के निरीक्षण हुए है तो निरीक्षण-पत्र सदन की मेज पर रखे जावें।

उत्तर

(1) अवकाश प्राप्त सैनिक सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि० चक 14 एस० पी० एम० का ऑडिट वर्ष 67-68 तक का हो चुका है, ऑडिट नियमित रूप से स्टाफ की कमी एवमं रिकार्ड के उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो सका।

(2) जी नहीं। समिति के सदस्यों में आपस में वैमनस्य होने के कारण अनियमितताए हुई हैं, उक्त समिति का निरीक्षण निरीक्षक (कृषि) के द्वारा दिनांक 16-5-68 को किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। (सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।

बूंदी सहकारी बैंक द्वारा गन्ने के लिये कर्जा

251. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बूंदी के सहकारी बैंक द्वारा गन्ने

(श्री केशरीसिंह हाडा)

के लिये किन किन पंचायत समितियों को कितना कितना कर्ज दिया गया है।

(2) जो कर्जा दिया गया है उसमें कितने काश्तकार हैं और कितने ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) नैनवा पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्राम करतर में किन किन को गन्ने के लिये कर्ज दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बूंदी सेन्ट्रल कोआपेरेटिव बैंक लि०, बून्दी द्वारा गन्ने के लिए पंचायत समितियों को कोई ऋण नहीं दिया गया किन्तु सहकारी समितियों के माध्यम से उनके सदस्यों को फसली ऋण प्रणाली के अन्तर्गत निम्न पंचायत समितियों में उनके समक्ष अंकित राशि का ऋण दिया गया है :–

क्र० सं०	नाम पंचायत समिति	ऋण राशि जो दी गई
1	2	3
1	तालेडा	6,45,692.72
2	नैनवा	60,414.47
3	पाटन	1,45,851.02
4	हिन्डोली	73,862.00
		9,25,820.21

(2) कुल 1,010 काश्तकारों को ऋण दिया गया है। जो ऋण दिया गया है उसमें बैंक में उपलब्ध ऋण आवेदन-पत्रों के आधार पर ऐसा कोई काश्तकार नहीं है जिसके पास काश्त करने के लिए जमीन नहीं है।

(3) नैनवा पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्राम करतर में जिन जिन को गन्ने के लिए कर्ज दिया गया है उसकी सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

झालावाड़ जिले की सहकारी समितियों की धनराशि

252. श्री विट्ठलप्रसाद (अकलेरा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले की कितनी सहकारी समितियों के सरपंचों ने सहकारी समितियों की धनराशि अनुचित तरीके से अपने पास रखी हुई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि कई सदस्यों के नाम जाली रकमें लिखी हुई हैं अथवा सदस्य उस राशि का भुगतान कर चुके हैं फिर भी बकाया निकल रही है। यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें ए० आर० ऑफिस को प्राप्त हुई हैं। एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले की 23 सहकारी समितियों के सरपंचों (प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों) द्वारा 47,282.27 रुपये की राशि अनुचित रूप से अपने पास रखकर दुरुपयोग किया है। सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(सहकारी मंत्री)

(2) केवल एक शिकायत इस प्रकार की असनावर वृहत् बहु० सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा मृतक श्री भैरू पुत्र कंवर लाल के नाम 300) रु० की रकम जाली लिखने की सहायक रजिस्ट्रार, झालावाड़ के कार्यालय में प्राप्त हुई थी जिसके बारे में जांच करवाने पर मालूम हुआ कि यह मामला मुंसफी झालावाड़ के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजे गये अधिकारी

253. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भेड़ व ऊन विभाग के किस किस अधिकारी को कब कब किस किस कार्य के प्रशिक्षण के लिये विदेश में भेजा गया और उन पर कितना कितना खर्चा हुआ तथा अब उनको किसे किस पद पर लगा रखा है और उनसे क्या क्या कार्य लिया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(सूची सदन की मेज पर रख दी गई है)

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

बीकानेर जिले में सघन पशु विकास योजना

254. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में सघन पशुपालन योजना आरम्भ कर दी गई है? अगर हां, तो इसके केन्द्र कहां कहां पर स्थापित हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, इनकी पशु संख्या कितनी है—की सूची भी प्रस्तुत करें।

(2) यह पूर्ण योजना कितने की है और कब तक पूर्ण करनी है?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिला थारपारकर नस्ल के लिये उपयुक्त है? अगर हां, तो बाड़मेर जिले में उक्त योजना लागू क्यों नहीं की गई? उक्त योजना यहां कब तक लागू कर दी जायगी?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

वैद्य के बकाया वेतन का भुगतान

255. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री मोतीलाल वैद्य का स्थाईकरण जिला बोर्ड झुन्झुनूं के आदेश संख्या 1915 दिनांक 4-9-59 के द्वारा 50-3-80 की वेतन श्रृंखला में दिनांक 2-10-54 से वरिष्ठता क्रमांक 86 पर हो चुका है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य श्री मोतीलाल को 2-10-57 तथा 2-10-58 को मिलने वाली वेतन वृद्धि की राशि अभी तक नहीं मिली है जो कि 252) रु० होती है?

(3) क्या यह सही है कि संचालक, आयुर्वेद विभाग के कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ० 2(अ)/3/वेतन 65-553-54 दिनांक

(श्री शिवनाथ सिंह)

23-1-65 के द्वारा सीकर निरीक्षणालय को इस बकाया वेतन के चुकारे के बारे में लिखा जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) कार्यवाही चालू है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

जिला बीकानेर व चूरू के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पिछले साल अकाल राहत कार्य में लगे मजदूरों को अब तक भुगतान न किये जाने से उनमें व्याप्त असन्तोष से संबंधित श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ, श्री मेघराज पंवार, श्री रूपसिंह, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया व श्री रामानन्द अग्रवाल से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव ।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला केन्द्रों आदि पर प्रदर्शन करने के संबंध में श्री रामानन्द अग्रवाल से प्राप्त हुई है। इसी विषय का एक और स्थगन प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री बृजवल्लभ वोहरा से भी प्राप्त हुआ है ।

तीसरा स्थगन प्रस्ताव जिलाधीश, चूरू द्वारा दिनांक 27-1-70 से लोहिया कॉलेज, चूरू को बिना कारण अनिश्चित काल के लिए बन्द कर देने की स्थिति के बारे में श्री केदारनाथ, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री मेघराज पंवार, श्री रूपसिंह, श्री फतेहसिंह, श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री चुन्नीलाल इन्दलिया से प्राप्त हुआ है ।

चौथे स्थगन प्रस्ताव की सूचना आटो रिक्शा यूनियन की मांगों के संबंध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है ।

पांचवें स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, श्री दौलतराम सारण, श्री हरजीराम बुरडक व श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गंगानगर आन्दोलन के संबंध में गिरफ्तार किये गये सत्याग्रहियों को गंगानगर से राज्य की अन्य जेलों में ले जाते समय रास्ते में और जेलों में उचित व्यवस्था न करने का उल्लेख किया है ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी मिलने पर उन पर निर्णय लिये जाकर माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित किया जायगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो लोहिया कॉलेज, चूरू को बन्द किया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : अब इस वक्त भाषण नहीं होगा जब कि स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी जा चुकी है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो कॉलेज बन्द कर दिया गया है, वहां के विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों

(श्री रामचन्द्र आर्य)

को छात्रावास से मार मार कर फेंक दिया। इस प्रकार की नादिरशाही इस सरकार के द्वारा को जाय इसको हम कतई बरदाश्त नहीं करेंगे। आसन की तरफ से जो व्यवस्था दी गई है उसको हम ध्यान में रखते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन हमें सरकार के बारे में सोचना पड़ेगा ताकि इस तरह से कॉलेज बन्द करके वहां के विद्यार्थियों के जीवन को खराब न करें। अभी उनकी परीक्षाओं के दिन बहुत नजदीक आये हुए हैं और हमारी सरकार ने वहां पर अकारण ही लड़कों को बाहर फेंक दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : वहां पर कॉलेज बन्द करने का क्या कारण है ? इस प्रकार की ××× सरकार के द्वारा की जा रही है उन विद्यार्थियों के साथ (व्यवधान) उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, इस ××× शब्द को बर्दाश्त नहीं किया जायगा। इसको एक्सपंज किया जाय।

(शोरगुल)

श्री रामचन्द्र आर्य : विद्यार्थियों के साथ में इस तरह खिलवाड़ किया जाय और आप इस तरह करते हैं। (शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह ××× शब्द को एक्सपंज किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह गलत नहीं है। यह सही है, यह सरकार के द्वारा....

श्री उपाध्यक्ष : यह एक्सपंज किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस तरह से विद्यार्थियों को छात्रावास से जबर्दस्ती निकाला गया है, उपाध्यक्ष, महोदय।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन आरोपों के आधार पर कॉलेज को अनिश्चित काल के लिए बन्द किया गया है और होस्टल से छात्रों को निकाला गया है वह बेसलेस हैं, निराधार हैं। उस कॉलेज को चलाने में कोई आपत्ति नहीं है कॉलेज के प्रिन्सिपल को.....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इस पर अभी निर्णय नहीं दिया गया है, जानकारी चाही गई है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने इस संबंध में शिक्षा मंत्रीजी से बात की है। उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज को चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद भी इस कॉलेज को डी०एम० ने ऑर्डर देकर अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों में उत्तेजना पैदा करने की इस सरकार द्वारा साजिश की जाती है, और विद्यार्थियों के छत्ते को छेड़ा जाता है....

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार, शब्द कार्यवाही से निकाला गया।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार, शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण : उनके खिलाफ यह आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस के अवसर पर उन्होंने बुरा काम किया। जब कॉलेज के अन्दर और जगहों की तरह राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था उस समय जो फंक्शन चल रहा था, उसको उन्होंने समाप्त किया और जो गोली दागने वाले लोग थे उनको सेल्यूट करने के लिए कहा गया तो उन्होंने उनको सेल्यूट नहीं किया....

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था नहीं दी गई है। इस संबंध में जानकारी चाही गई है।

श्री दौलतराम सारण : इस तरह का आरोप लगा कर इस कॉलेज को बन्द करने की सरकार द्वारा साजिश की गई है। मैं यह साजिश शब्द जान बूझ कर कह रहा हूं। सरकार का यह रवैया अनुचित है, गैर वाजिब है, और विद्यार्थियों को....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : उत्तेजित करने वाला है।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला गम्भीर है। इसकी जानकारी जल्दी हासिल की जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस एडजोर्नमेन्ट मोशन का नोटिस कल दे दिया गया था। यह एक इस तरह का मामला है कि जहां पर पहले ही आन्दोलन की वजह से विद्यार्थियों का काफी समय खराब हुआ है, उसके संबंध में जानकारी करने के लिए गवर्नमेन्ट के पास काफी समय था। सूचना सारी गवर्नमेन्ट ने मंगा ली होगी, मंगा लेनी चाहिए थी। उपाध्यक्ष महोदय, कल परसों ही कॉलेज शुरू हुआ। गवर्नमेन्ट ने ऑर्डर दिया तो सब जगह कॉलेज खुल गये। वहां के प्रिन्सिपल चाहते थे कि कॉलेज खोले......

श्री दौलतराम सारण : कॉलेज खुल गया, लड़के बैठे लेकिन फिर लड़कों को निकाल दिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कल लड़के यहां पर आये थे बहुत बड़ी तादाद में....

श्री दौलतराम सारण : 27 को लड़के कक्षाओं में बैठे।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें सूचना जल्दी मंगा ली जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन करना है कि इसके अन्दर उत्तर आज मिलना चाहिए। गवर्नमेन्ट को पहले से ही तैयार होकर आना चाहिए था, इस संबंध में पहले ही इत्तला मंगाई गई होगी। अगर नहीं मंगाई है तो मंगा लेनी चाहिए और जब मुख्य मंत्री जी आज उत्तर दें तो इस संबंध में भी उत्तर मिल जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वहां अननेसेसरिली, जब इम्तहान के दिन हैं, कॉलेज को बन्द कर दिया गया है। इससे अननेसेसरिली मूवमेंट को तेज करना होगा। सरकार एक तरफ से विद्यार्थियों को खींचना चाहती है, दूसरी तरफ हमारे ऊपर गवर्नमेन्ट यह आरोप लगाती है कि हम विद्यार्थियों को आन्दोलन में खींचते हैं। जब वहां पर शांति व्यवस्था

Page No. 55

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जारी थीं और कॉलेज को खोलने के लिए प्रिन्सिपल तैयार थे और लड़के होस्टल में रह रहे थे तब उनको वहां से जबर्दस्ती मार मार कर भगा दिया । इससे विद्यार्थियों के अन्दर जबर्दस्ती रोष पैदा कर रहे हैं, और विद्यार्थियों में उग्र स्थिति को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल विद्यार्थी यहां आये थे, वह कह रहे थे कि हमारे साथ में ज्यादती की गई है इस कारण कि जांच होगी, गोलीकान्ड के बारे में, उस जांच से कुछ तथ्यों को छिपाया जाय और इसलिए विद्यार्थियों को जांच के अन्दर कुछ न कहने दिया जाय । इस वजह से कॉलेज बन्द किया गया है । यह वास्तव में सरकार की साजिश है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही उत्तर मिलना चाहिए इसका ।

श्री रावतराम :
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : } उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस लोहिया कॉलेज को अनिश्चित काल के लिए बन्द करने का और वहां के छात्रावास से विद्यार्थियों को निकालने का सरकार का निर्णय है, यह बहुत ही अदूरदर्शितापूर्ण और अबुद्धिमत्तापूर्ण है । मैं समझता हूं कि यह जले पर नमक छिड़कने के बराबर है । राजस्थान के विद्यार्थी इसे चुनौती के रूप में मान लें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में एक अशांति की स्थिति पैदा हो जायगी....

श्री शीशराम (सादुलपुर) : गवर्नमेन्ट को फायदा होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह हो सकता है । यही विद्यार्थी खायेंगे इस सरकार को....

श्री दौलतराम सारण : (श्री शीशराम से) माइक पर खड़े होकर बोलो । विरोध करो ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । आपस में बात न करें ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पहले निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है ।

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ आर्डर है, माननीय सदस्य !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा निवेदन है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माइक तो नीचे चला जा रहा है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह नीचे सरक गया है आपके डर से ।

मेरा निवेदन यह है, श्रीमान ने एक निर्णय दिया कि ट्रेजरी बैंचेज से मंत्री महोदय से इसको स्टेटमेंट दिलाया जाय......

Page No. 56

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं दिया मैंने ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जानकारी की जा रही है । same thing मेरा निवेदन है कि अभी स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है, इस स्टेज पर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं किया गया है ।

कई माननीय सदस्य : नहीं किया गया है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जानकारी की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप फर्मा रहे हैं, जानकारी की जा रही है इसलिए इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं और निवेदन करना चाहता हूं ।

प्रस्ताव आता है, उसके बाद चेअर की तरफ से उस पर एक निर्णय दिया जाता है । उस निर्णय को देने से पहले श्रीमान् ने उस पर जानकारी चाही है । जानकारी आने के बाद अगर चेअर चाहे तो उस पर स्टेटमेंट हो जायगा । उसके पहले ही आप यह कहें कि राजस्थान में अशांति पैदा हो जायगी, राजस्थान व्यापी तूफान मच जायगा–तो मेरा निवेदन है कि इस पर स्टेटमेंट आने दीजिए । इस पर स्टेटमेंट होगा कि क्यों और किस तरह से कॉलेज बन्द किया गया । आपने अपना पक्ष रख दिया अब सरकार का पक्ष है, उसके आने के पहले यह मत भूल जाइये कि आपने धोंस दे दी कि ऐसा हो जायगा, वैसा हो जायगा । शासन राज्य सरकार करती है । उसके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जायगा, उससे असंतुष्ट हों तो इस विधान सभा के रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स के अन्तर्गत आप रिजोल्यूशन बना कर दे सकते हैं और उस पर चर्चा हो सकती है । उसके लिए आपको कोई मना नहीं करता है । उनको फोलो न करें और असेम्बली में यों ही चलाते रहें–यह उचित नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : तीन दिन हो गये हैं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं नहीं समझता कि किस तरह से यह उचित हो सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार सरकार का जवाब कब तक आ जायगा । नोटिस स्थगन प्रस्ताव का दिया गया उसका जवाब आना चाहिए साधारण और सामान्य बुद्धि के अनुसार, और अगर नहीं आ सका है तो कुछ न कुछ आश्वासन तो देना चाहिए । आखिरकार सरकार के लिए यह लाजिमी है कि वह जवाब दें । अब कब दे यह वह बता दें ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़े से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : (बनेड़ा)

श्री भैरोंसिंह : बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को चाहिए कि वह स्वयं रूल्स की किताब को लेकर बैठें....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह मेरे पास है।

श्री भैरोंसिंह : है, आपके सामने भी है। उसमें एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव किया जाय, उसका प्रोसीजर दिया हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है—सदन की आज की कार्यवाही स्थगित की जाय। यह लिखा हुआ है ? आप उपाध्यक्ष महोदय से पूछ लीजिये। आज की कार्यवाही में उसका निर्णय नहीं होता है तो कल के बारे में एडजोर्नमेंट मोशन नहीं है फिर किस समय चर्चा करेंगे, कब जवाब देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन हो रहा है कि आज की कार्यवाही स्थगित की जा कर इस विशेष मसले पर चर्चा की जाय। अब सरकार से जानकारी करने का जहां तक प्रश्न है, उसके लिए सरकार को एडजोर्नमेंट मोशन का पहले ही डेढ़ घं पहले नोटिस दिया जाता है, उसकी उसको कॉपी मिलती है, तो डेढ़ घण्टे पहले सरकार को तैयार होना चाहिए और जो स्थिति है वह सदन के सामने रखनी चाहिए। सरकार चर्चा का नाम लेकर और उत्तर का नाम लेकर समय लेना चाहती है तो सदन के सदस्यों की उत्सुकता बढ़ती है और उस उत्सुकता को रूल्स के आधार पर नहीं रोका जा सकता है। सरकार अगर रूल्स के अनुसार आचरण करे तो सदस्य पर रूल्स के आधार पर आचरण करने को तैयार है। लेकिन सरकार स्वयं नहीं करती है तो दूसरों के ऊपर पाबन्दी लगाना उचित नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, लोहिया कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बन्द करने का निर्णय दिया गया....

श्री दौलतराम सारण : कॉलेज में लड़के बैठ गये आकर।

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो मिनिट में कहना चाहता हूं।

लड़के कॉलेज में आकर बैठ गये। उसके बाद वहां से उनको वापिस भगा देना, कॉलेज बन्द कर देना, मैं समझता हूं, यह जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। यह चूरू वही स्थान है, जिस स्थान पर अभी हाल ही में गोलीकाण्ड हुआ है और उसके परिणाम-स्वरूप वहां गोली चलाने वालों के सामने विद्यार्थियों को मजबूर करना कि वह उन्हें सेल्यूट करें, मैं समझता हूं, उनके स्वाभिमान को चुनौती है, इसलिए उन्होंने ऐसा करा भी नहीं तो उसके कारण ऐसे दण्ड की व्यवस्था करना किसी तरह से भी बुद्धिसंगत नहीं कहा जा सकता है। इस सारे मसले में जरूरी यह था, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को यह जानकारी तुरन्त यहां भेज देनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि चूरू का बीता हुआ मामला, चूरू के गोलीकाण्ड का मामला इस सदन में उठ चुका है, उसके बाद भी इन परिस्थितियों में लोहिया कॉलेज को बन्द कर दिया गया। उसके बाद में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई उसके ऊपर सरकार की तरफ से जानकारी न दी जाय और वह भी तीन दिन के बाद भी जानकारी न दी जाय, यह गम्भीर मसला है और ऐसा लगता है कि राज्य सरकार का काम ठप्प हो गया है, राज्य का प्रशासन ठप्प हो गया है। और कोई जवाबदार हुकूमत, रेस्पान्सिबिल गवर्नमेंट राजस्थान में है—ऐसा महसूस नहीं होता है। यह सदन में मसला उठाया गया है, यह गम्भीर मसला और परीक्षाओं के दिनों में.........

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कॉलेज को बन्द करना न्यायसंगत नहीं है, यह बुद्धि-संगत नहीं है, यह घास में चिनगारी डालने के बराबर है। इसलिए नाहर साहब मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर विद्यार्थियों के द्वारा, कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा किसी प्रकार का आन्दोलन चलाया जाय तो राजस्थान की शांति और व्यवस्था समाप्त हो जायगी, जिसको आप नहीं चाहते हैं और हम भी नहीं चाहते हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के द्वारा जो गैर जिम्मेदाराना निर्णय लिया गया है कॉलेज को बन्द करने का, छात्रावास बन्द करने का उसको वापिस लेकर यह कॉलेज तुरन्त खुलवाया जाय और निश्चित रूप से पढाई का, शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाय। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रावतराम (छापर-सु०): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा कहना चाहूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं निवेदन कर दूं इस के सम्बन्ध में। वैसे स्थिति की पूरी जानकारी मुझे इस समय नहीं है। शाम को जब जवाब दूंगा मैं इसका जिक्र करूंगा। मैं अभी इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि किसी वजह से विद्यार्थियों को परीक्षा के मौके पर तकलीफ हो, उनका कॉलेज या स्कूल बंद करना यह सरकार नहीं चाहती। 26 जनवरी के दिन जबकि वहां पर परेड हो रही थी और कलेक्टर उसको इन्सपैक्ट करने के लिये जा रहे थे पीछे से धूल फैंकने की वारदात हुई। 26 जनवरी को, नेशनल दिवस पर ऐसा किया जाना उचित नहीं है और इस के बाद में इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री मोहरसिंह, जो चूरू के ही रहने वाले हैं उनके साथ मारपीट की वहां दूसरी घटना हुई। इसका जब यहां सवाल आया तो मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इस के संबंध में हम अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और मैं भी आप से इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा लेकिन कल सुबह जब मैं कोटा गया उसके पहले शिक्षा मंत्रीजी से स्वयं से मेरी बातचीत हुई और उसके बाद का मुझे पता नहीं। दौलतरामजी ने यहां कहा कुछ खोलना चाहते हैं और कुछ खोलना नहीं चाहते इस के बारे में कोई मतभेद है इसका मुझे पता नहीं है। यह मेरी राय में नहीं हैं। मैं जब बात करके गया था तो उस समय यह फैसला किया गया था कि डाईरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, श्री कपूर को वहां पर, चूरू भेजा जाये और वे चूरू जा कर ऐसी स्थति पैदा करें जिससे कि सामान्य रूप से कॉलेज खुल सके और जो घटना हुई है उसके बारे में उनको अफसोस हो, और इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके बारे में वे देख लें। यह चीज कल सुबह तक मेरी जानकारी में थी। इसके बाद क्या स्थिति रही इसका मैं जब जवाब दूंगी आपको निवेदन कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट हो गया मुख्य मंत्रीजी के कहने से कि कलेक्टर पर मिट्टी फैंकने और मोहरसिंहजी के साथ मारपीट होने के कारण कॉलेज को बन्द किया गया है। क्या इसका यह मतलब है कि दंड स्वरूप यह किया गया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इतना तो माननीय सदस्य भी मानेंगे कि 26 जनवरी के फंक्शन पर अगर ऐसा किया जाये तो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एक्शन लिया जाना चाहिये। इसके बाद की घटना के बारे में मैं जानकारी लेकर बाद में निवेदन कर दूंगा। मुझ से जब शिक्षा मंत्रीजी मिले थे तो मैंने कहा था जो कुछ हुआ होगा। फिर भी लड़के पढ़ना चाहते हैं और ऐसा आप कहते हैं लड़के 26 जनवरी को घटना के बारे में सामूहिक रूप से खेद प्रकट करें, वे पढ़ना चाहते हैं ऐसी इच्छा प्रकट करें तो कॉलेज को बंद करने का स्टेप नहीं लेना चाहिये। इतना तो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिये, 26 जनवरी के अपमान वाली घटना पर वे खेद प्रकट करें सामूहिक तौर से तो इस में किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य: किसी व्यक्ति का अपमान हुआ है, 26 जनवरी का अपमान नहीं किया गया है। धूल मिट्टी उन अधिकारियों पर डाली गई है जो कातिल है जिनकी सरे आम गोली से एक छात्र मारा गया है।

श्री दौलतराम सारण: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां विवादास्पद बात कह दी है इसलिये मैं दुबारा अपनी बात कहने के लिये उठ खड़ा हुआ हूं जिसके लिये मैं माफ़ी चाहता हूं।

आपने कहा, 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी के फंक्शन में वहां दुर्व्यवहार किया गया। यह बिलकुल झूठ है और गलत सूचना है। यहां कॉलेज के विद्यार्थी आये थे और भाई रावतरामजी वहां जा कर आये हैं। जो घटना हुई है उसको मैं जानता हूं और आप को भी बता दूं। ये कॉलेज के लड़के मुझसे मिले हैं और बाद में शिक्षा मंत्रीजी से भी मिले हैं। पूछ के नागरिक भी यहां आये हैं। उनसे भी मैंने बात की है। आज सुबह भी आये और कल भी नागरिक आये थे। 26 जनवरी की जो घटना है वह कॉलेज के लड़कों ने नहीं की। 26 जनवरी के फंक्शन में कॉलेज की एन० सी० सी० ने स्टेट के ऑफिसरों को सलामी देने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा: "हम कातिलों को सलामी नहीं देंगे। किसी मंत्री को बुला लिया जाये या और किसी दूसरे अधिकारी को बुला लिया जाये। हम नेशनल डे में भाग लेने को तैयार हैं, फंक्शन में भाग लेंगे लेकिन इन अधिकारियों के सामने नहीं जायेंगे" उन्होंने कॉलेज में जैसा हमेशा होता है फंक्शन में भाग लिया, फलैग होस्टिंग वहां हुआ और कॉलेज के सभी प्रोग्राम में उन्होंने पार्टीसिपेट किया, सिर्फ कलेक्टर को सलामी देने नहीं गये। 10-15 लड़के वहां गये। जो लड़के गये वे स्कूलों के छोटे छोटे लड़के थे और उन्होंने इस तरह की घटना की। वहां जो 10-15 लड़के कॉलेज के गये थे उन्होंने इन बच्चों को रोका। उन्होंने उन लड़कों को काबू में लिया है। आप क्या काबू में ले सकते?

दूसरा किस्सा श्री मोहरसिंह की घटना का है। श्री मोहरसिंह का झगड़ा कॉलेज के लड़कों के साथ काफी अर्से से चल रहा है। मोहरसिंह के साले ने कॉलेज के विद्यार्थियों को एक गैंग ले जाकर पीटा। यह एक लम्बा चौड़ा झगड़ा है और इससे एक टेन्शन क्रिएट हो गया। बाद में कुछ अधिकारियों ने, सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं ने बीच में पड़कर इसको सुलटाया। वे ही श्री मोहरसिंहजी वहां खड़े हो कर उन को डांटते हैं, फटकारते हैं और उनकी फटकार पर बच्चे श्री मोहरसिंहजी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो इस में कॉलेज

(श्री दौलतराम सारण)

के लड़कों की क्या जिम्मेवारी है ? लड़कों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो उसकी सारी जिम्मेवारी आप कॉलेज के लड़कों पर कैसे डालते हैं ? आप उनसे कहते हैं कि वे माफी मांगे। यह सवाल इसलिये नहीं पैदा होता कि इन लड़कों का कोई गुनाह नहीं है। मैंने वहां के कई प्रतिष्ठित नागरिकों से इसकी जानकारी ली है। कुछ कल यहां आये थे और आज भी आये हैं जिनका कि इससे कोई सरोकार नहीं है। इस घटना से कोई सरोकार नहीं है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो मुख्य मंत्रीजी ने तथ्य रखे हैं वे सही तथ्य नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी करना चाहता हूँ। क्या यह माना जाये......

(शोरगुल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। शांति रखिये।

श्री भैरोंसिंह : जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह की घटना हुई—उस घटना के प्रति सभी विद्यार्थी सामूहिक तौर से से खेद प्रकट नहीं करेंगे तो क्या कॉलेज नहीं खोला जायेगा ? क्या सरकार की इसी तरह की इच्छा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने तो इसके सम्बन्ध में दूसरी घटना का जिक्र किया। कॉलेज के प्रिन्सिपल से यह बात आई, प्रिन्सिपल ने कहा, "मैं उनकी तरफ से रिपेंटेन्स करता हूँ"। लड़कों ने उनको अपना रिपेंटेन्स दिखाया है। अगर कुछ लड़के नहीं थे, हो सकता है। लेकिन जो गलती करते हैं तो इस प्रकार का मोरल सैंक्शन हो जाता है। जब सब विद्यार्थी मिल कर यह करते हैं। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब इस तरह की स्थिति हो, इस तरह का कोई राष्ट्रीय फंक्शन हो, अगर किसी के विरुद्ध उनको कोई शिकायत हो वे शरीक न हों मगर मिट्टी फेंकना और दूसरी तरह कार्यवाही करना और इनका रिपीटीशन न हो तो इस प्रकार के एक्शन को कन्डम करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : यह फन्डामेंटल क्वेश्चन पैदा होता है। अगर किसी ने मोहर्रसिंहजी के साथ मारपीट की है तो उनके लिये अदालत खुली है ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसको मैंने सैकेण्ड पार्ट की तरह कहा है मैंने मुख्य बात 26 जनवरी के दिन को कही है और इसके बाद कलेक्टर लॉ एण्ड ऑर्डर के सम्बन्ध में क्या समझते हैं यह लुकआउट उनका है। हमारी तरफ से कॉलेज खुले, बन्द रहे—यह नहीं कहा गया। इसलिये हमने कपूर साहब को वहां भेजा है कि वे वहां जाकर इसका कोई रास्ता निकालें और शान्ति से कॉलेज खुलजायें। हम कॉलेज को बंद नहीं करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा, कॉलेज के प्रिन्सिपल विद्यार्थीयों की तरफ से इस मामले में रिपेन्टेन्स करना चाहते हैं तो क्या यह समझा जाये स्पष्ट रूप से कि विद्यार्थी 26 तारीख की जो घटना हुई है। उस पर माफी नहीं मांगेंगे या खेद व्यक्त नहीं करेंगे तो उसके दंडस्वरूप कॉलेज बंद रहेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कल सुबह यहां से जाने के बाद, डाइरेक्टर, एज्यूकेशन के जाने के बाद क्या हुआ इसके डेवलेपमेंट का मुझे पता नहीं है। कल सुबह तक की बात मुझे पता है और इसको सभी मानते हैं कि इस तरह करना अच्छा नहीं है। इसलिये कपूर साहब को भेजा है कि वे सारी स्थिति को देखकर ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे कॉलेज शांति से खुल सके। ऐसा वातावरण पैदा हुआ या नहीं इसकी डिटेल मुझे पता नहीं है। शाम को इसकी जानकारी करके बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर यह कॉलेज बन्द करने का निर्णय किसने लिया है? आपको जानकारी नहीं, गृह मंत्रीजी को जानकारी नहीं, शिक्षा मंत्रीजी को जानकारी नहीं तो फिर आखिर यह निर्णय किसने लिया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर निर्णय लिया है जिसकी जानकारी मुझे नहीं, गृह मंत्रीजी को नहीं, शिक्षा मंत्रीजी को नहीं तो यह कलेक्टर ने लिया होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 26 जनवरी को अगर इस प्रकार की अप्रिय घटना घटी तो क्या कलेक्टर को कॉलेज बन्द करने के अधिकार हैं?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे बताइये कौनसे अधिकार हैं? कलेक्टर ने प्रिंसिपल की ओपिनियन के खिलाफ कॉलेज बन्द किया जब कि क्लासें लगी हुई हैं, अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की है तो आप केस दर्ज कर सकते हैं, जो लड़के दोषी हों उनको दण्ड दे सकते हैं, मास पैनेलाइज कर सकते हैं पर बगैर शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को पूछे, बगैर प्रिंसिपल को पूछे कॉलेज को कैसे बन्द कर सकते हैं? मुख्य मंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, 13 जनवरी को गोलीकाण्ड होता है, जिसको आप स्वयं अन्जस्टिफाइड मानते हैं, उसके बारे में कोई संतोषजनक एक्शन आपने नहीं लिया, उसके लिये लड़कों के दिलों को आपने कोई ढाढस नहीं दिलाया, ऊपर से फिर कॉलेज को बन्द करें तो यह गलत बात होगी। फिर वह ऑफिसर जिनके प्रति छात्रों को भ्रम है कि उनके ऑर्डर से गोली चलाई, यह सब किया है तो उनके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिये था। उस गोलीकाण्ड की वजह से लड़कों के आंसू ही नहीं पुंछ पाये थे और फिर कॉलेज को बन्द करने की बन्दूक उनके ऊपर तान दें तो आप खुद सोचिये कि कौन टेन्शन पैदा कर रहा है? क्या वह प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहारिक है. आग के अन्दर घी डालने की कार्यवाही करना? इसलिये आपको एश्योरेंस देना चाहिये कि कॉलेज जल्दी खोला जायेगा, कलेक्टर ने इस प्रकार की कार्यवाही की है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिये।

श्री रावतराम (छापर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज, अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। गोलीकाण्ड हुआ उस पर यहां चर्चा हुई। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब कभी चूरू जायेंगे और आप कभी

(श्री रावतराम)

वहां मौका देखें तो पता चलेगा कि कॉलेज के बाहर से, जैसे हम यहां असेम्बली में बैठे हैं और बाहर से सड़क पर से गोली यहां चलाई जाय उस तरह से...

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है, आर्डर प्लीज ....

श्री रावतराम : गोली चले, विद्यार्थी की मृत्यु हो, उसके बाद 26 जनवरी (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता के कुछ कहने पर) मुझे कहने दीजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : आप पार्टी के लीडर को धमका रहे हैं ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : यह आजादी है हमारी । आपको पार्टी लीडर धमकाता है और हम पार्टी लीडर को धमका कर सीधा कर देते हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): बहुत अच्छे ।

श्री रावतराम : मैं रामनारायणजी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उनके सगे बहनोई हैं भगवान सिंहजी, उनको वे यदि पहले पूछ लेते तो उनको पता चल जाता । वे तो बाल बाल बच गये । अखबार पढ़ रहे थे और गोलियां उनके पास से सर्र सर्र करती निकल रही थीं, यह हालत थी, जिस चपरासी के गोली लगी, वह चपरासी बेचारा बैठा था । पहले तो वह कहने लगा कि मेरी हड्डी में अचानक दर्द हो गया पर देखने से पता चला कि खून बह रहा है, गोली लगी है । एक लड़का सामने शान्त खड़ा था..

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा व अनेक माननीय सदस्य : शांत ?

श्री रावतराम : खैर इस बारे में तो चर्चा होगी तब पता चलेगा कि कौनसी बात सच है कौनसी बात झूठ है । झूठ से हमें क्या मिलता है ? भले ही आप एक महीना कॉलेज बन्द रखिये, आप पर ही इसका बुरा असर पड़ेगा ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): सस्ती नेतागिरी मिलती है ।

एक माननीय सदस्य : आप बैठिये ।

श्री रावतराम : यह लड़कों की जिंदगी का प्रश्न है, पढ़ाई का प्रश्न है, ठीक मानें तो खोलें ।...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ठीक मानते हैं तभी तो खोले हैं, आपने थोड़े ही खोले हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : इन्होंने अपनी जेब से खोले हैं ।

श्री रावतराम : सवाल इतना ही है कि 26 जनवरी को फंक्शन हुआ । मैंने कॉलेज में जाकर लड़कों से बातचीत की, वाइस-प्रिंसिपल से मिला, 10 लेक्चरार्स हैं उनसे मिला, उनसे पूछा कि कैसा वातावरण था तो उन्होंने कहा कि लड़कों ने 25 तारीख को स्पष्ट कर दिया था कि हम उस फंक्शन में शरीक नहीं होंगे । कलेक्टर को सेल्यूट नहीं देंगे। राष्ट्रीय झण्डे का अपमान या बेइज्जती करने का प्रश्न ही नहीं उन्होंने कहा कि केवल जिलाधीश को सेल्यूट नहीं देंगे, हमारे सेंटीमेंटस हैं कि जिलाधीश के हुक्म से गोलियां दागी गई और कातिलाना तरीके से दागी गई, गोलियां दागने का कोई

Page No. 63

(श्री रावतराम)

जस्टिफिकेशन नहीं था, इसलिये हम जिलाधीश को सेल्यूट नहीं देंगे, इसलिये हम फंक्शन में शरीक नहीं होंगे, लड़कों का यह कहना था, वाइस-प्रिंसिपल...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। यह सब बातें आप जिस वक्त वक्तव्य हो उस वक्त कह सकते हैं और किसी मौके पर कह सकते हैं......

श्री रावतराम : मैं एक मिनिट में ही कह देता हूं। जहां तक राष्ट्रीय फंक्शन का सवाल है, वह अच्छी तरह से मनाया गया बाकायदा झण्डा फहराया गया। जिलाधीश, का आरोप है कि कुछ लड़कों ने जाकर दूसरे इन्स्टीट्यूशन्स के लड़के लड़कियों को, जो उस फंक्शन में आ रहे थे, रोका और कहा कि आपको उस फंक्शन में नहीं जाना चाहिये, आपको इस फंक्शन का बहिष्कार करना चाहिये, आज हमारे साथ यह घटना घटी है कल आपके साथ घट सकती है। कलेक्टर साहब एक तो यह कहते हैं कि लड़कों को यह नहीं करना था। बाद में जिलाधीश वहां गये। तो वे खुद कहते हैं कि कुछ लड़के थे। वैसे उस कॉलेज में 800-900 लड़के हैं वे स्वयं कहते हैं कि कुछ लड़कों नें धूल फेंकी, बाद में रोला किया। कॉलेज के लड़कों का कहना है कि हमारे कॉलेज के छात्रों ने ऐसा नहीं किया। शहर के लड़के भी शामिल थे। हमने उनको रोका कि इस तरह धूल मत फेंको तो उन्होंने कहा कि हमारी मोहर्रसिहजी से रंजिश है इसलिये फेंकते हैं कुछ लड़के चले जाते हैं और मोहर्रसिहजी के साथ हाथा पाई की, उनकी धोती पकड़ ली, कमीज पकड़ ली.....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह सब कह कर करवाया गया।

श्री रावतराम : हो सकता है आप वहां मौजूद हों और उन लड़कों को आपने इन्स्ट्रक्शन्स दिये हों कि ऐसा करो। पर हमारी तरफ से तो ऐसा हुआ नहीं है।

श्री शीशराम पूनिया : दौलतरामजी का भाई उन विद्यार्थियों में शामिल था। दौलतरामजी अपने उस भाई को बचाने के लिये यह सारी कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई भाई नहीं पढ़ता....

श्री शीशराम पूनिया (सादुलपुर) : आपके भूआ का बेटा भाई है।

श्री दौलतराम सारण : मेरा कोई भाई कॉलेज में नहीं पढ़ता। मेरा कोई भाई राजस्थान में, हिन्दुस्तान में, और दुनियां में नहीं पढ़ता। ये जो कह रहे हैं झूठ है, शरारत है बेईमानी है, दगाबाजी है यह चोर बोलते हैं जो लाखों रुपया खा गये.....

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह जो झूठ, बेईमानी, शरारत आदि शब्द कहे ह उनको एक्स्पंज किया जाय।

श्री रावतराम : मैं वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता, 27 तारीख को कॉलेज बन्द करने के पीछे क्या औचित्य है, कोई औचित्य नहीं.....

श्री उपाध्यक्ष : यह चर्चा बन्द कर देनी चाहिये, आप किसी और समय इस पर बोल सकते हैं।

श्री रावतराम : 27 तारीख को कॉलेज अनिश्चित काल के लिये बन्द किया जाता है। प्रिंसिपल को ऑर्डर दिया गया कि रात के 8 बजे तक छात्रावास को खाली करा

Page No. 64

(श्री रावतराम)

दें। प्रिंसिपल ने ऑर्डर दे दिया कि सारे लड़के छात्रावास खाली कर दें और चले जांय। मैं भी जिलाधीश के पास गया और प्रिंसिपल ने भी कहा कि हम यह चाहते हैं कि लड़कों की पढ़ाई इस तरह खराब नहीं करनी चाहिये। 7-8 लड़के अगर ऐसे हैं जो दूसरे लड़कों को गुमराह करते हैं तो मैंने कहा कि उनके खिलाफ आप एक्शन लें। लड़कों ने कहा कि रात के 8 बजे छात्रावास खाली कर के जांय तो पुलिस से हमें पूरा पूरा डर है, पुलिस हमारे साथ मारपीट करेगी। जिलाधीश से मैं मिला, उन्होंने कहा कि इसका मुझे खेद है पर इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा गया था। मैंने उनसे कहा कि इतना कड़ा आदेश नहीं देना चाहिये। प्रिंसिपल, वाइस-प्रिंसिपल सब जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लड़के रेगुलर क्लासेज में बैठना चाहते हैं तो कहा कि फिर ठीक कर देंगे। वहां उस समय यह भी रयूमर थी, अफवाह थी कि मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि कॉलेज बन्द नहीं करना चाहिये। डायरेक्टर का टेलीफोन गया कि कॉलेज को बन्द नहीं करना चाहिये। कॉलेज लगना चाहिये, इसके बावजूद भी तीन दिन हुए वह बन्द है। कॉलेज को आपको कतई बन्द नहीं करना चाहिये, कॉलेज को चलाने का आपको आज ही आदेश देना चाहिये।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही प्रश्न पूछना है।

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री मदनसिंह: मैं मुख्य मंत्रीजी से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है कि कॉलेज को बन्द कर दिया जाय ऐसी हालत में कलेक्टर ने कॉलेज को बन्द कर दिया है तो क्या इसको वे उचित समझते हैं? बस इतनासा ही फरमा दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक जानकारी मैं और दे दूं कि इस समय, जब कि हम चर्चा कर रहे हैं, चूरू के अंदर कलेक्टर, डाइरेक्टर, कॉलेज एजूकेशन, श्री कपूर और प्रिंसिपल वहां पर बातचीत कर रहे हैं इस संबंध में, इसलिये मैंने कहा कि शाम तक बताऊंगा कि क्या हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे प्रस्ताव के बारे में यह जानकारी देना चाहता हूं कि गंगानगर से जो सत्याग्रही गिरफ्तार होते हैं, उनको बसों से बगैर कपड़ा दिए, बगैर रोटी दिए रातों-रात जेलों में भेजा जा रहा है। तीन दिन तक उनको रास्ते में भटकाते फिरते हैं। और 212 सत्याग्रही जयपुर में आए और तीन दिन पहले उनको बीकानेर ले जाया गया। उसके बाद जयपुर लाया गया। फिर धौलपुर ले जाने के लिए सुना है। उनको कपड़ा व रोटी नहीं दी जा रही है। इस प्रकार की अव्यवस्था से हमारे सत्याग्रही है....

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य: इनकी मौतें हो सकती हैं। आप इसकी गारन्टी दिलायें ताकि किसी सत्याग्रही की मौत न हो जाय...

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य: इस सरकार से

Page No. 65

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जिम्मेदारी के साथ कहलवाइए कि जो गिरफ्तार होते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : पूरी तरह से उनको कपड़ा दिया जाय, उनको रोटी दी जाय। जेलों में पूरी व्यवस्था की जाय गारंटी हम चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप थोड़ा नियमों का ध्यान रखें तो हम भी सरकार से कह सकते हैं कि वह नियमों का पालन करें। आसन पैरों पर है और आप खड़े होकर भाषण देते जा रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आसन को समझना चाहिए कि हमारे साथ किस प्रकार से सरकार अन्याय कर रही है। आसन को सोचना चाहिए कि सरकार किस प्रकार से नादिरशाही तरीके से लोगों को मार रही है, यह सरकार उनको मार देना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री रामकिशन : गंगानगर से सत्याग्रहियों को भिन्न भिन्न इलाकों के जेलों में भेजा जा रहा है। यह सचमुच ही मानवीय प्रश्न है, जानकारी तो.....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं कि जानकारी चाही गई है। इस समय चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री रामकिशन : आज कल जगह जगह उत्तेजना हो रही है। मैं कुछ कैदियों से मिला हूं, देखा है कि क्या स्थिति है। उनकी।

टोंक में चर्म उद्योग की स्थापना संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है टोंक जिले में उद्योग स्थापित करने के बारे में। राज्य सरकार द्वारा घोषणा कराई गई कि उद्योग स्थापित किया जायगा। उसके पीछे एक उद्देश्य था कि गृहमंत्री, श्री दामोदरलालजी ने दो जगह से चुनाव लड़ा था और उस समय टोंक से जीतने की आशा उनको कम थी इसलिये लोगों को आश्वासन दिया कि अगर जीत जाऊंगा तो चर्म उद्योग या दूसरा कारखाना जल्दी से जल्दी स्थापित किया जायगा। इस तरह का वचन गृहमंत्री ने दिया था कि अगर दोनों जगह से मैं जीत गया तो मैं मालपुरा से त्याग-पत्र दे दूंगा और टोंक से ही निर्वाचित होऊंगा। तो फिर उनके सामने सवाल आया कि त्याग-पत्र कहां से दिया जाय, तो उन्होंने जैसा वायदा किया था, मालपुरा से त्याग-पत्र नहीं दिया, टोंक से दे दिया उनके सामने फिर यह समस्या खड़ी हो गई कि अब दुबारा टोंक में किस मुंह से जाऊं तो उस समय, क्योंकि आप मंत्रिमंडल में विराजमान हैं, सरकार से घोषणा करवा दी कि टोंक में सार्वजनिक क्षेत्र में चर्म उद्योग की स्थापना जल्दी से जल्दी करवा दूंगा। मेरी समझ में नहीं आता 1967, 1968 व 1969 निकल गए, 1970 भी, जिस गति से काम हो रहा है निकल जायगा अभी तक चर्म उद्योग की स्थापना नहीं की गई।

दूसरा निवेदन है कि चर्म उद्योग की स्थापना का प्रश्न गृहमंत्री ने वहां के उप-चुनाव के साथ जोड़ रखा है। उन्होंने वहां पर कार्यकर्ताओं से कह दिया कि जल्दी ही स्थापना हो रही है और क्योंकि मई में

(श्री दिग्विजयसिंह)

घोषणा हो चुकी थी कि उप-चुनाव होने वाला है और कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उनके सुपुत्र सुरेन्द्र कुमार व्यास को जिताना था। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अध्यक्ष हुआ बैठा है। दूसरा मंत्री है। और पुत्र की जरूरत थी। उसको भी किस तरह से लाया जाय इसका षडयंत्र था....

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मंत्री) : कौनसी बात का?

श्री दिग्विजयसिंह : आप समझते नहीं हो कि क्या बात हो रही है।

यह उनके पुत्र का सवाल है, आप उनके पुत्र थोड़े ही हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उन्होंने इस उद्योग की स्थापना के सवाल को वहां के उप-चुनाव के साथ जोड़ रखा है। आज दिन तक वहां कार्यवाही नहीं हुई है। घोषणा हो गई थी, तारीख निश्चित हो गई। एक अजीब तमाशा हमने देखा। एक बार मैं जयपुर से उनियारा जा रहा था रास्ते में पक्के बंदे के पास उन्होंने जमीन ली है। आगे बोर्ड लगा दिया है बोर्ड पर लिखा है 'प्रस्तावित भूमि-चर्म कारखाना' बोर्ड अवश्य चल रहा है। हर महीने उसको रंगवा देते हैं ताकि वह फीका न पड़ जाय। कारखाने का नाम नहीं, दामोदरजी गृहमंत्री स्वयं उस कारखाने के जूते पहनते हों तो मुझे मालूम नहीं। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि टोंक का कोई प्रतिनिधि यहां नहीं है, दामोदरजी ने जिम्मेदारी ली थी कि वह उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो हमें इसकी चिंता रहती है और इस संबंध में लगातार 1967 से मैं प्रश्न करता चला आ रहा हूं और मेरे प्रश्नों के उत्तर में टालमटोल के जवाब दिए जा रहे हैं। एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि इसके लिए चेकोस्लोवाकिया के टेन्डर्स एक्सेप्ट हो चुके थे लेकिन फर्म ने एग्रीमेंट को विथड्रा कर लिया और आने को तैयार नहीं हुई। उसी संदर्भ में जहां तक मुझे याद है, वित्त मंत्री विदेश पधारे थे इसलिये कि कोलैबोरेशन की बात करनी थी टैनरी के संबंध में, वह भी आ गए लेकिन कारखाना स्थापित नहीं हुआ। जहां तक मुझे जानकारी हुई है सदन में दुबारा माननीय डिप्टी मिनिस्टर ने उत्तर दिया था कि दुबारा टेन्डर्स इन्वाइट किए गए हैं और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि यह स्थापित होगा या नहीं। जहां तक मैं जान पाया हूं कि एक फ्रेंच फर्म का लोएस्ट टेन्डर्स आया है और फ्रेंच फर्म के प्रतिनिधि एग्रीमेंट के सिलसिले में यहां आए हुए थे। वह कई दिनों तक ठहरने और बात करने की कोशिस की लेकिन वह नहीं हुई। एक दो महीने तक कोशिश में रहकर चले गए। क्या कारण था कि एग्रीमेंट नहीं कराया गया? क्यों चर्म उद्योग की स्थापना नहीं हो रही है यह मेरे जानकारी में नहीं है। इसका स्वयं उद्योग मंत्री जवाब देंगे शायद गृहमंत्री ने ऐसा कह दिया हो कि क्योंकि उप-चुनाव स्थगित हो गया है इसलिये इसे भी स्थगित कर दें, चुनाव के साथ तो अच्छा रहेगा। इससे मेरा लड़का जीत जायगा। वैसे अब तक जीतना संभव नहीं है मैंने सुना है कि उस फर्म को सरकार ने लिखा कि आप एग्रीमेंट कर दें फर्म ने इन्कार कर दिया कि हमारे पास फालतू समय नहीं है। सरकार फालतू बैठी हुई है, काम नहीं सिर्फ वायदे और घोषणायें करती है काम नहीं करती है जब दो महीने आकर पड़े रहे तो नींद नहीं खुली। अगर गर्ज है तो आप आकर एग्रीमेंट करो। न मालूम उद्योग मंत्री की विदेश

(श्री दिग्विजयसिंह)

जाने की योजना थी इसलिये यहां उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया। अब फ्रान्स तशरीफ ले जायेंगे, यह अलग प्रश्न है।। अगर यही घोषणा माननीय उद्योग मंत्री के जिले के लिए हो जाती या वित्त मंत्री के जिले के लिए हो जाती या मुख्य मंत्री के जिले के लिए हो जाती तो अब तक कारखाना खुद ही स्थापित हो जाता।

(1 म० प०)

फिर दामोदरलाल जी व्यास अपने आपको लोह पुरुष कहते हैं लेकिन टोंक की जनता को यह अब अच्छी तरह से पता लग गया है कि केबिनेट में उनकी कोई चलती नहीं है। या तो उनकी पूछ नहीं है और होती है तो उद्योग मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी के सामने वे कुछ कह नहीं सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गोली चलाने की आदत पड़ गई है।

श्री दिग्विजयसिंह : गोली चलवा सकते हैं लेकिन आन्दोलन तो उन्होंने कभी किया ही नहीं। उन्होंने तो हमारी तो वकालत ही की है। आन्दोलन से उनका कोई संबंध ही नहीं है। जिस तरह से लोह पुरुष विराजमान हैं तो कम से कम लोह पुरुषता का नहीं तो अपने वजन का तो इस्तेमाल करें ताकि जो ज़िले में घोषणा कराई गई कि चर्म उद्योग स्थापित होगा वह जल्दी से जल्दी स्थापित हो। वरना तो इस प्रकार की घिस्सेबाजी को तो टोंक की जनता अच्छी तरह से जान गई है कि कितने पानी में हैं गृह मंत्री। और टोंक की जनता अब उनके चक्कर में आने वाली नहीं है।

उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम यह तो बता दें कि इस वर्ष में कब तक चर्म उद्योग स्थापित कर देंगे? भूमि वहां आपने अवाप्त की है तो क्या उन लोगों को मुआवजा दे दिया गया? और दे दिया गया है तो कितना कितना दिया गया? यह भी बता देने की कृपा करें। प्रश्न के उत्तर में लम्बी चौड़ी सूची दी थी। लेकिन न मालूम क्यों न तो कार्यवाही हुई है और न ही कम्पेन्सेशन के अवार्ड बने हैं। कितनी भूमि आवेगी, कितना मुआवजा दिया जावेगा, और चर्म उद्योग कब तक स्थापित कर देंगे? यह बताने की कृपा करें। कम से कम इसको राजनैतिक और पक्षपात का प्रश्न न बनायें। 67-68 में भी नहीं हुआ। अब यह सुनने में आ रहा है कि इन्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन वाले स्थापित करेंगे। इस स्कीम को फुटबाल बनाया जा रहा है। टालमटोल में यह चलता रहे ताकि 71 में स्थापित करें और 72 में चुनाव आ जावें और इससे फिर वोट मिल जावें। लेकिन अब जनता आपके चक्कर में आने वाली नहीं है। काफी घिस्सेबाजी में ही समय निकाल दिया। कम से कम आप उद्योग मंत्रीजी ध्यान दें और कम से कम उनको भूल जायें कि वह मंत्रिमंडल में विराजते हैं। लाखों लोगों का सवाल है। लोगों की तरफ ध्यान रखते हुए कारखाने को जल्दी से जल्दी स्थापित करायें। इस ओर इस प्रस्ताव के द्वारा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी ध्यानआकर्षण प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण करने में दूसरे माननीय सदस्य नहीं बोल सकते।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरा भी प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने ध्यान आकर्षित कर ही दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मुझे दूसरे फैक्ट्स निवेदन करना है।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : मुझे भी कहना है।

श्री जयनारायण सालोदिया : टोंक के कारखाने का, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, चुनावों से संबंध जुड़ा हुआ है और जब भी चुनाव आते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात कह चुके हैं। आप इसको दोहरायें नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : नई बात कह रहा हूं। इससे पहले भी यह घोषणा की गई थी पहले चुनाव के टाइम पर कि टोंक को इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया जावेगा। यह नई बात है और फिर दूसरे चुनाव आ गये तो यह घोषणा की गई कि टोंक को रेल से जोड़ा जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : इससे इसका संबंध नहीं है। आप सदन का कीमती समय ले रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : नयी बात बता रहा हूं।

और तीसरे चुनाव के समय टोंक की जनता को यह घोषणा की गई कि इतना बड़ा चमड़े का कारखाना खोला जावेगा और अनुसूचित जाति के लोगों को काम मिलेगा। चुनाव के समय कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री माननीय दामोदरलालजी और माननीय सुखाड़ियाजी के द्वारा घोषणायें करायी गयीं। जनता से वोट लेकर बाद में मुकरना और इस तरह की बात करना यह शोभा की बात नहीं है।

श्री मदनसिंह : उसके बाद यह प्रगति हुई है कि चमड़े का काम ब्राह्मण करेंगे और उनका काम आपको देंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : राज्यपाल के अभिभाषण में भी इस घोषणा का जिक्र कराया गया कि टोंक में चमड़े का कारखाना स्थापित किया जायगा। यह इस अभिभाषण में नहीं पहले के अभिभाषण में था। इन घोषणाओं से अनुसूचित जाति पर असर डालना चाहा कि करोड़ों की योजना बनेगी और हजारों लोग बेकार बैठे हैं उनको काम मिलेगा। यदि कांग्रेस को वोट देंगे तो यह होगा। इस प्रकार की फिजूल और निरर्थक घोषणायें टोंक की जनता में की गई लेकिन उन घोषणाओं से मुकर गये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने यह प्रचार किया कि नहीं, कि कारखाना नहीं खुलेगा ?

श्री जयनारायण सालोदिया : आपको 1,200 रुपये मिलने लगे हैं इसलिये सुई चुभने लगी है आपको।

आप भी कहते हैं, आपको अपने कहने पर शर्म आनी चाहिये और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये। राज्यपाल और मुख्य मंत्रीजी से घोषणा कराओ और उसको पूरा नहीं करो। आपको डूब मरना चाहिये।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : टोंक की बात आती है तो गिरधारीलालजी **विरोध करते हैं।**

(विरोधी पक्ष द्वारा हियर हियर)

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं ना नहीं कर रहा हूं। उन्होंने प्रचार किया उसकी याद दिला रहा हूं।

श्री मदनसिंह : आज डोकरा फौजी सा लग रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : टोंक की जनता के साथ हमेशा सरकार का पक्षपात पूर्ण रवैया रहा है। टोंक में आज हजारों लोग बेकार हैं। मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि 26 जिलों में से टोंक के सिवाय उतने बेकार नहीं है जितने कि टोंक में बेकार हैं। ऐसे बेरोजगार जिले में आज भी लोग गाजर खाकर गुजर बसर कर रहे हैं, एक टाइम खाना खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसी जनता के लिये इस प्रकार की घोषणायें की और उनको सरसब्ज बाग बतायें और फिर उन घोषणाओं से मुकर जायं यह बिलकुल सरकार का गैर जिम्मेदाराना तरीका है।

माननीय उपाध्यक्षजी, सीधे तौर से माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारे मामले को स्पष्ट फर्मा दीजिये कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में बनास पर जमीन एक्वायर की है उसका सर्वे हो गया या नहीं ? और सर्वे हो गया है, तो कारखाने का क्या आकार होगा ? कितने लोग उसमें काम कर सकेंगे और कितना उत्पादन होगा ? कौनसी फर्म और कम्पनी से एग्रीमेंट कर रहे हैं आप यह स्पष्ट बता दीजिये ताकि बार बार मुगालते में न रहें। रेलवे लाइन तो ले आये और इन्डस्ट्रियल एरिया भी घोषित कर दिया अब चमड़े का कारखाना भी किस सूरत में लगाना चाहते हैं यह सीरियसली फर्मा दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसा समझे हुए था कि माननीय सदस्य इस प्रोजेक्ट के बारे में इनफारमेशन चाहते हैं और मुझे उसको देना है लेकिन यह तो राजनीति का विषय बन गया। माननीय सदस्यों ने मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी, दामोदरजी की कान्स्टीट्यूएन्सी को लेकर कहा कि मेरे यहां काम हो सकते हैं लेकिन उनके यहां नहीं हो सके। पहले क्या घोषणायें हुई आदि चीजों को ले आयें।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि सिन्सीयरली कह दीजिये, इसलिये सिन्सीयरली मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार सिन्सीयरली इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर चलाना चाहती है और स्थापित करना चाहती है। लेकिन माननीय सदस्यों से निवेदन करूं जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, विशेषकर पब्लिक सेक्टर के, उनको कायम करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी होती है। उसमें दूसरे की अपेक्षा देरी हो जाय तो उत्तेजित नहीं होना चाहिये। मैं निवेदन करना चहता हूं। इस चीज को मैंने शुरू से आखिर तक देखा है, रूचि ली है और यह प्रयत्न किया है कि यह जल्दी से जल्दी लग जाय। उसके बावजूद भी जितनी जल्दी होनी चाहिये वह नहीं हो सकी यह मैं मानता हूं इसके पीछे जो कारण है उनको समझना आवश्यक है... ... ...

श्री मदनसिंह : वे कारण तो हम जानते है...

श्री हरिदेव जोशी : ठाकुर साहब महरबानी करके आप मुझे सुन लें तो आपको कोई वो नहीं होगा।

Page No. 70

(श्री हरिदेव जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजनीति के पहलू पर जाना नहीं चाहता। दामोदरजी मुझे हमेशा इस बारे में कहते रहे हैं। वहां के लोग भी और वहां की कांग्रेस कमेटी भी इस बारे में मुझे कहती रही है और सदन के माननीय सदस्य भी कहते रहे हैं। मैंने उनसे यही कहा है कि हम भी इस बारे में प्रयत्नशील हैं और हम भी लगाना चाहते हैं। इसके डिटेल्स के बारे में सदन को जानकारी देना उचित समझता है।

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग ने पहले पहल सोचा था कि टोंक में लेदर टेनरी स्थापित की जाए। इसके बारे में बहुत प्रीलिमिनरी चर्चायें उद्योग विभाग द्वारा युगोस्लाविया के रिप्रेजेंटेटिव जो यहां पर हैं से हुई थी। उसके आधार पर राजस्थान सरकार ने तय किया कि लेदर टेनरी को हाथ में लिया जाना चाहिये। तब भारत सरकार ने 1966 के अंदर एक परफोर्मा बनाकर लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये एप्लीकेशन दी। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 67 के सितम्बर में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी हुआ। यह लेटर आफ इन्टेन्ट गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एप्रूव करता है उसी पर स्कीम को हाथ में लिया जा सकता है। तब हमने युगोस्लाविया के रिप्रेजेन्टेटिव से चर्चायें कीं उसी के आधार पर आगे बढ़े।

कालान्तर में ऐसा महसूस होने लगा युगोस्लाविया से जिस प्रकार से बातचीत शुरू की थी किन्हीं कारणों से वह उतने उत्साहपूर्वक रुचि नहीं ले रहा था साथ ही हमने भारत सरकार के एक्सपर्ट सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टीटयूट को इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाने के लिये कहा। 1969 में जब यह विषय मेरे पास था मुझे याद है हमने निर्णय किया कि किसी एक देश पर निर्भर न रह कर इसके लिये ग्लोबल टेण्डर इनवाइट किये जाने चाहिये। इसके अनुसार हमारे पास युगोस्लाविया फ्रांस, बुल्गेरिया फ्रांस के कोटेशन्स आये। उसमें उपाध्यक्ष महोदय, दृष्टिकोण यह था कि जो पक्का माल हमारे यहां तैयार होगा उस पक्के माल का कोलोबरेशन इस तरह से किया जाय जिससे उस सारे माल को फारिन कन्ट्रीज खपा लें, खरीद लें। जो इसके लिये मशीनरी देते हैं उसके बदले में हमारे माल को लेकर एडजस्ट कर लें। इस तरह से हम लोग टर्म कान्ट्रेक्ट करना चाहते थे। इस बारे में सर्टेन कन्ट्रीज की सर्टेन कन्डीशन्स थीं। कुछ तो खाली मशीनरी देना चाहते थे, कुछ कर्ज के रुप में देना चाहते थे, कुछ खाली मशीनरी देकर कम माल लेना चाहते थे पूरे माल को नहीं लेना चाहते थे। इन सब में अट्रेक्टिव ऑफर हमें फ्रांस की लगी थी। इसलिये उनके आने पर उनसे विस्तार से इस बारे में चर्चा करी। इस पर माननीय सदस्य ने कहा कि फ्रांस के लोग यहां आये दो महीने तक रहे और किसी ने बात तक नहीं की। मैं समझता हूं यह बात माननीय सदस्य ने या तो जानबूझकर सही नहीं कही अथवा सुनी सुनाई आधार पर बात कह डाली। मैं स्वयं यहां बैठा हूं मुझ से बात हुई, लों विभाग के लोगों से बात हुई, गवर्नमेंट आफ इंडिया से बातचीत हुई। इसलिये यह कहना यहां पर दो महीने तक रहे और बात नहीं की बिलकुल सही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, जो बहुत गम्भीर हैं, से आशा करके चलता हूं कोलोबरेशन जैसी चीज के बारे में वे गंभीरता को महसूस करेंगे। आप भी व्यापार व्यवसाय करते हैं, आप इससे परिचित है। जिसके साथ हमारे हित

Page No. 71

(श्री हरिदेव जोशी)

अहित जुड़े हुए हैं उनके बारे में सोच समझ कर हमें आगे चलना चाहिये। खास तौर से स्टेट सेक्टर में ऐसी चीजें होती हैं तो हम उनको गंभीरतापूर्वक लेना चाहते हैं, उनको सोच विचार कर लेना चाहते है।

आखिर में जो फ्रेंच ऑफर थी जिसको हम लिबरल बनाने में सफल हुए । इन निविदाओं के अनुसार विभिन्न कम्पनियों की निविदाओं में मशीनों की कीमत इस प्रकार थी:—

युगोस्लाविया की पार्टी		रु० 69,42,210
फ्रांस	,,	रु० 55,92,681 चमड़ों व खालों की कमाई के लिये
बुलगेरिया	,,	रु० 55,12,500 सिर्फ चमड़े की कमाई के लिये ।

इन आधारों पर हमने फ्रांस की जो ऑफर थी उसको मन्जूर किया। उनकी ऑफर को हमने और अधिक लिबरल बनवाया जिसके अन्तर्गत पूरे कमाये हुए माल को खरीदने की बात भी तय हो गई। क्योंकि हमारे पास में एक्सपर्ट नहीं थे इसलिये श्रीनायडम्मा, डाइरेक्टर, लेदर रिसर्च इन्स्टीट्यूट को सरकार ने एसोसियेट किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस स्कीम को एग्जामिन करके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को एडवाइज करें। वे यहां से विदेश गये, दुर्भाग्यवश बीमार हो गये इसलिये उनकी जो बात होनी थी वह नहीं हो सकी और इसलिये यह फाइनेलाईज भी नहीं हो सका। बीमार होने के कारण उनको वापिस आना पड़ा इसलिये जो चीज जल्दी होनी थी वह नहीं हो सकी।

इसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे टेण्डर्स को फाइनेलाइज करके अब यह तय किया गया, प्राप्त निविदाओं के अनुसार यह तय किया गया कि प्रथम चरण में इतना व्यय नहीं किया जावे एवं प्रतिदिन 2,500 चमड़े की क्षमता की ही टेनरी स्थापित की जावे जो बाद में 5,000 चमड़े एवं उसके पश्चात् 500 हाईड के कमाने के उपयुक्त टेनरी में परिवर्तित की जा सके एवं तदनुसार विदेशी प्रतिनिधियों से इसके अनुसार संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिये कहा गया।

मि० नायडम्मा ने कहा कि हमें एक दम बहुत बड़े प्रोजेक्ट में नहीं जाना चाहिये छोटा प्रोजेक्ट बनाना चाहिये। इस तरह से कोटेशन्स में अमेण्ड करवाया जो उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनके पास अमेण्डेड प्रपोजल्स भेज दिये।

युगोस्लाविया वाले टेनरी में कमाये हुए चमड़ों को सिर्फ उतनी ही मात्रा में खरीदना चाहते थे जिससे उनकी मशीनों की कीमत चुकाई जा सके अतएव फ्रांस वालों व बुलगेरिया वालों को प्राथमिकता दी गई इसके अनुसार फांस वालों से संशोधित प्रस्ताव जून के अन्त में प्राप्त हुए एवं बुलगेरिया से मई में प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों के अनुसार फ्रांस का प्रस्ताव अधिक आकर्षक था चूंकि इनकी मशीन और मशीनों से अच्छी है एवं पूरा उत्पादित माल जो निर्यात के योग्य हो वह अगले पांच वर्ष तक खरीदने को तैयार थे। इनसे खरीदने वाली मशीनों की कीमत करीबन 26 लाख रुपये होगी। जहां कि इन्हें चमड़ा पांच वर्ष में बेचा जायगा वह करीबन डेढ़ करोड़ रुपये का होगा। चमड़े की कीमत हम लेटर ऑफ क्रेडिट द्वारा साथ साथ ले सकेंगे जबकि मशीनों की कीमत

(श्री हरिदेव जोशी)

प्राप्त फ्रेन्च क्रेडिट के अनुसार करीब 10 वर्ष में देनी होगी। फ्रेन्च पार्टी द्वारा यहां की टेनरी के चमड़े के लिये संसार के अन्य देशों में भी हमें मार्केट मिल सकेगा।

इनकी जांच पश्चात् फ्रांस वालों से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण व सहयोग की शर्तों में रद्दोबदल के लिये लिखा गया। श्री नायडम्मा, जो सितम्बर में यूरोप में गये थे, फ्रांस वालों से वार्ता कर निश्चित सहयोग की शर्तें प्राप्त करने के लिये कहा गया लेकिन उनके बीमार होने के कारण वह वार्ता नहीं हो सकी।

माननीय सस्दय ने यह भी कहा कि फ्रांस वाले यहां नहीं आये इसलिये मिनिस्टर खुद फ्रांस जाना चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूं मिनिस्टर को विदेश जाना हो तो इस तरह के बहाने से जाने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री के लिये कहा गया कि वे भी इसी के लिये गये थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं वे इसकी वार्ता के लिये नहीं गये थे।

आपने गलत पढ़ा है। मुझे याद है, हालां कि यह विभाग मेरे पास नहीं था। वित्त मंत्रीजी स्पष्ट कर चुके थे कि इसलिये गये हों यह बात नहीं है और न हीं वे सरकार के खर्चे पर गये थे।

श्री मानसिंह: अगर नहीं भी पधारे सरकारी खर्चे पर तो बात कर लेते तो क्या हर्ज था?

श्री हरिदेव जोशी: और यह कहना भी सही नहीं है कि फ्रांस वाले यहां नहीं आना चाहते। फ्रेन्च रिप्रेजेन्टेटिव्ज हिन्दुस्तान में आ चुके हैं और वे जल्दी ही यहां पहुंचने वाले हैं।

श्री दिग्विजयसिंह: कब आ पहुंचे?

श्री हरिदेव जोशी: 26 तारीख का टेलीग्राम मेरे पास है। He has reached.

श्री दिग्विजयसिंह: क्या नाम है?

श्री हरिदेव जोशी: मिस्टर नेवेल मिस्टर सो एण्ड सो, तो वे यहां पर आ चुके हैं और बात भी करना चाहते हैं। आप केवल कल्पना के आधार पर कोई धारणा न बनावें। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अगर इतनी सी ही बात मेरे से जान ली होती तो मैं बतला देता। अब मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि इस प्रोजेक्ट को फाइनेलाइज हम करना चाहते हैं। इसके लिये जमीन एक्वायर की जा चुकी है। कलेक्टर ने सूचना भेज दी है। अब इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होकर जैसे ही भारत सरकार से इसका क्लीयरेन्स मिल जाय, उसे चालू कर देना है। यों तो क्लीयरेन्स है ही, पर एक चीज की कमी है, जिसमें और टाइम लग सकता है। वह यह है कि चेन्ज्ड पोलिसी के अनुसार जो इण्डिजीनस मशीनरी हमारे देश में अवेलेबल है उसके लिये फ्रेंच क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसलिये ऐसे कम्पोनेन्ट्स जो हमारे देश में अवेलेबल हैं वे यहीं के यूज करने होंगे और जो यहां अवेलेबल नहीं होंगे उनको बाहर से लाना होगा और जो बाहर से लाने हैं उनके लिये डी०जी०एस०डी० से कहना करना होगा और इस तरह दोनों पार्ट मिलाकर फ्रेंच क्रेडिट के अनुसार इजाजत दे दी जावेगी।

इसलिये अब हम ऑफ कोर्स कोसशली चलना चाहते हैं ताकि कोई यह नहीं कहे कि सरकार

Page No. 73

(श्री हरिदेव जोशी)

इसके अन्दर तो नुकसान ही देती है, सरकार के काम में तो नुकसान ही होता है। अब इस बारे में डिले अगर कुछ हुई है तो दो कारणों से हुई है। एक तो यह कि नायडम्मा बीमार होने से फाइनेलाइज नहीं कर सके। दूसरा यह है कि हमारा कहना यह था कि क्रेडिट के बदले में हम पूरा का पूरा माल एक्सपोर्ट के लिये दे दें ताकि पांच वर्षों में हमारा मार्केट भी एस्टेब्लिश हो सके। तो ये दो मुख्य कारण थे। अब हमने इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। और मैं समझता हूं कि अगले फाइनेन्सियल ईयर में फाइनेलाईज कर देंगे और जैसे ही फाइनल हुआ मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, सदन को भी आपकी मार्फत, कि हम इसमें फाइनेलाईज होने के बाद एक दिन की देरी नहीं करना चाहते। जहां तक सरकार का सवाल है 60 लाख रुपया स्वीकार करके चौथे प्लान में कॉरपोरेशन को डाइवर्ट कर दिया है फण्ड। कार्पोरेशन को भी इसलिये किया कि कभी कहीं हमारे फण्ड की शार्टेज के कारण से प्रोजेक्ट को नुकसान न पहुंचे। कार्पोरेशन को लोन मिल सकता है, क्रेडिट दे सकते हैं इसलिये इनीशियेट करने के लिहाज से यह किया है।

दूसरा सवाल यह किया गया कि इसको इलेक्शन के साथ जोड़ा जा रहा है, अथवा यह है, वह है। मैं इसको बिलकुल ही आपकी राजनीति ही मानता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : हम तो राजनीति आपसे सीखते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। सीखें।

श्री मदनसिंह : आपकी इस राजनीति से पब्लिक को दुःख है और इसलिये उसको ऐतराज है।

श्री हरिदेव जोशी : डूंगरपुर में फ्लोराइट का प्रोजेक्ट है। उसमें भी इसलिये समय लगा क्योंकि फॉरिन कोलोबोरेशन की बात थी और इसमें समय लगा। मुझे खुद को पीड़ा हुई कि यह देर क्यों हुई।

तो यह फाइनेलाईज होकर भारत सरकार से क्लीयरेन्स मिल जाय तो इसके बाद एक दिन की देर विभाग की ओर से नहीं लगाई जावेगी। यह विश्वास मैं सदन को और सबको दिलाना चाहता हूं।

श्री जगन्नाथ : क्या इस साल में काम शुरू हो जावेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : जैसे ही भारत सरकार से क्लीयरेन्स मिल गया कम्पोनेन्ट्स का।

श्री रामकिशन : आप तो अंग्रेजी बोल रहे हैं। वे सीधी बात पूछ रहे हैं। यह जादू टोने की बात उनकी समझ में नहीं आवेगी।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार इस बारे में स्वयं इनीशियेटिव लेकर जल्दी से जल्दी नहीं कर सकती। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के लिये क्यों वेट करे ? You take your own initiative इसको फाइनेलाइज कराइये ताकि स्थापित हो जावें यह।

दूसरा आपने यह फरमाया कि कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट दे दी है पर आपने यह नहीं बतलाया कि कितने बीघा जमीन अवाप्त की गई और कितना मुआवजा देना तय हुआ है ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

कोलोबोरेशन आप कर रहे हैं उसके अन्दर भी इन्वेस्टमेन्ट होगा तो वह आपका कितना होगा और उनका कितना होगा ? यह नहीं बताया । 51 प्रतिशत वे करना चाहते हैं और 49 प्रतिशत आपको देना चाहते हैं या फिफ्टी फिफ्टी करना चाहते हैं ? यह भी बतलावें ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, 193 बीघा जमीन चाहिये थी और वह दे दी गई है । अब मुआवजा के लिये जो भी अवार्ड होगा उसका पेमेन्ट कर दिया जावेगा हमने उसके लिये प्रोविजन कर दिया है । टोकन अमाउन्ट भी कलेक्टर को दे दिया है । अब रहा सवाल कोलोबोरेशन की टर्म्स का कि कितना अमाउन्ट हम देंगे कितना वे देंगे ? कितना इन्वेस्टमेन्ट होगा ? तो मेरे पास ठीक अमाउन्ट का फिगर इस समय नहीं है । कार्पोरेशन को हमने अभी तो छः लाख दे दिया है । आगे भी जितना भी चाहियेगा दे सकते हैं । जो भी होगा कुल अमाउन्ट इसी वर्ष में भी दे कर सकते हैं ।

अब रहा सवाल कालोबोरेशन में उनके इन्वेस्टमेन्ट का तो, उपाध्यक्ष महोदय, कालोबोरेशन का तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें वह खुद भी कोई इन्वेस्टमेन्ट करेंगे । यह कोलोबोरेशन नहीं है । हमारा यह है कोलोबोरेशन कि पूरी मशीनरी जो भी इम्पोर्ट करनी होंगी वे देंगे और इसके बदले में हमारा पक्का माल वे उसकी कीमत के पेटे लेंगे । बस यह कोलोबोरेशन है । इन्वेस्टमेन्ट उनका कुछ नहीं है । इन्वेस्टमेन्ट सारा हमारा है ।

श्री दिग्विजयसिंह : आखिर आप फैलाव करेंगे, इन्वेस्टमेन्ट तो इसमें आवेगा, आप इसमें लागत लगावेंगे । 60 लाख का आपने बताया यह प्रोजेक्ट है । अब उनका कैश में है या काइन्ड में है तो सही, तो फिर उनका शेअर कितना होगा उसकी वेल्यू क्या होगी ? यह भी तो होगा न ?

श्री हरिदेव जोशी : उनका शेअर नहीं है । मगर मशीनरी कम्पोनेन्ट्स 25 लाख के करीब की होगी ।

श्री मदनसिंह : मंत्री महोदय ने फर्माया कि मुझे पहले बोल लेने दें इसलिये इनको पूरा सुनने के बाद ही मुझे बोलना चाहिये था । पर फिर भी थोड़ा सा बीच में निवेदन कर दूं कि आपने डिले का कारण बताया तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने यह बात अपने लोगों के जरिये पब्लिक को समझाई है या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह एग्रीमेन्ट क्या है ? इसमें कोई टैक्निकल एक्सपर्ट्स इन्जीनियर्स रखने का भी कोई प्रावधान या पाबन्दी सरकार की है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी: नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । विधायी कार्य ।

विधायी कार्य पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं राजस्थान ग्रामदान अध्यादेश, 1969 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रम मंत्रीजी।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : मैं औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यादेश को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1969 (राजस्थान अध्यादेश सं० 13, सन् 1969) एवं औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1970 **राजस्थान अध्यादेश संख्या 2, सन् 1970)** को जारी करने के कारणों के विवरणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेसर वादविवाद

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के भाषण पर वाद विवाद। आज सरकार की ओर से उत्तर दिया जायगा जो साढ़े तीन बजे प्रारम्भ होगा, क्योंकि बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या काफी है इसलिये भाषण की अधिकतम सीमा 30 मिनट होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : समय बढ़ाया जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : दलवाइज समय बांट दिया जाय। हमारे दल से दो ही सदस्य बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी लिया है अवसर दिया जायगा।

श्री जगन्नाथ : पहली तारीख से आज तक बोले ही नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। बाद में देख लेंगे। श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, गत तीन दिनों से राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो वादविवाद हो रहा है और सरकारी पक्ष की तरफ से जिस प्रकार से वादविवाद में समर्थन दिया गया है उसे देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ।

(1.33 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

(श्री रामकिशन)

सभापति महोदया, आज से कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार की जो स्थिति थी उसके बाद यह आशा की गई थी कि अब हिन्दुस्तान में जिस तरह से कांग्रेस का विघटन हुआ है और जो......

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, अभी जयपुर शहर के तमाम ऑटो रिक्शा चालक अपना काम बन्द करके विधान सभा भवन के सामने आये हैं और वे अपनी कठिनाइयां और दिक्कतों को सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा उन लोगों की शिकायतें बहुत वाजिब हैं उन लोगों की जो मांग है वह है कि हमें किराया मिलता है वह थोड़ा है। जो अहमदाबाद, दिल्ली में मिलता है उसके अनुसार होना चाहिये। उनके पास स्टेन्ड नहीं है, खड़े रहने के लिये उनको स्टेन्ड नहीं दिये जाते हैं पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है उनको अनुचित तरह से तंग किया जाता है—इस प्रकार की शिकायतें हैं। मैं निवेदन करूंगा मंत्रिमण्डल की ओर से कोई भी एक सदस्य उनसे मिलें और उनकी जो दिक्कतें हैं सुनलें ताकि उनके साथ न्याय हो सके। मैं समझता हूं कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें वित्तीय कठिनाई हो, सरकार यही सबसे बड़ा कारण बताया करती है। इसलिये मेरा निवेदन है सरकार के कोई भी प्रतिनिधि, मंत्रिमण्डल के कोई भी सदस्य उनसे जाकर मिलें।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : सभापति महोदया, 300 से भी अधिक ऑटो रिक्शा वाले अपनी कठिनाईयों को लेकर यहां आये हैं। उनकी कठिनाई अधिकतर प्रशासनिक कठिनाई है। उन कठिनाइयों को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। वे प्रयत्न करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपनी दिक्कतों को दूर करने का यूनियन की तरफ से प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं लेकिन उनकी कोई दिक्कतें दूर नहीं होती हैं।

श्री भैरोंसिंह : ट्रेजरी बेंचें खाली पड़ी हैं, आप किसको कह रहे हो।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्रीमती सभानेत्री : केबिनेट के मिनिस्टर्स को बुलाया जाय।

श्री रामकिशन : बुलाया जाय या बैठाया जाय ?

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदया, इस सदन को बड़ा अफसोस है इस सदन के अंदर वरिष्ठ मंत्री और मुख्य मंत्री जी तो कभी बैठते ही नहीं हैं, वे तो केवल दर्शन देने आते हैं और फोरन चले जाते हैं। बाहर बैठने में ज्यादा आनन्द लेते हैं। ये वरिष्ठ मंत्री बताते हैं कि लोकतन्त्र में कितनी इनकी आस्था है इसलिये मैं अपनी तरफ से इस व्यवहार पर आपत्ति प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं कि इनको पाबन्द किया जाय सदन की कार्यवाही चले तब तक यहां मंत्रिमंडल के सदस्य बैठें।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : इनको ताड़ना दी जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : इनके मुचलके लिये जांय और ताड़ना दी जाय। राजस्थान की जनता अब जाग उठी है। इस कुर्सी पर रह नहीं सकेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर, ऑर्डर।

(माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदया, मैं कह रहा था आॅटो रिक्शा वालों ने प्रतिवेदनों द्वारा निवेदन किया है लेकिन जैसा इस सरकार का रवैया है आम तौर से उनके प्रतिनिधियों को प्रतिवेदनों द्वारा सुनते ही नहीं हैं। यह है लोकतन्त्र का तरीका! ये लोकतन्त्र की प्रक्रियाओं में आस्था नहीं रखते, इसलिए वे अपनी मांगों को, अपनी कठिनाइयों को जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं तब तक भी ये बिलकुल परवाह नहीं करते हैं। इसका मतलब है असन्तोष, क्षोभ और घृणा फैलती है। इसलिये मेरा निवेदन है आपकी मार्फत सरकार का कोई प्रतिनिधि आॅटो रिक्शा वालों के पास जाये और उनकी समस्याओं को सुनें। जो कठिनाई उनको है उसको दूर करने का आश्वासन दें। उनके साथ बड़ी बेइज्जती होती है। पुलिस के अधिकारी उनको पकड़ कर ले जाते हैं, किराया नहीं देते हैं और तंग करते हैं। किराये की बात करते हैं तो उनका चालान कर देते हैं। दिन भर उनको तंग किया जाता है। आज के युग में उनसे बेगार ली जाय तो इससे बड़ा जुर्म हो ही नहीं सकता। आॅटो रिक्शा वालों से बेगार ली जाती है और रोज परेशान करते हैं। इस तरह उनके किराये की और बहुत-सी मांगें हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करूंगा, सरकार का प्रतिनिधि वहां जाय और उनकी बात सुनकर आश्वासन दें।

श्रीमती सभानेत्री : मैं यातायात मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी, उनसे बात कर लें चूंकि समय कम है, वाद विवाद आरम्भ रखें। आप जाकर उनसे बात कर लें। जो उचित समझें करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा यह निवेदन है जिस समय राजस्थान के अन्दर, जयपुर के अन्दर आॅटो रिक्शा वाले....

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ....

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदया, मैं एक....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वाद विवाद के समय कोई मांग आ जाय और कोई दो-चार आदमी यह कह दें और मंत्री महोदय चले जायं और कहें हम तो हो आये हैं—बहुत प्यार पैदा हो गया है, दुख उमड़ गया है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपका पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : रूल्स को लेकर बैठे हुए हैं, इसके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या सरकार कानून पर चलती है ? निर्दोष लोगों को गोली से मारा है, गरीब किसानों पर गोलियां चलाई हैं....

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर, ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : (अश्रव्य)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा निवेदन है इसमें दो चीज हैं। इसमें दफा 307 में जो पावर्स हैं उसमें तो सब अधिकार अध्यक्ष महोदय को हैं कि जाकर बात कर लें। इसका मतलब है सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाय। जो चाहें दो-चार आदमी बोल जायं और....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य इसके बारे में पहले कहा जा चुका है। वाद-विवाद आरम्भ किया जाय। वे अपने चेम्बर में बात कर लेंगे। वादविवाद प्रारम्भ रखें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनको हवा नहीं लगी है इसलिए नियमों को बार बार रख रहे हैं। उनको नहीं मालूम, राजस्थान के कोने कोने में आग लग चुकी है तुम्हारे इस गलत कारनामों के कारण।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदया, माननीय नाहर ने जो बात कही....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य उस पर रूलिंग दी जा चुकी है। आप स्थान-ग्रहण करें। आप (श्री रामकिशन) वाद विवाद प्रारम्भ करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा कहना है, सभापति महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। वाद-विवाद आरम्भ करने दीजिये। उनसे जवाब आया और मैंने उत्तर दे दिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इधर के माननीय सदस्यों को तो यह कहते हैं कि दो-चार व्यक्ति हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वह अपने आपको क्या समझते हैं। विरोधी सदस्य कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि दो-चार व्यक्ति हैं....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ...

श्री रामचन्द्र आर्य : अपने आपको गुनाहगार समझते हैं इसलिये यहां नहीं आते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आज आॅटो रिक्शा वाले अपनी मांगों को लेकर आये हैं और जो आज प्रदर्शन है वह बहुत महत्वपूर्ण है...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, इस पर अभी विवाद नहीं हो रहा है। आप माननीय सदस्य (श्री रामकिशन) को अपना भाषण आरम्भ करने दीजिये, आप उनको बोलने दीजिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं एक मिनट में समाप्त कर देता हूं। ये पहले रिक्शा चलाते थे.....

श्रीमती सभानेत्री : अभी इसके ऊपर वादविवाद नहीं हो रहा है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकिशन जी आप आरम्भ करिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आज उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार होते हैं। यह खुद जाकर उनसे बात करें। यह बात नहीं करते हैं तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम राजस्थान की सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें। वह आज अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको स्वयं जाकर उनसे बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामकिशनजी।

श्री रामकिशन : सभापति महोदया, मैं जिक्र कर रहा था कि कांग्रेस के टूटने के बाद बम्बई अधिवेशन के संबंध में जो चर्चा चलाई गई थी उससे हम लोगों को ऐसी आशा लगी थी कि राजस्थान में और देश में तब्दीली की कोई हवा बहनी चाहिए। हमको यह

(श्री. रामकिशन)

विश्वास भी हुआ था, वह विश्वास प्रेस के मार्फत या प्रधान मंत्री के भाषणों के मार्फत हुआ था कि अब राज्य के अन्दर और देश के अन्दर गरीवी को मिटाने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया जायेगा। लेकिन, सभापति महोदया, सबसे पहले बम्बई से आने के बाद राजस्थान सरकार की नीति संबंधी जो वक्तव्य राज्यपाल महोदय के मार्फत दिया गया है वह इतना निराशाजनक वक्तव्य है वैसा मैंने पिछले 15 वर्षों में कभी नहीं देखा है। आखिर इसमें है क्या जिसके ऊपर कि हम विवाद करें ? इसमें कौनसी नीति है, कौनसा कार्यक्रम है गरीवी को मिटाने संबंधी या राजस्थान के विकास के संबंध में जिसके लिए सदन को बुलाया गया है ? मुख्य मंत्री जी निरन्तर चर्चा करते रहे हैं कि हमें खर्च बचाना था, पैसा बचाना था। सभापति महोदया, मेरा आरोप है कि पैसे को बचाने के बजाय पैसे को बरबाद किया गया है। कौनसी ऐसी चीज है जो हम राजस्थान के निवासियों को यहां से जाकर कह सकें कि अबकी साल राजस्थान सरकार के फलां फलां निर्णय किये हैं जिनसे राज्य की गरीवी मिटाने में सहायता मिलेगी। हम सोचते थे कि बम्बई में अधिवेशन क्यों हो रहा है ? जब बम्बई में अधिवेशन हो गया तो आपकी गरीवी राजस्थान की मिटे या नहीं, भारत की गरीवी मिटे या नहीं लेकिन बम्बई में जो प्रतिनिधि गये थे वह या तो नटराज में ठहरे होंगे या फिर कोई दूसरी होटलों में ठहरे होंगे। जो राजस्थान के मंत्री गये थे, जो समाजवाद की चर्चा करते वाले हैं सारे मंत्री, मुझे जानकारी मिली है कि वे बम्बई में सेठियों के घरों पर थे और जो छोटे लोग थे-खैर भीखाभाई आप बड़े लोगों में नहीं हैं आप तो हरिजन वर्ग के हैं, आदिवासी वर्ग के हैं लेकिन और सब की स्थिति यह थी कि लोग छोटे छोटे गुसलखानों में पड़े हुए थे और उनको कोई पूछने वाला नहीं था।

सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह है क्या ? राज्यपाल महोदय का भाषण आपने पिछली दफा भी देखा है और मैं समझता हूं कि सरकार ने झूठे वायदे किये हैं और उन वायदों को निभाया नहीं गया है। पहले के भाषणों में कोई बात तो भी थी लेकिन इस बार के अभिभाषण में तो दो-तीन बातें ही कही गई हैं कि जिसके लिए सदन को बुलाया गया है। राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन इसलिए जल्दी बुलाया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कल्याण के लिए हम जो रिजर्वेशन की व्यवस्था रखना चाहते हैं उसे दस साल और चलायेंगे। उस पर यहां शायद कांस्टीट्यूशन के अमेन्डमेन्ट के समय चर्चा हो गयी थी और मैं अस्वस्थ था इस कारण उसमें हिस्सा नहीं ले सका लेकिन, सभापति महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि इस दस साल के बढ़ाने से क्या हरिजनों का कल्याण हो जायेगा ? क्या आदिवासी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का कल्याण हो जायेगा ? हां, रिजर्वेशन बढ़ाने से हो सकता है भीखाभाई का कोई मकान बन जाये, अमृतलाल जी यादव की कोई पोजीशन बन जाये लेकिन जो संबंधित आदिवासी हैं, हरिजन हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति क्या है ? इन 20 वर्षों में संविधान बनने के बाद तीन बार इस प्रकार के संशोधन आये और तीनों बार वायदे किये गये कि इन हरिजनों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को दूसरे समाज के वर्गों के बराबर लायेंगे। अब

(श्री रामकिशन)

और दस साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान के हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग समाज के समकक्ष आ सकेंगे ? ऐसा कोई कार्यक्रम हो शायद लेकिन एक भी लाइन इस मामले में हमें इस भाषण में नहीं देखने को मिली । जो कुछ कहा गया है वह यह है कि हमने रिजर्वेशन बढ़ा दिया । मैं मानता हूं इससे लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभाओं में 600-700 आदमी चुनकर आ जायेंगे लेकिन आज जो देश में आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत है, हिन्दुस्तान में जितनी गिरी हालत इन गरीबों की है शायद समाज के किसी वर्ग की नहीं है । आज राजस्थान में 60 लाख हरिजन और आदिवासी ऐसे हैं और मेरा कहना है कि दूसरे लोग भी हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं लेकिन इनकी जो हालत दयनीय है इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ।

इस अभिभाषण में, सभापति महोदया, योजना का भी जिक्र किया गया है । चीनी आक्रमण के बाद आज तक हिन्दुस्तान में सरकार कोई योजना नहीं बना सकी । चीनी हमले में हम पराजित हुए और इतनी बेशर्म दिल्ली और जयपुर की सरकार है और देश की जनता के धीरज पर मैं ताड़ना देता हूं कि देश की जनता ऐसी सरकार को अभी तक बनाये हुए है । आखिर आप क्या करना चाहते हैं ? किसलिए राज्यपाल महोदय को बुलाया गया है ? कौनसी नवीन चीज देना चाहते हैं ? अब आप कहते हैं कि जो हमने सीलिंग का कानून बनाया उस पर हम अमल करेंगे । सभापति महोदया, आप स्वतः जानती हैं कि सीलिंग का कानून जिस स्थिति में बनाया गया था आज उसके अमल के लिए क्या कोई गुंजाइश रह गई है ? मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता हूं कि जनसंघ के लोग सीलिंग के बारे में क्या कहते हैं, स्वतंत्र पार्टी के लोग सीलिंग के बारे में क्या कहते हैं या कांग्रेस के लोग सीलिंग के बारे में क्या कहते हैं लेकिन असली मुद्दा यह है कि सीलिंग के कानून को लागू कर दिया जाये तो क्या आज की तारीख में राजस्थान के मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री मुझे बता सकते हैं कि एक भी बीघा जमीन भूमिहीन किसान को वह दे सकेंगे ? जिस तरह से जमीनों के ट्रान्सफर्स हुए हैं और जैसी स्थिति बनी है उसमें कहीं किसान को देने के लिए जमीन है ? नहीं है । लेकिन घोषणा करके तालियां पिटवाई गई हैं कि हम इस पर अमल करेंगे । हम सरकारी आंकड़ों को सही मान लें तो, सभापति महोदया, आज स्थिति यह है कि राजस्थान में जो खेती लायक जमीन है वह 5 करोड़ 19 लाख एकड़ के आस पास है और आज की तारीख में 3 करोड़ 23 लाख एकड़ जमीन ऐसी है कि जिसके ऊपर खेती होती है । अब हम सीलिंग किसलिए लागू करना चाहते हैं ? हमारी मन्शा है कि जो समाज के दबे हुए वर्ग हैं, जो समाज की उन्नति में अपना हिस्सा नहीं ले सकते उनके लिए रोजगार का साधन देना चाहते हैं । आज राजस्थान के अन्दर कितने भूमिहीन हैं इसकी जांच पड़ताल नहीं की गई है और जिस तरह से भूमिहीनों का नक्शा बनाया गया है मैं समझता हूं कि वह बिलकुल अधूरा है । भूमिहीनों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके आधार पर राजस्थान में केवल 85 हजार लोग माने गये हैं । सभापति महोदया, यह आंकड़े बड़े भ्रामक हैं और बड़े गलत हैं और इनका कोई सही आधार नहीं है । मुझे ताज्जुब है कि योजना

(श्री रामकिशन)

बनाने के लिए जैसे आंकड़े बनाने पड़ते हैं वैसे आंकड़े तैयार नहीं हैं लेकिन केवल रजिस्ट्रेशन के नाम पर उन आंकड़ों को बताकर गुमराह करने की कोशिश की गई है। राजस्थान के अन्दर केवल 85 हजार ऐसे लोग हैं कि जिनको भूमि देनी है, ऐसी बात नहीं है। असल में वास्तविकता यह है कि राजस्थान के अन्दर बड़े बड़े भूखण्ड हैं और बड़े बड़े लोगों के पास जमीनें हैं। सीलिंग कानून के लागू होने के बाद अपने परिवार के नाम, रिश्तेदारों के नाम और दूसरी तरह से लोगों ने जमीनों को विभाजित कर लिया है और जिन्होंने विभाजित नहीं की उन लोगों ने जमीन को बेच दिया है। अब राजस्थान के अन्दर मेरे अन्दाज से मैं दूसरे जिलों की बात नहीं कहता लेकिन भरतपुर में 37 हजार परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास एक इंच भी जमीन नहीं है। अब राजस्थान सरकार सीलिंग का कानून लागू करना चाहती है और कहना चाहती है कि सीलिंग कानून के मार्फत हम बिना जमीन वालों को जमीन देंगे। इन 37 हजार भूमिहीनों में से 35 हजार लोग हरिजन हैं, जाटव हैं, कोली हैं, कुम्हार हैं जो कि समाज का सबसे अधिक दलित वर्ग है और उनके पास जमीन नहीं है। सरकार ने उनको झूठे वायदे दिये हैं और इस सीलिंग के कानून को लागू नहीं किया। राज्यपाल महोदय के मार्फत अब यह कहना चाहते हैं कि इस पर अमल किया जायेगा। अब यह कहते हैं राज्यपाल महोदय की मार्फत कि बम्बई से आने के बाद हम समाजवाद में विश्वास रखते हैं इसलिए चेतना आई है। मुझे ताज्जुब है कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। मुझे राजस्थान की सरकार के बारे में पता ही नहीं लगा। आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनसे कभी आप गांधीवादी बन जाते हैं, कभी समाजवादी बन जाते हैं, कभी सिन्डीकेटी बन जाते हैं। जब आपने राष्ट्रपति के चुनाव में रेड्डी को वोट दिये थे तो सिन्डीकेट के साथ थे और जब रेड्डी हार गए तो सुखाड़ियाजी ने सोचा कि अब मेरा क्या बनेगा तो दूसरे दिन इन्दिरावादी बन जाते हैं। आपकी सरकार कैसी है मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवाद के मार्फत और आपके इस मौजूदा कानून के तहत जिनके पास आमदनी का जरिया नहीं है उनको कुछ मिल जायेगा? आज सीलिंग का कानून हम जैसे का तैसा लागू कर दें तो इस समय राजस्थान के अन्दर जिनके ऊपर सीलिंग कानून का असर पड़ेगा उनकी संख्या 30 हजार से ज्यादा नहीं है। यह भी सरकार के रिकार्ड में है। वास्तव में सारी जमीनों को ट्रान्सफर कर दिया गया है, बेच दिया गया है। इन 30 हजार लोगों से जमीन सारी लें जैसा कि रेवेन्यू विभाग के आंकड़े हैं तो केवल 15 लाख एकड़ जमीन ऐसी बचती है जिसको हम भूमिहीनों में बांट सकते हैं। आज, सभापति महोदया, स्थिति क्या बन गई? असल में जमीन का काश्तकार वह था जो कि खेत पर काम करता था। यह हरिजन आदिवासी जो खेत पर काम करते थे असल में जमीन का संबंध इनसे था और इनको जमीन मिलनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? भूमिहीनों की परिभाषा इस तरह की बना दी गई कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हो उसका भाई, बेटा, राजनीति में काम करने वाला हो, जो कोई भी हो वे सब के सब भूमिहीन बन गए और भूमिहीन बनकर जमीनें एलॉट करवा ली हैं। जितनी भी जमीनें एलॉट हुई हैं, आप आंकड़े मंगाकर देखें तो मालूम पड़ेगा कि सरकारी जमीन का जिन्हें कब्जा नहीं मिला है लेकिन जो

(श्री रामकिशन)
एलॉटमेन्ट नक्शे पर हुआ है उसमें हरिजनों और आदिवासियों को बहुत कम हुआ है और गैर-हरिजनों को व अन्य लोगों, जिनका जमीन से कोई संबंध नहीं है, एलॉटमेंट ज्यादा हुआ है। तो यह कौनसा समाजवाद है जिसका जिक्र इसमें किया गया है ?

सभापति महोदया, इसमें एक जगह यह भी कहा गया है कि यह गांधी शताब्दी का वर्ष है और गांधीजी के मामले में कुछ काम करना है। और यह काम किया है कि गंगानगर में जो जमीन का नीलाम करना चाहते थे उसको बन्द कर दिया गया है। यह राजस्थान सरकार गांधीजी का नाम भी लेती है, पर मुझे एक ही अफसोस है कि गांधीजी की शताब्दी का वर्ष है इसमें राजस्थान सरकार ने और देश की सरकार ने गांधीजी के नाम का जितना दुरुपयोग किया है और गांधीवाद को जितना बदनाम किया है उतना शायद संसार का कोई भी वाद बदनाम नहीं हुआ है। गांधीजी की मृत्यु के 22 साल बाद भी गांधीजी के नाम का इस्तेमाल अपने मतलब से करते हैं। गांधीजी का क्या स्वरूप था ? वे क्या चाहते थे ? उसके अनुसार, सभापति महोदया, इस देश में गांधीजी का नाम लेने वालों के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। कभी समाजवाद का नाम लिया जाता है, कभी गांधीवाद का नाम लिया जाता है। मैं जानता हूं, सभापति महोदया, इस देश में चार प्रकार के गांधीवादी हैं--एक गांधीवादी वे हैं जो कि गद्दीनशीन हैं, जिनमें इन्दिरा गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू और मोहनलाल सुखाड़िया आते हैं। दूसरे गांधीवादी मठाधीश गांधीवादी हैं जोकि सर्वोदय को चला रहे हैं जिनके नेता विनोबा भावे हैं। तीसरे हम कुजात गांधीवादी हैं जो गांधीजी को तो मानते हैं लेकिन दूसरों के संसर्ग की वजह से जाति से निकाल दिये गये हैं। और चौथे तान्त्रिक गांधीवादी हैं मथुरादास जैसे लोग जोकि सभाओं और सम्मेलनों में तो गांधीजी का नाम लेते हैं लेकिन उनके खिलाफ सम्पूर्ण रूप से आचरण करते हैं। ये चार प्रकार के गांधीवादी इस मुल्क में हैं। इन चारों प्रकार के गांधीवादियों ने गद्दीनशीन, मठाधीश, कुजात और तान्त्रिक-इन सभी ने गांधीवाद और गांधीजी को जितना नुकसान पहुंचाया है, मैं समझता हूं इतना नुकसान कभी किसी ने इस देश में नहीं पहुंचाया है।

सभापति महोदया, इसी प्रकार से आज समाजवाद की चर्चा की जा रही है। समाजवाद का अर्थ क्या है ? मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं जो निरन्तर समाजवाद की रट लगाते हैं। आखिर क्या अर्थ लगाते हैं समाजवाद का आप ? समाजवाद इतना अजीब शब्द बनगया ह जिसका उपयोग पटना में जनसंघ ने भी कर लिया है...

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : पटना में जनसंघ ने समाजवाद का प्रयोग नहीं किया है।

श्री रामकिशन : आप जरा धीरज से सुनिये। मैं आपको पैरा पढ़कर सुना दूंगा।

समाजवाद ऐसा मजाक बन गया है कि पटना, सोनपुर, कलकत्ता, हावड़ा सब जगह इसका जिक्र है। राजनीतिक पार्टियों में अगर कोई आज पार्टी है जो कि ईमानदारी का व्यवहार करती है तो वह स्वतन्त्र पार्टी है, जो कि खुले आम पूंजीपतियों का झण्डा लेकर घूमती है। बाकी सारे देश

(श्री रामकिशन)

की पार्टियों और खास तौर से कांग्रेस पार्टी ने समाजवाद को जितना बदनाम करने की कोशिश की है उतनी कोशिश कोई भी पार्टी या दल ने नहीं की है। समाजवाद का अर्थ है समता और सम्पन्नता यानि सम्पन्नता भी हो और समता भी हो। यह जो कुतर्क सीलिंग वाले मामले में दिया गया है कि पहले सम्पन्नता आयेगी फिर इसके बाद समता आयेगी जैसा कि जनसंघ के माननीय सदस्य श्री कृष्णकुमारजी गोयल बोले। उन्होंने कहा कि सीलिंग तो चाहते हैं लेकिन सीलिंग की सीमा 20 हजार के ऊपर होनी चाहिए। सभापति महोदया, आपको जरा समझना चाहिए और सदन के और माननीय सदस्यों को भी समझाना चाहिए कि सीलिंग जो 30 एकड़ पर लगाई गई है, उससे जो जमीन प्राप्त हो रही है 30 हजार लोगों से वह 15 लाख एकड़ जमीन है। अगर सीलिंग की सीमा जनसंघ के कहने के अनुसार करें 20 हजार की तो जमीन बिल्कुल ही न बचे, बल्कि जो छोटी जमीन वाले लोग हैं, जो 15 बीघा जमीन वाले लोग हैं उन सबसे जमीनें लेकर बड़ी जमीन वालों को दे दी जायेगी....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि सीलिंग का जो कानून है...

श्री रामकिशन : मैं डिसटर्ब नहीं करता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसमें सीलिंग का आधार आया हो या सीलिंग का आधार केवल यह हो कि भूमिहीनों को जमीन बांट दो जाय। 20 हजार जो मैंने बताया है वह ग्रॉस इनकम बताई है तो 10 हजार की नेट इन्कम एक किसान के लिए मुकर्रर करना चाहते हैं।

श्री रामकिशन : मुझे मालूम पड़ता है कि आप केलिफोर्निया से आ रहे हैं।

हिन्दुस्तान में एक किसान परिवार की आमदनी 20 हजार हो इस देश में मुझे कोई कल्पना इसकी नजर नहीं आती है। केलिफोर्निया की अलग बात है। (श्री कृष्ण कुमार गोयल और दूसरे माननीय सदस्यों के बोलने पर) सभापति महोदया, मुझे बीच में डिस्टर्ब न करें। मैं समझा रहा हूं उसमें आपका अर्थ खुद ही निकल जायगा।

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि सीलिंग के कानून का कोई अर्थ निकलने वाला है क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मौजूदा सीलिंग कानून है उसमें सीलिंग की सीमा को घटाया जाय। बढ़ाने का प्रश्न तो पैदा ही नहीं होता है इसलिए कि हमारे देश में आबादी ज्यादा है और जमीन कम है। औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है जबकि इन 20 सालों में दुनियां के दूसरे देशों में हमारी बगल के बर्मा में, हमारी बगल के इन्डोनेशिया में, पाकिस्तान में जो इन्डस्ट्रियल आउटपुट है वह 13 पर्सेन्ट है, उन्होंने इतना उत्पादन कर दिया है जबकि हिन्दुस्तान में वह ढाई पर्सेन्ट ही है। इस बारे में जब सारी योजनाओं पर बहस होगी उस समय इस पर चर्चा हो जायगी। जो लोग बेरोजगार हैं, भूमिहीन हैं उन सब लोगों को क्या राजस्थान सरकार, क्या दिल्ली वाली सरकार या और सरकारें किसी प्रकार का रोजगार देने की स्थिति में

(श्री रामकिशन)

हैं ? अगर सीमा नहीं बान्धते हैं तो हमारे सामने यह प्रश्न होगा कि हमारा जीवन-स्तर किस तरह से ऊंचा हो ? जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की बात पहले सोची गई और बंटवारे की बाद में यह हमारी खास भूल है । सम्पन्नता पहले नहीं आयेगी। पहले समता की बात है । सम्पन्नता पहले लाने वाले दल कहते हैं कि सम्पन्नता से इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और कारखाने शुरू होंगे तो मजदूर पूंजीपति हो जायेंगे । इस बात में हिन्दुस्तान के साम्यवादी और जनसंघवादी एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी कहती है कि पहले बंटवारा होना जरूरी है । हम समता पहले लायेंगे और उसकी मार्फत सम्पन्नता पैदा की जायगी ।

जमीनों का प्रश्न आप बढ़ा रहे हैं । मेरा निवेदन तो यह है, राजस्थान सरकार ने राज्यपाल महोदय के मार्फत जितना कहलाया है वह बिल्कुल इस तरह का है कि उससे राजस्थान के किसान को कोई राहत नहीं मिलने वाली है या जो भूमिहीन किसान हैं उनको एक इंच भी जमीन नहीं मिलने वाली है । इसलिए जमीन की सीमा को घटाया जाय । सभापति महोदया, आप देखेंगे कि 15 लाख एकड़ जमीन राजस्थान के कितने भूमिहीनों को मिलने वाली है, उसके बारे में राज्य सरकार ठीक ठीक नहीं बतला पा रही । यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने जो अपनी जमीन का एलॉटमेंट किया है, अपनी जमीन लोगों को दी है वह जमीन हरिजनों को नहीं दी है, छोटे लोगों को नहीं दी, वह उन्हीं लोगों को दे दी जो बड़े बड़े लोग थे, जिनके पास काफी जमीनें थीं अलग अलग नाम से, उन्होंने बेनामी ट्रान्सफर करा लिये और एक तरह से जमीन का बंटवारा कर दिया । सभापति महोदया, हमारे राज्य में हरिजन और आदिवासी करीब 70 प्रतिशत मैं मान लेता हूं मोटे तौर पर क्योंकि सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं है, वे ज्यादातर भूमिहीन है । भूमिहीन को 1967 में राज्य सरकार ने जो सरकारी जमीन को एलॉटमेंट किया है, केवल एलॉटमेंट किया है कब्जा नहीं दिलाया क्योंकि कब्जा नहीं देते हैं, लेकिन जो एलॉटमेंट किया गया है उसको आप देखेंगे तो राजस्थान के अन्दर हरिजनों, जिनमें जाटव, कोली, कुम्हार और दूसरी जातियां शामिल हैं, में से 1,19,667 आदमियों के लिए कितनी जमीन दी है ? सभापति महोदया, 6,59,268 एकड़ जमीन दी है । इसी प्रकार से जन-जातियों के लिए है कि जन-जातियों के लोग 1,11,919 हैं उनको 3,87,232 एकड़ जमीन का एलाटमेंट किया गया है, लेकिन जो अन्य लोग हैं, दूसरी जातियों के लोग हैं, जो हरिजन नहीं हैं व आदिवासी नहीं हैं, लेकिन भूमिहीन हो सकते हैं उसकी जांच की जाय, लेकिन भूमिहीन का जो मापदण्ड बनाया गया है वह बिल्कुल गलत बनाया गया है । इसलिए बाप के पास 50 बीघा जमीन है, बेटे को 10 बीघा जमीन एलॉट कर दी, भाई के पास जमीन है तो दूसरे भाई ने जमीन का एलॉटमेंट करा लिया है ।

(2 म० प०)

इस तरह से जो अन्य लोग हैं उनकी तादाद ज्यादा है । तो हरिजनों को जमीन नहीं दी गई है, आदिवासियों को जमी

(श्री रामकिशन)

नहीं दी गई है। जो सरकारी जमीन थी, सीलिंग की बात छोड़ दें, तो उस जमीन में से अन्य लोगों को, 26 लाख 45 हजार 660 लोगों को जमीन दी गई है जबकि हरिजनों में केवल एक लाख को जमीन दी गई और अन्य को 26 लाख 45 हजार 660 लोगों को जमीन दी गई। जितनी जमीन बांटी गई है, इसकी संख्या देखें, सारी जमीन के एलॉटमेंट को देखें तो छोटे आदमियों को कम जमीन मिली है, जबकि बड़े आदमियों को ज्यादा जमीन मिली है। सभापति महोदया, मेरा सुझाव है कि सीलिंग कानून में जो जमीन की सीमा है, वह जमीन की सीमा कम की जाय। अब जहां तक प्रश्न पैदा होता है कि कम जमीन से आखिर गुजारा कैसे होगा लोगों का ? जैसा जनसंघ के माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि सीलिंग में जमीन की सीमा कम हो जायेगी तो लोगों का गुजारा कैसे होगा ? मैंने केवल उनकी बात सुनी है इसलिए मैं बार बार उनका जिक्र कर रहा हूं, उनके दल के और माननीय सदस्यों ने भी कुछ कहा होगा, स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्यों ने भी कुछ कहा होगा, लेकिन उसकी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अस्वस्थ था। तो उन्होंने कहा कि जिस आदमी के पांच बच्चे होंगे, उसका कम जमीन से गुजारा कैसे होगा ? वह विधान सभा में कैसे आयेगा ? मेरा निवेदन है कि भीखा भाई के तेरह बच्चे हैं लेकिन फिर भी विधान सभा में आ गये...

श्रीमती सुमित्रा (राज्य मंत्री) : आठ हैं, तेरह नहीं।

श्री रामकिशन : यह आपका काम है संवारने का। मुझे इस प्रकार की सूचना मिली है, चूंकि आप एक्जेक्ट ऑथोरिटी हैं इसलिए आपको मालूम होगा।

श्री नाथीसिंह : पांच होने वाले होंगे।

श्री रामकिशन : तो उन्होंने कहा कि विधान सभा में कैसे आयेंगे ? तो विधान सभा में आने का तरीका यह नहीं है, जैसा माननीय सदस्य जनसंघ के समझते हैं कि खेती की पैदावार के मार्फत, बचत के मार्फत विधान सभा में आने का प्रश्न पैदा होगा। हम सीलिंग की बात कहते हैं, उसमें हम नहीं कहते कि सीलिंग केवल किसानों पर ही लगे। हमारी मांग है कि शहरों में जो रहने वाले आदमी हैं, उन आदमियों की आमदनी और खर्च की सीमा बांधी जानी चाहिए। केवल शहर में रहने वाले आदमियों की प्रोपर्टी पर सीमा हो—यह कांग्रेस के लोग प्रचार कर रहे हैं और अब जो शहर के आदमियों की प्रोपर्टी पर सीमा लगाने जा रहे हैं, वह दस हजार की प्रोपर्टी पर लगाने जा रहे हैं। जबकि हमारी मांग है कि इस देश के अन्दर जो राजा महाराजा हैं, महारानी हैं, कोई भी आदमी हो उसको केवल पन्द्रह सौ की आमदनी और खर्च करने का अधिकार होना चाहिये। जब तक शहर के लोगों की आमदनी और खर्च की सीमा का कानून नहीं बनेगा तब तक यही होता रहेगा कि छोटे आदमियों का सवाल हम उठाते रहें लेकिन उनका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है और हिन्दुस्तान के विकास के लिए हमको पूंजी नहीं मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि पूंजी देने वाले नहीं हैं या उनकी हालत खराब है, लेकिन हम सीमा बांधें नहीं

(श्री रामकिशन)

तो मेरी समझ में नहीं आता है कि हिन्दुस्तान का आखिर विकास कैसे होगा ? मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो घोषणा की है, वह सीलिंग के नाम पर एक धोखा है, यह किसानों को धोखा देने के लिए घोषणा की गई है। इस घोषणा में दूसरी बात की गई है कि पन्द्रह साल इस कानून को बने हुए हो गये, इस कानून के बनने के बाद में सरकार कहती है कि जो ट्रान्सफ़र हो गये हैं, जो बिक्रीनामे हो गये हैं, उनको रद्द करने का हमारे पास कोई इलाज नहीं है इसलिये हम उनको वैध कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कानून किसलिए बनाया था ? राजस्थान सरकार ने बनाया। इस विधान सभा ने बनाया । लेकिन इसका अमल किसने किया ? इस राजस्थान सरकार ने किया। यह कानून बन गया सीलिंग का, लेकिन फिर भी रजिस्ट्री होती रहीं, बड़े बड़े जमीदारों के पास जो ज्यादा जमीन थी, वह उन्होंने अपने परिवार के लोगों में बांट ली और गलत रजिस्ट्री करा ली गई। सोलह करोड़ की जमीन इस प्रकार गलत रजिस्ट्री करा कर दे दी, लेकिन इस सरकार ने इसे रोका नहीं। आज सरकार समाजवाद की बात करती है, सुखाड़िया जी समाजवाद की बात करते हैं। तो सुखाड़ियाजी के बम्बई जाने के बाद ही समाजवाद का जिक्र उनके द्वारा किया जाता हो, यह बात नहीं है। पहले भी वह समाजवाद का जिक्र करते थे और उनके बड़े नेता स्वर्गीय नेहरु तो समाजवाद का गीत निरन्तर गाते रहे थे। तो आखिरकार उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की ? मैं कहना चाहता हूं कि यह करने जा रहे हैं, यह गलत काम करने जा रहे हैं । अगर वास्तव में भूमिहीनों का हित करने का सोचते हैं तो इस सम्बन्ध मेरे दो तीन सुझाव हैं। एक तो जो जमीन भूमिहीनों को दी गई है उसके लिए राजस्थान सरकार यह फैसला करे कि उस जमीन का एलॉटमेंट भूमिहीनों को किया जायगा और जो उनसे पैसा ले लिया गया है, वह वापिस जमींदारों से लेकर उन भूमिहीन काश्तकारों को दिलाया जायगा । पहला काम तो सरकार यह करे, दूसरा काम मैं मान कर चलता हूं कि जो जमीन जमींदारों ने बेच दी, जो सीलिंग से ज्यादा थी वह जमीन उन्होंने पहले से ही बेच दी है, अब जो जमीन इस वक्त उनके पास है वह उनसे लेकर भूमिहीनों को सरकार दें दे। दूसरा काम सरकार यह करें, और तीसरी मेरी मांग है कि जो गैर काश्तकार कौम हैं, जो गैर काश्तकार जातियां हैं, मैं जानबूझ कर इस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं, व्यास जी काश्तकार बन गये, जोशीजी काश्तकार बन गये, सुखाड़ियाजी काश्तकार बन गये, लुहाड़ियाजी काश्तकार बन गये। यह वास्तव में काश्तकार हैं ?

श्री मदनसिंह: आपका मतलब यह है कि जाति के अनुसार काम होना चाहिए ?

श्री रामकिशन: ठाकुर साहब, जरा सुनिये। मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह काश्तकार हैं ? क्या यह काश्तकारी का धन्धा करते हैं ? अगर इस तरह की परिभाषा की गई तो राजस्थान की जो दो करोड़ बीस लाख की आबादी है वह सब काश्तकार बन जायेंगे और जो भूमिहीन लोग हैं, जो हजारों वर्षों से जमीन को जोतते आये हैं इनको जमीन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और यह केवल खेत मजदूर बन कर रह जायेंगे और वह भी तीन आना, चार आना रोज पर। मेरा निवेदन है कि चाहे गंगानगर का इलाका हो, चाहे भरतपुर का इलाका हो, वहां पर

(श्री रामकिशन)

ग्रो मोर फूड के नाम पर जो जमीन का एलॉटमेंट कराया गया है वह जमीन वापिस उनसे लेकर रद्द कर दिया जाय। एलॅाटमेंट और वह जमीन भूमिहीनों को दे दी जाय। तो अगर आप यह तीन चार स्टेप उठा लेते हैं तो भूमिहीनों को जमीन मिल सकती है, नहीं तो भूमिहीन ज्यादा होंगे और इस पर चर्चा करके हम केवल सदन का समय खराब करेंगे और अखबारों में अपने भाषण छपवा छपवा कर प्रगतिशील बन जायेंगे। मेरा निवेदन है कि यह दम्भ और झूठ बन्द करना चाहिए। आखिर बीस वर्ष तक यह दम्भ और झूठ चलाते आये हैं और आगे चलाते जायेंगे, तो हम जहां कहीं भी चले जायं, दुनियां हमको नफरत की नजर से देखेगी। बादशाह खां राजस्थान में आये थे, गद्दीनशीन यह जानते होंगे कि उन गद्दीनशीनों ने बादशाह खां से क्या सलाह ली। भरतपुर में सुखाड़ियाजी उनकी बगल में बैठे थे और उनका स्वागत कर रहे थे। वह जानते होंगे कि उन्होंने क्या शब्द कहे थे। मैं समझता हूं कि उनके शब्दों का असर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा यह मैं नहीं जानता। उन्होंने तीन बातें वहां पर कही थीं-एक तो महात्मा गांधी को भूल गये हो, दुनियां से भीख मांगते रहते हो, भिखमंगे हो, भीख मांगते रहते हो। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी डूब मरने वाली बात है। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। हम प्रगति की बात करते हैं, योजना की बात करते हैं लेकिन क्या राजस्थान की कोई योजना है? राजस्थान की योजना क्या है? हमारे देश पर चीन ने हमला कर दिया, वह हमला नहीं था, वह तो पछाड़ थी। उसने दो चांटे मारे और उसमें हमारे काफी सिपाही मर गये, काफी पकड़े गये लेकिन हम चीन का एक भी सिपाही नहीं पकड़ सके। उसने हमारे दो चांटे मारे और सीमा पर अड़ कर बैठ गया। उसके बाद भी कोई सरकार का प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है। सरकार ने कहा है कि हमारी योजना अभी तय नहीं हुई है। राजस्थान सरकार ने जो चौथी योजना का प्रारूप बनाया था पहले, वह सदन में पेश हो चुका है, वह प्रारूप चार अरब बत्तीस करोड़ का था। हमारी तीन योजनायें समाप्त हो गई और उनको समाप्त हुए तीन वर्ष हो गये, लेकिन अब सरकार कहती है कि हमारी चौथी योजना दो अरब उन्तालीस करोड़ के आस पास होगी। इसके साथ ही सरकार ने विश्वास दिलाया है कि हम योजना कमीशन को खुश करेंगे, इन्द्रा महारानी के पैर पकड़ेंगे और हमारी योजना तीन अरब, चार अरब के आस पास हो जायगी। ऐसा हो जायगा तो भी क्या करेंगे? आज राजस्थान की क्या हालत है? राजस्थान सरकार ने राजस्थान के नव निर्माण के लिए, राजस्थान के विकास के लिए आर्थिक सर्वेक्षण कराया था उसके अन्तर्गत हमें बतलाया गया है कि और हमारे सामने यह चीज आई है कि 1961 से 1971 तक राजस्थान के अन्दर बीस लाख लोग बालिग हो गये हैं, उनके लिए हमें काम तलाश करना है। अब बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कारखानों में रोजगार दें, खेती में रोजगार दें, दूसरे रोजगार दें। लेकिन 1961 से 1971 तक इन्वेस्टमेन्ट का जो प्रोग्राम बनाया था, उसमें सोचा था कि हम राजस्थान में पन्द्रह अरब चार करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 1961 से 1971 तक

(श्री रामकिशन)

हम यह खर्च करेंगे, कल कारखाने और पानी बिजली में, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में, तो इससे बीस लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज राजस्थान की स्थिति क्या है ? ऐसा मालूम होता है कि गवर्नर महोदय को बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। राज्यपाल महोदय को पता नहीं है कि कितने बेरोजगार हैं और उनके प्रति उन्होंने अपने अभिभाषण में कोई कष्ट नहीं दिखाया है । बेरोजगारी के सम्बन्ध में उन्होंने एक भी लाइन में जिक्र नहीं किया है। मैंने एक प्रश्न पूछा था, जिसका लिखित उत्तर मुझे आज ही मिला है। मैंने पूछा था कि राजस्थान में पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या कितनी है ? लेकिन श्रम मंत्री जी ने, योजना मंत्रीजी ने इसका जवाब दिया है कि इसकी हमने जांच नहीं की है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। आप बेरोजगारी का इलाज नहीं कर सकते-यह अलग बात है । लेकिन राजस्थान सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या कितनी है। मैंने बिना पढ़े-लिखे बेरोजगारों की बात नहीं कही थी, मैंने अर्द्ध पढ़े-लिखे बेरोजगारों की बात नहीं कही थी, लेकिन मैंने पूछा था कि राजस्थान में पढ़े-लिखे बेरोजगार कितने हैं ? जिसका जवाब राजस्थान सरकार ने नहीं दिया। मैं आपको बता देता हूं, बिना पढ़े-लिखे बेरोजगारों की बात, अर्द्ध पढ़े-लिखे बेरोजगारों की बात छोड़ दीजिये, पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या बीस लाख है। मेरा निवेदन है कि जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सोचा था, योजना के माफिक यह हो जाता तो 1961 में स्थिर कीमतों के आधार पर राजस्थान के एक आदमी की आमदनी 251 थी, वह 1971 में आकर 479 हो जाती। लेकिन आज हालत क्या है ? आज 1961 में जो आमदनी थी, उसी के आस पास घूम रही है। जबकि जो इन्वेस्टमेन्ट हुआ है इस योजनागत व्यय में, उसमें योजनाओं में दो अरब बारह करोड़ का हुआ है, जबकि हमें पन्द्रह अरब का करना था, वहां पांच अरब का हुआ है और पिछले तीन साल में डेढ़ अरब के आस पास हो गया होगा, तो अब इस सात अरब के इन्वेस्टमेंट में बीस लाख व्यक्तियों को रोजगार कैसे दें ? राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, इस राज्य सरकार के पास ज्ञान नहीं है। राज्य सरकार से न जमीन की समस्या हल हो रही है और न बेरोजगारी की समस्या हल हो रही है, न समाजवाद की ओर कदम बढ़ा रही है। केवल समाजवाद का नाम किताबों में जरूर छाप दिया है, महात्मा गांधी का नाम किताबों में जरूर डाल दिया है और इस प्रकार राजस्थान की जनता को मुगालता देने की कोशिश करते हैं । सभापति महोदया, वित्त मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी जब ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हो, उस समय सदन में नहीं आते हैं। वह समझते हैं कि सारे संसार का ज्ञान, सारे संसार की बुद्धि ईश्वर ने उन्हें ही दे दी है। वह चाहते हैं कि वह केवल अपनी प्रशंसा सुनते रहें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी कोई योजना है तो सरकार का जवाब होता है कि हमारी कोई योजना नहीं है । जब आपकी कोई योजना नहीं है तो महरबानी करके यह बताइये कि आपने इन पिछले बीस सालों में राजस्थान में राज्य किया है या कुराज किया है ? आज

(श्री रामकिशन)

दुनियां के दूसरे देशों की प्रगति आसमान में उछल रही है, और आपके बगल के पड़ोसी देश में प्रति व्यक्ति आमदनी साढे बारह पर्सेन्ट के हिसाब से बढ़ रही है और हमारे यहां 2½ पर्सेन्ट की वृद्धि हो रही है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि क्या हो रहा है ? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके सम्बन्ध में विचार करें और केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें।

सभापति महोदया, आज आपकी हालत क्या है ? आप अकाल का जिक्र करके बच जाते हैं। अकाल के सम्बन्ध में यहां चर्चा नहीं करूँगा। मुझे मालूम हुआ है कि अकाल के सम्बन्ध में यहां अलग से चर्चा होगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इसके निराकरण का कोई इलाज आपके पास है या नहीं ? अगर इलाज नहीं है तो दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। एक तरफ दुनियां के लोग चन्द्रमा में जा रहे हैं और इधर राजस्थान में लोग पानी के बिना मर रहे हैं और हमारी राज्य सरकार इतनी कमजोर है कि वह केन्द्रीय सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती। इसके लिये हमारी योजना बनी थी लेकिन इस सरकार में शक्ति नहीं है। 70 करोड़ का एक मास्टर प्लान बनाया गया था तो क्या आप केन्द्रीय सरकार से इसके लिये पैसा नहीं ले सकते थे ? परन्तु आपका ख्याल तो यह था कि कि सिन्डीकेट की जीत होगी, संजीव रेड्डी प्रेसीडेंट बनेंगे। परन्तु सिन्डीकेट तो हार गइ और सबके सब प्रगतिशील बन गये। जब यह हो रहा था तो मैं मद्रास में था। वहां के लोग पूछते हैं राजस्थान में मुख्य मंत्री कौन है ? उसका जवाब में क्या दूं। मैंने कहा उनका नाम मोहनलाल सुखाड़िया है, पिता का नाम मुझे मालूम नहीं। मेरा कोई व्यक्तिगत पारिवारिक सम्बन्ध उनसे नहीं है। पहले वे रेड्डी साहब को वोट दे रहे थे और 5 दिन में ही वे प्रगतिशील बन गये हैं। मैंने कहा: हिन्दुस्तान के अंदर ऐसे दो ही है एक चव्हाण और दूसरे सुखाड़िया। ये जितनी बार बदलते हैं उतनी बार गिरगिट भी नहीं बदलता है। ये कांग्रेस वाले कैसे हैं ? कभी इधर तो कभी उधर। वहां मैंने एक ही जवाब दिया: आप भेड़ और ऊंट की संस्कृति को जानते हैं ? राजस्थान में भेड़ और ऊंट ज्यादा हैं। एक ऊंट को बांध दो, सब ऊंट उसके पीछे हो जाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस नहीं है, भेड़ों का झुण्ड है। एक भेड़ जिधर जायगी सारी भेड़ें उधर ही जायेंगी। तब फिर वहां इस प्रकार कैसे हो सकता है।

श्रीमती सभानेत्री: आपको याद दिलाऊं–40 मिनिट हो गये हैं।

श्री रामकिशन: सभापति महोदया, यह चर्चा की गई थी कि हम तो बम्बई हो आये हैं और हम सोनपुर गये। हमें वहां से कोई दिशा नहीं मिली। आप अखबार पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं (श्री डागा द्वारा बीच में टोकने पर) आप बीच में न बोलें, सुने। सभापति महोदया, मैं माननीय डागाजी से निवेदन करूंगा, उनमें मुझसे ज्यादा योग्यता है, वे योग्य वकील हैं। मेहरबानी करके, एक बात कहता हूं, आप लिख पढ़ कर आवें और सदन में आने से पहले गंभीर हो जावें तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

सोनपुर मैं गया। वहां क्या हुआ ? जब नेशनेलाईजेशन का सवाल आया, हमने कहा अच्छा किया। अब हमारी प्रबल

Page No. 90

(श्री रामकिशन)

इच्छा है कि कांग्रेस टूटे। और अब चाहते हैं कि कांग्रेस नेस्तनाबूद हो। दोनों ही कांग्रेस नेस्तनाबूद हो जायं—सिन्डीकेट और इन्डीकेट। हमने कहा था : कांग्रेस टूटेगी तो देश के अन्य दल भी टूटेंगे और इससे एक नई दिशा बन सकती है। अगर कांग्रेस नहीं टूटती तो नेशनलाईजेशन नहीं होता। आप यह समझ बैठे हैं कि यह करने से आप बड़े प्रगतिशील बन गये हैं। यह आपका भ्रम है। इससे पहले भी आप के पास 27 अरब की पूंजी थी। आप इसके पहले भी कई वित्तीय साधनों का नेशनेलाईजेशन कर चुके हैं। बीमा व्यवसाय और इम्पीरियल बैंक का नेशनेलाजेशन आप कर चुके हैं। इस 62 अरब की पूंजी में से आपने 53 अरब रुपया बिडला, डालमिया और टाटा को कर्जे के रूप में दिया है। तो आपके नेशनेलाईजेशन को हम प्रगतिशील कदम नहीं कहते। यह समाजवाद की श्रेणी में नहीं है। अगर आप समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रारंभिक रूप से आमदानी और खर्चे की सीमा बांधे। अगर यह नहीं करते हैं तो समाजवाद सही मायने में नहीं ला सकते। बैंकों के राष्ट्रीयकरण और विदेशी आयात का राष्ट्रीयकरण कर आप इस देश में समाजवाद नहीं ला सकते। मुश्किल तो यह है कि आप समाजवाद को नहीं समझते। यह कैसा समाजवाद है? सुखाड़िआजी कहते हैं तब ताज्जुब होता है। यह समाजवाद कैसा है और कौनसी तरह का समाजवाद है? 11 दिसम्बर को उनके लड़के की शादी होती है। मैं उनके लड़के के लिए सफल, सुखी और आनंदमय जीवन की शुभकामना करता हूं। आधुनिक युग के अनुसार वे 2-3 पुत्र के पिता हों और पुरानी कहावत के अनुसार उनके 100 तक पुत्र हों, कोई नुकसान नहीं है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं क्या यह एक समाजवादी की शादी थी? आपमें से बहुत से इनमें गये होंगे। हीरालालजी देवपुरा को मैंने देखा है। उसी दिन भरतपुर के राजा के लड़के की शादी थी। और उसी दिन राजस्थान के वर्तमान राजाधिराज के पुत्र की शादी थी। कितना रुपया खर्च हुआ है—इसके विवाद में नहीं जाना चाहता। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर की पुलिस इसमें लगी हुई थी। एक एक लट्ठे पर सिपाही तैनात था। अगर इस जमाने में अकबर होता तो वह अपने मन में रोता सुखाड़िया के प्रिन्स की शानदार दावत को देखकर। तो मैं पूछता हूं क्या देश में परिवर्तन हुआ है? इस शादी में आने के लिये इन्द्रा महारानी आती हैं और उनके इस दौरे में राज्य सरकार का 12 लाख रुपया खर्च हो जाता है। राजाओं के प्रिवीपर्स आप बंद करदें। 5 करोड़ की पेंशन को आप बंद करदें इससे मुझे एतराज नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अचल सम्पति भी जब्त की जानी चाहिये। परन्तु इन वर्तमान राजाओं का क्या होगा? इनका इलाज आपने सोचा है? भरतपुर के राजा की शादी में 5 आदमी भी नहीं थे। वे आप से ज्यादा हैसियत रखते हैं। उनके पास जेवर भी होगा। मैंने सुना शहर में उनके सुपुत्र का जुलूस भी निकला और उनके सुपुत्र के स्वागत में मथुरादासजी ने बंबई से कव्वाल भी बुलाये। यह समाजवाद कैसे है? और फिर जब इनकी वर्ष गांठ आती है, इनके पैर छूकर थैली भेंट की जाती है। सिर्फ दो मंत्री एक महिला मंत्री और पिछड़े वर्ग के मंत्री इसमें नहीं आते हैं। वे इस कार्यवाही में नहीं आते हैं। मैं पूछता हूं यह कैसा समाजवाद है? क्या इसी की मार्फत आप हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं? इस देश में इस प्रकार की

(श्री रामकिशन)

प्रवृत्तियां पनप रही हैं परन्तु कांग्रेस के लोगों की आत्मा मर चुकी है। यह हो सकता है कि मुझसे ज्यादा अच्छे लोग उधर हों किन्तु ज्यादा वर्षों तक उधर ही रहने के कारण उनकी आत्मा का हनन हो गया है। तो क्या ऐसे लोगों की मार्फत इस देश का निर्माण हो सकता है? हमसे कहा जाता है, हम धन्यवाद दें। किस बात का धन्यवाद दें? भूमिहीनों को भूमि नहीं मिलती है, हरिजनों के साथ देश में दुर्व्यवहार हो रहा है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, पुलिस रिश्वत लेती है। मैंने गृह मंत्रीजी से कहा था, आप इस प्रकार का एक सर्क्यूलर निकलावा दो, गजट नोटिफिकेशन निकलवा दो कि कोई भी थानेदार पुलिस का एक ही तरफ से रिश्वत लेगा। दोनों तरफ से नहीं लेगा। गृह मंत्रीजी मुझे जवाब देते हैं, यह तो मैं नहीं निकाल सकता। यह मैं निकाल सकता हूं कि रामकिशन जी की मार्फत यह ली जावे। खैर, कुछ भी तो फैसला हो जाये। दूसरे राज्य का मंत्री होता तो वह मर जाता (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)। आप जाइये भरतपुर में, जोधपुर में, दिन दहाड़े क्या होता है। राज्य कर्मचारी और राजपुरुष मिल कर लूट कर रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं और आप सुनते नहीं, सुन कर बैठे रहते हैं।

आपने राज्यपाल महोदय की मार्फत जो दो-तीन घोषणाएं कराई हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। सीलिंग का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप किसी निश्चित अवधि में उसको लागू नहीं करें। बची हुई जमीन आप हरिजनों को नहीं दे पाये हैं। आपका कोई प्लानिंग नहीं है। कोई प्लानिंग बोर्ड नहीं है। एक सलाहकार परिषद बना रखी है जिसमें दो-चार विधान सभा के सदस्य हैं और बाकी के वे लोग हैं जो सुखाड़ियाजी की खुशामदी में बैठे रहते हैं। मैं पूछता हूं, क्या आपने सोचा है, राजस्थान में आवास के लिये कितने मकानों की जरूरत है? इसके कोई आंकड़े आपके पास नहीं हैं। जो समाजवाद में विश्वास रखते हैं उन को नहीं बुलाया जाता है। सरकार को यह भी जानकारी नहीं है कि कितनी जमीन की आवश्यकता होगी? ऐसी घोषणाओं की मार्फत यह सरकार कहे कि समाजवाद लाना चाहती है। यह सरकार इस देश के लिये कुछ नहीं कर पायेगी। और यह राजस्थान भी डूबने की स्थिति में है।

सभापति महोदया राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है, उसके वित्तीय साधन क्या हैं? क्या इन 20 वर्षों में उसने इनको बढ़ाया है? या उनको बर्बाद किया है? सरकार ने इसकी ओर कोई तवज्जह नहीं दी है। योजना आयोग ने जो कुछ दे दिया वह यहां चलता रहा। राजस्थान में अकाल पड़ता है, राजस्थान में 20 लाख लोग बेरोजगार है, स्कूल, कॉलेजों में जो लड़के पढ़ते हैं उनमें एक तरह से असन्तोष है। इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सभापति महोदया, मैंने देखा, 16 तारीख को लड़के प्रदर्शन करने आये थे। मैं भी उनके सामने गया। सबसे पहले उन्होंने कहा "यह गांधी वाली टोपी उतार दो"। मैंने कहा "मैं यह गांधी वाली टोपी नहीं उतारूंगा यह राजनिति का प्रतीक नहीं है। सफेद टोपी लाल टोपी, पीली टोपी राजनीति का प्रतीक नहीं होना चाहिये। इसी तरह से दाढी, मूंछ, चोटी को धर्म का प्रतीक नहीं मानना चाहिये। हम यह चाहते हैं कि यह देश में फैले"। लेकिन आज देश के नौजवान क्या सीख रहे हैं? वे गांधीजी के सारे आचरणों को भूल गये, गांधीजी के सारे उपदेश को भूल गये।

(श्री रामकिशन)

वे तो एक ही बात सीखे हैं कि कांग्रेस वाले गांधी टोपी पहनते हैं, उस टोपी को उतार दो। आज कांग्रेस वालों ने समाजवाद, समाजवाद की रट लगा रखी है, करने को कुछ नहीं। आप किस तरह से समाजवाद लाना चाहते हैं ? इसका आज केन्द्रीय सरकार से क्या जवाब मिलता है? केन्द्रीय सरकार ने अमेरिका से, कैनाडा से और दूसरे देशों से जितना कर्जा लिया है, उस कर्ज का जितना ब्याज का पैसा आज चुकाना पड़ रहा है, उस पैसे को यदि हिन्दुस्तान की जनता के कल्याण के कार्यों में लगाया जाय तो हिन्दुस्तान की जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। पर आज थोथी रट समाजवाद की लगा रखी है।

मैं बम्बई गया था, 22 अक्टूबर की बात है, वहां मुझे आस्ट्रेलिया के एक साथी मिल गये, वे वहां होटल चलाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो अपने होटल में खाना खायें। मैं उनके साथ उनके होटल में चला गया लेकिन मैंने वहां देखा कि वहां सारा मामला शाकाहारी नहीं मांसाहार का है तो मैंने कहा कि यहां तो मैं भोजन नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि चलो किसी भारतीय भोजनालय में भोजन करेंगे। इस पर मेरी भी इच्छा हुई कि किसी भारतीय भोजनालय में उनके साथ खाना खालें। सभापति महोदया, आप तो उस होटल में जरूर गई होंगी, और भी माननीय सदस्य गये होंगे, चौपाटी पर महाराजा नाम के होटल में हम गये। मैंने वहां दो रोटी खाई और दूसरे ने कुछ खिचड़ी खाई और इसका 19 रुपया चार्ज किया गया। मैंने कहा, यह कैसा समाजवाद है। इसके साथ ही मैंने देखा कि एक सुन्दर, आनन्दमना, आकर्षक, 22 वर्ष की लड़की आती है और नग्न नृत्य करती है। मैं शिष्टाचार के नाते, सभ्यता के नाते विरोध नहीं कर सका। मैंने बम्बई के लोगों को कहा कि इस तरह के नग्न नृत्य को बन्द कर देना चाहिये। मैं स्त्री-पुरुषों के सम्बन्धों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता पर आज औरतों को व्यापार के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। आज औरत हमारे यहां की प्रधान मंत्री हैं और औरतों का उपयोग व्यापार के लिये किया जा रहा है। इसे बन्द कर देना चाहिये। मैंने पूछा कि इस होटल के लिये आपके पास इतना पैसा कहां से आया तो कहा कि होटल उद्योग से 19 लाख रुपये का कर्जा लिया है। मैंने कहा कि ऐसे होटलों को प्रोत्साहित करने के लिये, विकसित करने के लिये जब सरकार 20 लाख का लोन दे सकती है तो क्या राजस्थान की जनता को हमेशा के लिये अकाल से बचाने के लिये, केन्द्रीय सरकार राजस्थान की सरकार को कर्जा नहीं दे सकती ? यह इन्वेस्टमेंट का प्रश्न नहीं, लाखों लोगों को अकाल की विभीषिका से बचाने का, समाजवाद लाने का प्रश्न है। क्या इसके लिये पैसा नहीं दे सकती ? पर समाजवाद केवल न कथनी में रह गया है करणी में नहीं। मुख्य मंत्री बोल नहीं सकते, समाजवाद की चर्चा करते हैं, बड़ी लम्बी चौड़ी बातें समाजवाद की करते हैं। कहते हैं, इन्दिराजी प्रगतिवाद हैं, वे देश में सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाकर समाजवाद की जड़ें जमाना चाहती हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि अभी गोआ में खाद का कारखाना लगाने के लिये जो पर्मिशन दी है वह मूलचन्द डागा सेठ को दी है या बिड़ला सेठ को दी है ? स्टील का पैसा बढ़ा कर 10 करोड़ का मुनाफा टाटा को पहुंचा दिया। क्या यही आपका समाजवाद है ? आज श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ, इन्दिरा महारानी के साथ कौन हैं ?

(श्री रामकिशन)

आज उनके साथ जितने भूतपूर्व नरेश हैं वे हैं, सेठ मफतलाल को छोड़कर बाकी के सारे सेठ उनके साथ हैं, चाहे टी० टी० कृष्णमाचारी हों, चाहे दूसरा कोई कृष्णमाचारी हों। जो लोग मूंदड़ा केस में फंसे हुए थे वे सब इन्दिराजी के साथ हैं। फिर कहते हैं कि समाजवाद लाना चाहते हैं। मैंने कई समाजवाद की तस्वीरें देखी हैं। यह समाजवाद आपको ही मुबारिक हो। फिर सुखाड़ियाजी कहते हैं कि इन्दिराजी बड़ी प्रगतिवादी हैं। हो सकता है, इनके कुछ साथियों में विवेक जागा हो। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इस नकली बातें को छोड़ दें। इस देश में अब दूसरी स्थिति आयेंगी। सीमान्त गांधी ने कहा कि गांधीवाद यदि हिन्दुस्तान में नहीं आयेगा तो दूसरा वाद आयेगा......

एक माननीय सदस्य: उनका मतलब साम्यवाद से है?

श्री रामकिशन: मैं क्यों कहूं, मैं तो गांधीवाद की व्याख्या करने का अधिकारी हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अश्रव्य)

श्री रामनारायण चौधरी: आपसे तो आपको विशेष प्यार है।

श्री रामकिशन : आपके नाम से तो है ही, आपकी शक्ल और आपके आचरण दोनों से ही मुझे प्यार है।

कौनसा ही वाद आयेगा तो उससे कौनसा नुकसान हो जायगा? आज साम्यवाद इस देश में आ जाय तो कोई नुकसान नहीं है। पर साम्यवाद की तस्वीर आज जो रूस में सामने आ रही है, चीन में सामने आ रही है, चैकोस्लोवाकिया में जो साम्यवाद की तस्वीर सामने आ रही है, युगोस्लाविया में जो तस्वीर सामने आ रही है वह आज किसी से छुपी नहीं है। मैंने एक विचारक की पुस्तक पढ़ी। कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने भी उसे पढ़ी होगी। उसमें साम्यवाद की सही तस्वीर रखी है। हो सकता है उसका कोई पूर्वाग्रह हो पर आज जो स्थितियां हमारे देश में हैं, इस देश को साम्यवाद और दूसरे वाद अमान्य हैं। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस सिडीकेट और इन्डीकेट के मोह में इस राजस्थान को मत डुबाओ। ये दोनों ही न प्रगतिशील हैं और न प्रतिक्रियावादी हैं। गांधी और मुरारजी दोनों के संयुक्त प्रयत्नों के बीच आज चीन से हमें दबना पड़ा है, ये दोनों ही हमारे लिये हितकर नहीं हैं।

हमने 21 सूत्री कार्यक्रम रखा है, अगर समाजवाद का दम भरते हैं तो उसे स्वीकार कीजिये। एक झटके में ही कानून क्यों नहीं बना देते कि इस देश में 1,500 से ज्यादा कोई खर्च नहीं करेंगे। आज जो गवर्नर महोदय पर खर्चा कर रहे हैं उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यह चर्चा का विषय नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि 75 रुपया क्विन्टल गेहूं मिल रहा था वह आज 125 रुपया क्विन्टल के भाव से बिक रहा है....

एक माननीय सदस्य: 140 रुपया क्विन्टल।

श्री रामकिशन: आज महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पर इसकी गवर्नर महोदय को कोई चिन्ता नहीं है एक आना

(श्री रामकिशन)

सेर से किसी भी अनाज का भाव ऊंचा नहीं जाना चाहिये पर कोरा समाजवाद का जिक्र करते हैं। निराकार का हमारे यहां बहुत नाम लिया जाता है। साकार करके दिखावें, केवल निराकार की चर्चा से कुछ होने वाला नहीं है। एक तरफ दिन प्रतिदिन देश पर खर्चा बढ़े, मंहगाई निरन्तर बढ़ती ही जाय और आप केवल समाजवाद समाजवाद का नारा लगाते रहें इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि समाजवाद होता क्या है? अगर जानते हों तो बताइये कि समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद की नीतियां क्या हैं? समाजवाद का आर्थिक कार्यक्रम क्या है? यह आप बताइये। केवल निराकार की बातें करने से काम चलने वाला नहीं है। यों हमारे कृषि मंत्रीजी ने तोता मैना के बहुत किस्से पढ़े हैं, समाजवाद लाने के लिये समाजवादी नीतियों पर चलना होगा, समाजवाद का आर्थिक कार्यक्रम चालू करना होगा ......

श्री सीताराम पूनिया : तोता मैना से क्या मतलब है?

श्री रामकिशन : तोता मैना नहीं पढ़ा? आपकी उम्र निकली नहीं है, जरूर पढ़ना। मैंने छोटी उम्र में पढ़ ली थी। आप इसे पढ़ें, जरूर पढ़ें।

तो मैं कह रहा था कि केवल समाजवाद समाजवाद की रट लगाने से कुछ होने वाला नहीं है।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा और विशेष तौर से चेयर से कहना चाहूंगा कि आज देश में आर्थिक हालत में तब्दीली लाने के लिये कोई बड़ा संघर्ष करना की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में चन्द्रभानु गुप्ता की जान आफत में आई। उनको संघर्ष का मुकाबला करना पड़ा तो अंग्रेजी का प्रयोग बन्द कर दिया। अंग्रेजी के विरुद्ध आन्दोलन करने वालों के विरुद्ध चलाये गये सब मामले वापिस ले लिये। छोटी जोतों पर लगान माफ कर दिया। संघर्ष में आते ही फौरन प्रगतिशील बन गये पर मोहनलाल सुखाड़िया प्रगतिशील बनने की केवल बातें ही क्यों कर रहे हैं? उठायें इस तरह के प्रगतिशील कदम। मैं उधर बैठने वाले मेरे साथियों से कहूंगा कि आप क्यों नहीं इसके लिये उन्हें मजबूर करते हैं? क्या आपकी आत्मा मर गई है? कल मदनकौरजी बोल रही थीं, बड़ी वेदना के साथ बोल रही थीं स्त्री जब बोलती है तो साफ मन से बोलती है, वेदना से बोलती है। पर इस वेदना से मिलता क्या है? केवल सुखाड़िया साहब को सुना दिया और उन्होंने सुन लिया। इससे कोई असर नहीं होने वाला है। अब वाणी का समय नहीं कर्म का समय है।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह धन्यवाद का प्रस्ताव नहीं है। आज अकाल से पीड़ित भूखे लोगों को 10 रुपया दिया जाता है और दूसरी तरफ विधान सभा के सदस्यों के भत्ते में 10 रुपया महावार बढ़ाया जाता है। इस विधान सभा भवन पर 20 लाख रुपया खर्च किया जाता है बैठे हैं कभी ऐसे भवन में? मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैंने तो ऐसा मकान पहले देखा ही नहीं था। आखिर इस भवन पर 20 लाख रुपया खर्च करने की जरूरत क्या थी? इस पैसे को बचा कर राजस्थान नहर पर लगाते, अकाल पीड़ित लोगों को राहत देने में लगाते। पर यह सब कुछ नहीं करके आप तो केवल देश की भावनाओं को दबाने

(श्री रामकिशन)

के लिये शब्दजाल चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में धन्यवाद का प्रश्न पैदा नहीं होता, राज्यपाल महोदय ने सदन का समय बर्बाद किया है उसके लिये तो वे क्षमा मांगें और जो इस सदन पर 20 लाख का खर्चा किया है उसके लिये मोहनलाल सुखाड़िया क्षमा मांगें। और कांग्रेस वालों से कहूंगा कि अगर आप सही मायने में समाजवाद लाना चाहते हैं तो कोई क्रांति लायें।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामानन्द !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदया....

श्री मदनसिंह : मेरा निवेदन है कि आप जो समय पार्टियों को दिलाती हैं, जैसे कि हमारे कम्युनिस्ट नेता हैं, पार्टी के जरूर हैं लेकिन सदन में पार्टी जैसी चीज नहीं है, हमारे जैसे हैं ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों को भी उतना ही समय दें तो ठीक है।

श्रीमती सभानेत्री : मैं आशा करूंगी कि समय कम लें ताकि दूसरे सदस्य भी बोल सकें।

श्री रामकिशन : पश्चिम बंगाल और केरल का समय भी इनको दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभानेत्री महोदया, इस बार जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, वह विशेष परिस्थितियों में हुआ। देश में जो राजनैतिक उथल पुथल हुई, उन परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है। इससे पहले देश भर में कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस के दोनों दलों के अहमदाबाद और बम्बई में अधिवेशन हुए। बम्बई अधिवेशन में कुछ कार्यक्रम स्वीकार किया गया इस बुनियाद पर कि अभी तक कांग्रेस केवल कुछ घोषणायें ही करती आ रही है, कुछ वायदे किए, जिनको पूरा नहीं किया जा सका। इसलिये इस बार कार्यक्रम इस तरीके का अपनाया गया व घोषणा की गई बम्बई में कि हम वही कार्यक्रम हाथ में लेंगे जिन्हें समय के अनुसार, तारीखों के अनुसार पूरा कर सकें। और इस तरह 10 सूत्री कार्यक्रम जो कांग्रेस का पुराना चला था, उसमें तारीखें लगाकर कार्यक्रम मन्जूर किया। हम यह उम्मीद करते थे कि अब जो विधान सभा का अधिवेशन नया आ रहा है, जिसमें सरकार की ओर से राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसमें नई दिशा, नई घोषणायें, नई बातें, नया रीओरीएन्टेशन कांग्रेस के नेता स्वीकार करेंगे। 22 वर्ष में त्रुटियां रहीं, अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं कर सके, उनका अभास राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मिलेगा। हम यह उम्मीद करते थे उन बातों की कि जिस प्रकार की बात कही गई, छोटे और बड़े के अन्दर फर्क खतम करने तथा देश में भूमि सुधारों के बारे में एक बाकायदा कार्यक्रम मन्जूर किया गया, सीलिंग की बात और दूसरी बातें कही गई। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जहां इस प्रकार की इन नई नीतियों की एक आशा की जाती थी, इस सरकार ने जिस तरीके से कार्य किए हैं, इस स्पिलट के बाद, वह विपरीत दिशा में होते नजर आ रहे हैं। मैं कुछ बातों का उल्लेख करूंगा संक्षेप में।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस घोषणा के बाद गंगानगर में भूमि नीलामी जारी रही। उस पर जो आंदोलन हुआ, उससे आप सब परिचित हैं। उसका दमन करने के लिए एक अध्यादेश निकाला था, यह भी बम्बई अधिवेशन के बाद, जो पहले कभी नहीं हुआ था....

श्री मूलचन्द डागा: दमन करने के लिए नहीं।

श्री रामकिशन: मदद करने के लिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इसी दौरान में इस सदन में, राजाओं की निजी सम्पत्ति में जो कृषि भूमि दर्ज है, उसको अवाप्त करने का जो कानून पास हुआ था वह कानून राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया। यह उम्मीद की जाती थी कि फौरन सरकार इस बारे में कदम उठाकर और इसको दुबारा अध्यादेश के जरिये लागू करेगी लेकिन उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी तरीके से यहां पर लोकतंत्र के बारे में कहूंगा कि पंचायतों के चुनाव स्थगित किये, नगरपालिकाओं के चुनाव स्थगित किये चाहे वह भूमि सुधारों के संबंध में बात हो, चाहे लोकतंत्र का प्रश्न हो, चाहे वह औद्योगिक प्रश्न हो, स्पष्ट दिशा के बजाय जैसी कि बम्बई में घोषणा की थी कि कांग्रेस एक नया स्वरूप लेकर, नए तरीके से रीओरीएन्टेशन करके कार्य करेगी राजस्थान में यह जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है और जिस तरीके से मंत्रिमण्डल ने इस दौरान में काम किया है, उसमें निराशा ही निराशा प्रकट की है।

इस अभिभाषण में इस बात की घोषणा की गई है कि सीलिंग कानून तुरन्त लागू किया जायगा। भूमि सुधारों के बारे में बात की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग लागू करने की बात है, जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, यह बात तो पिछले कितने ही वर्षों से की जाती रही है। जो इसमें नई घोषणा है वह यह है कि जो भूमि इस कानून के पास होने के बाद—25 फरवरी, 1958—के बाद हस्तान्तरित की गई, जिसको कानून के अन्दर अवैध घोषित किया गया था, इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चुपके से एक वाक्य के अन्दर यह घोषणा कर दी कि तमाम अवैध हस्तान्तरित भूमि, जो भूमिहीनों को दी हुई है, को सरकार जायज मानकर चलेगी। इसलिये नाम के लिए बेशक सीलिंग लागू करने की बात कह दी हो, उसको 10 वाक्यों में कह दिया हो लेकिन असली वास्तविक घोषणा जो राज्यपाल महोदय ने की है, वह इस सीलिंग के अन्दर इन ट्रांसफर्स को लीगलाइज करने की है, मैं समझता हूं यह घोषणा सीलिंग कानून लागू करने की नहीं सीलिंग से जमीन को बचाने की है, यह घोषणा, जिन बड़े बड़े लोगों ने सीलिंग से बचने के लिए जमीनों को बेच दिया था, उनको वैध करार देने के लिए है, भूमिहीनों को बताने की घोषणा है कि अब तमाम जमीन बिक चुकी, अब इसके अंदर भूमि रही नहीं। हम सीलिंग लागू करेंगे, उसके बाद जमीन नहीं रही तो हम इसको बांटेंगे नहीं। इसलिये प्रैक्टिस में, सिद्धांत के तौर पर, सीलिंग को मंजूर करना और अमल के तौर पर सीलिंग से इन्कार करना है।

आज फैशन हो गया, कोई एक पॉप्यूलर नारा है, उसका समर्थन करो उसका सीधा विरोध मत करो। समाजवाद के बारे में भी हरेक बैंच पर बैठने वाले साथी यही कहते हैं कि वह समाजवाद चाहते हैं, समाजवाद

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के अनुसार यह होना चाहिये जैसे कि वह भी समाजवाद को पसंद करते हैं। जब विरोधी दल के नेता हैं, स्वतंत्र पार्टी के नेता हैं जिनकी नीतियां समाजवाद के विरुद्ध हैं, पूंजीवादी तरीके से जिनकी स्थापना हुई है, वह भी शिकायत करते हैं सरकार से इस बुनियाद पर कि सरकार समाजवाद के सिद्धान्त के अनुसार देश में वास्तव में नहीं चल रही है। मतलब वह समाजवाद को पसंद करते हैं। आज सीलिंग के बारे, इस तरीके से आज सीलिंग को हम लागू करेंगे, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है, सरकार की तरफ से मुख्य मंत्रीजी घोषणा करते हैं और जनसंघ के माननीय सदस्य जो बोले, उन्होंने भी कहा लेकिन उनका विरोध करने का क्या तरीका है? या तो सीलिंग लिमिट को ऊंचा कर दो। अभी जो लिमिट है, उसमें सबको जमीन नहीं मिले तो लिमिट को और ऊंचा कर दो। जमीन बिल्कुल नहीं मिले या दूसरी तरीके से जो गैरकानूनी तरीके से जो ट्रांसफर्स हो गए हैं, जो जमीनें उसमें से निकल गई हैं, उनको वैध घोषित कर दो। तो श्री कृष्णकुमार गोयल और श्री मोहनलाल सुखाड़िया की घोषणाओं और उनके भाषणों में कोई अंतर नहीं समझता हूं, एप्रोच में अंतर नहीं समझता हूं। दोनों सिद्धांत के तौर पर सीलिंग को स्वीकार कर रहे हैं और अमल के तौर पर ऐसे कदम उठा रहे हैं, ऐसा स्टैंड ले रहे हैं जिससे कि कोई भूमि भूमिहीनों के अंदर बांटने के लिए मिले नहीं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपका मतलब है कि फरवरी, 1958 से जितने भी ट्रांसफर्स हुए हैं सभी इल्लिगल करार दिए जायें?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार ने यह घोषणा की है कि भूमिहीनों को भूमि ट्रांसफर की जायगी। अगर वह भूमिहीनों को की गई हैं तो उनको वैध करार दे दिया जायगा। निवेदन करना चाहता हूं कि इन ट्रांसफर्स का एक इतिहास है। भारत सरकार ने बार बार इस बात को कहा है, जब सीलिंग की बात शुरू हुई, उसी वक्त कहा था सीलिंग की चर्चा शुरू होते ही कि जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं, ट्रांसफर करेंगे,

(2·40 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

पार्टीशन करेंगे इसलिये इसके लिये कोई प्रोटेक्टिव मेजर उठाना चाहिये और प्रिवेन्टिव एक्शन के तौर पर यह चर्चा शुरू होते ही इस प्रकार के ट्रांसफर्स पर कोई पाबन्दी लगा देनी चाहिये।

सभापति महोदय, पहली पंचवर्षीय योजना, शुरू होते ही सीलिंग की चर्चा हिन्दुस्तान में शुरू हो गयी। सन् 1953 में राजस्थान में मौजूदा मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसको सीलिंग मुकर्रर करने सम्बन्ध में सिफारिश करने का काम दिया गया। इस कमेटी ने एक सब-कमेटी बनायी उसने सिफारिश की कि ऐसी स्थिति आ सकती है इसलिये ट्रांसफर्स को रोकने के लिये कोई प्रिवेन्टिव मेजर्स लेने चाहियें। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने प्लानिंग कमीशन से सलाह ली और लीगल एडवाइस ली और उन्होंने यह कह दिया कि स्कीम आपकी तैयार हो जाय, कानून बनने से पहले, स्कीम तैयार होने पर आप इस तरह के कदम उठा सकते हैं और उठाने चाहियें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सभापति महोदय, सीलिंग की अपनी कहानी है, एक चेकर्ड हिस्ट्री है। किस तरह से धोखा दिया गया है। सन् 1953 से 1960 तक किस तरह से इसको खींचा गया है। 1960 कानून पास हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया और प्लानिंग कमीशन ने बार बार कहा, 1953 से ही ट्रांसफर्स हुए हैं उन पर रोक लगाने की कोशिश करो लेकिन बड़े बड़े लोगों और जमींदारों का हाथ होने से उसको मानने से इन्कार कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की होम मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट तैयार की कि एग्रेरियन अनरेस्ट हो रहा है, किसानों में असंतोष है उसका कारण क्या है और उन कारणों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है।

"Transfers of land have tended to defeat the aim of legislation for ceilings. Provisions regarding restriction transfer, have been so loosely worded, as if by design, in almost all the Bills that they are not likely to be effective at all. The Planning Commission suggested that restrictions should be imposed on all transfers made since 1953 to avoid ceiling, and also that all the transfer that have already taken place should be reviewed. But none of the States have felt it necessary to act these lines. Thus, the ceiling law will be nothing but an innocuous piece of legislation to be dangled before the masses. As far as one can see, there is little likelihood of surplus land being surrendered or of land being re-distributed to the landless and the needy in the near future to any appreciable extent."

तो, सभापति महोदय, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया भी इस तरीके से इस नतीजे पर पहुंची है कि सीलिंग को डिफीट करने के लिये जो ट्रान्सफर्स किये गये हैं, उनको रोकने के लिए सन् 53 से ही यह कानून लागू हो जाना चाहिये था।

सभापति महोदय, थर्ड फाइव ईअर प्लान में इन ट्रान्सफर्स पर फिर विचार किया गया। कुछ स्टेट्स ऐसी थीं जिन्होंने ट्रान्सफर्स पर पाबन्दी बिल्कुल नहीं लगायी थी और कुछ स्टेट्स ऐसी थीं जिन्होंने पाबन्दी लगा दी थी। तो थर्ड फाइव ईअर प्लान में यह कहा गया कि जिन स्टेट्स ने पाबन्दी नहीं लगायी है उनको तो लगानी चाहिये ही, बाकी ने जिस तरीके से लगायी है उनको भी प्रायर जो ट्रान्सफर्स हुए हैं उन पर विचार करना चाहिये, उनको देखना चाहिये सीलिंग को डिफीट करने के लिये तो ट्रान्सफर्स हैहीं किये गये हैं और उस दिशा में अमेन्डमेन्ट की जरूरत हो तो अमेन्डमेन्ट करना चाहिये। गरज कि फोर्थ फाइव ईअर प्लान में एग्रेरियन लैंड रिफार्म्स के बारे में चैप्टर है, माननीय सदस्य ने पढ़ कर उसको सुनाया लेकिन मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, उसको रिपीट किया है। अमेन्डमेन्ट की मंशा उन ट्रान्सफर्स पर पाबन्दी लगाने की है। पीछे जमीन और भी ट्रान्सफर्स हो गयी है उसका रिव्यू करना होना चाहिये, न कि पाबन्दी लगी हुई है उसको हटा कर लीगेलाइज करने की कोशिश करनी चाहिये।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में आरोप लगाता हूं इस सरकार पर। माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपनी मान्यतायें हैं शासन को चलाने के बारे में, उन्होंने अपने दृष्टिकोण से थर्ड फाइव ईअर प्लान में तय किया और फोर्थ फाइव ईअर प्लान में तय किया और बम्बई में अभी रिजोल्यूशन के द्वारा किया गया जिसमें लैंड रिफार्म्स के बारे में घोषणा की गयी है। मैं समझता हूं कांग्रेस मैन, लैंड रिफार्म्स का नया नारा लेकर जाना चाहता है और कहना चाहता है कि यह बात हम नहीं कर सकते थे। बम्बई में एक हफ्ता दस दिन पहले जो रिजोल्यूशन पास हुआ था, उसके खिलाफ यह स्टेट गवर्नमेन्ट घोषणा करती है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिहीन को आप बचाना चाहते हैं। भूमिहीन तो कई हो सकते हैं। भूमिहीन कोई पेशा करता हो। इस घोषणा में भूमिहीन खेत मजदूर नाम नहीं है। केवल भूमिहीन है। सारे दुकानों पर बैठने वाले भूमिहीन हो हो सकते हैं, दफ्तर में बैठने वाले भूमिहीन सकते हैं, बंगलों में रहने वाले भूमिहीन हो सकते हैं और बम्बई और कलकत्ता में काम-धन्धा करने वाले भूमिहीन हो सकते हैं। यह उनके लिये जायज हो जावेगा। अगर मंशा एक्चुअल टिलर ऑफ दी सॉइल है, खेत को जोतने वाला, हल चलाने वाला है उसके इन्ट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात है तो मैं भी उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। सारा मकसद उनको जमीन दिलाना है। अगर यह नीयत मुख्य मंत्रीजी की है तो तमाम ट्रांसफर्स को लीगेलाइज करने की क्या आवश्यकता है? जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा हमारी पार्टी ने रिजोल्यूशन पास किया है, मांग की है कि वैध न किये जायें। जिसने खरीदी हैं, एक्चुअल जिसके कब्जे में है भूमिहीन से खरीद कर ठाकुर साहब बांसवाड़ा और बड़े आदमियों को बेच दी है तो आपकी घोषणा से लीगेलाइज हो जावेगी। अगर वह भूमिहीन के आज दिन कब्जे में है, खुद-काश्त करता है तो उससे जमीन मत लीजिये, बिक्री मत मानिये, साइमल्टेनियसली उसको एलॉट कर दीजिये। और जो कीमत वसूल की है सीलिंग से बचने वाले ने वह उसको वापिस लौटाईये। हमारे मौजूदा टिनेन्सी एक्ट में कीमत वापिस लौटाने का प्रोविजन है। लेकिन, मैं समझता हूं मौजूदा कानून के तहत भी गवर्नमेंट एण्ड दी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी यह नीति बना ले कि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको अलॉट किया जावेगा। कानून में यह किया जा सकता है कि जिस आदमी से 25 बीघा उसने खरीद ली उसको बेदखल नहीं किया जावेगा, उसको अलॉटमेंट के रूप में मिल जावेगी और कीमत पच्चीस तीस हजार रुपया दी है उसको वापिस मिलेगी, मुआवजा में से काट कर मिलेगी। यह सरकार की जिम्मेदारी है। यह तमाम जमीन के सीलिंग को डिफीट करने के लिये है, ट्रांसफर्स को लीगेलाइज करने की बात है। सीलिंग को डिफीट करने की बात है। बड़े लोगों को बचाना है सीलिंग का नाम लेकर।

सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि जो गवर्नमेंट के लीडर्स हैं उनकी घोषणा और जो अपोजिशन में बैठने वाले हैं उनकी भी आवाज आयी है कि सीलिंग की सीमा को बढ़ाओ। मुझे आश्चर्य हुआ। किसान संघर्ष समिति का मांग-पत्र देखा। उस मामले में सुखाड़ियाजी में और कुम्भारामजी में कोई अन्तर नहीं है। सभापति महोदय,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किसान संघर्ष समिति से यह बुनियादी अन्तर है हमारे एप्रोच में। वे तमाम ट्रांसफर्स को लीगेलाइज कराना चाहते हैं और आन्दोलन की धुआं-धारी में पास ओन कर देना चाहते हैं और भूमिहीनों के हकों पर कुठाराघात करना चाहते हैं। उन ट्रांसफर्स को लीगेलाइज करना यह भूमिहीनों के साथ बेवफाई है। हिन्दुस्तान और राजस्थान के लोगों को वायदे दिये हुए हैं उनके साथ बिट्रेयल है। इसलिये मैं समझता हूं गवर्नमेंट को इस घोषणा को वापिस लेना चाहिये। वरना मैं बता देना चाहता हूं आप इसको पढ़ लीजिये सुखाड़ियाजी, आपने पढ़ा भी होगा इस रिपोर्ट को जो होम मिनिस्ट्री ने तैयार की है। अगर आप इस तरह के कानून बनाकर दूसरी तरफ डिफीट करने का प्रयत्न करेंगे तो मैं आप से कह देना चाहता हूं आज भूमिहीन किसान अपना हक समझ चुका है, एग्रीकल्चर लेबर अपने हकों को समझ चुके है वे लोग सामूहिकरूप से संगठित होकर जमीनों के बंटवारे की कोशिश करेंगे। अगर आप कानून के जरिये उनको जेलों में डालकर या उन पर लाठी गोली चला कर और यह आरोप लगाकर कि आपने कानून को तोड़ा है आप उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे तो यह खत्म होने वाले नहीं हैं। 1931 से लेकर 1969 तक बम्बई के अन्दर दिसम्बर में तय किये हुए वायदों को तोड़ते आ रहे हैं और अब आप भूमिहीन किसानों से यह उम्मीद करते हैं कि आप जिस कानून से उनकी रोजी-रोटी छीनना चाहते हैं उसको बरदाश्त करेंगे? यह कभी नहीं होने वाला है, यह आप मानकर चलिये।

सभापति महोदय, सीलिंग के बारे में गवर्नमेंट ने जो छूट दी थी उन छूटों के अन्दर कुछ छूटों को वापिस लेने की घोषणा की है। इधर बैठने वालों ने और उधर बैठने वालों ने भी यह कहा कि कुछ को छूट छोड़ने की बात क्यों? मेकेनाइज्ड और स्पेशेलाइज्ड फार्म हैं, डेयरी फार्म है, वूल ग्रोइंग फार्म है इन तीनों तरह के फार्मों को आपने एग्जेम्पशन्स से निकाला है। मैं समझता हूं यह भूल से रह गये होंगे वैसे यह हो नहीं सकता। आज भी टीनेन्सी एक्ट के अन्दर जितने एग्जेम्पशन्स हैं उनमें भी ये हैं। इस एक्ट की धारा 30 (जे) है।

"(1) Nothing contained in section 30-E shall apply to areas:

(a) groves constituting contiguous and compact,

(b) sugar-cane farms operated by sugar factories,

(c) co-operative agricultural farms efficiently managed, provided that no member's share in any such farm or farms shall exceed the ceiling area applicable to him,

(d) efficiently managed specialised farms.............."

ये बगीचे, ग्रोव्ज इनको आपने एग्जेम्प्ट नहीं किया है। उनको एग्जेम्पशन्स से निकालना चाहिये। शुगर-केन फार्म्स को निकाल दिया है, कोआपरेटिव फार्मिंग को निकाल दिया है। यह जो केमोफोलीज है इसके अलावा मेकेनाइज्ड और वैलमैनेज्ड फार्म्स को भी आपने एग्जेम्पशन दिये हैं। इसके अलावा केटल ब्रीडिंग, वूल ब्रीडिंग, होर्स

श्री रामानन्द अग्रवाल)

ब्रीडिंग, शिप ब्रीडिंग—इनको भी आप एग्जेम्शन्स में रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ एफीशियेन्टली मनेज्ड फार्म्स, मेकेनाइज्ड फार्म इनको आप रखना चाहते हैं...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एफीशियेन्टली मेनेज्ड और मेकेनाइज्ड फार्म्स को, दोनों को एग्जेम्प्शन में नहीं रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोआपरेटिव और होर्स ब्रीडिंग वगैरह फार्म्स को तो आपने इसके अन्तर्गत में नहीं लिया है। सभापति महोदय, यह तो डेफीशियेन्सी है ही। सरकार ने एक तरफ घोषणा कर दी लेकिन उसके लिये कोई प्रिवेन्टिव एक्शन नहीं लिया। ज्योंही घोषणा होती है उसको डिफीट करना शुरू हो जाता है। उसके कारण एग्जेम्प्शन जो दिये हैं वह लेण्ड ट्रान्सफर होनी शुरू हो जाती है।

शुगर फेक्ट्री के फार्म्स को एग्जेम्प्शन्स से निकालने की घोषणा 15 तारीख को हो गई थी लेकिन वह टीनेन्सी एक्ट में अभी भी एग्जेम्प्टेड है। सैल्स करते हैं, ट्रान्सफर करते हैं, वे सैल्स और ट्रान्सफर्स जायज है। उनको आपने प्रोत्साहन दे दिया, मौका दे दिया। मुझे आश्चर्य है, सभापति महोदय, इमीडियेटली इस घोषणा के तुरन्त बाद और एक दिन पहले भोपाल शुगर मिल्स ने 765 बीघा 11 बिस्वा जमीन 1 लाख 13 हजार 120 रु० 40 पैसे में बेच दी है और रजिस्ट्री भी करवा दी है। 14 और 15 तारीख में करवाई है। मैं इस बारे में आरोप लगाना चाहता हूं, यह उनको मालूम किस प्रकार से हुआ? 13 और 14 तारीख में ही किस कार से रजिस्ट्रियां हुई? उससे पहले कैसे नहीं हुई? जिनके नाम रजिस्ट्री हुई है उनकी मेरे पास लिस्ट है।

"श्री चतुर्भुज को 184 बीघा 19 बि० जमीन 15 हजार रुपये में बेची गई।

श्री उम्मेदप्रसाद, मुकनसिंह पलासिया 70 बीघा 10 हजार में।

श्री काशीप्रसाद रविन्द्रप्रसाद 150 बीघा 25 हजार में खरीदी है।

श्री जगजीतमल को 171 बीघा 43 हजार में खरीदी है।"

ये एक्चुअल सैल्स है या बोगस—इसका तो इन्क्वायरी से ही पता चल सकेगा। आपकी इस घोषणा के बाद और उससे पहले यह जो ट्रान्सफर्स किये गये हैं मैं इस बारे में सरकार से जवाब मांगना चाहूंगा, क्या आपने इस घोषणा से पहले किसी के सामने यह प्रगट किया था? कानून के जरिये आप इस संबन्ध में प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे तब तक ये ट्रान्सफर्स होते रहेंगे और वे लीगल हो जायेंगे। इनको लेने में लीगल कोम्पलीकेशन्स पैदा होंगे। आपने इन रेस्ट्रिक्शन्स के लिये ऑर्डिनेन्स क्यों नहीं निकाला? अगर ट्रान्सफर्स को रोकना है तो आपको ऑर्डिनेन्स निकालना चाहिये था आपने घोषणा तो कर दी कानून के अन्दर संशोधन नहीं किया जिसका नतीजा यह हुआ। इस बात की जांच की जाय, यह निर्णय आपका लीक आउट कैसे हुआ? जो घोषणा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में थी, उसका पता उनको किस तरह से लगा? इससे यह स्पष्ट प्रगट होता है कि कहीं से इस घोषणा को लीक किया गया। यह गवर्नमेण्ट के देखने की बात है कि उसकी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इतनी इम्पोर्टेन्ट घोषणा लीक आउट हो गयी ? इसकी जांच होनी चाहिये ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ट्रान्सफर्स हो चुके हैं उनको अब लीगेलाइज करने की बात सरकार सोच रही है । राजाओं की जमीन को अधिग्रहण करने का कानून हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया । जिस समय यह कानून सदन के अन्दर आया था तो उस समय मैंने अमेण्डमेण्ट पेश किया था कि इसमें यह भी जोड़ा जाय कि वे जमीनों का ट्रान्सफर नहीं कर सकते । सिलिंग से बचने के लिये यह प्रावधान इस कानून के अन्दर कर दें लेकिन सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया । आज भी मैं यह कह रहा हूं कि जयपुर महाराजा के पास 5 करोड़ रुपये की जमीन है जिसकी इन्वेन्टरी उनकी प्राइवेट प्रोपर्टी में मौजूद है । आपके उदयपुर महाराणा के पास है । जोधपुर महाराजा के पास है । अलवर के पास है । सब महाराजाओं के पास इस तरह की जमीनें हैं । महारावल डूंगरपुर के पास भी है । वे भी जमीनों को बेच रहे हैं । बड़े तरीके से से बेच रहे हैं ।

(3 म० प०)

श्री रामकिशन : यह आप भूतपूर्व राजाओं की तो बात कर रहे हैं, पर वर्तमान नरेशों की क्या स्थिति है इनकी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कानून का जिक्र कर रहा हूं । सभापति महोदय,...

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि जयपुर दरबार के पास पांच करोड़ की है । पर डांगे साहब के पास कितनी है, यह भी मालूम है ? उसका भी आप विवरण दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर है तो उनसे भी ले ली जानी चाहिये । कोई भी हो, अगर किसी के भी पास है सीलिंग से ज्यादा तो जरूर ले ली जावे । और मैं तो उनसे भी कहूंगा कि वे सरेण्डर कर दें अगर उनके पास कहीं भी ऐसी जमीन है तो ।

पर यह बिलकुल गलत है । डांगेजी का नाम आपने अखबारों में ही पढ़ा है । शायद उनके जीवन से वे परिचित नहीं हैं । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस तरह से वे ट्रान्सफर्स कर रहे हैं । आज उस कानून का क्या हश्र हुआ हाई कोर्ट में ? 1964 में वह कानून पास हुआ । 1965 में रिट की केवल दस राजाओं ने । राजस्थान के सब राजाओं की नहीं की थी । पर आपने किसी का भी जमीन का कब्जा लेने से इन्कार कर दिया । आपने तो उनसे लगान भी वसूल नहीं किया । यह तो कानूनन उनसे भी वसूल कर सकते थे । पर कहीं एक भी राजा से वसूल नहीं किया । वे अपनी जमीनों का आज ट्रान्सफर किये जा रहे हैं पर उनके बारे में कोई आर्डिनेन्स निकालने को तैयार नहीं । 1965 में दस राजाओं ने रिट की । आपने उन मुकद्दमों की पैरवी नहीं की । पेशियों पर पेशियां पड़ती रहीं । चार साल तक लगातार आपकी तरफ से, कनाइवेन्स करके, उनके कोलोबोरेशन से पेशियां पड़ती रहीं और इस तरह से चार साल टाल दिये । जब सदन में इस बात को बार बार उठाया गया तब उस केस में कोई भी फैसला हुआ । आप अपील में अब गये पर अब अपील में कुछ पड़ने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वाला नहीं। आपको ऑर्डिनेन्स लागू करना चाहिये था कानून में संशोधन करके। पर आप इसे टालना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस तरह से जो जमीनें मिल रही हैं, उसमें कानून को डिफीट करने की दिशा में आपके कदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, अब माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनकी जमीनों का क्या हुआ? यह सीरियस क्वेश्चन है। आपने अभी कांग्रेस अधिवेशन में नारा दिया, पहले भी दिया था कि लैन्ड टू दी टिलर। जमीन उसकी, जो उसको जोते। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सुखाड़ियाजी, आप कम से कम अपने मंत्रीमण्डल में देखें कि जिनके पास अपने अपने फार्मस हैं ये क्या अपने फार्मस खुद जोतने वाले हैं? ये हल चलाने वाले हैं क्या? ये लोगों के सामने साफ दिखाई देते हैं। आपके फार्म का मुझे पता नहीं, पर हरिदेवजी जोशी का रोज जिक्र आता है? हमारे जिले में भी दो मिनिस्टर हैं। दोनों के नाम हैं। श्री जयकिशनजी ने तो सवा लाख में सवा सौ बीघा खरीद कर नया फार्म बनाया है।

अब इस तरह से जो पार्टीशन के नाम पर, बेनामी तरीके से, जो जमीनें ली जाती हैं, पार्टीशन अलग अलग लोगों के नाम करा कर जमीनें इक्ट्ठी की जाती हैं तो आपकी नीयत उन पर भी सीलिंग लागू करने की है या नहीं? इस सदन में मंत्री-मण्डल के आपके एक सदस्य ने खुद ने स्वीकार किया श्री बी० एन० जोशी बान्दीकुई वालों ने। उन पर चार्ज लगाया गया, कि 900 बीघा जमीन उन्होंने खरीद ली सस्ती कीमत पर। इस पर उन्होंने कहा कि 900 बीघा की बात झूठी है। मैंने तो पांच सौ बीघा खरीदी है और वह भी अपने पांच लड़कों के नाम से खरीदी है। मैंने खरीदी है पांच लड़कों के नाम में। आप सीलिंग लागू करेंगे क्या इन पर? ये इस तरह से लड़कों के नाम से खरीद लें, मैनेजमेंट आपका है, रीयल पार्टीशन भी नहीं, एक परिवार में रहते हैं। तो जगह जगह यह हो रहा है। अब ये किन्हीं के भी फार्म हों। ये जो टोंक रोड पर हैं या अजमेर रोड पर हैं ये जितने भी फार्म्स हैं अगर लैंड टू दी टिलर का नारा आप सार्थक बनाना चाहते हैं तो ये सब फार्म भूमिहीनों को दिये जावेंगे? भूमिहीनों में बांटे जावेंगे? अगर नये नियम के अनुसार इनके एग्जेम्पशन्स को आप निकालना चाहते हैं तो इन सब फार्मों को आपको लेना होगा। ये सब निकलते हैं, ये सब सीलिंग के जुर्म में आवें और इनको भूमिहीनों में बांटा जाना चाहिये।

तो आखिर आपकी मंशा क्या है? आपकी नीयत क्या है? आप साफ साफ शब्दों में बताएं क्योंकि आज हर जगह लोगों के मैकेनाइज्ड फार्म बनते जा रहे हैं और लोग इस तरह से जमीनें खरीदते जा रहे हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : On a point of clarification, Sir.

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये बाद में कर दें, सभापति महोदय। अभी मुझे बोल लेने दें। आप क्लेरिफिकेशन अवश्य दें। एक सदस्य जो सदन का है, उसको देने का अधिकार है। मैं इससे इन्कार नहीं करता।

श्री जयकृष्ण शर्मा : कृपया मुझे बीच में ही कह लेने दें ताकि माननीय सदस्य का भ्रम दूर हो जाय और वे ज्यादा बोलने

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

का मौका नहीं पावें और हाउस का समय व्यर्थ बरबाद न करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि मुझे आप पहले बोल लेने दें। आपको अवश्य मौका मिलेगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह सदन की परम्परा रही है कि कोई भी माननीय सदस्य, जिसके खिलाफ कोई बात कही गई हो हाउस में तो उसे अपनी बात कहने का मौका दिया जाता रहा है। इसलिये उन्होंने जो मेरे खिलाफ एलीगेशन्स लगाये हैं उसको मैं साफ करना चाहता हूं। जो वस्तु स्थिति है, वह रखना चाहता हूं।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : सैल्फ एक्सप्लेनेशन कहिये। क्लैरिफिकेशन नहीं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि मैंने कोई सवा लाख की जमीन खरीदी है यह असत्य है। 32।। बीघा ग्राम नांगल जाड़ा में अभी पिछले साल मैंने जमीन खरीदी है। 21।। बीघा जमीन पहले मेरी ग्राम रायबता में थी, जब कि मैं सदन का सदस्य भी नहीं था। उस 21।। बीघा जमीन को बेचकर उसके बदले में मैंने यह 32।। बीघा जमीन खरीदी है। कोई मैंने सवा लाख की जमीन नहीं खरीदी है। इसकी इत्तला भी मैंने लिखित में नेता महोदय को भेज दी है।

माननीय सदस्य अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं जिनके जीवन यापन का साधन अमेरिका का पेट्रोल पम्प है। वे अपने मुंह को देखते नहीं कि वे जीवन यापन कहां से करते हैं। वे इस पेट्रोल पम्प को खुद चलाते हैं, मजदूरी करते हैं और खुद सफाई करते हैं तो उनको कहने का अधिकार है कि जमीन जोतने वाले की है। नहीं तो इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और यह होगा तो सबसे पहला आदमी मैं होऊंगा कि अपनी यह जमीन जोतने वाले को दे दूंगा। मैंने हमेशा मेहनत की है। अपनी मेहनत से कमाया है और यह भी मैं बता दूं कि पिछले 15 सालों से मैं इन्कम-टैक्स पे करता हूं। माननीय सदस्य की तरह नहीं हूं कि अमेरिका के पेट्रोल पम्प से कमाकर, तह करके आज अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वह मैं जानता था कि वे देंगे। पर वे यह भी कह दें कि पांच छः सात रजिस्ट्रियां उनके मकान पर नहीं हुई? एम्बीगुअस है। आप अलग अलग डीड वीड बनवा रहे हैं। सभी लोगों ने सीलिंग के कानून से बचने के लिये इस तरह से किया है। वी० एन० जोशी ने तो साफ ही कहा है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं बीच में यह और कह दूं कि मेरे किसी भी माइनर लड़के के नाम या रिश्तेदार के नाम रजिस्ट्री हो आप बता दें। मेरे लड़के के नाम पर भी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो वी० एन० जोशी की बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इस विवाद में न पड़ें। आप अपना भाषण जारी रक्खें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो सभापति महोदय, यह कोई एक्स, वाई, जेड का सवाल

(श्री. रामानन्द अग्रवाल)

नहीं है। हजारों इस तरह के किस्से हैं जिनमें अननेचरल पार्टीशन के जरिये से सीलिंग से बचने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन तो यह है कि ये तमाम जमीनें और फार्म इन एग्जेम्पशन्स को हटाने के बाद सीलिंग में आवेंगे या नहीं और भूमिहीनों को मिलने चाहियें या नहीं? क्या इसके लिये सरकार की तैयारी है? अगर तैयारी सरकार की नहीं होगी तो निश्चित तौर से भूमिहीन विद्रोह करेंगे। वे संगठित हो रहे हैं। अगर इस तरह से नहीं बांटी गई तो वे सामूहिक तौर से एकताबद्ध होकर आन्दोलन के जरिये इन जमीनों को जो लोगों ने इस तरह से इकट्ठी कर ली हैं, बंटवा कर रहेंगे। यही एग्रेरियन रिवोल्यूशन आज की परिस्थितियों का सोल्यूशन हो सकता है। इस तरह से आप अपनी जमीनों को ढांपने की कोशिश कर सकते हैं, पर आने वाले अनरेस्ट को नहीं रोक सकते। असन्तोष को नहीं रोक सकते चाहे कोई भी इसे इस तरह से रोकने की कोशिश करे।

सभापति महोदय, इसी के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार की ओर से इस बात को बहुत बार कहा जाता है बढ़कर लैन्ड रिफार्म्स के बारे में कि हम सबसे आगे रहे हैं और सबसे आगे बढ़कर कार्यवाही की हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अब तो कम से कम कांग्रेस के स्पिलिट के बाद (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आपके नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह डेफिशियेन्सी है कानून लागू नहीं हुआ तो इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा सरकार की तरफ से यह बात कही जाती है। लैण्ड रिफार्म के बारें में,म यह निवेदन करु राजस्थान के अंदर कुल जितने खातेदार हैं, जितने किसान हैं वह 41 लाख 14 हजार 456 हैं। इसमें से 35 लाख 46 हजार 516 ये टोटल खातेदार हैं। यह गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जो पुस्तिका दी है उसके आंकड़े से बता रहा हूं। 35 लाख में से जो टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 और 19 के तहत लैन्ड रिफार्म्स ये उनमें 7 लाख 47 हजार 147 हैं जिनको खातेदारी हकूक मिले। इसका मतलब टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 और 19 के तहत केवल 18 पर्सेन्ट को मिले और जमीन 4 करोड़ 51 लाख है। इतनी जमीन 53 लाख 94 हजार 256 जो 9 पर्सेन्ट आती है यानि 18 पर्सेन्ट को 9 पर्सेन्ट जमीन मिले। इसका मतलब है सभापति महोदय, इसी के अंदर और फिगर हैं अदर खातेदार 95 हजार 648 यानि ऐसे लोग हैं जो खातेदार हैं यानि जो जागीरदार उनके नाम खातेदार बन गय हैं। जो उनके रिश्तेदार हैं उनके अब खातेदार बन गये हैं।

एक माननीय सदस्य: जागीरदारों का क्यों नाम लेते हैं इनका नाम लें?

श्री रामानन्द अग्रवाल: सभापति महोदय, 71 लाख 44 हजार 496 बीघा जमीन छोड़ी थी, दो पर्सेन्ट लोगों के पास 13 पर्सेन्ट जमीन, 18 पर्सेन्ट जिनके खातेदार केवल 9 पर्सेन्ट जमीन और जो जमीन ली गई उनमें दो पर्सेन्ट लोगों को 13 पर्सेन्ट जमीन छोड़ी गई है। यह टोटल इम्पेक्ट इन कानूनों के जरिये हुआ है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आज भी यह जो ट्रांसफर्स किये गये हैं इनको लीगेलाइज करने की बात की जाती है। अभी माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा, 18-8-69 को जवाब मिला जिसमें बताया 1958 से 1966 तक 15 करोड़ 19 लाख 71 हजार 1833

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रुपये की जमीन बेची गई है इस पीरियड में जो कि इल्लिगल है। करीब 15 करोड़ से अधिक एरिया और 7 लाख 22 हजार 236 एकड़ और कुछ बीघा, 37 लाख 232 बीघा इतनी जमीनों के ट्रांसफर हुये हैं। इनमें से भूमिहीनों के नाम पर और लीगेलाइज करना चाहते हैं। जिनमें कुछ जमीनें जिनाइन ट्रांसफर की हो सकती हैं—मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता हूं। इतना बड़ा मेग्निट्यूड है। सीलिंग के अंदर कितनी जमीन मिले, हमारा अन्दाजा है गवर्नमेंट इल्लिगल को लीगली नाजायज करार कर दे, बेनामी को निकाल दे तो 50 लाख बीघा और मिल सकती है।

डॉ० धूलसिंह, जिन्होंने सेम्पल सर्वे किया है हिसाब किया है जितने टिनेन्ट हैं उनके हिसाब से एवरेज एक एकड़ जमीन और फालतू निकल सकती है। उनमें कुछ लेकुना हो सकते हैं उन्होंने जो हिसाब लगाया है। किन्तु हमारा हिसाब है एक एकड़ नहीं 1 प्वाइन्ट 8 एकड़ फी टिनेन्ट के हिसाब से जमीन मिल सकती है। इस प्रकार 50 लाख एकड़ जमीन राजस्थान के अंदर सरप्लस मिल सकती है जो भूमिहीनों के अंदर वितरित हो सकती है बशर्ते सीलिंग के कानून को सही ढंग से काम में लाया जाय—ये बेनामें और बोगस चीजों को निकाल दिया जाय और जो काश्तकार नहीं है, उनसे जमीन ली जाय तो यह जमीन मिल सकती है। सभापति महोदय, लैण्ड रिफार्मेशन केवल....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सीलिंग की बात है। यहां पर लोगों को बेदखली करते हैं। छोटे लोगों से बटाई ज्यादा लेते हैं लगान कम देते हैं। आज इससे सारा का सारा राजस्थान पीड़ित है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस तरह के टिनेन्सी रिफार्मस के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया गया। बम्बई में रिज्योल्यूशन में यह साफ तौर पर कहा गया है इस रिजोल्यूशन के अन्दर कहा गया है एक्चुअल यह कदम उठायेंगे। यह जो रिजोल्यूशन पास हुआ है वह मैं पढ़कर सुनाता हूं।

"The Congress recognises the crucial importance of land reform both as a measure of social justice and as an important input of agricultural development. The State Governments should adopt the following step as a matter of urgency:—

(1) All laws passed in relation to land reforms should be fully implemented by 1970-71 and abolition of remaining intermediaries by the end of 1970.

(2) Review of the existing provisions relating to remaining land with a view to making them more stringent.

(3) Conferment of security of tenure on actual tillers of the land.

(4) Settlement of surplus and with landless labourers."

मैं निवेदन करना चाहूंगा आज गवर्नमेंट ने कोई घोषणा की जो इन्टरमीडियरी टेन्योर है उसको खतम कर देंगे। शायद गवर्नमेंट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह मानकर बैठे है इन्टरमीडियरी टेन्योर नहीं रहे हैं। राजाओं से कानून एक बीघा जमीन नहीं ली है एक तो वह, और जो बड़े बड़े खातेदार हैं। जागीरदार खातेदारी का नाम लेकर आज भी बटाई के नाम पर जमीनें दे रहे हैं। कोई नौकर रखकर करवा रहा है। इस तरह सभापति महोदय, आज भी राजस्थान के अंदर 25 पर्सेन्ट इन्टरमीडियेटरी हैं, बिचौलिये हैं और आपकी सरकार ने सब-टिनेन्ट का खतरा ही हटा दिया हैं। गिरदावर उसका इन्द्राज करता ही नहीं है, उसका नाम कहीं है ही नहीं—न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी वाली बात है। आपका रिजोल्यूशन कहता है रेकार्ड का राईट है। टिनेन्ट के अधिकारों को नहीं रखा गया है, जो जोतने वाले हैं उनके अधिकार दर्ज किये जायें। इस तरह के आपने अपने ऑर्डर्स निकालकर इस तरह के इन्द्राज को खतम करवा दिया।

एक हरिजन अगर बटाई कर रहा है, एक नौकर अगर कर रहा है तो पटवारी, चाहे उसको जोतते कितना ही अर्सा हो गया हो उसका इन्द्राज नहीं करेगा ताकि उसका कहीं राइट ही नहीं बने। मैं यह कहना चाहता हूं अभी भी नियत है नहीं सरकार की कि इस तरह के खातेदारी हक दे। इस तरह की जो बटाई चल रही है, जो लोगों को काश्त पर दी जा रही है कम से कम 25 पर्सेन्ट लोग ऐसे हैं मैं समझता हूं सभापति महोदय, आप भी जानते होंगे गांवों के अंदर बटाई चल रही है बटाई का वही पुराना तरीका है। सही है जागीरदारी सिस्टम खतम हो गया, इन्टरमिडियरी खतम हो गया लेकिन ये 25 पर्सेन्ट आदिवासी, हरिजन और गरीब तबका जो कह नहीं सकता उनके अधिकारों का हनन हो रहा है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनका कान पकड़कर हटा दिया जाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप 50 मिनट बोल चुके हैं।

रामानन्द अग्रवाल: सभापति महोदय, इसलिए मैं यह उम्मीद करता था कि इस तरह के टिनेन्सी रिफार्म्स के कानून आने के बारे में गवर्नमेन्ट जिक्र करेगी और जो बम्बई में प्रस्ताव पास हुआ है उसके मुताबिक इस हाउस में लायेगी लेकिन उस बारे में गवर्नमेन्ट मौन है। इसका भाषण में भी जिक्र नहीं किया है इसलिए मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट अपने उस पुराने स्टेण्ड पर ही कायम रहना चाहती है।

सभापति महोदय, अकाल के बारे में चूंकि अलग बहस हो रही है इसलिये मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा लेकिन एक बात का जिक्र मैं अवश्य करना चाहूंगा। अकाल के बारे में गवर्नमेन्ट की तरफ से यह नीति अपनाई गई कि राजस्थान कैनाल के ऊपर हम लोगों को काम देने के लिए तैयार हैं। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेन्ट इसको सीरियसली ले तो मुद्दा यह था कि क्या यह लोडेबल आरेंजमेंट है? और हमने इस बात का विरोध नहीं किया कि लोगों को राजस्थान कैनाल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपने घोषणा यह की थी कि हम केवल 1 लाख 25 हजार लोगों को उस पर लगायेंगे। 25 हजार तो लूणकरणसर की लिफ्ट इरिगेशन को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कैनाल पर और 1 लाख लोगों को मेन कैनाल के ऊपर लगायेंगे और उसमें आपने जैसलमेर जिले, बीकानेर जिले के मुख्य रूप से और बाड़मेर के लोगों को लेने के बारे में कहा था लेकिन अकालग्रस्त क्षेत्र में कितने लोग अकालग्रस्त थे ? अकाल सबसे ज्यादा बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में था और यही सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरियाज थे । क्या इनके 1 लाख 25 हजार लोगों को ही काम की आवश्यकता थी ? मैं समझता हूं कि काम की आवश्यकता वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी । इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट अपने आब्जेक्टिव में उन लोगों को वहां लेने में सफल नहीं हुई । इसमें शक नहीं कि कुछ लोगों ने रीएक्शनरी स्टेण्ड लिया । यहां तो कहा कि काम ऐसा करो कि जो स्थाई हो और वहां जायें तो कहें कि हमें स्थाई काम नहीं करवाने केवल बालू मिट्टी डालो । सभापति महोदय, मैं जैसलमेर में गया--कुछ ऐसे लोग जो मुफ्त का खाना चाहते थे काम तो मेघवालों से कराते थे और जूते से अपना नाम दर्ज कराते थे और वह नहीं चाहते थे कि वहां जायें । जो काम करने वाले थे उनको ऐतराज नहीं था कि वे जायं । वह चाहते थे कि उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको काम परमानेन्ट नेचर का मिले और पीछे से उसके बच्चों का इन्तजाम हो । उनका सही इन्तजाम हो तो वह जाने को तैयार हैं लेकिन गवंनमेन्ट की तरफ से यह कमी रही कि कोई कॉम्पेक्ट प्रोग्राम या कॉम्प्रीहेन्सिव स्कीम नहीं बनाई गई जिससे सब लोगों को उसके अन्दर एम्पलॉय किया जाता, अच्छी तरह से उनको सुविधायें दी जातीं । मैं समझता हूं कि राजस्थान कैनाल में नेशनल इन्ट्रेस्ट है । राजस्थान (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) की जनता का इन्ट्रस्ट है कि राजस्थान कैनाल जल्दी से जल्दी बने और उसके अन्दर हम मोबोलाइज करें लोगों को और धर्म के रूप में इसे लें जैसे लोग गावों के अन्दर जाते हैं और तालाबों के अन्दर मिट्टी खोदकर आते हैं और श्रमदान देते हैं । सारे राजस्थानियों और राजस्थान के अगर 2 करोड़ 15 लाख के जीवनस्तर को उठाना चाहते हैं तो राजस्थान कैनाल हमारी सक्सेस का शीट एन्कोर है -- इसके अन्दर किसी तरह की रूकावट नहीं होनी चाहिये लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने जो नीति सामने रखी उसमें प्रेक्टिकल तौर से क्योंकि न उसके पास फण्ड्स थे, न प्रेक्टिकल रूप से लोगों को काम देने की बात कही इसलिए वह फेल हुई । इसलिए मुझे अफसोस है कि जिस तरह से 10 रुपया प्रति व्यक्ति की बात कही गयी, नवम्बर के महीने में कही गयी लेकिन आज तक किसी को एक पैसा नहीं मिला है । भूखे लोगों के काम भी बन्द कर दिये और अब कहते हैं कि फरवरी तक इन्तजार करो । वे नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी के महीने में कहां खायेंगे, किस को रोयेंगे ? इस बीच के अन्दर उनके भूख से मरने की नौबत आयेगी तो यह कौनसा इन्सानी फर्ज अदा कर रही है गवर्नमेंट ? यह एटीट्यूड गलत है, इनह्यूमन है। अकाल के प्रश्न पर मैं इस ओर भी बैठने वाले माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक पोजिटिव और कन्सट्रक्टिव एप्रोच एडाप्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा राजस्थान का पैसा वेस्ट नहीं हो । पैसा वेस्ट किया जाता है, गवर्नमेन्ट की

(रामानन्द अग्रवाल)

तरफ से वेस्ट किया जाता है। लोगों ने बीस-बीस लाख रुपया कमा लिया ऐसा लोग कहते हैं—यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, सभापति महोदय। इस तरह की इकानॉमी में हम पूरे अपने रिसोर्सेस जुटायें, पूरी ताकत से। यह हमारा नेशनल क्वेश्चन है और राजस्थान कैनाल हमरा डिफेन्स प्राजेक्ट है हम केन्द्र से भी कहें कि इसको नेशनल प्राजेक्ट के रूप में मन्जूर करें। यही स्थाई हल अकाल का हो सकता है और इस दिशा में हमें काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा ....

श्री सभापति : आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 2 मिनट में समाप्त करता हूं इस तरह की कुछ नीतियों का मैंने जिक्र किया। मैं उम्मीद करता था कि गवर्नमेंट की तरफ से अब नयी डाइरेक्शन उसकी दी जाती लेकिन आज तक वही पुरानी बातें हैं, उसी तरह के पुराने डाइरेक्शन हैं। मैं समझता हूं कि आज देश के अन्दर जो कांग्रेस की स्थिति बनी है, उससे नयी दिशा सारी पार्टियों को सोचने के लिए अवसर मिला है। आज समय आ गया है कि यह सोचें कि देश को आवश्यकता क्या है? प्रान्त को आवश्यकता क्या है? उस बात को मुख्य बुनियाद मानकर उस दिशा में हम सोचें। केवल डिसीप्लीन के मामले में सही बात नहीं कहें-यह राजनीति पुरानी हो चुकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप नवीनता दिखाना चाहते हैं, अगर नयी डाइरेक्शन इस राजस्थान को देना चाहते हैं तो इस बात से कि केवल आप एक दल में हैं इसलिये आपको एक भाषा बोलनी है, एक बात कहनी है यह तमाम लोग सोचें चाहे इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों। इधर बैठने वाले भी यह सोचें कि क्योंकि हम अपोजीशन में हैं और हमको एक भाषा बोलनी है तो मैं समझता हूं कि आज देश के हित में, प्रान्त के हित में यह दशा, यह अन्धी राजनीति है और इससे राजस्थान का और देश का भला नहीं हो सकता। उधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी इस रस्सी से बंधे हुई बात को महसूस नहीं करें। इधर तो बंधे हुए नहीं हैं। सब अलग अलग दल हैं। जो सही बात है उसको जरूर कहें.....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : कम्युनिस्ट देशों में कितनी अलग अलग आजादी से बात कही जाती है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप पढ़ने की कोशिश करें। बहुत आजादी के साथ कही जाती है। आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग अटेण्ड करें इसलिये नहीं जानते कि कितनी आजादी वहां पर होती है। घबरायें, मत। आपको डर हुआ कि आपके डिसीप्लीन को टक्कर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही और आपको एक डाइरेक्शन दी है। जब उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में डिसीप्लीन की बात को तोड़ा था आप उससे सहमत नहीं हुए थे। आज आप भी आपके इस प्रान्त के अन्दर जो नौजवान आपकी नीतियों से सहमत नहीं हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उनके ऊपर पाबन्दी लगाना चाहते हैं उनको रोकना चाहते हैं, उनके एक्सप्रेशन को बन्द करना चाहते हैं। मैं यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

समझता हूं कि इस तरह की राजनीति, कि यह सब अन्धे बनकर चलें इस तरह से देश का भला होने वाला नहीं है। 22 वर्ष यह राजनीति चल चुकी है और उन 22 वर्ष में हम आगे नहीं बढ़े हैं। आज ईमानदारी से इधर वाले माननीय सदस्य या उधर वाले माननीय सदस्य को जिन नीतियों पर, जिन बुनियादी मुद्दों पर उनके एक से विचार हैं, एक से दृष्टिकोण हैं दिलेरी के साथ और बगैर खौफ ..और .. खतरे .. के जनता के सामने उन विचारों को रखना चाहिये। अपनी पार्टी की मीटिंग में रखें, यहां भी रखें, तभी एक नयी डाइरेक्शन राजस्थान को मिल सकती है वरना वही पुराने लोग, वही पुरानी नीतियां, वही पुराने हुक्म, वही पुराना नेतृत्व एक नयी डाइरेक्शन देने से नयी कांग्रेस नहीं बन सकती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम राजस्थान में और सारे देश में एक क्रांति के कगार पर खड़े हैं। हम क्रांति चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। ऐसे लोग जिनके निहित स्वार्थ हैं वह बदलाव नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि हम जिन्दा बने रहें। वे चाहते हैं कि जो कुछ बड़े हैं वे बड़े ही बने रहें, जो भूखे हैं वे भूखे ही रहें, और पुलिस और फौज आकर उनकी मदद करती रहे, उनकी सम्पत्ति की रक्षा करती रहे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, आपने नारा दिया है कि अरबन प्रॉपर्टी पर सीलिंग लागू हो। यह सही बात है और गांवों में कुरकुराहट है कि जब हमारी जमीन पर सीलिंग है तो शहर की प्रॉपर्टी पर सीलिंग क्यों न हो। वह सीलिंग लागू होना चाहिए। हम उसके समर्थक हैं। गांवों में भी और शहरों में भी वह लागू होना चाहिए। लेकिन लॉ एण्ड ऑर्डर की बात कह कर, शान्ति की बात कहकर इन बड़े परिवर्तनों से डिनाई करने की कोशिश करेंगे, एक तरफ तो आलिशान इमारतें और अटालिकाएं हैं और एक तरफ भूखे लोग झोंपड़ियों के अंदर बस रहे हैं ऐसी स्थिति में भी आप इन बड़े परिवर्तनों को नहीं करेंगे और किसी भी बहाने से उनको टाले रखेंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कितने ही कानून बना लें, कितनी ही शान्ति की बात करें यह मतभेद और फर्क गरीब और अमीर का कायम रह नहीं सकेगा। लोग तोड़ेंगे इस फर्क को और अपनी ताकत से तोड़ेंगे चाहे उससे आपके कितने ही कानून टूटें, आपकी शान्ति टूटे लेकिन परिवर्तन लायेंगे, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आवश्यक रूप से परिवर्तन लायेंगे (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) फिर आप कह सकते हैं और आप लोग रोज ही कहते हैं कि इसको कर दो वरना कम्युनिस्ट आयेंगे आप जल्दी करदो वरना कम्युनिस्ट आयेंगे। वे कहते हैं...

श्री मदनसिंह : वह आप लोग नहीं ला सकते हैं। कम्युनिज्म कौन लायेगा ? कम्युनिज्म बनियों से नहीं आ सकता है। कम्युनिज्म लायेगी तो वह मार्शल कौम ही लायेगी, पेट्रोल पम्प चलाने वालों से कम्युनिज्म नहीं आ सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं कि इस नारे से, ठाकुर साहब, ठाकुर लोग चकित होने वाले नहीं हैं। उन्हें अपनी प्रिवी-पर्स बचाने की चिन्ता है, अपना मुआवजा बचाने की चिन्ता है। हम जानते हैं कि आप जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं महारानी गायत्री के....

श्री मदनसिंह : प्रणाम हम करते हैं और प्रणाम अपनी मां को करते हैं। उनको

(श्री मदनसिंह)

अपनी मां आज भी मानते हैं। आप गवर्नमेंट बनाने के लिए उनके कदमों में बैठे थे। गवर्नमेंट फ़ार्म करने के लिए महारावल के साथ गये थे। आप उनके साथ बैठकर समाजवाद लाना चाहते थे क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मालूम नहीं है.....

श्री मदनसिंह : मुझे तो मालूम नहीं है और आप अकेले को मालूम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कम्युनिस्ट वोट की जरूरत पड़ी तो महारानी गायत्री देवी और वे लोग जो कम्युनिस्टों को हौआ और भूत मानते थे वे कहने लगे कि हम विशेषाधिकार छोड़ देंगे, सीलिंग को मन्जूर करेंगे। इसके लिए दस्तखत करने पड़े तो ऐसी की तैसी करा कर दस्तखत करने पड़े। आप कहते हैं कि हम सीलिंग के खिलाफ हैं.....

श्री मदनसिंह : आप भी अपने सिद्धान्तों की ऐसी तैसी करवा कर नहीं बैठे ?

श्री दिग्विजयसिंह : आप भी अपनी ऐसी की तैसी करा कर आये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह बदल गये। यह हम बखूबी जानते हैं। इस सदन में आपने कहा कि एक तरफ तो मठाधीश बने बैठे हैं। जनता का उनमें विश्वास नहीं रहा जनता के साथ 22 वर्षों से धोखा कर रहे हैं। दूसरा यह कहने वाले हैं कि जनता के सामने चेहरा आ जाय और तीसरे जो इस बात का दावा करने वाले हैं उनका चेहरा भी जनता के सामने आ जाय और मैं मानता हूं सभापति महोदय, कि वह चेहरा बिल्कुल साफ आगया है ....

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने भाषण को समाप्त करें। आप एक घंटे तक बोल चुके हैं।

श्री मदनसिंह : यह सही बात है कि यह सदन ही बरदाश्त करता है, एक अकेले आदमी को एक घण्टे का चान्स देते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज देश में ध्रुवीकरण हो रहा है। एक तरफ तो सिन्डीकेट कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ मिलकर अपना एलायन्स बना रहे हैं देशव्यापी पैमाने पर और दूसरी तरफ जो प्रगतिशील शक्तियां हैं वे भी इकट्ठी हो रही हैं, सभापति महोदय। आज यह देश के अंदर बड़ा परिवर्तन इस दिशा के अंदर होने वाला है। इसलिये इस सदन के माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन बड़े परिवर्तनों की इस दिशा को देखते हुए आज हम सही भूमिका अदा करें सब लोग यही मैं आशा करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मदनसिंह : माननीय सभापति महोदय,.....

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद।

श्री मदनसिंह : मैंने पहले भी निवेदन किया था कि पार्टियों के जो सदस्य हैं वे ही बोलते हैं और स्वतन्त्र जो व्यक्ति हैं वे बहुत थोड़े हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, आप (कांग्रेस पक्ष) और चाहते हैं कि मेरे पेट्रोल पम्प के बारे में...

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। श्री गोकुलप्रसाद।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, हमारे.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, मेरे पेट्रोल पम्प के बारे में माननीय सदस्य ने कुछ ऐतराज उठाया है तो मैं एक ही मिनिट में उसको स्पष्ट कर दूं। कालटैक्स पेट्रोल पम्प का मैं डीलर हूं, और मैं चाहता हूं कि कालटैक्स, एस्सो, बर्मा शैल का जल्दी से जल्दी नेशनेलाइजेशन हो जाय और हिन्दुस्तान की प्रॉपर्टी बने, उस बात में जिस तरह का भी प्रोग्राम आये तो मैं पूरा सबके साथ और सबका अगुआ बनकर काम करूंगा।

श्री मदनसिंह : इस भरोसे में न रहें। जैसे लोगों ने जमीन दबा ली है वहां माचिस की पेटी भी हमारे पास है और आपके पेट्रोल में आग लगा सकते हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर, प्लीज। श्री गोकुलप्रसाद।

श्रीमती कान्ता कसूरिया : सभापति महोदय,....

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : पॉइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है वह यह है कि हमने अपने स्थगन प्रस्ताव और कॉल अटेन्शन नोटिस दिये तो अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल लें। एक ओर तो स्थगन प्रस्ताव और कॉल अटेन्शन नोटिस के बारे में यह कहा जाता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल लें उसका उत्तर मिल जायगा और दूसरी ओर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय नहीं मिलता है। स्थगन प्रस्तावों पर और कॉल अटेन्शन नोटिस पर समय नहीं मिला, तो इस प्रकार की बात कह कर बोलने पर हमारे मूलभूत अधिकार पर कुठाराघात करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समय एक दिन के लिए और आगे बढ़ा दें। और हमें समय दें स्थगन प्रस्तावों और कॉल अटेन्शन नोटिसेज पर विचार व्यक्त करने का नहीं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर समय दिया जाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। श्री गोकुलप्रसाद।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसके ऊपर क्या है?

श्री सभापति : आप इसके बारे में उपाध्यक्षजी से मिल लें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप आसन पर विराजमान हैं इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस प्रकार से एक तरफ तो यह कहा जाता है स्थगन प्रस्तावों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर कि

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल लें और दूसरी तरफ समय नहीं मिले। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि समय दिया जाय।

श्री सभापति: कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑडर प्लीज। श्री गोकुल प्रसाद।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक अभिभाषण दिया....

श्री सभापति: आप समय का ध्यान रखें। आपके दल वाले......

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: मैं समय का ध्यान रखता हूं।

श्री सभापति: 11 सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: आप अपना ध्यान रखें।

श्री देवीदत्त गाड़िया: ऐसा....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: 'ऐसा' नहीं बैठ जाओ। विरोधी पक्ष जब बोलता है तो आसन ध्यान नहीं रखता है और हमें ही कहा जाता है क्योंकि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और सदन का कार्यक्रम बनाये रखते हैं, इसलिए समय के लिए कहा जाता है कि समय का पालन करो।

पहली जो बात कही है राज्यपाल महोदय ने कि नये वर्ष के नये अधिवेशन के शुरू होने पर में सदस्यों का स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के प्रति हम आभार प्रदर्शित करना चाहते हैं कि इन शब्दों के साथ आपका स्वागत किया था, इस सदन का।

दूसरे जो राज्यपाल महोदय ने बात कही वह यह कि हमें यह संविधान का तेइसवां संशोधन पारित करना है क्योंकि हम इन 20-25 वर्षों में भी हरिजनों और आदिवासियों का उत्थान नहीं कर पाये हैं, तो मैं समझता हूं कि मुझे उसमें खेद है कि इतने वर्षों के बाद भी हम समाज के एक तबके को आज तक हमारे बराबर नहीं कर पाये हैं, हालांकि जो सवर्ण कहे जाते हैं उनमें भी बहुत गरीब लोग हैं जिनके यहां सुबह और शाम के खाने का पता नहीं है..

श्री भैरोंसिंह: एक तो आप हैं उनमें से।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: शेखावतों की बात है जिनकी धोती घड़े में रहती है और पता ही नहीं लगता है शेखावतों के बारे में कोई पूछे जाकर खेत में। तो वह कहता है कि किसी आदमी को पूछो। शेखावतों की ऐसी साख है..

श्री मदनसिंह: समाजवाद है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: आपकी क्या जाति है कि धोती घड़ा........

श्री मदनसिंह: एक जगह तो हैं, मिले हुए तो हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: आप बैठे अच्छे लगते हो, आप खड़े क्यों होते हो।

श्री मदनसिंह: आप शेखावत की बात मत करो। शेखावत मैं भी हूं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: इन्होंने पुष्करणा की बात की कही इसलिए मैंने कहा।

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

तो आज तक छोटी जाति के लोगों को बराबर नहीं ला पाये हैं इसलिये दुःख के साथ फिर संशोधन संविधान में करना पड़ रहा है। यह संशोधन किया है इसके साथ ही हम यह प्रतिज्ञा करते कि अगले दस साल में दुबारा इसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तक जो हुआ है उसका तो हमें खेद है लेकिन आगे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए छुआछूत को और भेदभाव को मिटाना चाहिए।

तीसरे राज्यपाल महोदय ने तो हमें ऐसी मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष बीस लाख आदमियों को अकाल राहत कार्यों में काम दिया, इससे सीमा पर स्थित गावों में रहने वाले लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा रहा। बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? इस साल अकाल पड़ा, तो काम बन्द कर दिये गये और हमारा मनोबल भी समाप्त कर दिया गया। जब बीस लाख आदमियों को अकाल राहत कार्यों में काम दिया गया तो उनका मनोबल ऊंचा रहा। धूप, सर्दी, गर्मी, भूख और प्यास में भी उनका मनोबल नहीं गिरा। लेकिन इस साल क्या हुआ? इस साल बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के अकालग्रस्त गांवों के लोगों का, जिनके यहां पिछले वर्षों से अकाल पड़ता रहा है, पिछले साल मनोबल ऊंचा करके अब उनके सिर पर पत्थर दे मारा। काम बन्द कर दिये। अब क्या उनको दिया जायगा? देने के नाम कोई काम की बात नहीं है। अब क्या देंगे? दस रुपये देंगे। पांच रुपये ऋण के और पांच रुपये अनुदान के। सभापति महोदय, दस रुपये में एक आदमी अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है? आजकल तो बीड़ी-तम्बाकू की लोगों की आदत है। दस रुपये की तो वह बीड़ी पी जाते हैं। वहां पर दस रुपये में परिवार के पालन-पोषण की बात कहते है, जबकि एक रुपये किलो तो बाजरा है, तो फिर दस रुपये........

श्री गोकुल चन्द आटण (खैरथल) : परिवार के प्रत्येक सदस्य को दस रुपये हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : सुनो। आपको पता नहीं है। यों ही बात बनाते हो। तुम्हारी जाति के लोग भूखे मरते हैं। यहां बात बनाते हो।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज! आपस में बात न करें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : बीच में बोलेंगे तो मैं इसी तरह उनको कहना उचित समझता हूं।

मेरा यह निवेदन करना है कि पांच रुपये वह कर्ज के वापिस चुकायेंगे तो कब चुकायेंगे? जब उनके पास अनाज होगा। जहां सात-सात वर्ष से अकाल पड़ रहा है वहां आप इस आधार पर सहायता दे रहे हैं। आपने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को घर से दस मील दूर काम पर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? जो लोग इरादतन मजदूर नहीं है, जिनकी ऐसी मजबूरियां हैं, जो लोग पशुपालक हैं, वह लोग अपनी भेड़-बकरी को लेकर कहां जायेंगे? वह लोग राजस्थान कैनाल के काम में नहीं लग पायेंगे? अकाल के समय में वह अपनी भेड़-बकरी

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

को लेकर इधर उधर चले जाते हैं। कुछ भेड़-बकरी मर जाती है और कुछ बच जाती है। आज इन इलाकों में गाय का पता नहीं। गये साल गायें बच गई थीं, लेकिन इस साल उनका पता नहीं है। वह गायें गऊ लोक चली गई। ऐसे लोगों के लिए राहत कार्य कुछ नहीं हो पाया है। सौ, दो सौ गांवों में घास नहीं दे पाये हैं। उनको घास नहीं दे पायेंगे तो वह लोग पशुओं को नहीं बचा पायेंगे। राज्यपाल महोदय ने तो हम लोगों का मनोबल ऊंचा उठा कर बढ़िया कह दिया। तुम्हारा मनोबल बढ़िया है। बढ़िया कहने से काम नहीं चलने वाला है। वाहवाही करने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि राजस्थान के उन इलाकों के अन्दर कोई काम चलने वाला नहीं है। मुझे एक किस्सा याद आता है, कलकत्ता के एक सेठ के यहां सीकर के राजाजी गये। उनकी उन्होंने अच्छी खातरदारी की। उनके ऊपर दो लाख रुपये खर्च कर दिये। काका से पूछा-कैसा रहा? दो लाख रुपये में शोभा में बढोतरी आई। चाचा कुछ बोला नहीं। उसको फिर कहा कि शोभा में बढोत्तरी आई? उसने कहा, क्या शोभा में बढोत्तरी आई। यह गाड़ी कितने कि है? कहा-सत्तर हजार रुपये की। पूछा-बेचो तो कितने में बिकेगी? कहा, पचास हजार में बिक जायेगी। पूछा—इस शोभा को बेचो तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मनोबल की वाहवाही करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे दो लाख रुपये गये, उससे शोभा ....

(3.45 म० प०)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

बढ़ी नहीं, इज्जत बढ़ी नहीं। तो राज्यपाल महोदय ने तो हमारे मनोबल की वाहवाही करदी, उससे हमारी तो हालत खराब करदी। हमारे यहां के काम बन्द कर दिये गये। लोगों के पास भेड़-बकरी और गायों के लिए घास नहीं। वह लोग घास के लिए इधर उधर भटकते फिरें या फिर उनके पशु घास के अभाव में मरें। उनके इलाके के अन्दर कोई काम नहीं खोला है। मैं कहता हूं कि सारे राजस्थान के अकालग्रस्त इलाकों के अन्दर जहां काम शुरू नहीं किया है वहां लोगों को पांच दस रुपये दे कर काम करवाया जाता तो मुझे संतोष होता और आपको भी संतोष होता। लेकिन आप काम कहां करवा रहे हैं? चूरू के तमाम इलाके में आपके काम चल रहे हैं। वहां लोगों को पांच रुपये नहीं दिये गये क्योंकि उनका नैतिक स्तर, पैसे का स्तर, आर्थिक स्तर बहुत ऊंचा है। उनको आपको मजदूरी देनी ही पड़ेगी। लेकिन जिन इलाकों के अन्दर गरीब लोग हैं जैसे बाड़मेर भूखा है, वहां के लोग गरीब हैं तो वह लोग पांच रुपये में काम चला सकते हैं, जोधपुर के लोग पांच दस रुपये में काम चला सकते हैं, बीकानेर के लोग दस रुपये में काम चला सकते हैं और पांच रुपये उन्हें कर्ज के मिलेंगे। जैसलमेर का आदमी गरीब है, वह कुछ खाता पीता नहीं है, भूखा मरता है, उसको भी पांच दस रुपये देंगे। लेकिन आप भीलवाड़ा में काम चलायेंगे, आसीन्द में काम चलायेंगे, माण्डल में काम चलायेंगे, उदयपुर में काम चलायेंगे। यहां पर लोगों को काम दिया गया है और यहां पर अकाल के काम खोले हैं। सभापति महोदय........

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा ; अध्यक्ष महोदय, जरा ख्याल नहीं रहा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो अकाल सहायता मंत्री हैं वह किस इलाके से आये हैं ? वह जिस इलाके से आये हैं, वहां पर पांच रुपये ऋण और पांच रुपये सहायता और वह भी ढाई ढाई आना करके देंगे, पांच भी पूरे नहीं देंगे, ढाई आना, पन्द्रह पैसे, पन्द्रह पैसे इस प्रकार तीस पैसे ले जाकर अपने बाल बच्चों का पेट भरें। वह भी उनको आज तक नहीं मिले हैं। जो उप-मंत्री हैं, अकाल के जितने भी मिनिस्टर हैं वह वहां के निवासी हैं। उन्होंने बाड़मेर का बड़ा स्वागत किया है तीस पैसे देकर। लेकिन उदयपुर में काम खोले जायेंगे, कोटा में काम खोले जायेंगे, भीलवाड़ा में काम खोले जायेंगे, अलवर में काम खोले जायेंगे। और जो गरीब इलाका है उनके लोगों को आप भूखा मार डालेंगे। उनको यह कहेंगे कि यह जगह छोड़ दो और चले आओ राजस्थान कैनाल पर। जहां हमारे देश की पाकिस्तान की सीमा से लगी हुई सीमा है वहां सैकड़ों गांव खाली हो गये हैं। वहां पर दुश्मन कब्जा कर ले तो क्या होगा ? वहां पर लोग आज भी अपनी भेड़-बकरी लिये हुए बैठे हैं। वह वहां से नहीं जायेंगे। जो लोग हैं वहां उनको जागीरदार समझते हैं लेकिन वह मेघवाल और चमार जाति के हैं उनको आप ढाई आने पकड़ा देते हैं। इस पर अकाल सहायता मंत्री कहते हैं कि हमने दस दस पये सहायता करदी है।

श्री गोकुल चन्द : यातायात के पैसे दे दिये हैं।

. . . . .

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपको मैंने कहा चुप रहिये। क्या मजाक है। आपको यातायात के पैसे नहीं मिलते, पांच सौ रुपये भी मिलते हैं....

श्री मदनसिंह : चुप चुप शब्द है यह..

श्री अध्यक्ष : कर्कश है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : वहां की हालत देखने के बाद यह किया है। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, तन पर पूरे कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए सामान नहीं है। पशु भूखे खड़े हैं। वह भेड़-बकरी को दूर जंगल में ले जाते हैं जहां पाव आधा सेर घास मिल जाती है और भेड़-बकरी को खिला कर वापिस आ जाते हैं। लेकिन आप इधर उधर से मंगा कर घास का इन्तजाम नहीं करेंगे। उनको कहेंगे कि आने जाने का खर्च देंगे, तुम राजस्थान कैनाल चले जाओ। जैसलमेर का एक आदमी राजस्थान कैनाल के काम पर लूणकरणसर में जाय तो वहां जाकर वह गाय को, पशुओं को कहां रखेगा, भेड़-बकरी को कहां रखेगा ? आप उदयपुर के लोगों को वहां क्यों नहीं भेज दो ? अलवर के लोगों को वहां क्यों नहीं भेज दी ? और जगह के लोगों को वहां क्यों नहीं भेज दो ? इन जगहों के जो लोग हैं उनको भी पांच रुपये दो। मत खोलो राजस्थान में काम। मरें तो सब साथ मरें। हम नहीं जाने देंगे उन लोगों को वहां। एक इलाके के लोगों के साथ पक्षपात करके उनको जिलाना चाहते हो ! मैं अकाल सहायता मंत्री को कहना चाहता हूं कि आप जिस इलाके से आये हैं वहां जाकर क्या मुंह दिखायेंगे ? वहां आपने क्या दिया है ? हो सकता है कि जोधपुर के इलाके में कुछ काम आप खुलवा दें। मैं कहता हूं

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

कि जहां आज काम बन्द है वहां पर सब जगह काम खोलो, नहीं तो सब जगह पैसे दो। पैसे दो तो सबको दो। नहीं तो स्थाई रूप से अकाल का मुकाबला करने के लिए जगह जगह काम खुलवाओ, यह क्या बात है ? आसीन्द में 1962 से लेकर अब तक अकाल पड़ा है। वहां पर हरा घास है। वहां पर पशुओं को हरा घास खिलाते हैं। मैं वहां देख कर आया हूं, वहां इतनी इतनी गेहूं की बाल है। हमारे यहां एक बाल भी दिखे तो हम यह कह देंगे कि हमारे यहां अकाल नहीं पड़ा है। हमारे यहां गेहूं के दर्शन नहीं ......

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : वहां ट्यूब वैल खोदे हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : नहीं खोदे हैं। नहीं खोदे हैं।

श्री मदनसिंह : यह एक ब्राह्मण की शिकायत है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : ट्यूब वैल दिखाने के लिए खोदे हैं लेकिन बन्द पड़े हैं। भैया, ट्यूब वैल से खेती नहीं होती है, ट्यूब वैल से जानवरों को पानी नहीं पिलाया जाता है। वहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आजादी के बीस साल बाद भी यही स्थिति है (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) इस हालत में यह कहा जाय कि तुम्हारा मनोबल पिछले साल बड़ा ऊंचा रहा, बड़े आनन्द से काम किया, कोई गड़बड़ी नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद कहा कि काम बन्द कर दिया गया। मेरा निवेदन है कि यहां काम खोले जायं। मुझे दुःख हुआ, कल बाड़मेर से आने वाले सदस्य ने कहा कि दस की जगह पन्द्रह रुपये कर दिये जायं, साढ़े सात रुपये सहायता और साढ़े सात रुपये कर्ज। पन्द्रह रुपये में वह अपना कैसे पालन करेंगे ? क्यों नहीं काम खोले जायं उन इलाकों की तरह जहां काम खोले हैं ? या कह दें मंत्रीजी कि काम नहीं खोले हैं। आखिर जैसलमेर से सैकड़ों मील दूर वह क्यों जायं ? बाड़मेर से सैकड़ों मील दूर वह क्यों जायं ? बीकानेर से लगा हुआ काम है, चूरू का इलाका है, वहां काम खोल रहे हैं, लेकिन बीकानेर में नहीं खोलना चाहते। पांच मील इधर काम चल रहा है और पांच मील से इधर वालों को कहते हैं कि तुम राजस्थान कैनाल पर जाओ। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने या तो कोई अपराध कर दिया है, रेगिस्तानी इलाके के लोगों ने या अकाल सहायता मंत्री को नाराज कर दिया है। उन्होंने अपना समझकर कुछ कह दिया होगा, या यह समझे होंगे कि यह दोनों, मंत्री, उप-मंत्री उस इलाके के रहने वाले हैं, दोनों के हाथ में अकाल सहायता का काम है तो उन लोगों की तरफ भी ठीक से देखें। या मोरारजी भाई के बहकाने में आ गये हैं उन्होंने कहा, कहां तीन मीटिंग में देखा, सब परसरामजी जैसे चेहरे वाले थे, दुबले पतले नहीं होते हैं वहां के आदमी........

श्री अध्यक्ष : आप जैसे ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं इस वक्त क्या........

श्री मदनसिंह : कमजोर हो गये हैं क्योंकि अकालग्रस्त हैं ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं उन्होंने देखा, ऊंची ऊंची पगड़ी है । मोटे मोटे आदमी हैं । शक्ल पर दुःख अंकित नहीं है । वह लोग इस इलाके में रहते हैं । भूख को बर्दास्त किये हुए हैं । भूख को बर्दास्त करने के बाद भी चमक रहती है चेहरे पर । ये तो मोरारजी भाई वाली बात याद रखना चाहते हैं । जब तक उनकी हड्डियां न निकले, चेहरे सूख न जायें तब तक ये नहीं समझेंगे कि यहां अकाल राहत कार्य खुलवाना जरूरी है । आपकी सहायता की वहां जरूरत है । हम हिन्दुस्तान की सीमा पर बैठे हुए हैं । हमें दुश्मनों का मुकाबला करना है इसलिए हमारा मनोबल ऊंचा है । देश के प्रति हमारी निष्ठा है ।

एक माननीय सदस्य आपका स्वास्थ्य तो अच्छा है ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मेरी उम्र में जब आओगे तो आप चल नहीं पाओगे । इस उम्र में आने पर पता चलेगा । अभी तो मैं टाइफाइड से उठा हूं ।

श्री अध्यक्ष : टाइफाइड से स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : अगली दफा देख लेना कि कैसा होता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं अब आप क्या कर रहे हो ? उस इलाके में जलप्रदाय योजनाएं बन रही हैं । क्या आप ये जलप्रदाय योजनाएं ढाणियों में चलायेंगे, जहां 10-20 घर हैं । ट्यूब वैल्स की बात आप कहते हैं । मैं पूछता हूं इनसे आप कहां वन लगायेंगे ? एक बंबूल विलायती लगाकर खड़ा कर देंगे । वैसे हमारे यहां जलाऊ लकड़ी बहुत है । इसकी हमें कोई कमी नहीं है । कमी है तो वहां रोजगार की है और घास की है । आप किस तरह से ट्यूब वैल्स खोलते हैं । एक मंत्री महोदय कह देते हैं जाओ तुम्हारे यहां ट्यूब वैल खोदा जायेगा । यह ट्यूब वैल वहां खोदा जायेगा जहां कि 5 घर भी नहीं हैं, 5 ढाणी भी नहीं हैं । उसके आधे मील पर ही 250 घर हैं परन्तु वहां ट्यूब वैल नहीं खोदा जायेगा । तो बड़ा झगड़ा है इस बात का । ट्यूब वैल आप खुदवाओ जरूर परन्तु उसके पहले यह आप देखें कि वास्तव में जरूरतमन्द लोग कौन हैं ? घूम फिर इसको तय करें । मैं यह नहीं कहता कि बीकानेर के आस-पास अकाल सहायता का कार्य खुले । बीकानेर के पास 125 स्क्वायर मील जमीन है । यह गोचर भूमि के लिये छुड़वाई गई है । आप उसके बीच में ट्यूब वैल्स खुदवाओ । उसमें घास के लिए जमीन का संरक्षण करवा दीजिये ताकि वहां घास हो जाय और लोगों को अकाल के दिनों में घास के लिये इधर उधर नहीं घूमना पड़े । और जब अकाल न पड़े उस इलाके के लोगों को खेती के लिए वह जमीन दे दो और उनसे पानी का पैसा लो । जितना भी पैसा होगा वे आपको देंगे ।

आपने यह बात कही चूंकि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

50 परसेन्ट के बजाय 75 परसेन्ट मांगा है। यह आपने ठीक किया। इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन में अब तक जितनी भी बहस हुई है उसमें सबने एक ही बात कही है कि गांव के किसान को इतना लाभ पहुंचाया जाये। राज्यपाल महोदय ने भी यही भाषण दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में किसान भी रहते हैं और मजदूरी पेशा लोग भी रहते हैं। उनके लिये किसी ने एक शब्द नहीं कहा और न शहर के मजदूर वर्ग और गांव के मजदूर वर्ग के लिए कहा। शहर में शिड्यूड कास्ट्स के लोग भी रहते हैं परन्तु उनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? गांव में कोई गरीब है तो उसको प्लॉट फ्री दिया जायेगा और मुफ्त में दिया जायेगा। शहर में गरीबों के लिये कोई बात नहीं कही गई है। ये भी उन्हीं के भाई हैं और यहां रहते हैं। ये भी कारखाने में काम करते हैं और 22½ रुपये की मजदूरी करने वाले हैं। शहरों की आबादी कम नहीं है। कई कारखानों में काम करते हैं, फिर भी कई जगह कारखाने नहीं हैं जहां वे पेट भरने के लिये मजदूरी कर सकें। इसलिये उनको गांव छोड़ कर शहरों में आना पड़ता है। शहरों में भी लोग पढ़-लिखकर नौकरी ढूंढते हैं। भाई शीशरामजी ने यहां कहा, नौकरियां 50 प्रतिशत किसानों के लिये कर दो।

श्री शीशराम (सादुलपुर) : मैंने सिर्फ इसके लिये ही नहीं कहा। हरिजनों, आदिवासियों सभी के लिये कहा है। इन्डस्ट्रियल उद्योगों के लिये भी कहा है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप मेरी बात सुनें। मैं कहता हूं नौकरियां 50 प्रतिशत किसान के लिये कर दो तो शहर वालों को गांवों में भी जाने दो। वे वहां जाकर खेती के लिये जमीनें ले सकें। यह मत कहो कि गावों की जमीन दूसरा नहीं खरीद सकेगा। क्या आप यह करना चाहते हैं? शहर वालों को गांवों में जाने दो। वे वहां खेती करें। यह पहली मेरी बात सुनें। आप किसान नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं देशी रियासतों के समय जब अकाल पड़ता था देशी रियासतें उस समय कोई सहायता का कार्य नहीं करती थीं। राजस्थान बनने के बाद जो मजदूरी पेशा लोग हैं वे शहरों में आकर झोंपड़ियां बनाकर रह गये और यहां आकर मजदूरी करने लगे और जब बरसात होती वे गांवों में चले जाते हैं मजदूरी करने के लिये। यह हो सकता है कि गांवों में उनका नाम लिखा हुआ नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं ऐसा तो नहीं समझा जाये कि जिसका म्युनिसिपल एरिया में नाम लिख लिया उसको तो राहत पहुंचाने का काम न किया जाये और जिसका नाम गांव में हो उसी को राहत पहुंचाने की चर्चा हो। यह मुझे बुरा लगा।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : क्या आप शहरों में नहीं रहते? क्या आपके बच्चे शहरों में नहीं पढ़ते? आपका रहना

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

सहन शहरों जैसा है ? यह खुशी की बात नहीं है ? हंसी की बात नहीं है ? यह एक गम्भीर बात आपको सुना रहा हूं। शहरों के लोगों की परवाह नहीं की जाती है। इसका नतीजा क्या होता है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा इसका नतीजा यह हुआ है कि आज इन तबको में गम्भीर असंतोष है। जो सदस्यों शहरों से चुनकर आये हैं वे भी यहां उनका पक्ष नहीं लेते हैं। शहर से ही भैरोंसिह जी यहां चुनकर आये हैं। उन्होंने भी शहर वालों के लिये एक शब्द नहीं कहा।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से यह इस बार शहर से चुनकर आ गए हैं। इसके पहले ये हमेशा गांवों की ही बात करते थे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप मेरी बात सुनें। सभी पेराग्राफ्स में यह कहा गया है कि हम गांवों को ही राहत पहुंचायेंगे। गांवों के मजदूरों को राहत पहुंचायेंगे। शहर के मजदूरों को राहत पहुंचायेंगे—यह कोई बात इसमें नहीं कही गई है। इसके अलावा दूसरी एक बात और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप भाषण समाप्त करें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मुझे तो थोड़ा सा ही समय लगा है। लोग तो घंटों तक बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी लम्बी चौड़ी है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : जिनके पार्टी नहीं है वे भी सवा सवा घंटा बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इसमें भी दो मिनिट लगा रहे हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक ही चीज है। एक तो राज्यपाल महोदय ने खेद प्रकट किया और सदन ने भी, यह जो गोलियां चलीं और किसान आन्दोलन चला उस पर। अध्यक्ष महोदय, यह आन्दोलन क्यों चला? इस आन्दोलन में जितने भाई जेल गये उनका आप सर्वे करवा लें कि वे कौन हैं। वे शरमायेदार हैं, जागीरदार हैं या वे लोग हैं जिनके खेत में मजदूरी करते हैं, बंटाई का काम करते हैं। एक एक का नाम आप इस सदन में रखिये कि वे कौन लोग हैं जो जेल में गये हैं। और फिर आकर यहां कहते हैं यह किसान आन्दोलन है। यह कैसा आन्दोलन है ? ये वे गरीब तबके के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं इन जमींदारों के यहां। मैंने देखा है जो जमींदार हैं वे जेल नहीं गये हैं। जो उनके मजदूर हैं उनको उन्होंने जेल भेजा है यह कह कर कि हम तुम्हारे बच्चों को देखेंगे और नहीं जाओगे तो हम तुम्हें खेती पर बंटाई का काम नहीं देंगे, हिस्सा नहीं देंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : गंगानगर जाकर देखिये आपको मालूम हो जायेगा कि कोन जेल गया है ? आप वहां गये ही नहीं और इस तरह की गलत बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं दौरा करने की बात निवेदन नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार को इसकी सर्वे कराने के लिये कह रहा हूं जिससे वे इस सदन को साफ कह दें कि वे कौन लोग थे जिन्होंने इस आन्दोलन में भाग लिया ? ....

(4 म० प०)

इसकी सर्वे कराई जाय कि कौन लोग थे जिन्होंने यह आन्दोलन किया ? ये यह लोग थे जिन्होंने आन्दोलन किया जो इन शरमायेदार किसानों के खेतों पर काम करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सर्वे के बारे में आपने कहा.........

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप मुझे कहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप इन्हें इन्टरप्ट न करें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : अभी कहा गया कि जयकिशनजी ने 100 बीघा जमीन खरीद ली, 23 में अपनी जमीन दी और 32 में ले ली। इसमें क्या गुनाह कर दिया ? इनको क्या मिल गया ?......

श्री रामानन्द अग्रवाल : 125 बीघा जमीन ली।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपका तो चश्मा ही ऐसा है। आज हजारों मजदूर बेरोजगार बैठे हैं, उनको कोई धंधा नहीं मिलता है। आज सरकारी कर्मचारियों की तो आपने मंहगाई बढ़ा दी, एक चपरासी को भी 136 से कम नहीं मिलता और इस भयंकर मंहगाई के जमाने में आप मजदूरों को दो ढाई रुपया रोज मजदूरी दिलाते हैं यह कहां तक न्याय है........

श्री रामचन्द्र आर्य : आन्दोलन करो।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : ठहरो ऊंचे मत उठो।

श्री भैरोंसिंह : ये दोनों बीकानेर के हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : माननीय शेखावतजी, मुझे कुछ कहना पड़ेगा। आपने आज अनाज के भाव मिनिमम बांध रखे हैं कि इससे नीचे जायेंगे तो हम खरीदेंगे पर भावों के ऊपर खड़े चढ़ने पर कोई पाबन्दी नहीं। इसका असर यह हुआ कि मंहगाई निरन्तर बढ़ रही है और जखीरेबाज अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। जहां पहले गेहूं का भाव 70 रुपया क्विन्टल था वह आज सवा सौ से ऊपर चला गया है। इण्डेक्स के आधार पर आपने कर्मचारियों की मंहगाई बढ़ा दी पर लाखों मजदूर काम कर रहे हैं उनकी नहीं बढ़ाई। आज उनकी बड़ी बुरी हालत है। पहले सब्जी के साथ रोटी खाते थे आज दाल के साथ भी नहीं खा सकते, चावल तो इन गरीबों को खाने को मिलता ही नहीं है। हर चीज मंहगी है पर इन गरीब मजदूरों के मिनिमम वेजेज आपने तय नहीं किये। आज कोई गरीब किसान अनाज नहीं बेचता, वह तो उतना ही अनाज पैदा करता है जितने से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। आज अनाज तो वे बड़े बड़े शरमायेदार, पूंजीपति किसान बेचते हैं जिन्होंने अनाज के बड़े बड़े जखीरे मुनाफा कमाने के लिये इकट्ठे कर रखे हैं। उन पूंजीपति किसानों को आपने खुली छूट दे रखी है कि तुम्हारे

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा चाहे उस भाव से अपनी पैदावार को बेच सकते हो। शहर के आदमी कारखानों में काम करने जाते हैं तो तय कर दिया जाता है कि इस भाव कपड़ा बेचो, इस भाव यह चीज बेचो। वह कह देता है कि इतना बेचा है, इतना घाटा है। पर जिन्होंने हजार हजार बोरी गेहूं पैदा किया है, और अपने घर में रख रखा है इन्हें आप नहीं कहेंगे कि क्यों इतना अनाज घर में इकट्ठा कर रखा है। तो मेरा एक निवेदन यह है कि मजदूरों के नाम पर बोलने वाले लोगों ने अभी तक नहीं कहा कि अनाज क्यों मंहगा मिल रहा है ? क्यों नहीं गरीब मजदूरों का मिनिमम वेज बढ़ाया जाता है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : अनाज मंहगा बिकता है, गन्ना 3 रुपया मन बिकता है तूड़ा 6 रुपया मन बिकता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : चोर की दाढ़ी में तिनका। जिनके खिलाफ बोला जाता है, मिर्ची लगती है।

श्री अध्यक्ष : आपने क्या कहे यह लफ्ज ? आंख में लगने का कहा है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं बोलता हूं तो ये बीच में बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करेंगे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं थोड़ा सा बोलूंगा, इसलिये बोलूंगा कि कल मजदूरों की बात चली थी। मजदूरों का झगड़ा चला, मजदूरों की इन्टक की यूनियन ने समझौता कर लिया। नंदाजी ने बीच में पड़ कर समझौता करा दिया। इनकी कोई यूनियन नहीं। ढाई मजदूर भी इनके नहीं। ख्वामोख्वाह गालियां देने की मन में आती हैं तो गालियां दे देते हैं। राड़ करने में तो दिक्कत नहीं होती। मर्जी आये तभी किसी भी चीज में राड़ कर सकते हैं। मजदूरों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मजदूरों की इन्टक वहां, मजदूरों के लीडर इधर बैठे हैं वे सब बैठ कर समझोता करते हैं तो कहते हैं कि साहू जैन की गवर्नमेन्ट है। कहां है साहू जैन की गवर्नमेंट ? कहो उसको कि देखें बैठे यहां आकर। सीमेंट का पैसा लेकर तो आप लोग यहां आये हो नहीं तो तुम्हारे ढाई आदमी भी नहीं आ सकते थे, पर वह सीमेंट उखड़ गई। सीमेंट वालों ने आपको पैसा नही दिया तो सीमेंट वालों को गाली दो, हमें गाली क्यों देते हो ? कह दिया साहू जैन की गवर्नमेंट है, साहू जैन के दादा की गवर्नमेंट है क्या यह ? देखें साहू जैन को लाकर बैठावो, आयन्दा लाकर खड़ा कर देना। अन्दर कुछ बाहर कुछ, जबर्दस्ती बुराइयां करते हो। 15 दिन से सुन रहा हूं कोई न कोई बात से गवर्नमेंट को, मिनिस्टरों को गाली देना चाहते हो।

श्री मदनसिंह : आप क्या लाड़ कर रहे हैं ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : लाड तो आपको करूंगा कभी, यहां क्या करूं ?

सरकार गरीब मजदूरों के बारे में सोचे। अनाज के भाव हिमालय की तरह ऊंचे जा रहे हैं, उनको रोके। अकाल के क्षेत्रों में काम करें। काम नहीं कराती है तो सब जगह बन्द करे, अलवर, झालावाड़,

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
उदयपुर में भी नहीं चल पायेंगे। अकाल सिरोही में और कार्य यहां खोले जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी मेरे साथ चलें, चूरू में जहां अकाल बता रहे हैं वहां हरा घास अनाप शनाप। हमारे यहां घास का नाम नहीं। बाड़मेर-जैसलमेर के लोग शान्तिप्रिय हैं, बोलते नहीं हैं, तो आप सोचते हैं कि ये लोग नहीं बोलते हैं तो इनके यहां मत खोलो। रामानन्दजी यहां आकर जोर से कहेंगे तो काम खुल जायेंगे, सेठ रामानन्द काम खुलवा सकते हैं। बाद में बिरदीचन्दजी का पता ही नहीं। तो सेठ साहब इस तरह बोल बोल कर सरकार से काम करवाते हो। यह अब नहीं चलेगी चाहे सेठ साहब गाली दे दें। बात करते हैं कम्युनिस्ट हैं, मैं तो कहता हूं कि वह नाई भी पूंजीपति है जिसकी दुकान पर चार मजदूर नाई काम करते हैं और उसको कमाई देते हैं। पेट्रोल का पम्प, कमाई तुम कर लोगे और कम्युनिस्ट नाम। आप में और साहू जैन में मेरे लिये कोई फर्क नहीं। साहू जैन की बातें करते हैं तो पहले अपना भी ख्याल कर लो। एक पैसे की भी दूसरे की कमाई खा जाय वह सेठ और एक हजार रुपया दूसरे की कमाई खाय वह भी सेठ, मैं इन दोनों में कोई अन्तर नहीं समझता। कम्युनिस्ट नाम धराने से लोग कहेंगे कि कामरेड है, चाहे लाखों रुपया हो, पेट्रोल का पम्प हो। तो मैं कहूंगा कि सीलिंग जल्दी से जल्दी लागू करो और शहरी सम्पत्ति की सीलिंग भी कृपा करके जल्दी कायम करो। कल लोगों ने कहा कि 30 स्टैन्डर्ड एकड़ जमीन कम है, ज्यादा कर दो। मैं तो कहता हूं यह भी बहुत ज्यादा है, इसको भी कम करो भले ही ये लोग नाराज हों। गावों में सीलिंग लागू करने में झगड़ा होगा पर शहरों में सीलिंग लागू करो कोई झगड़ा नहीं होगा। आज घोषणा करिये, शाम को दीवाली मनायेंगे लोग। शहरों में जनता सीलिंग चाहती है, नहीं चाहती है पूंजीपतियों को। इनका मुकाबला करने के लिए आप शहरों में करें। लेकिन शहरों में ऐसा मत करो जैसा अब कर रहे हैं। छोटी सी बात कर दो। कृषि की उपज का पता नहीं रेगिस्तानी इलाके में, छोटे छोटे कस्बों में 10-15 हजार की आबादी में जहां पर घास और कड़वी बरसात में आती है, उसके सिवा कभी आती नहीं, वहां कृषि उपज मण्डी लगादी। जहां कृषि उपज का माल आता हो वहां बनाओ कृषि उपज मण्डी, जहां घास आती है वहां बनादी कृषि उपज मण्डी। पंचायत मंत्री ने बनादी कि एक फलां किसान आ जाय, दो किसान आ जाय। शहर में दुकान करके शहर में कन्ज्यूमर्स की कमेटी बनाई। कृषि उपज मण्डी वहां बननी चाहिए जहां शत प्रतिशत बाहर से सामान जाता हो और शहर में आकर बैठा हो। सामान आता है दूसरी जगह से। मण्डियों का टैक्स कटा कर लाया जाता है। मण्डी कैसे बनेगी जहां उपज नहीं है ? इतना तो सोचना चाहिए कि जिस इलाके में कृषि उपज आती हो, वहां कृषि कमेटी हो वरना शहर वाले तंग करने की नीति छोड़ दें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : जहां तक राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, उस संबंध में विस्तार से संसोपा के नेता

(श्री मदनसिंह)

न बड़े अच्छे ढंग से उस अभिभाषण को समझाया। समाजवाद भी हाथी की तरह है। हाथी किसी के लिए सूंड हो रहा है, कोई सूंड पकड़ कर कहता है कि हाथी देख लिया। किसी ने पैर पकड़ लिया, कहता है कि हाथी देख लिया। इसी तरह से भारतवर्ष में जितने सन्त हैं उनकी हालत यही है। यहां कोई नारा लगाया जाता है तो उस नारे को लेकर सब दल शुरू हो जाते है। मैं समझता हूं कि यह तो अच्छा हुआ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कम से कम समाजवाद की चर्चा हुई। और समाजवाद की चर्चा के अन्दर अभी तक किसी नेता ने यह नहीं समझाया कि सम्पूर्ण समाजवाद क्या है, उसकी क्या रचना है, उसका क्या आधार है, वह किन आधारों पर प्रैक्टिकल है ? मैं समझता हूं, आज तक इस सदन में किसी नेता ने, सदन के बाहर या अन्दर यह समझाने की कोशिश नहीं की कि समाजवाद कैसे आ सकता है ?

मैं समाजवाद का विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन जब तक समाजवाद में नियन्त्रण न हो तब तक कछ नहीं हो सकता। यह बात जबरदस्त है कि यह नियन्त्रण अगर कानूनी तरीके से चाहते हैं तो कभी नहीं हो सकता। जब तक आदमी के मन का परिवर्तन न हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज झोंपडी मिली, उसके बाद कमरे की इच्छा करेंगे। उसके बाद महल की इच्छा करेगा। उसके बाद बंबई के अन्दर मकान की इच्छा करेगा। किसी के पास रोटी नहीं थी, वह मिल गई। उसके बाद थाल की इच्छा करेगा, उसके बाद व्यंजन की इच्छा करेगा। आदमी सुखी तब होता है जब इच्छाओं को रोकता है इसलिये इच्छाओं को मिनीमाईज करना पड़ता है। कौन कौनसी इच्छा के अन्दर किस तरह का प्रतिबन्ध हो, जब तक यह न होगा तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। मुझे आशा थी कि हमारे वयोवृद्ध राज्यपाल महोदय अपने अनुभव के द्वारा इस पर प्रकाश डालेंगे। मुझे मालूम है कि आज उनको जो अनुभव है, उन्होंने जो पार्टी के नेताओं के भाषण सुने हैं लोकसभा के अन्दर यहां वह उस अनुभव का प्रकाश देते कि हम इस तरह से समाजवाद लाना चाहते हैं, बाकी यह कोई समाजवाद होता है, सिर्फ समाजवाद का नारा लगाते हैं। हम प्रैक्टिकल नहीं हैं। मंत्रिमण्डल में किसी ने एलान किया है कि वह झोंपडी में रहेगा, छः से ज्यादा कमीजें नहीं बनाएगा, मोटर के बजाय साईकल पर चलेगा। जब तक समाजवाद के लक्ष्य की विस्तृत रूप से पूर्ति नहीं हो, तब तक समाजवाद देश में कल्पना ही रहेगा। रोटी की सबको जरूरत है, रोटी मिलेगी खुश होगा, पानी मिलेगा खुश होगा, बैठने को मोटर मिलेगी, खुश होगा। जब तक इस पर नियन्त्रण नहीं होगा तब तक समाजवाद नहीं आयेगा, विदेशी नियन्त्रण नहीं जैसे हमारे संसोपा के एक सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने कहा, कानून बना लो। कानून का डर तब तक रहता है जब तक पुलिस होती है, जब तक वकीलों के संरक्षण में रहते हैं। वह कौनसी चीज है जिसकी ओर भारतवर्ष नहीं जा रहा है ? वाकई समाजवाद के लिए क्या मन होना चाहिये ? त्याग के लिए कौनसी व्यवस्था है ? समाजवाद तभी आ सकता है जब भारतीय सिद्धांत पर सरकार का निर्माण हो। हिन्दू संस्कृति में ऐसे सिद्धांत हैं। मैं समझता हूं, वह मन को कन्ट्रोल करता है, मन की इच्छाओं को काबू करता है, आज जैसे साम्यवादी चाहते हैं स्टेटलैस

(श्री मदनसिंह)

गवर्नमेंन्ट हो, नियंत्रण नहीं चाहिए। कोई न कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, तो व्यवस्था कैसे चलेगी ऐसी आकाश-पाताल का बात न हो। जब तक शिक्षा के अंदर भारतीय पद्धति के आधार पर, ईश्वरवाद के आधार पर सारी चीजों के त्याग की भावना नहीं होगी तब तक माननीय मुख्य मंत्री चाहे रामानन्दजी हो जायं तो भी वह भावना नहीं आ सकती। आपके मन की कुछ सीमाएं बंधी हैं, इतना खाना होना चाहिए, इतना मकान होना चाहिए। इतनी मोटर होनी चाहिये। पहले चलते थे तो चपलें थीं, उसके बाद मोटर हो गई, उसके बाद हवाई जहाज हो गए और हवाई जहाज से तसल्ली नहीं रही तो कहते हैं कि आकाश में चन्द्र लोक में जायेंगे। जब मन की इतनी इच्छा है, नियंत्रण नहीं है, तो मैं समझता हूं कि समाजवाद न अमरीका में आ सकता है, न रूस में आ सकता है, न चीन में आ सकता है, न भारत में आ सकता है। क्योंकि जो ईमानदारी के साथ राज्य करते हैं उनको प्रेक्टिकल रूप देना चाहिए।

अब अकाल के सम्बन्ध में कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब तक मन की व्याख्या हो गई।

श्री मदनसिंह : जिस दिन समाजवाद की सही रूप रेखा होगी, उस दिन के आने में वर्ष लगेंगे। जिसको आधार और खूंटे का पता नहीं, वह समाजवाद नहीं ला सकते।

अकाल के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के पहले अभिभाषण को मैंने पढ़ा, उसमें 32 हजार या कितने गांव थे उनमें से 22 हजार गांव अकालग्रस्त थे। इस अभिभाषण में यह नहीं है कि इतने गांव हमने ठीक कर दिए हैं, वहां अकाल राहत पहुंचाई है। 22 हजार में से कितने ऐसे गांव हैं जिनकी ठीक तरह से व्यवस्था की है। अभिभाषण में इसका जिक्र होना चाहिए था। 5 साल के अन्दर नीति का इतिहास, राष्ट्रीय नीति का इतिहास अभिभाषण में पढ़ाया। कहीं राज्यपाल ने आधा कहकर छोड़ दिया क्योंकि कुछ ऊपर से हुक्म हुआ होगा। क्योंकि वह इलेक्टेड नहीं हैं नोमीनेटेड हैं, उनकी कुछ सीमायें हैं, और बड़ी सरकार से हुक्म होता है, समाजवाद का नारा लगता है इसलिए एक चीज कह दी है कि तसल्ली हो जाय। लेकिन हम जानते हैं कि अकाल में क्या क्या हुआ। इसलिए राज्यपाल महोदय को कम से कम अकाल पर विस्तृत रूप से कहना चाहिए था कि इतने इतने काम किए। या फिर पहले अभिभाषण में ऐलान करना चाहिए था कि इतने लोग अकालग्रस्त हैं, इतने हैं तो इतने कवर अप कर लिए। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो सिवा मन के और क्या बोलें?

राज्यपाल सैनिकों के अध्यक्ष हैं, लेकिन इन सम्बन्ध में आज तक उनके अभिभाषण के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं होती। सैनिक वह कौम है वह जाति है जिसके अन्दर सबको एक जैसा समझते हैं और राज्य सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है, बोर्ड बनाया है और राज्य सरकार के मंत्री भी हैं। कम से कम

(श्री मदनसिंह)

मंत्रियों को चाहिए कि जब हरिजन भाइयों के लिए एक साल के लिए जमीन एलॉटमेंट करने का सवाल रख ले उस समय सैनिकों को भी विशेष जगह देते। मैं समझता हूं, हरिजनों के साथ सैनिकों को भी आजादी दे दें। छोटा सा तबका था। मैं दूसरे लोगों का विरोध नहीं करता लेकिन इस कानून के तहत सैनिकों को भी रखा जाय। आज सैनिकों के मुकद्दमें वैसे ही हैं। सैनिकों के मन्त्रियों से पूछते हैं तो कहते हैं कि हमारी कोई सुनाई नहीं है। मैं विश्वास से कहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने कभी नहीं कहा होगा कि सैनिकों के लिये यह ठीक नहीं है। मैं खुद जानता हूं कि मुख्य मंत्रीजी खुद सैनिकों को साथ लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले भी आपके जरिये ही मदद मिली थी, सैनिकों के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये। आज सैनिक किस रूप में हैं लेकिन जब वापिस आते हैं तो उनको बहुत दुख होता है उसका नेताओं को अन्दाज नहीं है। आज का सिपाही अंग्रेजों के जमाने का जैसा नहीं है। अंग्रेजों के सिपाही मौज के लिये जाते थे। एक लड़ाई लड़ ली और बाद में मौज करते थे। आज सैनिक हिमालय की बर्फीली चोटियों पर तनात हैं हमारे यहां का नेता तो वहां एक मिनिट ही नहीं ठहर सकता। विदेश में बैठे हैं। ऐसे ही रेगिस्तान के रेतीले टीबों में बैठे हैं। जब आपने उनको आश्वासन दिये हैं तो उनका सख्ती से पालन कराइये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एलॉटमेन्ट के रूल्स क्या हैं और तहसील लेवल पर क्या स्थिति होती है आप नहीं जानते हैं। सैनिक की वह की वह ही दशा है। निश्चित रूप से सरकार ने विचार किया और कानून बनाया। लेकिन क्लेक्टोरेट लेवल पर जाते हैं तो सैनिकों की जो दुर्दशा होती है उसका वर्णन नहीं कर सकता। मंत्री लिख देते हैं कि जमीन एलॉट होनी चाहिये लेकिन वह पर जाते हैं तो कुछ नहीं। सैनिकों के लिये सुविधा दी थी कि एलॉटमेन्ट कमेटी भी अगेन्स्ट फैसला कर दे और जमीन न दें और क्लेक्टर उसके विपरीत फैसला करे तो उसको जमीन मिलनी चाहिये। लेकिन दो दो वर्ष से सैनिकों के मुकद्दमे पड़े हैं। जायज कब्जा है, खुद मंत्री कहते हैं, लेकिन वह इस तरह से कर देते हैं तो सैनिक बड़ा परेशान होता है। इसलिये हरिजनों के साथ सैनिक को भी जोड़ दें इससे सैनिक उनकी भी रक्षा करेगा। गांवों में हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो सैनिक उनकी रक्षा करता है, मदद करता है। राजस्थान की सरकार को चाहिये कि वह इस प्रकार का मौका न दे कि सैनिक गंगानगर की तरह आन्दोलन कर दें। यह आन्दोलन तो कुछ नहीं लेकिन सैनिक ने आन्दोलन कर दिया तो बड़ा भारी होगा। यह आन्दोलनकारी तो शान्ति के साथ जेल में चले गये लेकिन वह विवश कर सकता है। लेकिन सैनिक अपना कर्तव्य समझता है। यह भारत देश ही ऐसा देश है दुनियां में, जहां की आर्मी, चाहे दुनियां की आर्मी बंट गयी हो लेकिन हिन्दुस्तान की आर्मी देश और शासन के प्रति वफादार है। आप उन वफादार लोगों के लिये बिजली नहीं दे सकते, आप मेडीकल फेसिलिटी नहीं दे सकते। आपने क्या व्यवस्था की है ?

(श्री मदनसिंह)

सैनिकों के लिये कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। राज्यपाल हमारे अध्यक्ष हैं उनको कुछ फर्माना चाहिये। किस बात पर धन्यवाद दूं? कुछ बात हुई हो तो दूं।

श्री अध्यक्ष : सैनिक के मसले पर कुछ संकेत हो जाय तो दे देना चाहिये।

श्री मदनसिंह : दे पान्ड्या आसीस, के मैं क्या दूंगा, पेट देगा। न धन्यवाद के प्रस्ताव के पक्ष में हूं और न ही विपक्ष में।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय...।

श्री जगन्नाथ : मुझे समय मिलना चाहिये।

कई माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

इस अभिभाषण पर वाद-विवाद 4 बजे समाप्त होने को था। उसके बाद मुख्य मंत्रीजी का प्रत्युत्तर होना था। समय 20 मिनिट उससे आगे निकल गया। माननीय सदस्य बोलने की इच्छा रखते हैं और अमूमन अभिभाषणों पर माननीय सदस्य बोलने से रह भी जाते हैं। मैं एक दो माननीय सदस्यों को और एडजस्ट कर सकता हूं लेकिन पांच मिनिट से अधिक नहीं दूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय...,

श्री मदनसिंह दांता : मैंने तो आधी ही बात कही है......

श्री अध्यक्ष : आपके सैनिकों के विषयक सुझाव बड़े प्रिय लगे हैं सदन को।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसको मैंने गम्भीरता से पढ़ा और उसका अध्ययन किया। और विशेष तौर से अकाल सहायता पर प्रकाश डाला और घोषणा की कि इस साल जो अकाल राहत कार्य लिये जावेंगे वे ऐसे कार्य होंगे जो उपयोगी कार्य होंगे और अकाल का स्थायी हल हो सकेगा। मैं विशेष तौर से यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह जो निर्णय लिया जा रहा है वह बहुत ही उचित है परन्तु मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो उपयोगी कार्य लिये जायं वे इसी साल में कम्पलीट हो जायं। अगर हमारे बाड़मेर जिले में टार रोड्स का काम हाथ में लेने का विचार किया है तो उनको कम्पलीट किया जाय, रोलर्स, बोयलर्स वगैरह की व्यवस्था की जाय। यह न हो कि वह कम्पलीट न हो और अधूरा रहे। ग्रेवल रोड्स का कार्य हाथ में लिया है जहां अर्थ वर्क हुआ और ग्रेवल कलेक्शन हुआ है तो उन ग्रेवल सड़कों को पूरा करना चाहिये। सॉइल कन्जर्वेशन का कार्य हाथ में लिया था लेकिन न तो असिस्टेन्ट इन्जीनियर और न स्टाफ की व्यवस्था की। ऐसी स्थिति न पैदा हो कि सॉइल कन्जर्वेशन का काम करें तो न तो असिस्टेन्ट इन्जीनियर और न ही स्टाफ हो। लघु सिचाई का कार्य करें तो स्टाफ की व्यवस्था की जाय। कार्य करें वह दिलचस्पी से करना चाहिये। अकाल का स्थायी हल करना चाहते हैं लेकिन जो भी कार्य किये जायं वह दिलचस्पी से न किये जायें तो वह उचित नहीं समझता हूं क्योंकि उससे फिर स्थायी हल होता नहीं है।

गवर्नमेन्ट ने यह निर्णय लिया है कि उपयोगी कार्य हाथ में लिये जायं। एक

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

लाख व्यक्ति बाड़मेर जिले में उपयोगी कार्य में लग सकते हैं। जो लग सकते हैं उनको लगाया जाय। राजस्थान नहर पर भी भेजने की कोशिश करेंगे। वह बढ़िया कार्य है। मैं वहां जाकर देख कर आया हूं। अच्छा कार्य हो रहा है। वह ऐसा क्षेत्र है कि बाड़मेर जिले से भी अधिक खराब क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में निर्माण कार्य हो रहा है और राजस्थान कैनाल का निर्माण कार्य देख कर खुशी हुई। पानी की व्यवस्था वहां पर अच्छी की गई है। खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन 12 किलो गेहूं सफिशियेंट नहीं होता है। लोग मेहनत करते हैं उनके लिये सफिशियेंट नहीं हो सकता है। 15 किलो अवश्य करना चाहिये। अक्सर मजदूर लोग वहां आते हैं। नौजवान वहां आते हैं। 15 किलो गेहूं की व्यवस्था करनी चाहिये। यदि 15 किलो गेहूं की व्यवस्था न कर सकें तो 12 किलो गेहूं और तीन किलो दूसरा अनाज देना चाहिये। 15 किलो की तो व्यवस्था होनी ही चाहिये।

मैं यह भी समझता हूं कि दस रुपये की जो व्यवस्था की है वह पर्याप्त नहीं है। दस रुपया बहुत अनसफिसियेन्ट है। मैं यह चाहता हूं कि एक लाख लोगों को उपयोगी कार्यों में लगाया जाय। ज्यादा आदमी नहीं लगाए जा सकते। मैंटल कलेक्शन के कार्य किए गए। बाड़मेर से कलकत्ता तक सड़क बन सकती है इतना मैंटल कलेक्शन किया लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेन्ट का पैसा वेस्ट जाय। उपयोगी कामों के लिए उनको लगाया जाय। राजस्थान कैनाल पर सबको राज्य सरकार नहीं लगा सकती है तो उन्हें सोसियल सिक्योरिटी का तो अधिकार है। उनको आप काम दीजिये। अगर काम नहीं दे सकते तो उनको जिन्दा रहने का तो अधिकार है। यह कोई भीख नहीं है। आधुनिक युग में हर एक को जीने का अधिकार है। यह जो दस रुपये तय किया गया है वह बहुत कम है। दस रुपये का तो एक व्यक्ति के लिए सूखा अनाज भी काफी नहीं है, घी-तेल की बात तो अलग रही। एक आदमी के लिए आधा किलो अनाज प्रतिदिन का चाहिए इस तरह से 15 किलो की आवश्यकता है। आज बाड़मेर जिले के गांवों में अनाज एक रुपया प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। इसलिए कम से कम 15 रु० जिसमें दस रुपया अनुदान और 5 रु० लोन के रूप में दिया जाना चाहिए। बाड़मेर और बालोतरा में इस साल न कोई काम खोले गए हैं न कोई सोशल सिक्योरिटी का ही प्रबन्ध किया गया है। वहां पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोग काफी संख्या में रहते हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। आज मोचियों के पास काम नहीं। जब गांव के लोगों की हालत ही खराब है, उनके पास भी खाने पीने को नहीं है तो उनसे जूतियां कौन खरीदे? इसी तरह से जटिया लोगों की भी यही दशा है। वहां पर काश्तकार एवं खेतीहर मजदूर भी काफी संख्या में रहते हैं इन लोगों के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो वहां के लोग भी आन्दोलन करेंगे। वे भी आन्दोलन करने के अधिकारी हैं अपने हकूकों के लिये करना भी चाहिये। बाड़मेर और बालोतरा में

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

रहने वाले जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके बारे में भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

अब मैं पानी की व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । पहले पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी, 173 गांवों से ट्रकों द्वारा पानी पहुंचाया जाता था। अब केवल 88 गांवों में पहुंचाया जाता है। गांवों के अन्दर लोग आ गये हैं, उनके लिये पानी की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये । मिलिट्री से ट्रक्स लिये जायं और गवर्नमेन्ट ट्रक्स की व्यवस्था करें । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने बम्बई अधिवेशन में रिज़ोल्यूशन पास किया है कि पांच वर्ष के अन्दर अन्दर पीने के पानी की समस्या का हल कर दिया जायगा । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पीने के पानी की व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि अभी भी लोग 15-20 मील दूर से पानी लेकर अपनी प्यास बुझावें ।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि लूणी नदी पर जो बांध बनाये जा रहे हैं वह हमारे क्षेत्र के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं । अभी फेमिन के अन्दर भी बन रहे हैं सिणदरी बान्ध, कसूला बान्ध और फौलाद बान्ध बांध रहे हैं। हमारे बाड़मेर जिले में न तो नहर आने वाली है, जो नर्मदा की बात कही जाती है उसका आना भी मुझे मुश्किल दिखता है। अगर नर्बदा नहर का पानी हमारे यहां आवे तो हमारे यहां 1/50 हिस्सा भी कवर नहीं कर सकती । हमारे क्षेत्र में नहर नहीं आने वाली है, केवल लूणी नदी का जो पानी आता है उस पर भी पाली जिले में बांध बना कर क्या बाड़मेर जिले के बालोतरा, सिवाना, गुडा एवं जालोर जिले के सांचोर एरिया को सुनसान बना देंगे। इससे हमारा क्षेत्र विरान हो जायगा । अतः निवेदन है कि लूणी नदी पर बांध बनाने के कार्य को बंद किया जाना चाहिये। मेरा यह भी निवेदन है कि राजस्थान नहर की भूमि हमारे यहां रहने वालों को भी एलॉट की जानी चाहिये। नर्मदा का जल इस क्षेत्र को मिलने वाला नहीं है, इस क्षेत्र की पापूलेशन बढ़ती जा रही है । यहां की जमीन भी उपजाऊ नहीं है, आधी जमीन पड़त रखनी पड़ती है आधी को बोया जाता है। जिस प्रकार से पोपूलेशन बढ़ रही है उतनी जमीन वहां अवेलेबल नहीं है इसलिये इन लोगों को राजस्थान नहर पर भूमि दी जानी चाहिये । जिस प्रकार राजस्थान नहर पर भूमि की जैसलमेर वालों को सुविधा दी है वैसी सुविधा बाड़मेर जिले के लोगों को भी दी जानी चाहिये ।

अब मैं सीलिंग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। आप घोषणायें तो कर देते हैं लेकिन उसको कार्यान्वित करते नहीं है। बंबई अधिवेशन में यह तय किया है कि भूमि सुधारों के कानून को 70-71 तक पूरा कर दिया जायगा । मैं सरकार से निवेदन करता हूं उक्त अवधि में इनकी क्रियान्विती पूरी होनी चाहिये। अगर आप इनको क्रियान्वित नहीं करते हैं तो यह माना जायगा कि वास्तव म आप किसानों को राहत देना नहीं चाहते । आपको जेनुइन एग्रीकल्चरिस्ट को ही लैण्डलेस टिनेन्ट मानना चाहिए। इसके अलावा जिन लैण्ड स

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

को लैण्ड ट्रान्सफर कर दिया गया है मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जितने भी ट्रान्सफर्स हैं उनको इल्लिगल करार दिया जाना चाहिये। मैं तो यह भी कहता हूं कि यदि लैंडलेस को भी ट्रान्सफर्स हुए हैं तो उनको इल्लिगल करार दिया जाना चाहिये। आखिर उन्होंने भी जमीन क्यों खरीदी? जब कानून बन चुका था इसलिये उनके ट्रान्सफर्स भी इल्लिगल करने चाहिये। इस प्रकार की जितनी जमीन लैंडलेस टिनेन्ट्स ने खरीदी है उनको वापिस जमीन का एलोटमेन्ट कर दें। 30 बीघा की जगह आप भले ही उनको 15 या 20 बीघा ही एलॉट करें इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये।

अब मैं गंगानगर जिले में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। वहां के किसान चाहते हैं कि उन पर सरचार्ज नहीं लगे। आप सरचार्ज भी लगाना नहीं चाहते, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का आप विरोध करते हैं तो फिर आपके क्षेत्र में नहरों के लिये जो करोड़ों रुपया राज्य सरकार व्यय कर रही है सरकार वह सारे राजस्थान का है जो केवल आपके यहां अधिक खर्च हो रहा है उसमें से भी आप कुछ हिस्सा देना नहीं चाहते। मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं, यह आंदोलन आम किसान आंदोलन नहीं है बल्कि यह पूंजीपतियों का च[ला]या हुआ आंदोलन है। हमने राजाओं से टक्कर ली, जागीरदारों से टक्कर ली अब हमें पूंजीपति किसान से लड़ाई लड़नी है, उसका मुकाबला करना है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं वह किसी भी सूरत में ऐसे आन्दोलन के कारण झुके नहीं। इस तरह से आप झुक जायेंगे तो सीलिंग का भी कहां विरोध होगा। इसके लिये भी कड़ी लड़ाई लड़नी है गवर्नमेन्ट को, किसी भी तरह से झुकना नहीं चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ इस अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह!

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : माननीय अध्यक्षजी, इस समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा है। इस पर बोलते हुए माननीय गोकुल प्रसादजी ने कहा कि स्वतंत्र पार्टी के सदस्य श्री हरिवल्लभ शर्मा को पार्टी ने यह कहा था कि वे मजदूरों के बारे में न बोलें। मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि वहां के प्रतिनिधि ने मजदूरों के मामले को पहले पहल उठाया है। ऐसा हमने कभी नहीं कहा कि वे मजदूरों के बारे में न बोलें। उन्होंने अपने भाषण में पूरी तरह से मजदूरों के पक्ष का समर्थन किया है। यह तो सबको पता है कि कौन मजदूरों के नेता बनकर सरकार की चिलम भरते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। साहू जैन ने ढाई लाख रुपया कांग्रेस के चुनाव में दिया है यह उनकी बेलेन्स शीट से साफ जाहिर है। अब मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आता हूं।

मैंने, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा है। उसके अन्दर होना यह चाहिये था कि गत वर्ष में जो घोषणायें की थीं उनका किस हद तक पालन हुआ है, उनकी क्रियान्विती, उनका इम्पलीमेण्टेशन कहां तक कर लिया है, उनको अमल में कितना

(श्री दिग्विजयसिंह

लाया गया इसका दिग्दर्शन कराया जाता, लेकिन दिग्दर्शन नहीं कराया है। यह राज्यपाल महोदय का 14 पेज का अभिभाषण है। इसमें आठ पेज तो केवल अकाल की स्थिति के बारे में ही है। मुझे दुःख के साथ निवेदन करना है कि आज तक हम इस प्राकृतिक प्रकोप के मुकाबले 53 करोड़ रुपया मिलने के बाद भी स्थायी हल नहीं कर पाये हैं। 53 करोड़ रुपया लेने पर भी परमानेन्ट उपाय आप नहीं कर पाये। पश्चिमी राजस्थान के अकाल का आप स्थायी हल नहीं कर पाये, इससे अधिक दुःख की बात और क्या हो सकती है? इस बारे में समय-समय पर मुख्य मंत्री महोदय ने यह बात कही है कि हम इतने ट्यूब वेल खोदने वाले हैं लेकिन वे ट्यूबवैल खोदे नहीं गये। यह भी कहा गया कि हम राजस्थान नहर उस इलाके तक लायेंगे, उससे यह समस्या स्थायी रूप से हल हो जायगी। आज इस स्थिति में भी राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया है कि हमारे पश्चिम क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है। मुझे यह अच्छी तरह से स्मरण है कि हमारे यहां से भी भयंकर अकाल बिहार में पड़ा था उसका वहां की सरकार ने बहुत संजीदगी से मुकाबला किया। वहां उन दिनों में करीब हजार-पन्द्रह सौ ट्यूबवैल खोदे गये। इस कारण कुछ क्षेत्रों में तो परमानेन्ट रूप से अकाल का मुकाबला कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराने की बात कही है, इसका मैं स्वागत करता हूं। इसमें जो कमियां है उस संबन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऋण देने के लिये जो आप काश्तकारों से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं लीगल मोर्टगेज किया जाता है बैंकों में। इससे काश्तकार को तकलीफ भी होती है और खर्चा भी होता है। तो इस लीगल मोर्टगेज को इक्विटी मोर्टगेज में बदल दें। सिंपल डीड लिख दिया जावे और इसी पर ऋण दे दिया जावे। इससे सुविधा हो जावेगी।

दूसरा यह फरमाया कि सरकारी एजेन्सी के मारफत यह ऋण वितरित कराया जावेगा। मुझे सन्देह है कि उसमें पक्षपात होगा, जैसा हम आज हर जगह देख रहे हैं। सत्तारूढ़ दल अपने अपने क्षेत्र में और जिले में करा लेगा। राज्यपाल महोदय ने भी गोलमाल रूप से कहा है कि यह सात करोड़ की गारन्टी सरकार देगी। पर इसके साथ यह कहीं उल्लेख नहीं है कि इसको आप कहां कहां किस किस जिले में देंगे? इसकी आपकी क्या योजना है? इसका आपका क्या आधार होगा? इसलिये मैं कहूंगा कि मुख्य मन्त्री इस बात का स्पष्टीकरण अपने उत्तर में अवश्य करें।

मुझे यह भी ताज्जुब हुआ कि जो सरकार खुद दिवालिया है, उसकी सात करोड़ की गारन्टी भी बैंक मानेगी या नहीं? इस सरकार ने अब तक 53 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट ले रखा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बीच में तो यह भी कह दिया था कि इस सरकार के चैक आगे से ओनर मत करो। फिर आप वायदे से भी मुकरते रहे हैं तो मुझे इस

(श्री दिग्विजयसिंह)

बात की भी आशंका है कि आपकी इस गारन्टी को कौन मानेगा। प्रिवीपर्स के मामले में आपने वायदा खिलाफी की तो आपकी साख तो है नहीं अब।

इस सम्बन्ध में एक और निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार मानती है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो नियमानुसार बैंकों में जब गारन्टी देती है वह तो बैंक वाले गारन्टर को थ्री फोर्थ कमीशन देते हैं पर वह भी सरकार ने लेने से इंकार कर दिया है। जब कि यही सरकार आर० एस० ई० बी० को लोन दिलाने की गारन्टी के मामले में थ्री फोर्थ कमीशन ले लेती है जब कि आर० एस० ई० बी० तो राज्य की ही एक ओटोनोमस बाडी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनिट और लूंगा साहब।

श्री अध्यक्ष : पांच नहीं, एक मिनिट।

श्री दिग्विजयसिंह : पांच मिनिट में समाप्त कर दूंगा, साहब।

श्री अध्यक्ष : फिर पांच मिनिट से अधिक नहीं दे सकूंगा।

श्री दिग्विजयसिंह : अब मैं सीलिंग पर आ जाता हूं। जिस प्रकार एक माननीय सदस्य ने पहले कहा इसके असैसमेन्ट सर्किल सरकार ने बनाये वे बिल्कुल गलत हैं। इसके सम्बन्ध में हाई कोर्ट में रिट भी हुई है। यह क्लासिफिकेशन औफ सोइल सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट के थ्रू होता है। और जब उसने एक चीज का क्लासिफिकेशन कर दिया तो आपने फिर चार-पांच आदमियों की कमेटी बना कर हर तहसील व जिला के लिये नियुक्त कर दिया। इस पर जैसा जुझारसिंहजी ने आरोप लगाया कि दीदा दानिश्ता विन्डिक्टिवनैस से यह सारा मामला किया गया है। टोंक में जितनी तहसीलें हैं सब को नम्बर 3 में रखा है। टोडा, मालपुरा, टोंक को भी तीन में रखा है। देवली का भी वही है। आप ताज्जुब करेंगे उणियारा तहसील में फोर्मर ठिकाने के जो गांव हैं राजस्व मंत्री की कृपा से उन्हें नम्बर एक में रख दिया और उसी तहसील के बाकी के गांवों को जो ठिकाने में नहीं आये 3 में कर दिया। यह कैसा क्लासिफिकेशन हुआ है? ठिकाने के पुराने असैसमेन्ट को आप आज भी मान रहे हैं। उसकी रेट से कम है। पांच आना है बारानी का। टोंक का बारह आना है हालां कि जमीनें दोनों की एक हैं। इस मामले में हाई कोर्ट में रिट भी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एग्जम्पशन्स विथड्रा किये गये हैं। मेरी समझ में नहीं आता अगर विथड्रा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट हुआ है फण्डामेन्टल राइट्स के बोरे में उसका क्या होगा? वह इस प्रकार है:

"Present can be preserved and future can be protected."

तो इसके लिये अमेण्ड करते हैं कानून तो वह भी नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो एडवर्स अफेक्ट करेगा और इस पर सारा एक्ट चैलेन्ज हो सकता है। जहां आपने एग्जम्पशन 30 (जे) में दे दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट न प्रिजर्व कर दिया।

(श्री दिग्विजयसिंह)

अब आप अगर उसे विथड्रा करेंगे तो इसके लिये अमेण्डमेन्ट लाना पड़ेगा और अगर मेन एक्ट में अमेण्डमेन्ट लाते हैं तो सारा एक्ट नल और वोइड हो जावेगा। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर और गौर से सोचें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पश्चिमि राजस्थान में 500 एकड़ जमीन की बात करते हैं। यहां 30 स्टेण्डर्ड एकड़ की बात करते हैं। उस जगह एवरेज में फर्क रहता है और साथ साथ जैसा स्वयं ने माना है, जो ट्रान्सफर्स आज दिन तक हो गये वे रेगुलेराइज कर दिये जावेंगे। तो यह भी सैंक्टिटी खतम हो गई। जो काम आप लीगल वे में करना चाहते थे वह आपने इस कानून को दिखा कर सोल्ली करवा दिया। अब जैसा रामानन्दजी ने कहा कि अगर सही स्थिति देखेंगे तो इस से जो तीन हजार अफेक्टेड होने वाले थे वे भी नहीं रहे। अब इसको कैसे मान सकते हैं।

फिर जैसा जुझारसिंहजी ने कहा एक फिक्स स्टेण्डर्ड एकड़ कर दीजिये। जो भी करना चाहते हैं कर दीजिये न कि इम्पोज करें जिसका कि वेरीएशन्स होता है।

एक निवेदन, अध्यक्ष महोदय, अवश्य करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाषण में अपने राज्य में व्याप्त अन-एम्पलोयमेन्ट पर दो शब्द भी नहीं कहे। राज्य सरकार इसको रोकने की क्या योजना रखती है। गत वर्ष वित्त मंत्री ने कहा था कि हम फलां फलां स्टेज में कन्ट्राक्ट में और सोसायटी बनाकर इनको खपावेंगे। पर मुझे पता नहीं इस बारे में कितना काम हुआ। यह सरकार बतावे।

राज्यपाल महोदय ने टूरिज्म इण्डस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं कहा। यह आज सारे देश में एक अच्छी इण्डस्ट्री बन रही है। तो सरकार बतावे कि इस बारे में उसकी क्या योजना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त गम्भीर बात का उल्लेख करना चाहूंगा जिसके बारे में भी राज्यपाल महोदय ने कोई उल्लेख नहीं किया। आज देश में और हमारे प्रदेश में भी तोड़फोड़ की प्रवृत्तियां तेजी से उभर रही हैं, असामाजिक तत्व उत्पन्न हो रहे हैं उनको रोकने के लिये सरकार क्या योजना रखती है? अध्यक्ष महोदय, राजगोपालाचार्य ने इस सम्बन्ध में कहा है उसे मैं क्वोट करना चाहूंगा :

"While we have to gaurd ourselves against those who wish to destroy our society and democracy by hatred, violence and disruption, we are prepared to make necessary sacrifices and accept certain ethical standards in our conduct if stability is to be maintained in the country."

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी तो निषिद्ध है यहां। मुकुटजी अभी आपत्ति करेंगे।

श्री मदनसिंह : यह उनका कथन है जो कांग्रेस से निकले हुए पहले पुत्र हैं।

(श्री हीराभाई के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : आप कहां से खड़े हो गये ? आप तो आपत्ति नहीं करेंगे ।

श्री हीराभाई : आपत्ति तो है, अनुवाद कर दें तो अच्छा है। पता लग सकेगा।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, और लोग भी बोलते रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये । मैं इन्कार नहीं कर रहा हूं ।

अब मैं.....

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर, खड़े होने पर)

ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय 5 मिनिट.....

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे समय ही ......

श्री अध्यक्ष : महिलायें पीछे क्यों रहती हैं? पहले से नाम क्यों नहीं इनसरट करवा लेती।

(पुन : माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, कल से नाम दिया हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज। बी० के० डी० का सिर्फ बोलने का है। इसमें मुझको यह भय है कि आप (श्री रामचन्द्र आर्य) बोलना शुरू करेंगे तो......

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, तीन मिनिट....

श्री अध्यक्ष । अच्छा 5 मिनिट मैंने आपको दिये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करते हुये इन मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं । एक तो अकाल पर प्रकाश डाला गया है। इसमें 20 लाख आदमियों को गत वर्ष रोजगार देने की बात कही गई लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। उसकी एन्क्वायरी की जाय। दूसरे राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता है आर्थिक दृष्टि से तो फिर इस आर्थिक पिछड़ेपन में इस विधान सभा भवन में दस लाख-साढ़े दस लाख रुपया क्यों खर्च किया गया है ? इसका इसमें जिक्र नहीं किया है । क्या हम इन कुर्सियों पर बैठकर... (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसकी मैं आपत्ति करता हूं। मेरा निवेदन है, यह धन्यवाद का प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिये ।

तीसरे जो साधनों की कमी के कारण राज्यपाल महोदय ने फर्माया कि योजना को लागू करने में कठिनाई है तो मैं कहता हूं मंत्रियों की जो फौज बना रखी है क्यों नहीं इसमें कटौती की गई ? क्या थोड़े मंत्रियों से काम नहीं चल सकता था ? लेकिन राज्यपाल महोदय को रटा रटाया भाषण पेश कर दिया गया, उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिये ।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

उन्होंने जनतन्त्र के बारे में जिक्र किया। जनतन्त्र की तो इन्होंने हत्या कर दी । यहां अब कौनसा जनतन्त्र रह गया है? पंचायतों के चुनाव नहीं करवा रहे हैं, नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। लोगों को गोलियों से मार कर उनकी लाशें रातों-रात जला दी गई। जनतन्त्र की तो आपने धज्जियां उड़ा दी है। यह उन्होंने बिलकुल वाहियात बात कही। गोली कान्ड के सम्बन्ध में कहा गया, सांगरिया में, भादरा में उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिये गोली चलाई गई और इसी तरह चुरू में भी उग्र भीड़ को हटाने के लिये गोलियां चलाई गई। और उन्होंने बताया उग्र भीड़ पर गोली चलाने से कुछ लोगों की जानें गई उसका मैं दुख प्रकट करता हूं। जयपुर में गोली चलाने का आदेश दिया गया और निर्दोष लोगों को मारा गया रातों-रात उनको जलाया गया। इस भाषण में इसका उल्लेख कहां है? यह भी आपत्तिजनक है इसलिये धन्यवाद का प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिये।

भूमि की नीलामी को बन्द करने का लिखा है। आपको याद होगा 67 में छोटी जोतों पर से लगान माफ किया गया और कहा गया था छोटी जोतों पर से लगान माफ करते हैं बड़ी तालियां बजी थीं उस समय लेकिन आगे आने वाले सैशन में इसको वापिस ले लिया जमीन की नीलामी में भी धोखा है, क्योंकि सरकार कह कर मुकर जाती है। सरकार जब तक लिखित में नहीं दे तब तक हम मानने को तैयार नहीं है। जमीन की नीलामी को जो बन्द किया गया है वह गंगानगर के आन्दोलन को दबाने के लिये एक प्रयास है। गंगानगर का कोई जिक्र अभिभाषण में नहीं किया जब कि हिन्दुस्तान में यह एक शान्ति पूर्वक चलने वाला आन्दोलन था। इसका कोई जिक्र नहीं किया इसलिए यह बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण अभिभाषण है मैं इसका विरोध करता हूं। कुछ लोगों ने बताया यह धनी किसानों का आंदोलन था, हो सकता है 2-3 पर्सेन्ट उसमें धनी लोग हों लेकिन सारा आन्दोलन गरीब किसानों का था। आज भी गांव में गरीब किसान ढोल बजाकर जेलों में जाने के लिये तैयार हैं, इस तरह का अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने दिया है। मैं कहता हूं ऐसा कहने वालों को गंगानगर का दौरा करना चाहिये और वहां की स्थिति को देखना चाहिये। 90-95 प्रतिशत गरीब किसान लोगों का आन्दोलन है, गरीब-किसान का आन्दोलन.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट मेरा बाकी है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

एक माननीय सदस्य : आपकी बड़ी सद्भावना है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने 5 मिनिट दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : हां दिये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं समय का पाबन्द हूं।

श्री मदनसिंह : ये एक ही सदस्य हैं......

श्री रामचन्द्र आर्य : इस भाषण में जो बातें कही गई हैं एक से 16 तक वे सब झूंठ है, निराधार है, तथ्यहीन है। यह मुख्य मंत्रीजी ने बैठकर इस तरह का

(श्री रामचन्द्र आर्य)

भाषण दिला दिया है लेकिन उनकी सच्चाई की दृष्टि से इसमें कोई सार नहीं है। यह अभिभाषण पूरा का पूरा तथ्य हीन है, इसको पास नहीं होना चाहिये। इस सरकार के खिलाफ यह प्रस्ताव पास होना चाहिये और जो अभिभाषण में बाकी बातें कही गई हैं, माननीय सदस्यों ने विस्तार पूर्वक सारी बातों पर जिक्र किया है—अकाल के बारे में, सीलिंग के बारे में जमीन के बारे में और सारी बातों के बारे में। मैं यह कहना चाहता हूं इस राजस्थान की सरकार को...... (एक माननीय सदस्य के बीच में बोलने पर) आप बीच में न बोलें इस राजस्थान की सरकार को यह सोचना है कि जनतन्त्र को मानती है या नहीं मानती है? यदि नहीं मानती है तो आपको इन कुर्सियों पर रहने का अधिकार नहीं है। गांधीजी के बताये हुये सत्याग्रह मार्ग पर चलने वालों को आपने मारा है इसलिये आपको इन कुर्सियों से हट जाना चाहिये—ताकि परम्परा बनी रहे और देश में जनतन्त्र समाप्त न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय। मैं, जब तक अभिभाषण का उत्तर समाप्त न हो, धन्यवाद का प्रस्ताव पास न हो, तब तक के लिये आपकी अनुमति से समय बढ़ाता हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं शिड्यूल्ड कास्ट्स और....

श्री अध्यक्ष : पार्टी के आधार पर समय दे दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक सूचना चाहता हूं कल राजस्व मंत्री को आपने निर्देश दिये थे....

श्री दौलतराम सारण : मैं समझता हूं उन्होंने भूमि आवंटन के सम्बन्ध में बातचीत करली होगी और निर्णय की घोषणा करेंगे उसका क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं कल बातचीत कर लूंगा।

मुख्य मंत्री महोदय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण दिया गया उसके संबंध में जिक्र किया गया कि कई चीजों का इसमें उल्लेख नहीं है। मैं समझता हूं कि यह पहली बार मौका था कि जब काफी छोटा अभिभाषण लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर प्रकाश डालते हुए अभिभाषण इस सदन के अन्दर राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया।

माननीय अध्यक्षजी, इस अभिभाषण में राजस्थान में जो अकाल की छाया है उसके संबंध में जिक है और भूमि सुधारों के संबंध में एवं जो छोटे किसान, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है उनके संबंध में भी जिक्र किया गया। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आज देश के अन्दर जिस समाजवाद के बारे में कम

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ज्यादा मात्रा में सभी दल कुछ बोलने लगे हैं उस दृष्टि से इस पर विवेचनात्मक दृष्टि से सोचा जाये तो जो बैंक पहले लोन, देते थे आम तौर से उसका लाभ जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन लोगों को हो पाता था । बैंकों के जरिये छोटे काश्तकारों को गारन्टी देने का फैसला बम्बई के अन्दर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें प्रस्ताव पारित करके किया गया और राजस्थान पहला प्रदेश है कि जिसनें उसके ऊपर अमल करके छोट काश्तकारों के बारे में गारन्टी देने का ही नहीं बल्कि 7 करोड़ रुपया अलग अलग बैंकों के द्वारा देने के बारे में किस किस जिले में कौनसा लीड बैंक होगा और इस पर कार्यवाही करेगा इसके संबंध में भी फैसला किया गया ।

माननीय अध्यक्षजी, आज दरअसल प्रश्न इस बात का है कि जिनके पास रोजगार का ज़रिया नहीं है उनको हम रोजगार का जरिया कैसे दिलवायें और दूसरे जिनकी बहुत कम आमदनी है, जो गरीब हैं उनकी हालत में कैसे सुधार लाया जाये ? आज इन प्रश्नों पर जब हम विचार करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह आवश्यक हो जाता है कि एक तरफ हम लोगों को जमीन उपलब्ध करवायें गांवों के अन्दर और उससे गांवों में जो बेरोजगारी या जिसको हम कहें कि अर्द्ध बेरोजगारी इस प्रकार की जो स्थितियां है उनके अन्दर सुधार हो सके । आज सभी जानते हैं कि देश के विकास के लिये, एम्पलायमेन्ट के लिये जितना प्राडक्शन देश के अन्दर बढ़ेगा, जितनी देश की शक्ति बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा उसके लिये अपार्चुनिटी बढ़ेगी यानी देश के अन्दर प्राडक्शन जब बढ़ता है तो अपार्चुनिटी उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती । रिसोर्सेस चाहिएं मेटेरियल के बारे में, मनी के बारे में कि जिसके लिहाज से हम इन कार्यक्रमों को पूरा कर सकें । उस दृष्टि से राजस्थान में सिंचाई की बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया गया । छोटी योजनाओं को हाथ में लेना चाहते हैं । पीने के पानी की योजनाओं को हाथ में लेना चाहते हैं । यहां पर प्रश्न उठा करते हैं इस संबंध में कि हम उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं या नहीं ? यहां पर यह भी कुछ माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया ।

इसके अलावा यहां पर सदन में उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने प्रश्न पदा किया कि पहले सिन्डीकेट में और फिर दूसरी तरफ हमने रुख कैसे अख्तियार कर लिया । म उसकी विवेचना में यहां बहुत नहीं पड़ना चाहता लेकिन मैं इतना उनसे जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि मैं समझता हूं जब आज के प्राईम मिनि- इन्दिरा गांधी को जब प्राईम मिनिस्टर के लिए चुना गया तो मुझे जो मुरारजी भाई के साथ, एस० के० पाटिल और अतुल दादा के साथ बताया जाता था— शायद जानने वाले आज जो राजनीति के हैं वह इसको जानते होंगे कि जिस समय इन्दिरा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, श्री लाल बहादुर जी शास्त्री के देहावसान के बाद, चाहे उनकी दूसरी राय थी, मुरारजी भाई एक तरफ थे और इंन्दिराजी दूसरी तरफ थीं तो भी मैंने और दूसरे कांग्रेस के सदस्यों ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बनाया। उस समय सत्ता की बात नहीं थी, कोई प्रश्न और नहीं था......

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन आपने यह भी तो कहा था कि जो सिन्डीकेट का साथ देगा उसको निकाल दिया जावेगा। [×××]

श्री वृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे है उन्हें एक्सपन्ज किया जाये।

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज किये जाते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उस समय अनुशासन की दृष्टि से, पार्लियामेन्ट्री बोर्ड के फैसले की दृष्टि से हम उस संगठन के अन्दर काम करते थे उस दृष्टि से हमने यह उचित समझा कि हम जो पार्लियामेन्ट्री बोर्ड का फैसला है उसके साथ रहेंगे और उसके साथ हम रहे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमने जो फैसला किया हमारी निश्चित मान्यता यह रही है, आज देश के अन्दर इस बात की आवश्यकता है कि देश के अन्दर प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गांधी का नेतृत्व है जो प्रगतिशील नेतृत्व के द्वारा वह देश को आगे ले जाना चाहते हैं उसका समर्थन करके चलें। उसी दृष्टि से हमने समर्थन किया है। इस दृष्टि से समर्थन किया है कोई हमारे दिमाग में और परेशानी नहीं लेकिन, माननीय अध्यक्षजी, हमारे उस तरफ बैठने वाले कुछ माननीय सदस्यों की परेशानी यह है...........

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई परेशानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमारे विपक्ष में बैठने वाले कुछ सदस्यों के दिलों के अन्दर परेशानी इस बात की है कि यह कांग्रेस पार्टी कुछ प्रदेशों के अन्दर छिन्न भिन्न हुई वैसे राजस्थान के अन्दर छिन्न भिन्न क्यों नहीं होती? परेशानी उनके दिमाग में इस बात की है कि यह छिन्न भिन्न होती तो कुछ लोगों को समझौता करके कुछ करने के लिए गुंजाइश पैदा होती...............

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान में नहीं है...........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजस्थान के अन्दर यह हालत क्यों नहीं पैदा हो पाई—मैं जानता हूं माननीय सदस्यों के दिलों की परेशानी। मैं माननीय सदस्य की भी परेशानी जानता हूं। वह बोलते हैं तो मैं उनके बीच में नहीं बोलता तो थोड़ी तसल्ली के साथ मुझे भी सुनने की कृपा करें। यह मैं आपसे भी उम्मीद कर के चल सकता हूं।

अभी हमारे सोशलिस्ट पार्टी के एक मित्र बहुत सिद्धान्तों की बात कर रहे

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(मोहनलाल सुखाड़िया)

थे । सी० बी० गुप्ता को सिण्डीकेट का मेम्बर बताते थे । बहुत लम्बी चौड़ी घोषणा इस सम्बन्ध में किया करते थे । मौका था राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी तरफ थे लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ सोशिलिस्ट पार्टी को जो अब सी० बी० गुप्ता का समर्थन दे रहे हैं । आप कहेंगे कि यह कार्यक्रमों के आधार पर है इसलिए साथ हो गये......

श्री रामचन्द्र आर्य : दिल्ली से इन्डिकेट को समाप्त करना है । इन्दिरा गांधी के शासन को समाप्त करना है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय संदस्य फिर उत्तेजित हो रहे हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, यह नोहर से आने वाले माननीय सदस्य कितने गांधीवादी दृष्किोण के है, कितने जनतंत्रवादी दृष्टिकोण के है और कितने जनतंत्र के अन्दर विश्वास रखते है, शांति में विश्वास रखते है, गांधीवाद में विश्वास रखते है इसका नोहर में पता लगाने की जरूरत नहीं है इस सदन में ही समय समय पर उसका रूप देखने को मिलता है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं सिर्फ जवाब ही देता हूं किसी पर हाथ नहीं उठाता । आपको मालूम होना चाहिये । आज तक किसी पर हाथ नही उठाया है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर, आर्डर । आप बार बार खड़े हो जाते है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो माननीय अध्यक्षजी, यहां पर जिक्र किया गया अभी थोड़ी देर पहले, उसके पहले कई बार सवाल आया इस सदन के अन्दर में दूसरी चीजों पर जाऊं उसके पहले इसके बारे में स्पष्ट कर दूं कि और तो और विरोधी दल के नेता, स्वतंत्र पार्टी के नेता कहूं, शायद सब विरोधी दल के नेता नहीं, स्वतंत्र पार्टी के विरोधी दल के नेता उन्होंने जिक्र किया अपने भाषण के दौरान कि अकाल इसलिए पड़ रहा है कि उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिले के अन्दर प्लान का आधा रुपया खर्च कर दिया जाता है । इस वजह से वहां पर अकाल पड़ने लग गया है । और राजस्थान की स्थिति खराब हो गयी है । मैं, माननीय अध्यक्ष जी यह भी निवेदन करदूं ..

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने यह कहा था कि चित्तौड़, भीड़लवाड़ा आदि पर बहुत विशेष धन राशि खर्च की जाती है । यह कारण थोड़े ही है कि अकाल वहां पर है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह ख्याल हुआ कि उदयपुर डिविजन में प्रचार के लिए जायेंगे तो यह बाधा के रूप में चीज सामने न आजायें इसलिए स्पष्टीकरण के लिए खड़े हुए हैं । तो मैं, माननीय अध्यक्ष जी, यह निवेदन कर रहा था कि जो उन्होंने जिक्र किया कि 1956-57 से 68-69 तक कुल मिलाकर राजस्थान के अन्दर 452 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है योजना पर । उसमें से कुछ ऐसी योजनाएं है जिनको डिविजनल तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड करना मुश्किल है लेकिन उसमें से 424 करोड़ रुपये, जो टोटल एक्सपेन्डीचर का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

93.8 पर्सेन्ट होता है उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने डिविजन करने की कोशिश की ताकि जो यहां कई बार प्रश्न उठाये जाते हैं कि कहां कितना खर्चा हो गया और क्या नहीं इसके संबंध में भी सदन को मैं कुछ जानकारी दे सकूं मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि परकपिटा एक्सपेन्डीचर जो इन वर्षों के अन्दर हुआ है उसमें सबसे ज्यादा परकैपिटा एक्सपेन्डीचर 1079 रु० जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आबादी कम होने की वजह से....

श्री भैरोंसिंह : बोर्डर रोडस का खर्चा शामिल है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं। यह प्लान एक्सपेन्डीचर है। मैं आपको निवेदन करूं कि दूसरा जो नम्बर है, अगर सबसे ज्यादा एक्सपेन्डीचर कहीं किया गया है परकैपिटा राजस्थान के अंदर तो वह बीकानेर के अंदर 641 रु० परकैपिटा खर्च किया गया है। तीसरे नम्बर पर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट आता है कि जिसके ऊपर 564 रु० परकैपिटा खर्च किया गया है.......

श्री रामचन्द्र आर्य: इसके अन्दर कितना रुपया है जो लोग खा गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चौथे नम्बर पर कोटा डिस्ट्रिक्ट आता है..

श्री मदनसिंह : खाने का ही है यह।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चौथे नम्बर पर कोटा डिस्ट्रिक्ट आता है। कोटा के अन्दर 477 रु० परकेपिटा खर्च किया गया है......

श्री कृष्णकुमार गोयल: इसमें चम्बल का कितना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: पांचवां नम्बर बूंदी डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर 398 रु० खर्च किया गया है। छठे नम्बर पर जयपुर डिस्ट्रिक्ट आता है जहां पर 251 रु० खर्च किया गया है। सातवें नम्बर पर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 222 रु० प्रति व्यक्ति खर्च किया गया है, और राजस्थान के अंदर औसत प्रति व्यक्ति खर्चा 210 रु० प्रति व्यक्ति है, और उदयपुर में 193 रु० प्रति व्यक्ति है......

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान कैनाल के अंदर.....(व्यवधान)।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : These are the Facts. जो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं यह फेक्ट्स पर आधारित है। बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर कैपिटा एक्सपेन्डीचर कम है। मैं इसका स्टेटमेंट आप लोगों की जानकारी के लिए वितरित करा दूंगा, क्योंकि इसमें सीक्रेट रखने वाली बात नहीं है। मैं इसको आपकी जानकारी के लिए भेज दूंगा। मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट से कहूंगा कि जिस हैडवाइज एक्सपेन्डीचर के बेसिस पर इन फिगर्स पर पहुंचे हैं वह बतायें, क्योंकि उन्होंने ही उनके फिगर्स बतायें हैं, तो मैं उसका ब्रेकअप भिजवा दूंगा। जिससे और डिटेल में जानकारी हो सके।

तो मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह था कि......

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करें, एक प्रश्न पूछता हूं कि पिछले सत्र में हमने राजस्थान सरकार से आंक

(श्री भैरोंसिंह)

मांगे थे कि पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में और इन दो वर्षों में हर जिले में प्रत्येक व्यक्ति पर कितना खर्च हुआ। मुख्य मंत्रीजी ने जो आंकड़े अभी दिये हैं और जो सरकार ने पहले बताये थे वे मिलते नहीं है। उनमें बताया गया था कि सबसे कम खर्चा जिसमें जालोर और दूसरे नम्बर पर बाड़मेर और तीसरे नम्बर पर जैसलमेर आता है इनमें किया गया है । आज फिगर्स उलटे हो गये है, यह कारण क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जो जालोर के लिए कहा गया है यह ठीक बात है। जालोर में 61 ही किया गया है और बाड़मेर में 67 ही आता है.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: Jaisalmer was not at the top there.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसलमेर के जो फिगर्स दिये हैं वह मैंने निवेदन किया है कि जो फेक्ट था वह मेन्शन किया है। डिटेल्स हम देंगे और उसमें चैन्ज होगा तो It can be discussed. यह नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं इसके सम्बन्ध में कोई सीक्रेट है। इसके बारे में चर्चा की जा सकती है ।

अब, माननीय अध्यक्षजी,....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य मंत्रीजी ने जो फिगर्स दिये हैं उनको मैं चैलेन्ज तो नहीं करता हूं....

श्री भैरोंसिंह : हम कर रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: लेकिन यह स्पष्ट है कि पर कैपिटा जो एक्सपेन्डीचर बताया गया है इसमें एक भ्रम है। जैसलमेर जिले की कुल आबादी 1 लाख है। अगर 400 एकड़ पर एक हजार रुपया वहां पर खर्च किया गया है तो एक हजार पर कैपिटा पर....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) No interruption please ? भाषण के बाद पूछ सकते हैं। मैं उस पर गौर कर सकता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने पहले ही निवेदन किया है कि पर स्क्वायर माइल एक्सपेन्डीचर नहीं है, पर केपिटा का एक्सपेन्डीचर निवेदन किया है। पर स्क्वायर माइल एक्सपेन्डीचर का नहीं कह रहा हूं । यह भी ठीक है आपका फर्माना कि एरिया बड़ा होने की वजह से उसका इम्पेक्ट होने में फर्क पड़ सकता है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अध्यक्ष महोदय, कि यहां पर जिक्र किया जाता है फेमिन कि समस्या को 22 वर्ष हो गये हैं अभी तक यह समस्या क्यों नहीं सुलझी है ? मैं पहले भी इस सदन के अन्दर निवेदन करता रहा हूं कि स्केअरसीटी की समस्या है, और स्केअरसिटी की समस्या के बारें में आज हम बैठे हैं या और कोई भी बैठेगा, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षा के जरिये जो आज प्रश्न बहुत से हल हो सकते हैं वे आज कई प्रश्न केवल बहुत सा खर्च कर देने से हल नहीं हो सकते हैं, वह समस्या हल नहीं हो सकती हैं। मैं तो यहां तक निवेदन करना चाहता हूं कि जो ट्यूब वैल्स आज उस इलाकों के अन्दर खोदे जा रहे हैं वहां जिस वर्ष में अच्छी वर्षा हो जायगी और जब वहां पर तालाबों के अन्दर पानी भर जायगा पीने का पानी उपलब्ध हो जायगा । तब मैं जानता हूं कि वे ट्यूब वैल्स चल भी पायेंगे या नहीं, कोई उनका पानी लेने को

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तैयार भी होगा या नहीं, और उन ट्यूब वैल्स पर जो खर्चा मेन्टीनेन्स का है वह देने के लिए तैयार भी होगा या नहीं ? वह स्थिति भी सामने आयगी ।

तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान के अन्दर कई योजनाओं को हाथ में लिया गया है, उनके जरिये से राजस्थान के कुछ इलाकों के अन्दर खास तौर से जहां सिंचाई की व्यवस्था बढ़ी है, कुछ इलाकों के अन्दर जहां कल कारखाने लगे हैं, उनमें कुछ सुधार हुआ है। लेकिन आज जो राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया है, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो जिक्र किया है उसमें इन बातों को बताया गया है कि हम छोटे काश्तकारों के लिए भी आगे बढ़ने वाली बात को लेकर के चलना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्षजी, इस सदन के अंदर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि बैटरमेंट लेवी नहीं लगानी चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कैश क्राप पर से टैक्स को हटा दिया जाना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सर चार्ज जो बड़े होल्डिंग्स पर होता है, उसके ऊपर लगता है, उसको हटा दिया जाना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर छोटे काश्तकार या छोटे व्यक्ति को मदद देना चाहते हैं तो मदद का धन कहां से आयेगा ? आज उसके लिए साधन कहां से आयेंगे ? उन साधनों के लिए, आज जो राजस्थान की चौथी पंचवर्षीय योजना बन रही है उसके लिए, माननीय अध्यक्षजी, भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो हमारा केपिटल साइड का रिपेमेंट ड्यू था उस रिपेमेंट में जितना रिपेमेंट कर सकें, जो हमारी रेवेन्यू साइड के अंदर फाइनेन्स कमीशन की सहायता के पश्चात् डेफिसिट रह जाय उस डेफिसिट को भी कहीं पैक किया जा सके और उस लिमिट पर पैक करने के ऊपर हम रिसार्सेज रेज करें और उसको उसमें एड किया जा सके उसको हमारे सोचने पर देंगे। इन सारे रिसोर्सेज को किसी तरह से न बढ़ने दें तो किस प्रकार से आगे इन हालतों को ले जा सकते हैं ?

माननीय अध्यक्षजी, हमने बड़ी बड़ी योजनाएं ली हैं हाथ के अंदर, लेकिन योजनाओं के लिए गंगानगर में आन्दोलन चलता है। कोटा के माननीय सदस्य ने भी कहा है कि बैटरमेंट लेवी नहीं ली जानी चाहिए। यह हम पहले ही एलान कर चुके हैं कि जिस जमीन पर पानी नहीं पहुंचा है, जिस जमीन के अंदर इरिगेशन नहीं हुआ है उस जमीन के ऊपर बैटरमेंट लेवी चार्ज नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर गलती से पर्चा उनके पास पहुंच गया हो तो उसका एतराज कर सकते हैं। उसको ठीक कर दिया जायेगा, उससे चार्ज नहीं किया जायगा। लेकिन जो छोटे आदमी इरिगेटेड जमीन पर खेती करता है—आज राजस्थान के अन्दर ज्यादातर इलाके के अंदर में यह कह सकता हूं कि तीन एकड़ औसत इरिगेटेड बहुत कम आदमियों के पास में मिलेगी-जो तीन एकड़ सिंचाई की जमीन उसके पास उपलब्ध है, उस तीन एकड़ को हमने एक्जेम्प्ट कर दिया है। एक्जेम्प्ट करके कहा कि बैटरमेंट लेवी नहीं लेंगे। बैटरमेंट लेवी के बारे में प्रश्न आता है तो गंगानगर जिले के अंदर कहा गया है कि पहले ही 11 रु० बैटरमेंट लेवी इतने वर्षों से 1959 से अब तक लेते आ रहे हैं वह 11 रु० बैटरमेंट लेवी चालू रहेगी और बढ़ी हुई बैटरमेंट लेवी को रोक दिया है।

(श्री

उसी ... के अंदर
बेटरमें ... माननीय
सदस्य ... पे करना
पड़ती ... 9 रुपया
पे करत ... ऊपर।
जिस ज ... जमीन
पर कर ... तजाम
किया ... ाय तो
जो बा ... ही नी
आना फ ... फसल
लेने वा ... ा जाता
है और ... ं किया
जाता है, ... रहे हैं
कि पानी ... टरमेंट
लेवी ली ... तनी ?
9 रुप

श्री ... ं तो
पानी का ... एकड़
की देते हैं ... है . .

श्री

श्री ... ानीय
सदस्य से ... कि
गंगानगर ... ंिट
लिया गय ... ाते
हैं यह भा ... एक
करोड़ छत्तीस लाख रुपये इन्ट्रेस्ट के आते हैं...

श्री रामचन्द्र आर्य : इसमें आपके भ्रष्टाचारी खा गये आधा रुपया। आधा रुपया वह खा गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह करने से कोई काम नहीं चलता है। आपको यह सुनना होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मेन्टेनेन्स पर जो खर्च हो रहा है यह मेन्टेनेन्स पर खर्च होता है पचास लाख रुपये जब कि इरिगेशन की वाटर रेट्स से प्राप्त होता है, वह पचास लाख होता है। इस प्रकार जो मेन्टेनेन्स पर खर्च होता है वह इरिगेशन रेटस से प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी एक करोड़ छत्तीस लाख का फर्क पड़ता है। यहां पर बेटरमेंट लेवी के लिए सवाल उठाया जाता है। बेटरमेंट लेवी कुल मिला कर पच्चीस लाख रुपये की आती है। पच्चीस लाख रुपये बेटरमेंट लेवी की वसूल हुई पिछले टाइम में। राजस्थान नहर को हमने लिया है उस पर केपीटल आउटले तीन करोड़ अट्ठाइस लाख इन्ट्रेस्ट लाइबिलिटी है राजस्थान की। उसके बाद पोंग डेम है, उसकी इन्ट्रेस्ट लाइबिलिटी है एक करोड़ अठावन लाख की। इस प्रकार भाखरा और राजस्थान कैनाल और पोंग डेम् इनकी कुल मिला कर लाइबिलिटी छः करोड़ बाइस लाख रूपये की है, जब कि वसूली साइड में मैंने बताया पचास लाख रुपये सिर्फ होती है और उसके साथ ही बेटरमेंट लेवी को ले लें तो पच्चीस लाख बेटरमेंट लेवी के होते हैं .....

श्री रामचन्द्र आर्य : घाटा होता है तो क्या हमारे जिले से ही लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करता हूं....

श्री रामचन्द्र आर्य : यह पूरा पैसा हमें ही नहीं देना है। यह आपको मानना पड़ेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक प्रोजेक्ट जो बड़ा तैयार हुआ है उस प्रोजेक्ट के अलावा दूसरी जगह के लोग मेरे पास आये और उन्होंने मुझसे कहा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उनमें इधर बैठने वाले भी हैं और इधर बैठने वाले भी माननीय सदस्य हैं, आज जो छोटे काश्तकार हैं, तीन एकड़ और पांच एकड़ वाले काश्तकार उनके लिए समझ रहे हैं कि बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन बड़ा काम इस बात का कर रहे हैं कि उनको कर्ज दिया जायगा, कर्ज से वह लोग कुए खोदेंगे और कुए खोदने के बाद ब्याज सहित इस कर्ज को वापिस देंगे, वह इन्ट्रेस्ट भी देंगे, दूसरी तरफ वह कुए से सिंचाई करेंगे तो एक एकड़ की सिंचाई के लिए पैंतालीस, पैंसठ रुपये देने की बात आती है कुए से सिंचाई की।, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्षजी महाराष्ट्र के अंदर एक एकड़ की सिंचाई दर डेढ़ सौ रुपये वसूल की जाती है, वहां भाखरा का जिक्र आता है जहां सिंचाई (श्री रामप्रसाद लडढा से) शायद पांच रुपये आता है। वहां पांच रुपये एक एकड़ की सिंचाई दर आती है। उस पांच रुपये एक एकड़ की सिंचाई दर की जगह ग्यारह रुपये लेते हैं.....

श्री रामचन्द्र आर्य : बारह रुपये एक बीघा के लिए गये हैं। यह गलत बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो माननीय सदस्य कहते हैं कि यह भी नहीं होना चाहिये तो इसका मतलब हुआ कि राजस्थान का छः करोड़ रुपये से ज्यादा का इन्ट्रेस्ट सारा राजस्थान मिल कर दे—यह मानें। एक जगह का मैंने निवेदन किया है। आज इसलिये सरकार इस बात को सोच कर चलती है, जिनको लाभ हो रहा है, भाखरा नहर के क्षेत्र के लिए..

श्री रामचन्द्र आर्य : झूठी बात कहते हैं झूठी बात सुनने की मुझे आदत नहीं है

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए मैं झूठी बात नहीं सुनना चाहता हूं।

(श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : I am relieved; I am relieved.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। सुन नहीं सकते।

माननीय अध्यक्ष जी, आज भाखरा का क्षेत्र जो है उसकी जगह जब भाखरा नहर वहां नहीं थी उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज वहां खेत लहलहाते हैं, उस समय लहलहाते खेतों के बजाय जैसे बीकानेर और जैसलमेर के अंदर पांच पांच और सात सात साल तक अकाल नजर आता है, वहां भी अकाल नजर आता था। मुझे मालूम है कि उस जमाने में भाखरा के क्षेत्र के अंदर पीने का मीठा पानी भी नहीं मिलता था। इसी भाखरा नहर पर मैंने पहला फावड़ा चलते हुए देखा है। आज का जो यह इलाका है, इस जगह पन्द्रह साल पहले का जो इलाका था, उस इलाके के फर्क को भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज वहां पर लोग आन्दोलन करना चाहते हैं--लगान नहीं लगेगा टैक्स नहीं लगेगा और काम सब कुछ होगा। हम इस बात को मानने वाले हैं, एक जगह विकास हुआ है राजस्थान में—हमें खुशी है इस बात की।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हम चाहते हैं राजस्थान नहर आये, बीकानेर के इलाके में पानी आये, जैसलमेर के इलाके में पानी आये, गंगानगर का इलाका सरसब्ज हो-यह भी राजस्थान के हिस्से हैं। इन पर करोड़ों रुपया खर्च होगा। चौथी योजना के अंदर इरिगेशन के अंदर पोंग डेम और राजस्थान नहर पर मिला कर जितना खर्च होगा, उतना दूसरी तरफ सारे राजस्थान में खर्च नहीं होने वाला है। हम समझते हैं, राजस्थान का विकास हो-अच्छी बात है। राजस्थान में प्रोडक्शन बढ़े-अच्छी बात है। लेकिन छोटे छोटे नदी नाले और इलाकों में भी हैं, उन इलाकों के लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि वह जो एक दो एकड़ जमीन लेकर बैठे हुए हैं उनकी जमीन पर भी पानी आ जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि आपकी ताकत बढ़ी है इस बात की कि वहां पैदावार ज्यादा कर सकें? जो पैदावार ज्यादा कर सकते हैं, जिनकी पैदावार करने की शक्ति बढ़ी है वह उस पैदावार का हिस्सा राजस्थान के दूसरे स्थानों के लिए दें जहां कुछ नहीं हुआ है। वहां से लेकर दूसरी जगह दे सकते हैं। उस दृष्टिकोण को लेकर चलें कि जहां जो एक बार हो गया वह वहीं तक रहे और दूसरे लोग गरीबी में रहें, भूखे रहें, पानी नहीं पहुंचे तो भी रहें-इस नीति का हम समर्थन नहीं करते हैं। उस नीति की वजह से प्रश्न खड़ा होता है कि जो सुविधायें एक जगह देते हैं वह वहां देकर चलें तो उपयुक्त बात नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में आन्दोलन चलता है। मुझे दुःख है कि आज वहां पर लोगों को गुमराह करने की कार्यवाही की जाती है, लोगों में गलतफहमी पैदा की जाती है। आज इस सदन में एक एक टेबल पर एक एक पर्चा रखा गया है, अच्छा किया वह पर्चा रख दिया। इस पर्चे से आन्दोलन की तस्वीर साफ होती है। यह कहा जाता है इस पर्चे में कि एक व्यक्ति को दो दो मुरब्बे जमीन उपलब्ध कराई जाय। गंगानगर में जो किसान संघर्ष समिति है, उसका एक हिस्सा है किसान सभा। उस किसान सभा के प्रतिनिधि मुझसे मिलने आये। वह आकर कहते हैं कि 1968 तक जिनका नाम दर्ज हो गया है गंगानगर में उनको एक एक मुरब्बा जमीन दे दी जाय। मैं राजस्थान विधान सभा के सामने यह प्रश्न रखना चाहता हूं कि आज बहुत से व्यक्ति यह चाह रहे हैं, इसलिए हजारों की संख्या में लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम यहां लिखा लिया है, जब कि दूसरी स्टेट में भी वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। इधर वोट देने की जरूरत पड़ती है तो पंजाब से इधर आते हैं, हरियाणा से इधर आते हैं क्योंकि यहां वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। आज एक लाख दरख्वास्तें भूमिहीनों की तरफ से आई हुई हैं और बहुत से दरख्वास्तें देना चाहते हैं, जब कि पच्चीस लाख एकड़ जमीन कुल मिला कर सिंचित होने वाली है। ऐसी स्थिति में क्या राजस्थान के अन्दर इस बात का फैसला करें जैसा कि इस पर्चे में लिखा हुआ है। जिन लोगों को आन्दोलन में भेजा जाता है उनको कहा जाता है, जाओ, दो मुरब्बे जमीन दिलायी जायगी। इसका मतलब यह होता है कि एक लाख किसानों को उनके कहने के मुताबिक, जैसलमेर तक यह नहर चली जाय, सारी जमीन सिंचित हो जाय, तो एक एक आदमी को पचास पचास बीघा जमीन दे दी जाय? क्या यह देश की विचार-धारा है? क्या यह समाजवाद की विचार-धारा है? क्या उससे मेल खाने वाली विचार-धारा है? आखिर सारे राजस्थान का रुपया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उस पर लगता है। उसके लिए यह कहा जाय कि 1968 में नाम दर्ज जिन्होंने करवा दिये थे उनको जमीन दे दी जाय। इसका परिणाम आप गंगानगर में जाकर देखने की कोशिश कीजिये। आज 1968 की बात आती है, कल 1967 की बात आयेगी कि जिन्होंने 1967 में अपना नाम दर्ज करा दिया उनको जमीन दे दी जाय। 1955 तक मान लिया, 1955 में जिन्होंने नाम दर्ज कराया उनको वहां का बाशिन्दा कह सकते हैं। पहले 1947 की बात थी, 1947 के पहले के बाशिन्दे थे उनको वहां का बाशिन्दा कह सकते थे, उसके बाद 1948 और 1950 की बात हुई। उसके बाद 1955 तक लिबरल किया। लेकिन आज मांग होती है 1968 तक की। किसान संघर्ष समिति कहती है कि 1968 तक जिन्होंने नाम दर्ज करा लिये उनको दो दो मुरब्बे दे दीजिये। यह भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने कब्जे कर लिये हैं, दो मुरब्बे उनके पास छोड़ दीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अंदर यह प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को राजस्थान ने इस दृष्टि से कन्सीव किया है कि राजस्थान के रहने वाले हैं, गंगानगर के रहने वाले हैं, वहां के बाशिन्दे हैं, भूमिहीन अगर दरअसल हैं वह, जो पैदाइश से वहां के रहने वाले हैं, राजस्थानी हैं उनको प्राथमिकता देकर हम चलना चाहते हैं। वह प्राथमिकता में नहीं आते हैं तो बीकानेर वालों को देंगे, जैसलमेर वालों को प्राथमिकता देंगे। लेकिन 1968, 1969 और 1970 तक लोग चले आयें दूसरे और नाम लिखवाते रहें दूसरे और जमीन दूसरों को देते रहें तो जो बाड़मेर, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि के जो भील और आदिवासी ह उनका भी तो रुपया इसमें लग रहा है। वह कहते हैं हमें सिंचित दस बीघा जमीन दे दीजिये, हम उससे ही अपना पेट भर लेंगे। जब कि आप कहते हैं कि दो दो मुरब्बे दीजिये क्योंकि आन्दोलन हो रहा है। दो दो मुरब्बे दें तो उसमें प्रश्न खड़ा होता है कि बाकी के इलाकों के रहने वालों का भी तो धन उसमें लगा है, सबका करोड़ों रुपया उसमें लगा है। हम रुपये के लिये योजना कमीशन के पास जाते हैं, योजना कमीशन कहता है इस योजना को पूरा करने के लिये क्योंकि यह स्टेट सीलिंग में आता है कि स्टेट सीलिंग में इसे अकोमोडेट कीजिये। स्टेट सीलिंग में अकोमोडेट करते हैं तो दूसरी योजनाओं को हम हाथ में नहीं ले पाते। साथ ही आप कहते हैं कि इसको पूरा नहीं करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं कहा करता हूं कि आइये, बैठिये, विरोधी पक्ष के लोग बैठ जायं, दूसरे लोग साथ बैठ जायं। हमने ऐलान किया हुआ है, पन्द्रह बीघा, जो स्टेन्डर्ड बीघा है, जिसका मतलब करीब नौ एकड़ होता है—जमीन देने के बारे में एलान किया हुआ है। हम नौ एकड़ सिंचित जमीन भूमिहीनों को देने की बात करेंगे। वह कहते हैं कि आन्दोलन करो, दो दो मुरब्बे जमीन तुमको दिलवायेंगे। दो मुरब्बे की बात कह कर कई लोगों को इसके अंदर लाया जाता है और इस प्रश्न को उठाया जाता है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सीलिंग की लिमिट इस तरह कर दो..

श्री भैरोंसिह: यह स्पष्टीकरण कर दें कि गंगानगर में अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसमें ? राजस्थान कैनाल में ?

— **श्री भैरोंसिंह** : गंगानगर जिले में ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गंगानगर जिले में दो मुरब्बा ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आप भाषण दे रहे हैं उससे विपरित दे रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अधिकतम सीमा जो 30 स्टेन्डर्ड एकड़ की सीमित की गई है उस अधिकतम सीमा में और जमीनों का अलोटमेंट किया जाता है, उसमें हमेशा फर्क रहता है ।

श्री भैरोंसिंह : दो मुरब्बा और 30 स्टेन्डर्ड एकड़ में अन्तर क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अन्तर यह रह गया कि सीलिंग की सीमा तो एक मेग्जिमम लिमिट है, दूसरी तरफ हम इस प्रकार देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की रोजी का इन्तजाम हो सके, न कि कुछ लोगों का हो जाय और बाकी के लोग भविष्य की तरफ देखते रहें। आप यह कह कर चलें कि दो मुरब्बा सीलिंग अलोटमेंट का रखा जाय तो दो मुरब्बा अलोटमेंट का सीलिंग तो जैसलमेर में भी नहीं है, बाड़मेर में भी नहीं है और कहीं दुनियां में इसे सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेने वाले के लिये आधा और देने वाले के लिये आधा......

एक माननीय सदस्य : इकोनोमिक होल्डिंग की परिभाषा क्या रखते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो माननीय सदस्य मुझसे मिले, मैंने उनसे कहा कि इस प्रश्न पर साथ बैठ कर विचार किया जा सकता है, 15 बीघा हो, एक माननीय सदस्य ने कहा कि 25 बीघा होना चाहिये, मैंने कहा कि इसकी डिटेल्स में जा सकते हैं, पर जो दो मुरब्बा वाली बात यहां पर चलाई जाती है, यह दो मुरब्बा वाली बात तो इम्पोसिबल है जिसको कि स्वीकार कर के चला जा सके ।

तो, माननीय अध्यक्षजी, मैंने संक्षेप में एक पक्ष का जिक्र किया । कोटा जिले में वाटर लोगिंग की प्रॉब्लम हो गई। मैं भी जानता हूं वाटर लोगिंग की वजह से कुछ क्षेत्रों में जमीन खराब हुई है। उस वाटर लोगिंग की वजह से जिन लोगों की जमीनें खराब हुई हैं उन जमीनों के बदले उनको दूसरी जमीनें दी जायं या मुआवजा लेना चाहें तो मुआवजा दिया जाय। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसी भी परिस्थिति हो, जो लोग लैंड सरेंडर करके उनके बदले में दूसरी जमीनें लेना चाहते हैं या मुआवजा लेना चाहते हैं तो इसका इन्तजाम किया जायगा।

कई जगह यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि कमाण्ड एरिया घोषित हो गया लेकिन पानी उस जगह नहीं पहुंचता है या जिस जगह पानी नहीं पहुंचने वाला है, और जगह पानी नहीं पहुंचा वहां खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं हुए। इसके सम्बन्ध में हमने यह फैसला किया है कि 6 महीने के अंदर अन्दर इन्जोनियर्स के द्वारा डिटेल्स तैयार कर दी जायं, जहां पानी नहीं पहुंचा है, जहां पानी नहीं पहुंचने वाला है, राजस्थान नहर परियोजना के क्षेत्र में, भाखरा परियोजना के क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में पानी नहीं जाने वाला है, उनको अनकमाण्ड घोषित कर दिया जाय और वहां काश्तकारों को खातेदारी राइट्स दे दिये जायं ।

श्री जुझारसिंह : चम्बल कमाण्ड में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चम्बल कमाण्ड एरिया भी इसमें शामिल है। तो, माननीय अध्यक्षजी, मैं हमेशा इस बारे में कहता रहा हूं और आज भी कहना चाहता हूं कि दरअसल जो गरीब हैं, वीकर सेक्शन्स हैं, उस वीकर सेक्शन के हित में अगर हमारा दृष्टिकोण हो और उस दृष्टि से विचार करना चाहते हैं तो इस पक्ष की ओर बैठने वाले और उस पक्ष की ओर बैठने वाले, निष्पक्ष दृष्टि से सोचने वाले होंगे तो सोचने के बाद पायेंगे कि रास्ता निकल ही जायेगा। इस दृष्टि से मैंने कहा कि एक साथ बैठ कर बात करें, मिल कर इसको हल करें। आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए साथ बैठ कर बात चीत की जाय। मुझे किसी से मिलने में एतराज नहीं है, संघर्ष समिति वाले आयें, दूसरे आयें, किसी से मैं मिलने से मना नहीं करता। लोजिकली टेबल पर बैठ कर विचार करना चाहिए और जो लोजिकल है सही बात है उसको मानना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि नीलामी रोक दी है उसका एलान किया है, पर लिख कर नहीं दे देते हैं कैसे मानें? मैं समझता हूं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात को कह दिया तो इसे फाइनल समझ कर चलना चाहिये लिख कर देने की अलग बात है, उसकी आवश्यकता नहीं रहती। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो अलोटमेंट के बारे में तय किया है, इसका मतलब यह है कि भूमिहीन आदिवासियों, हरिजनों और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अलोटमेंट किया जा कर उनको बसाया जाय। ऐसा नहीं है कि जितनी जमीन हमारे पास है, उसमें कई लोग बाकी रह जायं कुछ लोगों को मिल जाय, दूसरों को नहीं मिले। इस दृष्टि से इस प्रश्न को सदन में रखा गया है।

माननीय अध्यक्षजी, यहां पर फेमिन के बारे में जिक्र किया गया। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और और माननीय सदस्यों ने भी, जो सरकार द्वारा कुछ जिलों के अन्दर काम काज बन्द कर के 10 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह देने की योजना को लागू किया गया है, उसके सम्बन्ध में कहा। वह एक मजबूरी की स्थिति है। मैं अर्ज करूं कि न तो मैं सिद्धान्ततः इसको मानने वालों में हूं कि इस प्रकार की स्कीम चालू की जानी चाहिये। हमारे सामने प्रश्न था, सदन के अन्दर और बाहर ज्यादा तर यह प्रश्न उठता था कि जो कामकाज किये जा रहे हैं, उसमें काफी मात्रा में वेस्टेज हो रहा है, मिट्टी डालने का या गैर जरूरी काम किया जाय, इसके बजाय दूसरे काम करवायें। तकलीफ तो है पर एक कठिन वक्त निकाल सकें इसलिये यह रास्ता सोचा, राजस्थान नहर पर काम कराने वाली, और सुविधा देने वाली बात तय की गई। 30-35 हजार, 40 हजार, हां 40 हजार आदमी आज राजस्थान नहर पर काम कर रहे हैं। इस सदन में प्रश्न उठाया गया था कि खास तौर से जैसलमेर या बीकानेर या बाड़मेर, या दूसरे ऐसे इलाके जहां पर इस तरह के काम बन्द कर दिये गये हैं, उन क्षेत्रों से एक परिवार में से एक ही व्यक्ति काम पर गया है तो बाकी के परिवार वालों के लिये मुश्किल पड़ती है। आज हमने इस पर विचार किया है और तय किया है कि एक व्यक्ति राजस्थान नहर पर काम करता होगा तो बाकी परिवार के लोग जो पीछे रह गये हैं। उनको भी इस स्कीम के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

माफिक जो सहायता तय की हैं, वह मिलती रहेगी ।

जिस वक्त 10 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तय किया था उस समय 75 रुपया क्विन्टल बाजरे का भाव था, गेहूं से सस्ता था इसलिये 10 रुपया तय किया था। तो उस सम्बन्ध में भी हमने निर्णय किया है कि क्योंकि भाव बढ़ गये हैं इस लिये 10 पये की बजाय 12।। रुपया प्रति व्यक्ति उसको कर दिया जायगा। इसके अलावा राजस्थान नेहर वाले एड्वान्टेजेज मैंने और बताये है। इसके अन्दर अगर कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट सर्विस के अन्दर है और उसकी सैलेरी और डीअरनेस दोनों मिल कर 150 से ज्यादा उसको प्राप्त होता है तो उसके परिवार वाले लोगों को यह फैसेलिटी नहीं मिलेगी, अगर उसके परिवार में 6 से ज्यादा मेम्बर्स हैं तो उनको मिलेगा। 100 रुपये से ज्यादा पेन्शन पाने वाले होंगे उनके परिवार वालों को यह मदद नहीं मिलेगी। उनके परिवार में 6 से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो एडीशनल मदद देने की व्यवस्था होगी।

अध्यक्षजी, इसी प्रकार जो काम काज खोलने की बात है, उस संबंध में भी सरकार ने राज्य पाल महोदय के अभिभाषण के अंदर भी इस बात का जिक्र किया था कि यूटिलिटी की स्कीम्स को उन इलाकों के अंदर चालू किया जायेगा। कुछ योजनायें इस संबंध में बनाई गई हैं और बनाकर उन योजनाओं को चाहे बीकानेर जिला हो, जैसलमेर जिला हो या बाड़मेर जिला हो या जोधपुर के फलौदी-शेरगढ़ इलाके हों, इनमें अगर पक्के काम की सड़क है, उनको पक्का बनवाने की स्कीम, सोइल कन्जरवेशन का काम या फारेस्ट का काम, या जिसका खदान का काम काज होता है, इनकी स्कीम तैयार करवाई गई हैं। ऐसे काम काजों पर जितने लोग लग सकते हैं, उनको स्थानीय काम देने के बारे में इंतजाम किया जायगा।

पीने के पानी की व्यवस्था कुछ जगहों पर नहीं हो पाई है, उस बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। तो उसके लिए भी जहां पानी की ज्यादा तकलीफ है, उन जगहों पर पानी पहुंचाने के लिए भी इंतजाम किया जायगा।

ब्यावर के लिए प्रश्न उठाया गया था कि जो 1.20 लाख लोन के तौर पर दिए गए हैं, इस वजह से मुश्किल होती है उसके लिए तय कर लिया है कि वह लोन के बजाय ग्रांट के तौर पर दिया जाय जिससे वह काम जन स्वास्थ्य विभाग जल्दी से जल्दी पूरा कर दे और तकलीफ न रहे।

यहां पर सीलिंग के संबंध में भी चर्चायें दोनों तरफ से अलग अलग आईं। मैं सीलिंग के संबंध में आज विस्तार में जाऊं, उसकी आवश्यकता नहीं वह इसलिए कि इस संबंध में जो संशोधन आयेंगे उन संशोधनों के आने के बाद, कौनसी तारीख रेग्युलराइजेशन की मानी जाय, कौनसे ट्रांसफर्स को वेलिड समझा जाय, क्यों किसी को वेलिड समझा जाय, लॉ के अंदर प्रोवीजन जब तक नहीं आता तब तक ट्रांसफर्स कौनसी तारीख का मानें, इस सबकी चर्चा होगी, राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर यह सब बातें नहीं कह सकते। इस सदन में ही वह तारीख फिक्स होगी। भूमिहीनों के बारे में भी कहा गया है। उस संबंध में चर्चा होने के बाद जो कुछ प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों पर जिस समय संशोधन आयें,

Page No. 150

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
उस मौके पर, मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों के विचारों से लाभान्वित होकर विचार किया जा सकेगा ।

मैं अलवर से आने वाले माननीय सदस्य से यह भी निवेदन कर दूं कि वह इस संबंध में किस ने जमीन बेच दी या और कुछ किया, तो मोटिव इम्पयूट करने की बात कहते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैकेनाइज्ड फार्म्स कुछ मेरे नजदीक के रिश्तेदारों के पास हैं। आज सीलिंग के कानून के अंदर उनके पास से जमीन जायगी और इस कानून के प्रावधान की वजह से रेग्यूलराइजेशन के एडवान्टेज की बात कही, इस तरह किसी को एडवान्टेज देना मैं सीखकर नहीं चला हूं । मैं आशा करता हूं कि मोटिव्ज इम्पयूट नहीं करेंगे ।

आप कौनसी तारीख फिक्स करते हैं, सदन मिल कर तय करे। इस सदन में तय होगा कि कौनसी तारीख को रेग्युलराइज मानना या नहीं मानना है। यह बात इसलिये सोची गई है कि कईयों ने जमीन खरीद कर ली, आज बेचने वाले तो बेच चुके, आज कानूनी तरह से उनको बेदखल करें, उनको बेदखल करने की कार्यवाही करके सारा प्रोसेस करें, उसके बजाय एक लिमिट के अंदर हो, फिर हमने भूमिहीन व्यक्ति के पास जमीन है उसके लिए रेग्युलराइजेशन करने की बात कही है। उसके अंदर क्या कन्डीशन्स हों, उस पर विस्तार के साथ यहां पर चर्चा की जा सकती है। कोई इस मामले में हमारी मन्शा नहीं है कि एक लागू न करें या दूसरा न करें, यह प्रश्न नहीं है।

यह प्रश्न उठाया गया कि जो संविधान के जरिए इस सीलिंग लॉ को प्रोटेक्शन दिया हुआ था, अब क्योंकि एग्जेम्प्शन्स इसके अंदर से हटाये गये इसलिये जो संवैधानिक प्रोटेक्शन था वह इसकी वजह से वीक हो जाता है और सारा कानून इसकी वजह से वीक हो जाता है। हमने इस संबंध में जो लीगल ओपीनियन ली जा सकती है वह ली है और उस आधार पर ही यह कदम एग्जेम्प्शन्स को काम में लेने के लिए उठाया गया है। इन कदमों में यहां पर घोड़ों का और दूसरों का जिक्र भी आया। इसको विस्तार से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं रखा गया है लेकिन हमारी मन्शा रही है कि एफीशियेंट और मैकेनाइज्ड फार्म्स उससे हटाए जायं तो घोड़ों और भेड़ों को रखने वाला प्रश्न नहीं होता है। इस प्रश्न पर एग्जेम्प्शन की लिमिट से बाहर न जाते हुए संशोधन पर विचार करते समय डिटेल्स में देखकर चर्चा की जा सकती है .....

श्री मदनसिंह : घोड़ों को भेड़ों के साथ मत लगाइए, वह लाखों की तादाद में हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने उस दृष्टि से नहीं लगाया है। तो जो मुद्दे उठाए गए हैं, उस संबंध में मैंने निवेदन किया।

आज सुबह इस संबंध में चूरू के कॉलेज के बारे में भी बहस हुई थी और बहस के संबंध में यह चर्चा सामने आई थी कि शिक्षा मंत्री ने चूरू कॉलेज को चालू रखने का आदेश दिया है और दूसरे लोग बंद करवाने की बात करते हैं । मैं समझता हूं, यह भ्रम था । शिक्षा मंत्री चाहते थे कि कलेक्टर से प्रिन्सीपल बात करके उस बारे में रास्ता निकालें जिससे शांतिपूर्वक कॉलेज चल सके । मैंने आपसे जिक्र किया था कि डाइरेक्टर, कॉलेज एजूकेशन चूरू में बैठे हुए हैं, वह उन लोगों से बात

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
कर रहे हैं कि इसका ठीक मार्ग निकले। तो मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी है कि वहां बातचीत के बाद चूरू कॉलेज को चालू करने का फैसला हो चुका है और चूरू कॉलेज में पढ़ाई चालू हो जायगी। हम इस प्रकार की स्थिति स्वयं नहीं चाहते कि इस प्रकार के हालात पैदा हों लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी गंगानगर में जो आंदोलन चल रहा है, उसमें विद्यार्थियों को फिर से उसके अंदर लाया जा रहा है स्ट्राइक करवाने में, बाजार को बंद करवाने में और चीजों के अंदर। क्या मैं दरख्वास्त करूं, अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा, कि विद्यार्थियों को इस प्रकार से आंदोलन के अन्दर शरीक न किया जाय तो उचित होगा। वाजिब होगा कि उनको इसके अंदर न डालें और उन परिस्थितियों को हर तरह से और दिशा में ले जाने की कोशिश करें।

कल मैं यहां पर नहीं था। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री की हड़ताल को लेकर काफी जोर शोर से साहू जैन का एजेंट और न मालूम क्या क्या कहा। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य तो हड़ताल के बहुत दिनों बाद तशरीफ ले गए, आपको लगा कि हड़ताल चल रही है तो बहती हुई गंगा में हाथ धोयें तो क्या हर्ज? आप उस स्टेज पर पहुंचे। आप नहीं जानते कि मूल झगड़ा इस बात का था कि किस से बात की जाय, किससे नहीं, कौनसी यूनियन से बात की जाय। दोनों यूनियन्स इंटक की थीं, दोनों के अंदर विवाद था। उस प्रश्न के बारे में अगर दोनों का समझौता नहीं हो रहा है तो श्री गुलजारी लाल नंदा, जिनकी सेवा के बारे म आपको शंका नहीं होनी चाहिए, जिनके सोचने के तरीके के बारे में आपका ख्याल गलत नहीं होना चाहिए, अगर इस बात का प्रयत्न किया जाय कि नंदाजी जो इंटक के प्रेसीडेंट हैं, जिन्होंने श्रमिकों की सेवा की है, उनके जरिए इस मामले में फैसला करवा लिया जाय, उस बारे में फैसला करवाने का प्रयत्न किया जाय तो मैं समझता हूं यह उपयुक्त होगा और वह भी फैसला होने के बाद, माननीय सदस्य को मालूम है, चर्चायें वहां पर हुई हैं, पहले भी होती रही हैं, करीब 8-10 दिन से चल रही हैं और कल जब आप भाषण दे रहे थे उससे पहले माननीय सदस्य से कह चुके हैं कि एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन माननीय सदस्य को कुछ कहना चाहिए।

भारत में इन्जीनियरिंग लेबर के बारे में जो वेज बोर्ड की रिपोर्ट्स आई, इस सरकार ने बिना इस बात का ख्याल किए कि यूनियन इंटक की थी या एटक की थी, किसकी थी या नहीं थी, मैं समझता हूं, वेज बोर्ड की सिफारिशों को भारत सरकार ने एप्रूव किया, उससे पहले ही अगर कहीं पर सारे भारत में सबसे पहले इंजीनीयरिंग वेज बोर्ड की रिपोर्ट पर लेबर और एम्पलायर्स का समझौता कराया है तो राजस्थान में करवाया गया है।

टैक्सटाइल के बारे में जब प्रश्न खड़ा हुआ तो टैक्सटाइल का समझौता भी राजस्थान में करवाया गया है। इसलिए आप मजदूरों की ठेकेदारी लेकर मत चलें। आप इंटक के झंडे....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इंटक और एटक उस वक्त थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज कांग्रेस के तिरंगे झंडे के नीचे कितने मजदूर हैं ? आप जोर से चिल्लाते हैं । इसलिए भूमिहीनों के नाम पर कुछ और बातों की पैरवी न करके, मजदूरों के नाम पर गाली देने का प्रयत्न न करें । हम अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं ।

अध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा इस सदन को, भूमिहीनों को, गरीबों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ज्यादा से से ज्यादा लोगों के हित के लिए जो योजनायें सामने आयेंगी, हमारे साधनों को लक्ष्य में रखते हुए, उनको पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मदनसिंह : You have not said anything about soldiers.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस बारे में जो आपकी भावनायें हैं, उससे हमारी सहानुभूति है । कुछ न कुछ कदम उठाकर आपको सूचित करेंगे ।

(कई माननीय सदस्य खड़े हुय)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

माननीय सदस्य ! अब कोई प्रश्न नहीं । ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं 99 पर्सेन्ट ऑर्डर मानूंगा लेकिन फौजियों के सम्बन्ध में आप व्यवस्था दीजिये । कुछ करना चाहिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम बैठ कर बातचीत करके जो रास्ता निकाल सकते हैं निकालेंगे । हमारे और आप में कोई इस सम्बन्ध में मतभेद नहीं है । तत्काल तो क्या कह सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि निम्नलिखित शब्दों में राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद अर्पित किया जाय :

"इस सत्र के समवेत विधान सभा सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता । हां पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह : ना पक्ष जीता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ना पक्ष जीता । Now have it, Sir.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकार किया गया ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

चूंकि राज्य सरकार बिजनैस आगे बढ़ाने के लिये नहीं दे पायी है अतः सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान पश्चात् 5.52 पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई) ।

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 215 की सूची)

ग्रामीण जल प्रदाय योजना

ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएँ जो 68-69 तक पूर्ण की जा चुकी हैं

	खर्चा 68-69 तक (रु० लाखों में)	खर्चा 69-70 दिसम्बर तक (रु० लाखों में)	योग (रु० लाखों में)
जिला बीकानेर			
1. उदासर	1.41	–	1.41
2. सुरपुरा	1.37	–	1.37
3. सिंथल	2.32	(–) 0.03	2.09
4. पांचु	1.46	(–) 0.01	1.45
5. मेरासर	0.80	0.06	0.86
6. काबरा	1.15	–	1.15
7. जसरासर	1.27	–	1.27
8. बरसिंहसर	1.59	0.07	1.66
9. रासीसर	2.34	(–) 0.04	2.30
10. उदरामसर	1.28	–	1.28
11. देसालसर	1.31	0.02	1.33
12. महाजन	0.91	0.13	1.04
13. रामसर	0.54	0.30	0.84
14. कानोलाई	0.34	0.04	0.38
15. खालमदेसर	0.22	0.20	0.42
16. नायासर	1.19	–	1.19
17. छत्तरगढ	(–) 0.02	–	(–) 0.02
18. सारूड़ा	1.17	–	1.17
19. कालु	1.76	–	1.76
20. लुणकरणसर	0.15	–	0.15

नगरीय जल प्रदाय योजनाएं

68-69 तक पूर्ण की गई योजनाएं

योजना का नाम	खर्चा 68-69 तक	खर्चा 69-70 दिसम्बर तक	योग
जिला चूरू			
(1) चूरू	15.75	0.08	15.83
(2) राजगढ़	6.67	(−) 0.10	6.57
(3) तारानगर	3.55	(−) 0.01	3.54
(4) सरदारशहर	9.33	(−) 0.11	9.22
जिला बीकानेर			
(1) बीकानेर	43.01	(−) 0.04	42.97
(2) नोखा	2.77	0.04	2.81
(3) देशनोक	3.97	—	3.97
(4) गंगाशहर	4.89	0.10	4.99
(5) भीनासर	2.17	0.03	2.20
जिला श्रीगंगानगर			
(1) गंगानगर	13.17	—	13.17
(2) हनुमानगढ़ टाउन	1.76	(−) 0.11	1.65
(3) करनपुर	5.77	(−) 0.01	5.76
(4) नोहर	7.82	0.018	8.00
(5) रायसिंहनगर	4.58	(−) 0.06	4.52
(6) सांगरिया मण्डी	4.97	—	4.97
(7) रावतसर	8.54	0.78	9.32

योजनाएं जो वर्ष 69-70 में पूर्ण की जाने वाली हैं

	खर्चा 68-69 तक	खर्चा 69-70 दिसम्बर तक	योग
जिला चूरू			
(1) रतन सागर	2.67	1.24	3.91
(2) सुजानगढ़	18.59	2.61	21.20
(3) राजलदेसर	1.59	1.25	2.84
जिला श्रीगंगानगर			
(1) भादरा	7.33	1.20	8.53
(2) सूरतगढ़	5.31	1.92	7.23

ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं जो निकट भविष्य में पूर्ण की जाने वाली हैं

योजना का नाम	खर्चा 68-69 तक	खर्चा 69-70 दिसम्बर तक	योग
जिला बीकानेर			
(1) नापासर	1.61	1.11	2.72
(2) शेखसर	0.09	0.01	0.10
(3) सुजानदेसर	0.44	0.02	0.46
(4) करनीसर	0.09	0.09	0.18
(5) गरसीसर	—	0.09	0.09
ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं जो 68-69 तक पूर्ण की जा चुकी हैं			
जिला चूरू			
(1) बोगा	1.39	0.02	1.41
(2) मोमासर	1.86	0.07	1.93
(3) परिहारा	2.71	0.06	2.77
जिला श्रीगंगानगर			
(1) पाण्डुसर	0.96	—	0.96
(2) मकासर	1.57	—	1.57
ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं जो निकट भविष्य में पूर्ण की जाने वाली हैं			
जिला चूरू			
(1) दरीबा	1.10	0.07	1.17
(2) सिमला	0.29	0.11	0.40
(3) पुलासर	0.34	0.02	0.36

परिशिष्ट 2

(ता० प्र० सं० 222 की सूची)

सूची 'म'

फेहरिस्त कागजात (दस्तावेजात) वजह सबूत जो मुकदमा नं० 28, दि० 7-6-64 जो 381/409, आई० पी० सी० थाना पुलिस रावतसर में दौराने तफ्तीश एस० एच० ओ०, रावतसर ने कब्जे में लिया।

(1) फाइल बिला नम्बरी जिसमें विकास अधिकारी, नोहर को ता० 23-4-64 व 29-1-64 व 10-1-64 को रिपोर्ट करने की नकलें शामिल हैं व एक रिपोर्ट बिना नम्बरी बिला तारीख है और ऑडिट ऐतराज सन् 60-61 का जवाब जो दिनांक 14-1-64 को दिया गया भी शामिल है।

(2) ऑडिट रिपोर्ट सन् 57-58-59-60 व 60-61 व 61-62 व 62-63।

(3) सचिव फाइल जिसमें जगदीशप्रसाद, सचिव को पंचायत चाइया में बी० डी० ओ० सा० नोहर को रखने की सिफारिश है।

(4) वाउचर सचिव को तनख्वाह तकसीम करने का एक माह सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर का एक श्री दयाराम को 3.25 पैसे ताला की कीमत देने का नं० 8, एक जगदीश सचिव को माह जुलाई, अगस्त की तनख्वाह देने का नं० 7 व एक जगदीश प्रसाद सचिव माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, जून, सन् 63 का तनख्वाह देने का नं० 6 व एक वाउचर माह सितम्बर, अक्टूबर, सन् 62 व माह नवम्बर, दिसम्बर, अगस्त, सन् 62, 250) रुपये तनख्वाह वसूल पाने का नं० 5 एक वाउचर रजिस्टर कार्यवाही 1.33 पैसे का व एक वाउचर रजिस्टर रोकड़ खरीदने का नं० 2 व एक वाउचर नं० 1 बीरबल को गाय चराई का 20) रुपये देने का।

(5) कैश बुक सन् 61-62 जो सरपंच असल कैश बुक बताता है व एक कैश बुक ता० 12-4-63 से 31-10-63 तक का जो सरपंच नकली बताता है।

(6) रजिस्टर कार्यवाही ता० 5-6-61 से 27-4-63 तक का दूसरा 24-4-63 से 12-4-64 तक का व नकल रोकड़ थालड़ पंचायत की ता० 13-3-53 से 4-4-59 तक।

(7) रसीद बुक पशु निलामी की जिसमें 57 रसीद कटी हुई हैं।

(8) रसीद बुक पशुओं को मवेशी खाना से छोड़ने की जिसमें 44 रसीदें फटी हुई हैं।

(9) एक कोर्ट फीस बुक जिसमें 51 रसीदें कटी हुई हैं।

(10) एक वाउचर फाइल सन् 61-62 की जिसमें 1 से 50 तक वाउचर हैं।

(11) एक वाउचर फाइल सन् 62-63 की जिसमें 1 से 55 तक वाउचर हैं।

सूची 'ब'

फेहरिस्त दस्तावेजात वजह सबूत दो मुकदमा नं० 28, दि० 7-6-64, जुर्म 381/409, आई० पी० सी०, थाना पुलिस रावतसर में चालान के साथ अदालत में पेश किये गये।

(1) फाइल बिला नम्बरी जिसमें विकास अधिकारी, नोहर को ता० 23-4-64 व 29-1-64 व 10-1-64 को रिपोर्ट करने की नकलें शामिल है व एक रिपोर्ट बिला नम्बरी बिला तारीख की है। व ऑडिट एतराज सन् 60-61 का जवाब जो तारीख 14-1-64 को दिया गया भी शामिल है।

(2) एक कैश बुक ता० 12-4-63 से 21-10-63 तक जो सरपंच चाइया नकली बताता है।

(3) एक रजिस्टर कार्यवाही ता० 5-1-61 से 27-4-63 तक का व दूसरा 12-4-63 से 12-3-64 तक का।

(4) रसीद बुक पशु निलामी जिसमें 77 रसीदें कटी हुई हैं।

(5) रसीद बुक पशु छोड़ने की जिसमें 44 रसीदें कटी हुई हैं।

(6) एक कोर्ट-फीस बुक जिसमें 51 रसीदें कटी हुई हैं।

(7) वाउचर बुक सन् 1962-63 में से वाउचर नं० 24, 25, 27, 28, सन् 63 के।

परिशिष्ट 3

(प्र० सं० 202 की सूची)

श्री बृज किशोर शर्मा, अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी समिति, केकड़ी द्वारा उठाया गया यात्रा एवं दैनिक भत्ते का ब्यौरा।

दिनांक		उठायी गयी राशि	भुगतान का दिनांक
2-1-67	समिति की बैठक	5)	20-5-67
7-4-67	,,	5)	20-5-67
8-5-67	,,	5)	26-7-67
31-5-67	,,	5)	26-5-67
30-7-67	,,	5)	21-10-68
16-8-68	,,	5)	,,
20-5-68	,,	5)	,,
26-5-68	,,	5)	,,
21-6-68	,,	5)	,,
26-6-68	,,	5)	,,
5-8-68	,,	5)	,,
25-8-68	,,	5)	,,
16-5-67 से 19-5-67 तक जयपुर		29)	18-7-67

परिशिष्ट 4

(ता० प्र० सं० 205 की सूची)

विशेष मरम्मत पर वर्ष 1968-69 में सड़कों पर व्यय की गई धनराशि की सूची (अ)

जिला सीकर

क्रम सं०	नाम सड़क	व्यय की धनराशि
1.	सीकर उदयपुर रोड पर बालू रेत के टीलों को हटाने	852.00
2.	सीकर हर्ष रोड	3,330.14
3.	शाहपुरा नीम का थाना रोड	3,073.00
4.	खण्डेला उदयपुर रोड	3,772.50
5.	नीम का थाना गणेश्वर रोड	162.60
6.	चेला उदयपुर रोड	1,121.33
7.	रींगस श्री माधोपुर रोड	3,357.70
8.	सूर लोसल रोड	2,656.00
9.	दांता रामगढ़ रोड	19,278.85
10.	लछमनगढ़ मुकन्दगढ़ रोड	2,317.26
11.	रामगढ़ रतननगर रोड	2,164.00
12.	नीम का थाना पाटन रोड	27,195.27
13.	कावट खण्डेला रोड	1,850.76
14.	खण्डेला उदयपुर रोड कलवर्ट हेतु	4,234.64
15.	3/4 इंच मोटी प्रीमियस कारपेट नीम का थाना मावन्डा रोड	1,753.00
16.	डामर खेतड़ी मावन्डा रोड	101.50
17.	सीकर नवलगढ़ रोड	208.00
18.	किलोमीटर के रियर एन० के० टी० सेक्शन (रिपेयर्स)	9,949.00
19.	किम का थाना मावन्डा रोड	12,856.00
	विशेष मरम्मत पर हुई धनराशि	1,00,233.75
	सडकों की मरम्मत पर लगी गैंग की तनख्वाह की धनराशि	3,61,198.00

जिला झुंझुनू

1.	खेतड़ी चिड़ावा	8,759.55
2.	सुधार झुंझुनू नवलगढ़ रोड निकट बस स्टेण्ड	5,142.72
3.	गार रोड झुंझुनू	482.80
4.	एप्रोच रोड पातुसरी ग्राम से झुंझुनू उदयपुर रोड	15,692.24

क्रम सं०	नाम सड़क	व्यय की धनराशी
5.	चिड़ावा अरडावता रोड	37,000.00
6.	नारपुरा रोड के अधूरे कार्य को पूरा कराने	30,152.00
7.	नवलगढ़ रेल्वे स्टेशन से रामदेवजी के मंदिर	197.60
8.	डून्डलोद नगर से झुंझुनू नवलगढ़ रोड	11,588.00
9.	चिड़ावा नार रेल्वे स्टेशन	7,925.00
10.	तोसे मुडावा चिड़ावा सिघाना रोड	2,266.00
11.	मोदी रोड से विद्यार्थी रोड	1,397.00
12.	मोदी रोड झुंझुनू	108.20
		1,20,712.00
	सड़कों की मरम्मत पर लगी गैंग की तन्खवाह की धनराशि	3,60,845.00
		4,81,557.51
		4,81,558.00

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

डीडवाना में भूमि पर अतिक्रमण के मामले

226. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, डीडवाना, जिला नागौर में पालिका की भूमि पर लोगों द्वारा किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई राशि लोगों से वसूल करनी है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) इस वर्ष में इस प्रकार की राशि कितनी वसूल की गई ?

(3) क्या उपरोक्त राशि जिन में बकाया है उससे वसूल करने के सम्बन्ध में संचालक, स्वायत्त शासन विभाग ने कोई निर्देश नगरपालिका को भेजे हैं ? यदि हां, तो क्या और कब तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या वसूली करने के सम्बन्ध में सब बाकीदारों के साथ एक सा व्यवहार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम ढाबां में आवंटित भूमि

227. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या उपनिवेशन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में चक नं० 5 ए० पी० डी० में 14 मुरब्बा भूमि ग्राम ढाबां (जिला गंगानगर) के कुछ व्यक्तियों के नाम आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो किसके द्वारा किन किन व्यक्तियों (नाम पते सहित) को कब कब और किन नियमों के अन्तर्गत आवंटित की गई ? कृपया उन नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि इस आवंटन को रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और किसके द्वारा ? कृपया रद्द करने के निर्णय की एक प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इस आवंटन से सम्बन्धित विषय में किन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो किन किन के विरुद्ध और किस स्तर पर ?

उत्तर

(1) जी हां । गंगानगर जिले में चक नं० 5 ए० पी० डी० में 14 मुरब्बा भूमि ग्राम ढाबां (जिला गंगानगर) के निम्नांकित 7 व्यक्तियों को सन् 1962 में उपायुक्त उपनिवेशन द्वारा आवंटित की गई थी ।

1. श्री किशोर सिंह वल्द बलदेव सिंह, जाट, साकिन ढाबां ।

2. श्री भोपालसिंह वल्द बलदेवसिंह, जाट, साकिन ढाबां ।

3. श्री भंवरसिंह पुत्र उम्मेद सिंह, जाट, साकिन ढाबां ।

4. श्री गनपतसिंह वल्द उम्मेद सिंह, जाट, साकिन ढाबां ।

(श्री उपनिवेशन मंत्री)

5. श्री काना राम पुत्र रामाराम, जाट, साकिन ढाबां ।

6. श्री रामचन्द्र पुत्र सूरजमल, जाट, साकिन ढाबां ।

7. श्री मांगीलाल वल्द गोकुलदास, जाट, साकिन ढाबां ।

(2) जी हां। सन् 1968 में उपायुक्त, उपनिवेशन के समक्ष मुखबरी होने पर इन व्यक्तियों के कागजात देखे गये और यह आवंटन सही नहीं माने जाकर इनके आवंटन उपायुक्त, उपनिवेशन द्वारा निरस्त किये गये। आदेश की प्रति संलग्न है ।

इन सात व्यक्तियों द्वारा राज्य सरकार की निगरानी प्रस्तुत करने पर निगरानी खारिज की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में मूल आदेश आवंटन के कैसे हो गए इसके लिए उपायुक्त उपनिवेशन को जांच करने के लिए लिखा गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

गोकुल नाथजी की बावड़ी की भूमि

228. श्री दुर्गालाल बाड़बार (हवामहल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर नगर में ब्रह्मपुरी मोहल्ले के आगे गेटोर के रास्ते में गोकुल नाथजी का मंदिर तथा एक बावड़ी बनी हुई है जो गोकुल नाथजी की बावड़ी के नाम से विख्यात है ?

(2) क्या इस मंदिर के साथ मंदिर का एक बाग भी है और मंदिर की सारी सम्पत्ति पुख्ता डोले से महफूज थी जो अब धीरे धीरे गिरती जा रही है ?

(3) मंदिर, बाग व बावड़ी का कुल कितना रकबा है ?

(4) क्या स्वायत्त शासन विभाग ने इस सम्पत्ति को जो मंदिर की है, विभिन्न व्यक्तियों को अलॉट कर दी है ?

(5) क्या मंदिर के अधिकारियों द्वारा नगर विकास न्यास तथा नगर परिषद् द्वारा अनुचित हस्तक्षेप किए जाने के सम्बन्ध में कई शिकायतें आईं ? यदि हां, तो स्वायत्त शासन विभाग ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) कुल रकबा 6,331 वर्ग गज है ।

(4) जी नहीं ।

(5) मन्दिर की सम्पत्ति जब किसी को अलॉट ही नहीं की गई तो शिकायत का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

परिशिष्ट 6

(अ० प्र० सं० 226 की सूची)

मंत्रियों द्वारा दिनांक 4-4-69 से 5-8-69 तक किये गये दौरों के बारे में सूची

क्रम सं०	मंत्री का नाम व पद	दौरों के दिनों की संख्या	उक्त अवधि में लिया गया यात्रा व दैनिक भत्ता
1	2	3	4
मंत्री गण			रुपये
1	श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री	94	2,585.08
2	श्री मथुरादास माथुर	96	7,347.95
3	श्री दामोदर लाल व्यास	40	436.36
4	श्री हरिदेव जोशी	69	3,169.15
5	श्री रामकिशोर व्यास	54	3,868.79
6	श्री बरकतुल्ला खां	46	3,890.59
7	श्री बृजसुन्दर शर्मा	80½	2,620.77
8	श्री परसराम मदेरणा	89	1,442.75
9	श्री अमीनुद्दीन अहमद	63	2,908.65
10	श्री नारायण सिंह मसूदा	76½	3,061.50
11	श्री शोभाराम	63	2,001.30
12	श्री भीखाभाई	101	4,511.11
13	श्री रामप्रसाद लड्ढा	64½	1,929.39
14	श्री अमृतलाल यादव	66	4,988.97
15	श्री शिवचरण माथुर	74	1,507.30
राज्य मंत्री			
1	श्री मनफूलसिंह	72	—
2	श्रीमती सुमित्रा देवी	56½	1,553.00
3	श्री हीरालाल देवपुरा	79	1,979.00
4	श्री जयकृष्ण	76	1,728.00
5	श्री बी० एन० जोशी	59	1,291.30

1	2	3	4
उप-मंत्री			
1	श्री रावबीरसिंह	80	1,109.00
2	श्री गंगाराम चौधरी	82	1,921.50
3	श्री खेतसिंह	62	1,668.19
4	श्री रामदेव सिंह	88	5,879.50
5	श्रीमती प्रभामिश्रा	80	4,277.50
6	श्री भीमसेन	98	5,834.00
7	श्री हरिसिंह बेगू	54	1,386.00
8	श्री माधोसिंह	100	1,964.00
9	श्री प्रद्युमन सिंह	48	2,238.57
10	श्री शिवचरण सिंह	77	1,665.29
11	श्री कन्हैयालाल	64	3,270.30
12	श्री रामचरण	74	6,593.43
13	श्री समरथ लाल	81	1,417.00
14	श्री बृजप्रकाश गोयल	104	3,734.22
15	श्री जसराज	95	8,737.25
16	श्री मुल्कराज थिंद	80	1,612.45
17	श्री गुरदीपसिंह	102	3,958.46

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 228 की सूची)

सालवार पेन्डिंग केसेज की सूची

क०सं०	वर्ष	केसेज की संख्या
1	1958	2
2	1960	7
3	1961	3
4	1962	6
5	1963	15
6	1964	15
7	1965	26
8	1966	50
9	1967	40
10	1968	48
11	1969	69
12	1970	3
	योग ..	284

परिशिष्ट 8

(अ० प्र० सं० 238 की सूची)

प्लॉट जो शिड्यल कास्ट्स व शिडयूल ट्राइब्स को अलॉट किए गये हैं उसकी सूची निम्न हैं:

क्रमांक	जिसके नाम प्लाट अलॉट किया है	प्लाट नं०	योजना	अब जिसके नाम प्लाट है। यानी परिवर्तन किया जा चुका है
1	2	3	4	5
1	श्री गोकुलचंद जाव्टव, एम०एल०ए०	122	1	श्रीमती कान्तादेवी जैन धर्मपत्नी श्री अमरचन्द जैन, अलवर।
2	छुट्टनसिंह जाटव	86	2	श्री रामेश्वर दयाल गोविन्दराम पुत्र श्री चिरंजीलाल, नया गांव बोलका ।
3	श्री दल्लाराम चिमार, अलवर	36	2	अब भी इन्हीं के पास है।
4	श्री मोहनलाल पुत्र रमला जाटव, चांदोली, अलवर	891	2	अब भी इन्हीं के पास है ।
5	श्री भोजराज, विकास अधिकारी, दूदू, पंचायत समिति, दूदू	88	2	अब भी इन्हीं के पास है ।
6	श्री अदलराम, पटवारी, अलवर, तहसील अलवर	87	2	अब भी इन्हीं के पास है ।

Page No. 167

परिशिष्ट 9

(अ० प्र० सं० 251 को सूची)

परिशिष्ट 'क'

ग्राम करवर सेवा सहकारी समिति सभा र० नं० 138 जी को अल्पकालीन ऋण गन्ना उत्पादक हेतु सदस्यों को दिया गया जिसकी सूची

क्र०सं०	नाम काश्तकार	कितना 2 ऋण दिया गया
1	श्री हेगया धाकड़	869.51
2	श्री रामरख महाजन	1,739.02
3	श्री चन्दालाल कायस्थ	1,739.02
~~4~~	~~श्री रामकुमार धाकड़~~	~~869.51~~
5	श्री बोरया धाकड़	869.51
6	श्री प्रताप कोली	869.51
7	श्री सोभाग मल महाजन	869.51
8	श्री प्रहलाद खाती	869.51
9	श्री गंगाराम	869.51
10	श्री अम्बालाल	869.51
11	श्री जग्गा धाकड़	869.51
12	श्री गनपत धाकड़	869.51
13	श्री किशन धाकड़	869.51
14	श्री प्रभू धाकड़	869.51
15	श्री नाथू धाकड़	869.51
16	श्री धूला धाकड़	869.51
17	श्री रतना धाकड़	869.51
18	श्री मोहन लाल	869.51
19	श्री नहनगा काछी	869.51
20	श्री छीतरा काछी	869.51
21	श्री वरधा कुम्हार	433.14
22	श्री द्वारका प्रसाद	869.51
23	श्री रामचन्द्र महाजन	869.51
24	श्री किशन गोपाल	869.51
25	श्री रतनलाल	869.51
26	श्री रामनारायण	7,139.92
27	श्री सूरज मल	869.51
28	श्री नारायण धाकड़	869.51
29	श्री हीरा धाकड़	869.51
	योग ..	27,388.47

परिशिष्ट 10

(अ० प्र० सं० 252 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

समिति का नाम जिसके प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा समिति की राशि अनुचित रूप से अपने पास रखी गई

क्र०सं०	नाम समिति	राशि
1	मेहन्दी सहकारी सेवा पंचायत समिति, झालरापाटन	145.00
2	राजपुरा कृषि बहु० सहकारी समिति प० सं०, बकानी	59.25
3	बढाय ग्राम सेवा सहकारी समिति	34.94
4	सीताराम तेल घाणी सहकारी समिति	375.95
5	बचत व साख सहकारी समिति, कटफला	137.50
6	गोलाना ग्राम सेवा सहकारी समिति	1,168.37
7	,, ,, ,,	150.00
8	दही खेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति	425.15
9	धरानिया ग्राम सेवा सहकारी समिति	301.00
10	पगारिया ग्राम सेवा सहकारी समिति	4,665.88
11	डग ग्राम सेवा सहकारी समिति	2,776.03
12	कडोदिया ग्राम सेवा सहकारी समिति	955.56
13	हेमडा ग्राम सेवा सहकारी समिति	2,364.85
14	अकावदा खुर्द ग्राम सेवा सहकारी समिति	113.50
15	हरीगढ़ सामूहिक कृषि सहकारी समिति	900.00
16	बल्देवपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	2,222.64
17	लीमी ग्राम सेवा सहकारी समिति	2,820.22
18	डीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति	20,117.98
19	घोबडिया ग्राम सेवा सहकारी समिति	3,004.00
20	सिलेहगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति	1,035.00
21	पाडलिया ग्राम सेवा सहकारी समिति	1,285.00
22	कोल्हूखेड़ीमालियान ग्राम सेवा सहकारी समिति	1,584.45
23	गरवोलिया ग्राम सेवा सहकारी समिति	740.00
	योग ..	47,282.27

परिशिष्ट 11

(अ. प्र. सं. 253 की सूची)

Statement showing the particulars of the officers trained abroad in various aspects of sheep & Wool during the last five years under Colombo Plan/FAO programme/U. S. aid/Indo-French/Others.

S. No.	State	Year	Name of the Officer	Subject in which trained	Period of training	Country	Present employment with the name of the post and Scheme
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rajasthan	1952	Shri N. L. Narayan	Sheep Husbandry & Woollen Technology	6 months	Australia	Joint Director of Sheep & Wool, retired on 14-1-70.
2.	"	1955-56	Mrs. S. Narayan	Sheep & Wool Research	One year	Australia & New-Zealand	Principal, Sheep & Wool Training Institute, Jaipur.
3.	"	1959	Shri S. K. Sharma	Sheep Husbandry & Wool Technology	9 months	Australia	District Sheep & Wool Officer, Nagaur.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Rajasthan	1959	Shri Mahendra Singh	Sheep Husbandry & Woollen Technology	9 months	Australia	Lecturer, Sheep & Wool Training Institute, Jaipur.
5.	,,	1964	Shri K. Swaroop	Shearing Training shed experting and management etc. (Under Colombo Plan).	7 months	New-Zealand	Chief Shearing Officer, Jaipur.
6.	,,	1964	Shri D. S. Rathore	—do—	7 months	,,	District Sheep & Wool Officer, Jalore.
7.	,,	1965	Shri K. L. Chaddha	Sheep Husbandry, Wool Tech. Wool Grading & Marketing (Under Colombo Plan).	One year	Australia	District Sheep & Wool Officer, Barmer.
8.	,,	1965	Shri A. C. Dube	—do—	One year	Australia	Extension Officer, Ahore, Wool purchase Scheme.
9.	,,	1965	Shri S. N. Rathi	Sheep Husbandry, Wool Tech. Wool Grading & Marketing (Under Colombo Plan).	One year	Australia	Extension Officer, Jaitaran (Sheep Distt., Ajmer).

10.	,,	1965	Shri Pushkar Singh	—do—	One year	,,	Instructor, Sheep & Wool Training Institute, Jaipur.
11	,,	1965	Shri Narayan Singh	—do—	,,	,,	Wool Grading Officer, Jodhpur (W. G. & Mkt. Scheme).
12.	,,	1965	Shri Madho Singh Bhati	—do—	,,	,,	Bin Inspector, Wool Grading Centre, Jodhpur. Now declared surplus.
13.	,,	1966	Shri A. B. Sharma	Wool Grading and Marketing (U. N. Programme).	11 months	,,	Wool Grading Officer, Jaipur.
14.	,,	1966	Shri B. S. Tanwar	—do—	,,	,,	(Wool Grading and Marketing Scheme) District Sheep & Wool Officer, Jaisalmer) (Wool Marketing Scheme).
15.	,,	1966	Shri B. B. L. Kackar	—do—	,,	,,	Wool Grading Officer, Bikaner.
16.	,,	1966	Shri S.N. Toshaniwal	Artificial Insemination of sheep.	6 months	U. S. S. R.	(A. I. O. Scheme) Jaipur.

नोट:—इन अधिकारियों पर वेतन व उससे संबंधित भत्ते व यात्रा भत्ते को छोड़कर अन्य सभी खर्चे Colombo plan व FAO द्वारा किए गए है।

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 29 जनवरी, 1970)

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1		2	3	4
2		5	श्री फूलचन्द बापना	श्री फूलचन्द बाफना
4		1	कैयून	कैयून
8		13	रिपो	रिपोर्ट
,,	अन्तिम से	11	सिलेसिले	सिलसिले
10	,,		श्री दौलतराम राम स्मरण	श्री दौलतराम सारण
17	,,	11	डाल रहे दो	डाले रहे
20	,,	7	ि चार	विचार
32	,,		नीच	नीचे
82		11	रिश्नेदारा	रिश्तेदारों
89		5	योग	योग्य
96		9	इन	इस
,,	अन्तिम से	2	स्तीफा	इस्तीफा
97	,,	3	सनिक सामुहिक	सैनिक सामूहिक
100		6	संलगन	संलग्न
103		11	मैं माननीय	श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय
107	अन्तिम से	13	श्री अध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
108	,,	4	से	तो
112	,,	9	दे	देंगे
116		19	कर	करें
117		4	मुझे से	मुझसे
,,		17	अपमान हुआ है	अपमान नहीं हुआ है
130		12	दूसरा का कारखाना	दूसरा कारखाना
139		11	है	हूं
142	अन्तिम से	13	कांम	कांस
147		11	मुआवजा	मुआवजा
177		4	व्यत्ति	व्यक्ति
,,	अन्तिम से	5	गइ	गई

1	2		3	4
178		6	हु	हैं
179	अन्तिम से	15	आमदानी	आमदनी
181		14	निकलावा	निकलवा
193	शीर्षक		रा० म० अभिभाषण	रा० म० के अभिभाषण
197	अन्तिम		ले	वाले
217	शीर्ष		(रामानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
231		3	करन	करना
,,		17	जायेंवे	जायेंगे
,,	अन्तिम से	4	पये	अपये
232	,,	16	भड़	भेड़
,,	,,		खलवा	खुलवा
241		13	श्री रामान्नद अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
242		12	ऊपर खड़े चढने	ऊपर चढ़ने
,,	अन्तिम		खली	खुली
,,	,,		तम्हारे	तुम्हारे
247		2	न	ने
,,	अन्तिम से	13	कछ	कुछ
251	,,	9	तनात	तैनात
252		8	वह	वहां
,,	अन्तिम से	12	सनिक	सैनिक
259		2	को लैण्ड ट्रान्सफर	को ट्रान्सफर
,,	अंतिम से	7	चाया	चलाया
362	अन्तिम	7	हाती	होती
264	शीर्षक		यर अग्रेतर	गर अग्रेतर
267	अन्तिम से	9	बोलत	बोलने
268	,,	11	धन्यावद	धन्यवाद
273	अन्तिम		बढ़गा	बढ़ेगा
274		18	पदा	पैदा
276	अन्तिम से	16	राजस ान	राजस्थान
304	,,	12	Now	Noes
305		4	ग्रीमिण	ग्रामीण
320		3	शिड्यल	शिड्यूल